# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 1 | चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र, का ३६वां दिवस | संख्या 17



बुधवार

दिनांक 7 जून, 1967

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

( श्री निरन्जननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन )

## तारांकित प्रश्नोत्तर

( शिक्षा, वन, विद्युत्, स्वायत्त-शासन, आयुर्वेद, सिंचाई, उद्योग, विधि, जन-स्वास्थ्य विभाग )

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री देवीदत्त गाड़िया !

### बारां डिग्री कालेज भवन का निर्माण

283. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बारां डिग्री कालेज भवन का शिलान्यास कब तक हो जावेगा ?

(2) क्या कालेज भवन निर्माण हेतु स्थान निश्चित कर लिया गया है ? यदि हां तो किस स्थान पर कॉलेज भवन का निर्माण होगा और उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

उपमंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) :
(1) जल्दी ही किया जायगा।

(2) जी हां, राजकीय अस्पताल के पीछे की जमीन पर निर्माण होगा। इसके मुख्य अभियन्ता, पथ एवं निर्माण को प्लान एवं एस्टीमेट बनाने को कह दिया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस कालेज के शिलान्यास के जल्दी करने का आपने बताया है तो यह बताने का कष्ट करेंगे कि कितने महीनों के अन्दर-अन्दर शिलान्यास प्रारम्भ हो जायगा।

राव श्री धीरसिंह : प्लान और एस्टीमेट तैयार होते ही कन्स्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया जायगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्लान और एस्टीमेट का कार्य कब तक पूरा हो जायगा?

राव श्री धीरसिंह : सुनाई नहीं दिया, दुबारा कहें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्लान और कन्स्ट्रक्शन का यह काम कब तक पूरा हो जायगा ?

राव श्री धीरसिंह : जैसे ही प्लान आजायेगा और पैसा जमा हो जायेगा तो चालू कर देंगे और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : क्या यह मान लिया जाय कि कालेज के शिलान्यास का कार्य 6 महीने के अन्दर अन्दर हो जायगा ?

**राव श्री धीरसिंह** : कार्य तो प्रारम्भ हो जायगा, लेकिन पूरा कब तक हो जायगा यह अभी नहीं कह सकते हैं। जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : क्या यह सही है कि बारां कालेज कमेटी ने कालेज भवन निर्माण के लिए 2 लाख रुपये जमा करा दिये हैं ?

**राव श्री धीरसिंह** : अभी एक लाख रुपया जमा करा दिया गया है जिसमें से 50 हजार तो कमेटी का और 50 हजार म्युनिसिपेलिटी का है।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : माननीय अध्यक्ष, मैं मंत्रीजी को यह सूचना देना चाहता हूं कि बारां कालेज कमेटी द्वारा 1 लाख रुपया और आज से 8 रोज पूर्व कोटा कलेक्टर के माध्यम से भेज दिया गया है।

**राव श्री धीरसिंह** : आपने जो सूचना दी है उसकी जानकारी कर लूंगा। हमारे पास जो सूचना है वह एक लाख की है।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : मैं जानकारी दे रहा हूं कि एक लाख रुपया और जमा करा दिया है इस तरह से दो लाख रुपये जमा हो गये हैं। इसलिए उन्होंने जिस स्थान को सिलेक्ट किया है, अस्पताल के पीछे आपने बताया है, उसी जगह पर शिलान्यास का काम निश्चित होगा ऐसा निर्णय हो गया क्या ?

**श्री अध्यक्ष**: नेक्स्ट, श्री हरलाल मीणा!

## अचनारा पंचायत समिति क्षेत्र में आदिवासियों को मकान बनाने हेतु मुफ्त कबाड़ा

284. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़, पंचायत समिति क्षेत्र अचनारा (अरनोद) में रेन्ज सालमगढ़ द्वारा मकान बनाने का कबाड़ा नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

(2) क्या यह सच है कि यह आदिवासी एरिया है और आदिवासी अपनी गरीबी के कारण कीमतन कबाड़ा नहीं खरीद सकते हैं ? यदि हां, तो फॉरेस्ट विभाग की विज्ञप्ति के तहत आदिवासी एवं अन्य किसानों को मुफ्त कबाड़ा देने में क्या रुकावट आ रही है, और क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस एरिये के किसानों को कबाड़ा देने के लिए कोई भी जंगल रिजर्व नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों नहीं किया गया ?

**वन मंत्री** (श्री नारायणसिंह मसूदा) :

(1) जी नहीं।

(2) जी हां, विज्ञप्ति के अनुसार आदिवासी व कृषकों को मुफ्त व रियायती दर पर कबाड़ा दिया जा रहा है। इसमें कोई रुकावट नहीं है।

(3) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

**श्री हरलाल मीणा** : कबाड़ा कब देना चालू किया है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : कुए के लिए, खेती के लिए एवं मकान बनाने के लिए, खेती के लिए एवं मकान बनाने के लिए कबाड़ा काफी अर्से से दिया जा रहा है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : कबाड़ा क्या चीज है ?

श्री अध्यक्ष : कबाड़ा राजस्थानी शब्द है इसलिए हरएक को जानना चाहिए।

श्री हरलाल मीणा : मंत्री महोदय कहते हैं कि कबाड़ा दिया जा रहा है, लेकिन आदिवासी लोगों को कबाड़ा नहीं दिया जा रहा है और मकान अभी तक लोगों के ऐसे ही पड़े हुए हैं।

दूसरा, मैंने पूछा था कि उनके लिए कौन से जंगल रिजर्व किए हैं आदिवासियों को कबाड़ा देने के लिए, यह आपने नहीं बताया है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस क्षेत्र के आदिवासियों को और किसानों को निम्नलिखित जंगलों से कबाड़े आदि के पास दिये जाते हैं—

(1) वनखण्ड अम्बीरामा

(2) वन-खण्ड मगरा

(3) वन-खण्ड हाडियामार।

श्री हरलाल मीणा : इस साल कौन सा जंगल रिजर्व किया है आदिवासियों को कबाड़ा देने के लिए ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस साल की सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस साल का नहीं मालूम।

श्री हरलाल मीणा : इस साल मालूम नहीं है तो किस हिसाब से कबाड़ा दिया जा रहा है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : आमतौर पर जो रियायतें देने की हैं वे आमतौर पर दी जाती हैं और जहां से दी हैं उन जंगलों के नाम मैंने बताये हैं।

श्री हरलाल मीणा : कबाड़ा दिया जाता है तो आज तक कितने पास इश्यू हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

प्रश्न संख्या 285

श्री भगवानदास शास्त्री !

( अनुपस्थित, कृपया आगे देखें )

प्रश्न संख्या 286

श्री विजयसिंह रावत !

( अनुपस्थित, कृपया आगे देखें )

श्री रघुनाथ विश्नोई !

## सांचोर उच्चतर माध्यमिक पाठशाला भवन का निर्माण

287. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि सांचोर उच्चतर माध्यमिक पाठशाला भवन बिलकुल अपूर्ण है ? अगर हां, तो उसको पूर्ण कराने के लिए राज्य सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है ?

( श्री रघुनाथ विश्नोई )

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त पाठशाला के भवन निर्माण हेतु पंचायत समिति सांचोर ने रु० 35,000 रु० का अनुदान देना मंजूर किया था और उसकी मंजूरी राज्य सरकार से भी ली जा चुकी थी ? अगर हां, तो शिक्षा विभाग द्वारा यह रकम पाठशाला भवन-निर्माण में काम में क्यों नहीं लाई गई ? अब वह रकम कब तक काम में ले ली जायगी ?

(3) क्या यह सत्य है कि पाठशाला भवन अपर्याप्त होने से विद्यार्थियों को बड़ी भारी कठिनाइयां पैदा हो रही हैं ? अगर हां, तो उस भवन को सम्पूर्ण राज्य सरकार कब तक कर देगी ?

(4) क्या यह सत्य है कि सांचोर उच्चतर माध्यमिक पाठशाला का विज्ञान खण्ड भी अभी तक नहीं बना है ? अगर हां, तो उसका निर्माण कब तक करा दिया जावेगा ?

(5) उपरोक्त पाठशाला भवन का निर्माण अब तक राज्य सरकार द्वारा क्यों नहीं किया गया है ?

(6) क्या सरकार ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में पाठशाला भवन शीघ्र ही अपने बजट से बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

**उप मन्त्री शिक्षा (श्री धीरसिंह):** (1) जी नहीं । जगह की थोड़ी कमी है उसे दूर करने के लिए फिलहाल 3 कमरे बनाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(2) जी हां, अब जल्दी ही इस रुपये को काम में लाने की जन-निर्माण विभाग कार्यवाही कर रहा है ।

(3) कुछ कमी है लेकिन तमाम कमी दूर करना पैसे की कमी के कारण सरकार के लिए मुमकिन नहीं है ।

(4) फिलहाल तीन कमरे जल्दी ही बनाये जायेंगे जो विज्ञान के लिए ही होंगे ।

(5) धन की कमी के कारण भवन बनाने में सरकार असमर्थ थी ।

(6) धन की कमी के कारण पूरा भवन बनाने में तो सरकार असमर्थ है लेकिन जनता यदि धन से सरकार की मदद करे तो सरकार भी ऐसे दूसरों मामलों के साथ मदद देने के सवाल पर विचार कर सकती है ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** अध्यक्ष महोदय, धन का क्या सहयोग मांगते हैं ? 35000) रु० दे दिया । पहले भी दिया था और 5-6 साल से हायर सेकेण्डरी स्कूल चल रहा है, और साइन्स के ब्लॉक के लिए व्यवस्था नहीं है । लड़के बाहर बैठते हैं ऐसी हालत को क्या आप ठीक समझते हैं ?

**राव श्री धीरसिंह :** 35 हजार रुपये विज्ञान खण्ड बनाने के लिए दिए थे तो कमरे की बनाने की कार्यवाही की जा रही है बता दिया ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** राज्य सरकार क्या सहयोग देना चाहती है ? पिछले साल भी आश्वासन दिया था । यह 36 हजार रुपया भी पंचायत समिति से हमने लड़ कर जमा करवाया है हालांकि पंचायत समिति का इससे कोई काम नहीं है । राज्य सरकार क्या सहयोग देगी ?

राव श्री धीरसिंह : राज्य सरकार के पास पैसे की कमी है इसलिए बता दिया कि पैसे की कमी के कारण ही आपसे सहयोग मांगा गया है और बजट के अन्दर जैसे 2 साधन आयेंगे वैसे राज्य सरकार करेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, सांचौर पूरी तहसील में एक हायर सेकैण्डरी स्कूल है और उसमें जिले के सबसे अधिक लड़के हैं। इसको हायर सेकेण्डरी बोर्ड की ओर से डाईरेक्टर ने जाकर देखा है। उसकी इतनी बुरी हालत है। जिसको आप समझते हैं "जी नहीं" कहा है, जब कि शिक्षा विभाग से बराबर रिपोर्ट आ रही है। इतने लड़कों की संख्या को देखते हुए और ऐसे बेकवर्ड एरिया के लिए जन-सहयोग प्राप्त नहीं हो सका तो क्या राज्य सरकार अपने फन्ड में से स्पेशल केस के बतौर पैसा नहीं दे सकती? सारी तहसील में एक स्कूल है और पिछले पांच सालों से एक पैसा नहीं दिया तो क्या इसको आप उचित समझेंगे?

राव श्री धीरसिंह : ऐसी बात नहीं है। स्कूल में सेक्शन के अनुसार 16 कमरे चाहिए। चार सेक्शन सिक्स्थ के हैं, सातवीं के 3 सेक्शन हैं, आठवीं में दो सेक्शन हैं और 9 के अन्दर 3 सेक्शन्स हैं और 10 में 3 और ग्यारहवीं में 1 है। उसके मुताबिक 16 कमरे मौजूद हैं। साइन्स के लिए कमरे बन रहे हैं। अभी क्या शोर्टेज नजर आ रही है?

श्री रघुनाथ विश्नोई : कितने सेक्शन बाहर बैठते हैं यह जानकारी आपको नहीं है। मैंने यह पूछा था कि अपर्याप्त है कि नहीं तो उस हालत में आपको जानकारी मंगानी चाहिए थी कि कितने सेक्शन्स बाहर छप्पर लगा कर बैठते हैं और उसके अनुसार कार्यवाही की जाय।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना): इस शाला के अन्दर...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर आने दें।

राव श्री धीरसिंह : 17 कमरे हैं और 16 सेक्शन हैं कोई बाहर नहीं बैठता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई-सोलह कमरे हैं तो उनमें से हैड मास्टर के लिए और वाटर रूम के लिए कोई आवश्यकता नहीं है? आप क्या समझते हैं?

श्री बरकतुल्ला खाँ (शिक्षा मंत्री) : ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर कुछ कमियां हैं और उन कमियों को पूरा करने के लिए मैं माननीय सदस्य को यह यकीन दिलाता हूं कि सरकार के कर्मचारी यदि आप चाहेंगे, तो आपके साथ खुद चल कर देख लेंगे, और आपने जो 35 हजार रुपए दिये है उनके अलावा भी जो कमी रहती है उसको पूरा कराने के लिए हम कोशिश करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई: बस, यह कहिये।

श्री अध्यक्ष: श्री देवेन्द्र कुमार मीणा!

## तहसील गोगुन्दा में विद्युतिकरण

288. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि तहसील गोगुन्दा में अब तक विद्युतिकरण नहीं किया गया है?

# Page No.6



( श्री देवेन्द्र कुमार मीणा )

(2) क्या सरकार के यह भी ध्यान में है कि तहसील गोगुन्दा के मुख्यालय में बिजली आने पर वहां पर औद्योगिक आधार बन सकता है ? अगर हां, तो सरकार देहातों के विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत गांव गोगुन्दा आदि के विद्युतिकरण को प्राथमिकता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी)—

(1) जी हां।

(2) अभी तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनी है इसलिए इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा

## पाली उच्चतम माध्यमिक कन्या पाठशाला के पास की गन्दगी

289. श्री मूलचन्द डागा (पाली) :- क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पाली में श्री मुकनचन्द बालिया उच्चतम माध्यमिक कन्या पाठशाला के इर्द गिर्द शहर का गन्दा पानी चारों तरफ से फैला रहता है ?

(2) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व नगर पालिका ने अण्डर ग्राउन्ड पाइप लगाकर इस पानी को रामलीला मैदान की ओर जाने वाली पक्की नाली में डालने की व्यवस्था की थी ? यदि हां, तो फिर उसको क्यों रोक दिया गया है ?

(3) क्या सरकार इस गन्दगी को मिटाने के लिये नगरपालिका को आग्रह करने तथा उसके द्वारा इस कार्य को न करने की अवस्था में उस कार्य को स्वयं पूरा करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री : श्री नारायण सिंह मसूदा : (1) जी हां।

(2) कुछ अण्डर ग्राउण्ड पाइप लगाये थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : पानी का निकास किसी तरफ भी नहीं होता था। इसके अलावा विद्यालय के अधिकारी गन्दे पानी के नाले को विद्यालय भवन के सामने बनाने के विचार के पक्ष में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में चारों तरफ अन्य ड्रेनेज ने विकास के क्रम से समस्त क्षेत्र के जल-निसारण योजना को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

(3) पालिका द्वारा यथाशक्ति प्रयत्न किया जा रहा है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने से यह कार्य नहीं किया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : आर्थिक स्थिति की कमी के कारण क्या आप यह समझते हैं कि स्कूल के इर्द गिर्द गन्दा नाला बना रहे, और कई साल तक बना रहे ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : नहीं, यह तो बात नहीं है। ड्रेनेज स्कीम जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाई गई है और उस योजना को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाया जायगा। राज्य सरकार की स्वीकृति हो जाने पर योजना को आगे चालू किया जायगा।

श्री मूलचन्द डागा : क्या राज्य सरकार आश्वासन दे सकती है कि यह नाला कितने महीने या कितने समय के भीतर बनाया जा सकेगा ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : शीघ्रातिशीघ्र कार्य किया जायगा ।

प्रश्न संख्या 290

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह दांता !

(अनुपस्थित)

श्री हीरा !

कुशलगढ़ में हायर सेकेण्डरी स्कूल

291. श्री हीरा (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) कुशलगढ़ (जिला बांसवाड़ा) के सेकेण्डरी स्कूल से 1967 में कितने विद्यार्थियों ने मिडिल तथा मैट्रिक की परीक्षा दी है ?

(ख) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ में हायर सेकेण्डरी स्कूल नहीं होने से काफी विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिये बाहर जाना होगा अथवा उन्हें पढ़ाई छोड़नी होगी ?

(ग) क्या सरकार कुशलगढ़ में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं तो क्यों ?

उप मंत्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) राजकीय सेकेण्डरी स्कूल कुशलगढ़ से 1967 में मिडिल परीक्षा में 85 एवं मैट्रिक परीक्षा में 74 छात्र सम्मिलित हुए ।

(2) आगे पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को बाहर जाना होगा ।

(3) जी नहीं । वर्तमान में राज्य सरकार की नीति हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी में परिणित करने की नहीं है ।

श्री हीरा : क्या बाहर जाने वाले विद्यार्थियों के लिये सरकार की ओर से अच्छी सुविधा है ?

राव श्री धीरसिंह : सरकार की सुविधा है या नहीं इसके लिये तो आप प्रश्न अलग से पूछें तो बता सकता हूं, लेकिन हायर सेकेण्डरी और इसमें–जो सर्विस में लेते है उसमें फर्क नहीं है, उनको भी उसी तरह से सिलेक्ट किया जाता है, इसलिये हायर सेकेण्डरी और उसमें कोई अन्तर नहीं है । इसलिये आगे हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं हायर सेकेण्डरी में ऐसी पॉलिसी होने के कारण नहीं कर सकते ।

श्री हीरा : कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने विद्यार्थियों की संख्या हो तब हायर सेकेण्डरी स्कूल खोला जायगा ?

राव श्री धीरसिंह : अब कर नहीं रहे है । ऐसी पॉलिसी तय कर दी है कि अब अप ग्रेड नहीं करेंगे ।

श्री हीरा : क्या नहीं करेंगे ?

राव श्री धीरसिंह : हायर सेकेण्डरी में अप ग्रेड नहीं करेंगे सेकेण्डरी को ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): कुशलगढ़ से कोई विद्यार्थी हायर सेकेण्डरी की शिक्षा लेने जायगा तो उसे कितनी दूर जाना पड़ेगा ?

# Page No.8



राव श्री धीरसिंह : जो नजदीक से नजदीक जगह होगी।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : आपके अनुमान से कौनसी जगह उपलब्ध हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां (शिक्षा मंत्री) : बागीडोरा जाना पड़ेगा।

श्री हीरा : अध्यक्ष महोदय, हायर सेकेण्डरी के विद्यार्थी मध्य प्रदेश में रतलाम और इन्दोर जाकर परीक्षा देते हैं और इधर बागीडोरा और बांसवाड़ा उनको जाना पड़ता हैं—जो इतनी दूर हैं लेकिन फिर भी सरकार तवज्जह नहीं दे रही है। गत साल हायर सेकेण्डरी खोलने के लिये तय कर दिया था लेकिन चुनाव में हार का नतीजा देख लिया तो उस कोर्स को वहां से हटा लिया। आज भी सैकड़ों विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिये वहां से जाना पड़ता हैं बागीडोरा और बांसवाड़ा और मध्य प्रदेश में रतलाम और इन्दोर तक। यह बेकवर्ड एरिया हैं, इसको ध्यान में रखकर क्या आपकी नीति होगी ?

श्री अध्यक्ष : यह नीति बना ली है कि नहीं खोलना। ऐसी राज्य सरकार की नीति हो गई हैं।

श्री हीरा : नीति बना ली हैं कि हायर सैकेण्डरी नहीं खोलेंगे, तो आगे पढ़ाने की आवश्यकता होगी उसके लिये डिग्री कालेज और इन्टर कालेज खोले जाने चाहिये। वह नीति बनानी चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह नीति तो कोई सिद्धान्त पर आधारित नहीं है। माननीय मंत्री महोदय को शायद पता नहीं है किन्तु मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पड़ोस की तहसील जो गढ़ी है उसमें कितने ही हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं तो फिर कुशलगढ़ में क्यों नहीं हैं ? कुशलगढ़ तहसील में कम से कम एक हायर सेकेन्डरी स्कूल होना चाहिए। नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि गढ़ी के मुकाबले में तहसील कुशलगढ़ के साथ में आप सौतेला व्यवहार करते हैं और यह क्यों करते है ?

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक गढ़ी का ताल्लुक है, मुझे जानकारी है कि वहां हाई स्कूल हैं, हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं है गढ़ी खास में। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम हैं कि हायर सेकेन्डरी स्कूल न खोलकर कालेज खोलने का अब अभियान चल रहा है। अब नई चेंजेज आ रही हैं उसको ध्यान में रखकर अब नहीं खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री अमीलाल यादव !

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : क्या राज्य सरकार ने यह नीति निश्चित तरीके से हर जिले के लिए बना दी है कि हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं खोलेंगे ?

श्री बरकतुल्ला खां : ग्यारहवीं क्लास हायर सेकेन्डरी की नहीं खोली जायगी ?

प्रश्न संख्या 292

श्री अध्यक्ष : श्री अमीलाल यादव !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री पृथ्वीसिंह !

## जवाई बांध से रबी फसल हेतु अपर्याप्त सिंचाई व्यवस्था

293. श्री पृथ्वीसिंह ( बाली ) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जवाई बांध से गत रबी की फसल के लिये केवल तीन सिंचाई की ही व्यवस्था की गई थी, जबकि फसल के लिये चार सिंचाई की आवश्यकता रहती है, और हमेशा चार सिंचाई देने का नियम है ?

(2) क्या इसी कारण रबी की फसल को भारी हानि हुई है? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारीगण जिम्मेवार हैं, तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : (1) जी हां, गत रबी में जिला जल उपयोगिता समिति के निर्णयानुसार जवाई बांध से तीन पानी देने की व्यवस्था की गई। चार पानी देने का कोई नियम निर्धारित नहीं है। पानी की संख्या फसल पर निर्भर करती है।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करूं कि इन्होंने यह कहा कि चार पाण देने का कोई नियम नहीं है, लेकिन जब से यह बांध बना है हमेशा चार पाण ही फसल को दी जाती है और चार पाण के बगैर इस इलाके में फसल नहीं पक सकती। यह भी साथ-साथ निवेदन कर दूं, चार पाण नहीं देने की वजह से फसल को भारी नुकसान हुआ है। मन्त्री महोदय ने यह कहा कि फसल को नुकसान नहीं हुआ है। मेरा खुद का खेत था, जिस को चार पाण दी जाती तो उसमें कम से कम डबल पैदावार होती।

श्री मनफूलसिंह : इस तरह की सूचना सिंचाई विभाग को नहीं है।

श्री फूलचन्द बाफना ( सुमेरपुर ) : मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत यह पूछना चाहता हूं कि यह पानी देने का नियम है यह प्राकृतिक है या सरकार का है ?

श्री हरिदेव जोशी ( सिंचाई मन्त्री ) : अध्यक्ष महोदय, जवाई बांध में इस बार बारिश कम होने की वजह से कम्पेरेटिवली पानी बहुत कम आया था और इस कारण से जो वाटर युटीलाइजेशन कमेटी है ब्लाक लेवल पर उसकी मीटिंग में यह तय हुआ कि कम किसान ज्यादा पानी लेकर लाभ उठावें इसके बजाय ज्यादा किसान ऐसी फसल बोयें जिससे ज्यादा लोगों को पानी मिल सके और ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। इसलिए वाटर युटिलाइजेशन कमेटी ने गेहूं के बदले चना और जौ बोने का फैसला किया। और जहां तक इरिगेशन डिपार्टमेंट का सवाल था, वह इस हक में था कि केवल एक नहर को खोल कर केवल एक पोर्सन को पानी दिया जाय और ज्यादा वह किया जाय। लेकिन वाटर युटिलाइजेशन कमेटी इस फैसले पर आई कि ज्यादा एरिया को पानी दिया जाय और ऐसी फसल बोई जाय जिससे ज्यादा लोगों को पानी मिल सके। इस निर्णय के अनुसार चार पानी नहीं देकर तीन पानी देने का फैसला किया गया।

श्री पृथ्वीसिंह : मैं निवेदन करूं ...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सिंचाई का यह नियम होता है...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री पृथ्वीसिंह : मैं यह निवेदन करूं, मैंने भी जौ और चना बोया था और मेरे आस-पास के खेत वालों ने भी जौ, चना बोया था लेकिन तीन पानी से पूरी फसल नहीं पक सकी और जौ और चने का जो दाना पका था वह छोटे आकार का और घटिया क्वालिटी का पका जिससे पैदावार बिल्कुल आधी रह गई। इस क्षेत्र के बारे में अधिकारियों को, कृषि विशेषज्ञों और कृषि अधिकारियों को मालूम था कि इस इलाके में चार पानी के बजाय तीन पानी से अच्छी खेती नहीं पक सकती। लेकिन कृषि अधिकारियों की राय को सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने नहीं मान कर कमेटी में यह निर्णय ले लिया कि तीन पानी देकर ज्यादा से ज्यादा एरिया की पिलाई कराई जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। लेकिन ज्यादा एरिया में बोने पर भी जो फसल का अनुमान था, जो फसल का प्रोडक्शन था वह कम मात्रा में हुआ। यह आपने जानकारी नहीं की है: वैसे प्रश्न में यह स्पष्ट दिया हुआ था...

श्री अध्यक्ष : आप भाषण मत दीजिये प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री पृथ्वीसिंह : यह प्रश्न था।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं पोजीशन क्लीअर कर दूं आपको। मैं आपके सेटिसफेक्शन के लिए पोजीशन क्लीअर करदूं कि जवाई बांध की 7000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी की आय होती है लेकिन इस बार सिर्फ 1396 मिलियन क्यूबिक फीट पानी आया और इसलिए इर्रिगेशन डिपार्टमेंट वाले इस राय के थे कि एक साइड की केनाल को खोल कर पानी दे दिया जावे। मगर वाटर युटिलाइजेशन कमेटी जिसके अध्यक्ष पाली व जिलाधीश थे उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें वहां के लोकल एम० एल० ए० और प्रधान और प्रमुख थे और कई किसानों को स्पेशली इन्वाइट किया गया था और उनको कहा गया कि इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट वालों की यह राय है तो उन्होंने (वाटर युटिलाइजेशन कमेटी ने) उनकी राय को नहीं माना और कहा कि चने और जौ बोकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके ऐसा किया जाय कि तीन पानी दिये जाएं। इसलिए इस डिसिजन से बाध्य होकर ऐसा करना पड़ा और तीन पानी देने का फैसला करना पड़ा है।

श्री पृथ्वी सिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि तीन पानी देने के बाद में भी जवाई बांध में पानी बहुत मिलता था।

श्री हरिदेव जोशी : जवाई बांध से जोधपुर और कई कस्बों को पीने के लिये पानी दिया जाता है। इसलिये जो पीने के लिए पानी रखना था उसको रखने के बाद जो पानी था वह इर्रिगेशन के लिए दिया गया।

श्री पृथ्वीसिंह : क्या यह सही है कि जवाई बांध में नहरों में पानी आजाने के बाद भी उसके खड्डे में 70 फुट पानी रहता है जो पीने के लिये काम में आ सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री श्रवणलाल।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह अनुभव करते हैं कि वे बाध्य थे वाटर युटिलाइजेशन कमेटी के निर्णय से ? क्या मंत्री महोदय अब

( महारावल श्री लक्ष्मणसिंह )

यह अनुभव करते हैं कि वाटर युटिलाइजेशन कमेटी की राय ठीक थी ? यह एक सामान्य बुद्धि की बात है कि दो साल तक सूखा पड़ा हो वहां पर यदि चार दफे सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो तो मेरे ख्याल से कोई चीज पक नहीं सकती। यह तो सामान्य बुद्धि का प्रश्न है। यह टेकनिशियनों का निर्णय दूरदर्शितापूर्ण था या नहीं, इस अनुभव को प्राप्त करके भविष्य में क्य. माननीय मंत्री ऐसे और भी निर्णयों पर इस अनुभव के पश्चात् निश्चित धारणा नहीं बनाते हैं कि 4 सिंचाई के बिना कोई फसल नहीं पक सकती है।

श्री हरदेव जोशी : मैं विरोधी दल के नेता के विचारों को अनुभव करता हूं। मगर हमारे सामने डिफिकल्टी यह है कि यदि हम उस कमेटी की राय को इगनोर करते हैं तो डिपार्टमेंट को यह कहा जाता है कि अमुक लोगों को लाभ पहुँचाने के लिये सरकार ने अपना डिसिजन थोपा। इसलिये हमने हमारे ऑफिसर को यह राय दी है कि वाटर युटिलाइजेशन कमेटी की राय को माना जाए।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

### अध्यापकों की विभिन्न प्रकार की बकाया का भुगतान

294. श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार को किस किस प्रकार की कितनी कितनी बकाया रकम का भुगतान अध्यापकों को अब तक करना है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) भुगतान बकाया रहने के अब मुख्य-मुख्य कारण क्या हैं ? और सरकार ने शीघ्र भुगतान करने के संबन्ध में क्या क्या कदम उठाये हैं ?

उप मंत्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) भुगतान बकाया रहने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) भूतकाल से की गई पदोन्नतियों से संबन्धित बकाया जिन पर महालेखाकार द्वारा की गई आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है।

(2) पुराने अभिलेखों का उपलब्ध न होना तथा इस कारण समय पर वेतन का स्पष्टीकरण न होना।

बकाया वेतन के भुगतान के लिये विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं।

( कृपया परिशिष्ट संख्या 1 देखें )

श्री श्रवणलाल : यह बकाया कब से चली आ रही है ?

राव श्री धीरसिंह : मैंने सन् 64 से अप्रेल, 1967 तक का विवरण दिया है। 60 लाख 48 हजार 650 रुपये की राशि थी। और 15 हजार 548 के बिल बाकी थे। जिसमें से 5 लाख 601 का, 13966 बिलों का भुगतान किया जा चुका है। इस समय 2,42,634 के 1,482 बिल पेन्डिंग हैं।

श्री श्रवणलाल : वह तो मैंने देख लिया है कि 2,42,634 रुपयों की राशि और 1482 बिलों का पेमेन्ट अभी पेन्डिंग है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह बकाया कब से चली आ रही है ?

राव श्री धीरसिंह 1964 से पेन्डिंग थे उसमें से काफी का भुगतान कर दिया गया है।

**श्री श्रवणलाल** : क्या इसमें यह समझा जावे कि 1964 से पहले के कोई बिल भुगतान के लिये बाकी नहीं है।

**राव श्री धीरसिंह** : सन 1964 में हिसाब किया गया उसमें उसके पहले की रकम भी ली गई थी।

**श्री श्रवणलाल** : मैं तो केवल यही पूछना चाहता हूं कि यह बकाया कब से चली आ रही है ?

**राव श्री धीरसिंह** : यह अलग से प्रश्न है। आपने पूछा है कि कब से पेन्डिंग है ?

**श्री श्रवणलाल** : मैंने पूछा है कि कितनी-कितनी बकाया है। दूसरा यह है कि भुगतान बकाया रहने के अब तक मुख्य मुख्य कारण क्या हैं ?

**राव श्री धीरसिंह** : आपने यह नहीं पूछा है।

**श्री अध्यक्ष** : आप इसको महसूस कर कर रहें हैं इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : इसका मतलब यह है कि आदि से अंत तक कितना है यह बतलावें।

**राव श्री धीरसिंह** : यही तो बताया है।

**श्री श्रवणलाल** : यह कब बताया है ?

इसका किसी प्रकार से निराकरण नहीं हो रहा है। भरतपुर में 29,580 की बकाया है। इसी प्रकार अजमेर में 20 हजार और जोधपुर में 35,888 हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की बकाया चली आ रही है और सूची में आपने दिया है कि उनसे संबन्धित कागज या आपत्तियों के निराकरण नहीं होने के कारण यह अब तक बकाया नहीं चुकाई गई तो इसका निराकरण कब तक कर दिया जावेगा ? इसके लिये आप अवधि मुकर्रर करें कि दो महीने या 4 महीने में या 6 महीनों में इसका चुकारा कर दिया जावेगा।

**राव श्री धीरसिंह** : यह जो 2,42,-634 रु० के बिल हैं उनका जल्दी से जल्दी चुकारा कराना है। इसमें से 5 लाख 601 का पेमेन्ट तो हो गया है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि प्रोग्रेस जारी नहीं है, प्रोग्रेस तो जारी है। 7 लाख की बकाया में से 5 लाख का भुगतान कर दिया है।

**श्री बरकतुल्लाखां** (शिक्षा मंत्री): साल भर में इसका भुगतान करा दिया जावेगा।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या सरकार यह उचित समझती है कि जिन लोगों की बकाया है उनको चुकाने की सरकार मय ब्याज के व्यवस्था करेगी ?

**श्री बरकतुल्लाखां** : यह सरकार की गलती से पेमेन्ट नहीं रुका है। कई दफे पे बिल देरी से प्राप्त हुए हैं। गवर्नमेंट ने कोई ब्याज का रास्ता नहीं निकाला है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामचन्द्र आर्य !

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : सरकार की गलती के कारण से उनको एरियर नहीं रहे यह कहा जाता है कि पे स्लिप जारी नहीं हुई या और कोई कारण हो। मगर मैं यह कहूंगा कि जो भी उच्च अधिकारी हैं उनका यह कर्तव्य था कि वे रेकार्ड मेन्टेन करते और पे स्लिप समय पर जारी करते। उनकी जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकारी अफसरों की गैर जिम्मे-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दारी के कारण शिक्षकों की बकाया रहती है तो यह शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है। यह सरकार की जिम्मेदारी है। और एक ईमानदार व्यक्ति के नाते आपका यह कर्तव्य है कि जिनको आज पांच-पांच और सात-सात साल तक पैसा नहीं मिला है उनको मय ब्याज के आपको उन्हें भुगतान करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

घग्घर नदी के ओट्टू घाट से नोहर फोडर का निर्माण

295. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या हरियाणा के घग्घर नदी के ओट्टू के घाट से नोहर फीडर नाम की नहर निकालने की योजना है ? यदि हां, तो इस नहर के नीचे कितने ग्राम व कितनी एकड़ भूमि ली जाने का इरादा है ?

(2) उपरोक्त नहर की योजना का कार्य कब तक शुरू किया जा सकेगा ?

(3) उपरोक्त नहर 6 मासी होगी या 12 मासी ?

उपमंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह): (1) जी हां, इस नहर के नीचे एक दर्जन से अधिक गांवों के करीब 1,67,000 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था करने का विचार है।

(2) जब भी योजना को केन्द्रीय सरकार स्वीकृति दे दे और उसके लिये आवश्यक वित्तीय व्यवस्था कर दी जावे।

(3) केवल 6 मासी ही होगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या इसकी अवधि बता सकते हैं कि कितने दिनों में इस नहर की स्वीकृति हो जायेगी ?

श्री हरिदेव जोशी (सिंचाई मंत्री): जैसा कि प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया गया है कोई अवधि निश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि यह स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से टेक्निकली स्वीकृत हो कर नहीं आई है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह खाद्य का मामला है, इसमें अवधि निश्चित होनी चाहिये और इस नहर को चालू करने में जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जानी चाहिये। इसमें मन्त्री महोदय क्या विचार रखते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, में स्पष्ट कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामानन्द अग्रवाल !

राजस्थान के कालेजों में पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षाएं चलाने का मापदण्ड

296. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) राजस्थान में विश्व विद्यालयों के हैड क्वार्टरों के अतिरिक्त कौन-कौन से कालेजों में पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षाएं चलती हैं ? ये कक्षाएं कब से चल रही हैं और किन-किन विषयों में चल रही हैं ?

(2) विश्वविद्यालयों के हैड क्वार्टरों के अतिरिक्त दूसरे कालेजों में पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षायें चलाने का क्या कोई मापदण्ड सरकार ने अथवा विश्वविद्यालयों ने निर्धारित किया हुआ है ?

# Page No.14



(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(3) क्या सरकार को मालूम है कि राजस्थान में विलय से पूर्व मत्स्य राज्य में राजऋषि कॉलेज अलवर में पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षायें चलती थीं ? यदि हां, तो इस कालेज की पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षायें क्यों बन्द करदी गई जब कि अन्य स्थानों पर ये कक्षायें अभी भी चल रही हैं ?

(4) क्या यह सही है कि गत वर्ष 1966-67 में राजऋषि कालेज के विद्यार्थियों द्वारा अलवर में पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षाएं खुलवाने के लिये राज्य सरकार एवं उप-कुलपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

(5) क्या यह सही है कि डायरेक्टर ग्राफ कालेज एज्यूकेशन ने राजऋषि कालेज के विद्यार्थियों को आश्वासन दिया था कि 1967-68 से उनके कालेज में पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षायें चालू हो जावेंगी ? क्या सरकार इस आश्वासन के अनुसार चालू वर्ष में राजऋषि कालेज, अलवर में पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षायें प्रारम्भ कर रही है ?

उपमंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) :

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। अब तक स्नातकोत्तर कक्षायें विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं साधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए खोली जाती थीं।

(3) जी हां। कानून के विषय को छोड़ बाकी स्नातकोत्तर कक्षायें मत्स्य सरकार द्वारा सन् 1948 में साधन तथा विद्यार्थियों की कमी के कारण बन्द कर दी गई थी। इन्हीं कारणों से राजस्थान सरकार ने भी सन 1950 में कानून विषय की कक्षायें भी बन्द कर दीं।

(4) जी हां। राज्य सरकार ने यह मामला एक कमेटी को सौंपा है उसकी रिपोर्ट आने पर विचार किया जायेगा।

(5) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 2 देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या यह सही है कि सरकार का पहले यह स्टेंड था कि जहां जहां विश्वविद्यालय हैं वहां हम पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज को रेजिडेन्शियल बनाना चाहते हैं। जहां विश्वविद्यालय नहीं खोलना चाहते हैं वहां आगे नहीं खोलेंगे लेकिन इसके बावजूद सरकार ने ब्यावर में, अजमेर में कोटा में और वनस्थली में इस तरह की पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज अब तक खोली हैं ?

राव श्री धीरसिंह: सरकार ने पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज खोलने के बारे में एक कमेटी नियुक्त कर दी हैं, उसकी रिपोर्ट आने पर पूरी पॉलिसी निर्धारित की जायेगी। इसके पहले सरकार की कोई निश्चय नीति नहीं थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आने पर ही अन्तिम निर्णय लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान बनने के बाद अलवर का राजऋषि कालेज स्टूडेन्ट्स की संख्या के अनुसार, सबसे बड़ा तो नहीं कह सकता पर बड़ा कालेज है वहां 1500 स्टुडेन्ट्स हैं वहां तो आपने पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज बन्द कर दीं और दूसरी जगहां पर पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज खोली हैं तो इस प्रकार की भेदभाव की नीति क्यों बरती जा रही है। अलवर की बात आई तो कमेटी की बात कह रहे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं। ब्यावर, अजमेर, कोटा, बनस्थली के लिये आपने कमेटी नहीं बनाई ? उनमें पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज खोलते समय आपने कमेटी की बात नहीं रखी ? अलवर के राजऋषि कालेज के बारे में बात उठाई गई तो आपने कमेटी मुकर्रर कर दी।

राव श्री धीरसिंह: अलवर में तो मत्स्य सरकार ने ही बन्द कर दी थी। प्राइवेट संस्थाएं खोलती है तो वे खर्चा करती हैं। सरकार खोलती है तो रिसर्च के लिये बड़ा खर्चा करना पड़ता है। कमेटी इस सारे मामले को एग्जामिन करके अपनी रिपोर्ट देगी। उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद ही निर्णय लिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: कोटा में, अजमेर में डिफरेंट सब्जेक्टस में खुद गवर्नमेंट ने पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेजे खोली हैं। पहले तो आपकी नीति थी कि विश्व-विद्यालय है, वहां नहीं खोलेंगे। इस हिसाब से बनस्थली में नहीं खोलनी चाहिए थी। इसी बिना पर अलवर के लिये सरकार ने मना किया था। क्या यह सही है कि अलवर में विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक थी? तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब दूसरी जगह खोल रहे हैं तो अलवर में भी जारी रख दीजिये। मुख्य मंत्रीजी ने भी इसी तरह स्टुडेन्ट्स को कहा था और मिस्टर जौन जो कालेज एज्यूकेशन के डायरेक्टर हैं उन्होंने पिछले साल डेपुटेशन को आश्वासन दिया था, पर अब उससे पीछे हटते हैं, यह कहां तक ठीक है ? कमेटी की रिपोर्ट आये तब सभी राजस्थान के लिये लागू कर देना, पर जिस तरह और जहां है, उसी तरह से अलवर का जो हक है वह तो उसे दीजिये।

राव श्री धीरसिंह: मिस्टर जोन ने कोई आश्वासन नहीं दिया। जो चिट्ठी मिस्टर जोन ने लिखी उसमें भी नहीं था कि अलवर में खोल देंगे। पहले खोल दी और कठिनाइयां हुई तो कमेटी बनाने की जरूरत पड़ी। तो इस बीच में जब तक कि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाय, अलवर में कैसे खोल सकते हैं ? मेरे पास उस लैटर की कापी है। उसमें कोई आश्वासन नहीं दिया है, चिट्ठी अंग्रेजी में है यदि आप चाहें तो मैं पढ़ कर सुना सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: किसको लिखा गया है ?

राव श्री धीरसिंह: यह लिखा गया है प्रिन्सिपल आर० आर० कालेज अलवर को।

श्री अध्यक्ष: क्या लिखा है ?

राव श्री धीरसिंह: "Thank you for your letter dated 28 December 1966 regarding strike in your college. I am very glad to learn that your influence has induced the boys to see reason. When the students of Bikaner went on strike, on this issue of post gradute, I raised the question of considering your college and other institutions. The matter is likely to be considered by the committee.

I would like you to let me know specifically the items of enrolement in different subjects and results in the last three years what subjects would be required upto post-graduate stage in your college, if the department could find resources for further expansion. At the moment the classes are not being started unless the Government is satisfied that there really is need for post-graduate qualifications in a particular college."

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाऊं। जब आपके पास शिक्षा का पोर्टफोलियो था तो आश्वासन दिलाया था कि नये कालेजेज जहां विश्वविद्यालय हैं वहां पर इकट्ठे करने का हम सोचते हैं, इसलिये नहीं खोलेंगे, लेकिन जहां खुली हुई हैं उनको जारी रखेंगे। अगर यह क्राइटेरिया था तो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हों, या गवर्नमेंट इन्स्टीट्यूशन्स हो, इस तरह की पाबन्दी वहां होनी चाहिये थी। 64 में बनस्थली में इस प्रकार की कलासेज खोली हैं। स्टूडेन्ट्स की अनअवेलेबिलिटी की बात मन्त्री महोदय ने कही है, मैं यह बताना चाहता हूं कि राजऋषि कालेज, अलवर राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे पुराना कालेज है, इस वास्ते उसका पहला क्लेम है। मैं इस माने कहूंगा कि आप अलवर के केस को कन्सीडर करें। आपने यह कमेटी किस सन् में बैठाई थी ?

**राव श्री धीरसिंह :** दिसम्बर 9, 1966 में।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** मुझे यह लगता है कि यह हार्ड केस है और माननीय प्रश्नकर्त्ता की बात सुनने के पश्चात जो भावना प्रकट की है उससे मेरी एक हद तक सहानुभूति है। मैं जानना चाहूंगा कि राजऋषि कालेज में पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज थीं वह मत्स्य गवर्नमेंट द्वारा बन्द हुई या राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा।

**राव श्री धीर सिंह :** मत्स्य गवर्नमेंट द्वारा बन्द की गई हैं, यह मैंने पहले ही बता दिया है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** माननीय प्रश्नकर्त्ता ने कहा कि राजस्थान बनने के पश्चात् बन्द किया। मन्त्री महोदय ने कहा कि मत्स्य गवर्नमेंट ने बन्द किया, ठीक है, मैं उसको मानता हूं। अगर मत्स्य गवर्नमेंट ने बन्द की और अन्य कॉलेजेज में पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज उसके बाद खोली गई हैं तो अलवर राजऋषि कालेज को प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** कानून की कक्षाएँ 50 में राजस्थान में बनी हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** पेपर्स को फिर से कन्सल्ट करें। पोस्ट-ग्रेज्युएट क्लासेज की व्यवस्था जहां थी, वहां तो आपने बन्द की और अन्य स्थानों पर जहां नहीं थी, वहां पर आपने पोस्ट ग्रेज्युएट कलासेज खोलीं तो अन्य जगहों पर खोलते वक्त राजऋषि कालेज की पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज बन्द की थीं, उनको पुनः खोलने के बारे में स्वाभाविक रूप से विचार करना चाहिये।

**राव श्री धीर सिंह :** वह विचार सामने आया, दूसरे विचार भी सामने आये इसी लिये इस कमेटी का निर्माण किया गया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद में इसको देख लेंगे, राजऋषि कालेज के मामले को देख लेंगे।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** जो हुआ सो हुआ पर क्या मन्त्री महोदय आश्वासन देंगे कि अब पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज खोलने की व्यवस्था की जायगी तो अलवर के राजऋषि कालेज को सबसे पहले प्राथमिकता इस सम्बन्ध में दी जायगी ?

**श्री बरकतुल्ला खां :** सदन में बार बार यह सवाल उठता है कि मंत्रीगण अपने व्हिम्स और फैन्सीज पर न जाकर आधार बनायें और एक्सप्लोरेटरी ओपीनियन लेकर इन मामलों में दखल दें। अगर इस समय मैं आश्वासन दूं कि चाहे एक्सपर्ट ओपीनियन कुछ भी हो, आधार कुछ हो, मैं यहां पर बोलूंगा तो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होगा। मैं यही कह सकता हूं कि जहां इस तरीके के केसेज कन्सीडर होंगे उसके साथ अलवर का केस भी कन्सीडर किया जायेगा और अलवर का केस मैरिट पर डिसाइड किया जायगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** यह कमेटी अपना प्रतिवेदन कब तक देगी? क्या तारीख मुकर्रर की है?

**श्री अध्यक्ष :** श्री भैरोंसिंह !

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** मेरे सवाल का उत्तर तो दें।

**श्री मुकुटबिहारीलालगोयल:** यह कमेटी कितने दिनों में अपना निर्णय देगी? यह महत्वपूर्ण सवाल है।

**अध्यक्ष :** श्री भैरोंसिंह शेखावत।

## कोटा इन्डो इन्जीनियरिंग कम्पनी को एलमोनियम का आयात का परमिट

297. **श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां):** (श्री भैरोंसिंह शेखावत की ओर से) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा स्थित इन्डो इंजीनियरिंग कम्पनी को कब-कब कितने-कितने एलमोनियम के आयात का परमिट या लाइसेंस मिला या और किस कार्य के लिए ?

(2) इस कम्पनी के मालिक एवं मैनेजर कौन-कौन है तथा इसने कब से उत्पादन शुरू किया है और अब तक कितना उत्पादन हो चुका है ?

(3) क्या यह सही है कि इस कम्पनी के विरुद्ध आयातित माल के ब्लैक मार्केट करने की शिकायत राज्य सरकार को मिली है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

**उप मन्त्री, उद्योग ( श्री मनफूलसिंह ) :**

(1) मेसर्स इन्डो इन्जीनियरिंग प्राइवेट लि०, कोटा को ए. ए. सी. ए. सी. एम. और कन्डक्टर बनाने के लिए निम्नलिखित एलमोनियम वायर रॉड का कोटा दिया गया है:

| | पीरियड | आयातित | देशी |
|---|---|---|---|
| 1. | अक्टूबर, 62 सितम्बर, 63 | 31.500 टन | — |
| 2. | अक्टूबर, 63 से मार्च, 64 | 52.500 टन | — |
| 3. | अप्रेल, 64 से मार्च, 65 तक | 82.130 टन | 29.315 |
| 4. | अप्रेल, 65 से मार्च, 66 तक | — | 34.000 |

(श्री मनफूल सिंह)

(2) इस कंपनी के मौजूदा मालिक एवं मैनेजर निम्न प्रकार से है :—

डाइरेक्टर्स :—1. श्री बी. के. बर्मन।

2. ,, बी. डी. झूंझूनूंवाला।

3. ,, बी. डी. सिंहलिया।

डिप्टी जनरल मैनेजर :—श्री राजेन्द्र बर्मन।

उत्पादन इस कम्पनी ने वैसे तो उत्पादन अगस्त, 61 से प्रारंभ किया है परन्तु पार्टी के अनुसार एल्यूमिनियम कण्डक्टर का उत्पादन जनवरी, 1965 से शुरू हुआ है। ये आंकड़े इस प्रकार हैं :—

| | |
|---|---|
| 1964–65 | 30.494 टन। |
| 1965–66 | 170.380 ,, |
| 1966 से मई 67 तक | 323.880 ,, |
| | 524.754 टन |

(3) यह सत्य नहीं कि इस कम्पनी के विरुद्ध आयातित माल के ब्लेक मार्केट करने की कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री बी० एन० जोशी।

**बांदीकुई, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय भवन की व्यवस्था**

298. **श्री बी० एन० जोशी** (बांदीकुई): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बांदीकुई में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट व एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के लिए वर्तमान भवन-व्यवस्था पर्याप्त है? यदि नहीं तो क्या सरकार जल्दी ही उक्त व्यवस्था करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी?

(2) क्या यह भी सही है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के भवन का डंडा नहीं है? यदि हां, तो तो क्या उसे पूरा करने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा?

**उप-मंत्री विधि (राव श्री धीरसिंह)** : (1) जी नहीं। माननीय हाईकोर्ट ने इसी भवन में आवश्यक परिवर्तन व परिवर्धन करने के लिए धनराशि की स्वीकृति चाही थी जिसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दे दी गई है?

(2) जी हां। यह प्रश्न विचाराधीन है।

**श्री बी० एन० जोशी** : यह जो धनराशि स्वीकृत की गई है इससे कब-तक भवन निर्माण का काम प्रारंभ हो जायगा?

**राव श्री धीरसिंह** : स्वीकृति दे दी गई है और जल्दी से जल्दी इसको कराया जायगा। स्वीकृति 3-6-67 को दी गई है।

**श्री बी० एन० जोशी** : क्या सरकार की जानकारी में है कि भवन की कमी की वजह से बार रूम कोर्ट के काम में आ रहा है और वकीलों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है?

**राव श्री धीरसिंह** : यह सही है। स्वीकृति तीन तारीख को हुई है। ज्यों ही एडीशन होगी, वकीलों को सुविधा मिल जायगी।

**श्री अध्यक्ष** : श्री नन्दलाल!

ग्राम खटका तहसील शाहबाद में सिंचाई हेतु तालाब निर्माण

299. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) ( श्री नन्दलाल की ओर से ): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम खटका, तहसील शाहबाद के तालाब से भूमि की सिंचाई हेतु तालाब के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा रकम की मंजूरी हुई है ? यदि हां, तो कब हुई और कितनी ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस तालाब का सर्वे हो चुका है? यदि हां तो कब हुआ और अभी तक काम क्यों नहीं शुरू किया गया ?

(3) क्या यह सत्य है कि इस तालाब का ठेका दिया जा चुका है ? यदि हां तो ठेका कब दिया गया था ? और कार्य कब तक प्रारंभ हो जावेगा ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : (1) जी हां, जनवरी सन् 1965 को 8,72,700) रुपए की स्वीकृति दी गई।

(2) जी हां, कार्य प्रारंभ हेतु सन् 1966 में विस्तृत सर्वेक्षण किया गया।

इस कार्य के लिए ३ बार निविदा आमंत्रित की गई किन्तु किसी ठेकेदार ने भी टेन्डर नहीं दिये। इसलिए यह काम शुरू नहीं किया जा सका।

(3) जी नहीं। निविदा पूर्व में तारीख 27-2-67, 17-3-67 और 27-3-67 को मांगे गये। व्यक्तिगत रूप से भी कार्य के टेन्डर देने को कहा गया किन्तु इन तारीखों में किसी भी तरफ से टेन्डर नहीं प्राप्त हुआ अब निविदा 11-7-67 तक मांगे गए हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा: क्या कारण है कि टेन्डर नहीं आ सके ? क्यों कोई भी ठेकेदार नहीं आया ?

सिंचाई मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : यह जानकारी इस विभाग को नहीं है किन्तु यह तथ्य है कि अब लेटेस्ट टेन्डर जुलाई में खुलने का है 11-7-67 को। वह अगर आ जाता है तो काम शुरू हो जायगा।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : अगर टेन्डर नहीं आया तो क्या सरकार डिपार्टमेंटल काम शुरू नहीं करवाएगी ?

श्री हरिदेव जोशी : टेन्डर की तारीख निकल जाने के बाद अगर कोई टेन्डर नहीं आता है तो उस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलालसिंह !

श्री माधोपुर जल योजना

300. हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर ): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि श्री माधोपुर कस्बे में जल योजना का शिलान्यास हो चुका है ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(2) क्या यह सही है कि काफी समय पहले नगरपालिका श्री माधोपुर ने अपने हिस्से ( जन-सहयोग ) की रकम सरकारी खजाने में जमा करादी है ? यदि हां तो यह कार्य आज तक शुरू क्यों नहीं हुआ और अब कब तक शुरू हो जायगा ?

(3) यह योजना किस तारीख को स्वीकृत हुई व नगरपालिका ने जन सहयोग की रकम कब जमा कराई है ?

# Page No.20



उप-मंत्री, जन-स्वास्थ्य (राव श्री धीरसिंह): (1) जी हां, 28-1-67 को शिलान्यास हो चुका है।

(2) जी नहीं, जन-सहयोग के रूप में नगरपालिका द्वारा रकम जमा कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। कार्य धनराशि के उपलब्ध होने पर शुरू किया जावेगा।

(3) इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दि० 27-1-67 को राजस्थान सरकार द्वारा की जा चुकी है। नगरपालिका द्वारा जन-सहयोग के रूप में धनराशि जमा कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरलालसिंह खर्रा: जो नम्बर तीन में बताया गया है कि नगरपालिका द्वारा जन-सहयोग के रूप से धनराशि जमा कराने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे निवेदन करना है कि नगरपालिका द्वारा आज से कोई 10 महीने पूर्व 5,000) का चेक, सरकार को दे दिया गया है, उसकी रसीद नगरपालिका में मौजूद है, यह गलत जवाब दिया गया है।

राव श्री धीरसिंह: जो पैसा दिया है वह एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स के खर्चे के लिए दिया है, नल योजना के लिए नहीं।

श्री हरलालसिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से बातचीत करने के बाद वहां मंत्री महोदय पधारे थे, वहां तय किया गया था नल योजना के बारे में।

श्री अध्यक्ष: ट्यूब वेल्स में भी जल रहता है।

(प्रश्न संख्या 301)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह!

मकराना नल योजना

302. श्री विजयसिंह (मकराना): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला नागौर में मकराना नगर की नल योजना के बारे में क्या हो रहा है? कब तक कार्य शुरू होगा? तथा मौजूदा स्थिति के लिए शीघ्र ही क्या किया जा रहा है?

उपमंत्री जन-स्वास्थ्य (राव श्री धीरसिंह):

अधिशासी अभियन्ता, जोधपुर द्वारा यह योजना अनुमानित लागत 28,57,000) रु० की बनाई गई है तथा इसकी तकनीकी जांच की जा रही है। तकनीकी जांच के पश्चात यह योजना शीघ्र ही भारत सरकार को आवश्यक प्राविधिक स्वीकृति हेतु भेज दी जायगी। तत्पश्चात आवश्यक धनराशि के उपलब्ध होने तथा योजना की स्वीकृति के बाद योजना का कार्य शुरू किया जायगा।

श्री विजयसिंह: इसमें कितना समय लगेगा?

राव श्री धीरसिंह: इस बजट में है। जो लोन लेने का प्रावधान किया है उसके आते ही इस योजना को जल्दी से जल्दी हाथ में लेंगे।

श्री विजयसिंह: मकराना जो नगर है, वह इण्डस्ट्रियल टाउन है। अगर वहां पानी की समस्या न हो तो वह इटली का मुकाबला कर सकता है और भारत के लिए···

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये।

# Page No.21



श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (बैठकर ही) सही तो है कि मकराना इटली का मुकाबला कर सकता है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन बैठे बैठे नहीं।

श्री विजयसिंह : अगर पानी मिल जाय तो मकराना इटली का मुकाबला कर सकता है।

राव श्री धीरसिंह : आपका प्रश्न समझ में नहीं आया।

श्री विजयसिंह : इसलिए कि आप वहां पधारे नहीं। चुनाव के समय आकर वायदा देकर चले जाते हैं और काम शुरू नहीं होता है।

राव श्री धीरसिंह : मैंने कहा न कि उसके लिए करा रहे हैं।

श्री विजयसिंह : पानी की कमी की वजह से सारी रात औरतें पानी के लिए फिरती रहती हैं, उनके पीछे गुंडे फिरते रहते हैं जिनके पीछे मुझे फिरना पड़ता है। अगर पानी की समस्या हल हो जाय तो यह कष्ट मिट जाय।

(प्रश्न संख्या 303)

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल !
(कृपया आगे देखिये अनुपस्थित)

श्री दिग्विजयसिंह !

हाई स्कूल भवन उनियारा

304. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सत्य है कि हाई स्कूल भवन उनियारा, जिला टोंक अधूरा पड़ा हुआ है? यदि हां तो कब से और उसमें कितना काम बाकी है?

(2) क्या यह सत्य है कि इस भवन के निर्माण में जनता ने भी अपना योगदान दिया हैं? यदि हां, तो कितना?

(3) क्या सरकार अब इस अधूरे कार्य को पूरा करवाने का विचार रखती हैं? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक पूर्ण हो जावेगा?

(4) क्या यह भी सत्य है कि इस इलाके में इसके अलावा और कोई हाई स्कूल नहीं है?

उप-मन्त्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) :

(1) जी हां यह ठीक है कि हाई स्कूल भवन उनियारा में दो कमरे अधूरे हैं जिनकी नींव भरी है।

(2) जी हां जनता ने 10 कमरे बनवाये हैं।

(3) भवन को पूरा करवाने को राज्य सरकार जागरूक है पर सीमित वित्तीय साधनों की वजह से जल्दी ही भवन को पूरा करवाने की आशा नहीं है।

(4) जी नहीं, इस विद्यालय से केवल 5 मील की दूरी पर सेकेन्डरी स्कूल, अलीगढ़ तथा करीब 15 मील दूर हायर सेकेण्डरी स्कूल, चौथ का बरवाड़ा तथा 15 मील दूर ही सेकेण्डरी स्कूल, नगर स्थित है।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि सन् 1962 से आज तक इस भवन पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है?

# Page No.22



राव श्री धीरसिंह : जब बनाया गया था उस वक्त में 30 हजार रुपया एक और 10 हजार रुपया एक इस भवन निर्माण पर खर्च किये गये थे और 19 हजार का एस्टीमेट बन कर आया है जिससे 2 कमरे अधूरे पड़ हैं। पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा प्रस्ताव पेश किये गये हैं। धन राशि उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा।

(प्रश्न संख्या 305)

श्री अध्यक्ष : श्री वृजवल्लभ !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द कटेवा !

## बख्तावरपुरा में टैंक द्वारा पानी सप्लाई योजना की स्वीकृति

306. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या बख्तावरपुरा, (पंचायत समिति, चिड़ावा), जिला झुंझुनू के लिये टैंक द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था करने की कोई योजना राजस्थान के लिये जो पीने के पानी की व्यवस्था के लिये वृहत् योजना बनाई गई हैं, उसमें स्वीकृत की गई है ?

(2) अगर हां, तो इसका बख्तावरपुरा के लिये अनुमानित खर्च कितना है ?

(3) क्या इसमें ग्राम सहायता के रूप में भी कोई धनराशि चाहे जाने की व्यवस्था है ?

(4) क्या योजना के लिये चीफ इन्जीनियर हैल्थ को 10,000) रु० की धनराशि ग्राम सहायता के रूप में प्राप्त हुई है ?

(5) अगर हां, तो किस तारीख को ?

(6) क्या राज्य सरकार इस योजना को तुरन्त चालू कराने की व्यवस्था करेगी ?

(7) यदि हां, तो यह योजना कब तक चालू की जावेगी ?

उपमंत्री, जन स्वास्थ्य (राव श्री धीरसिंह) : (1) मास्टर प्लान के अन्तर्गत बख्तावरपुरा ग्राम के लिये टैंक द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये प्रस्ताव है।

(2) लगभग 17,000) रु०।

(3) हां।

(4) जी हां।

(5) दिनांक 22-6-66 को।

(6) योजना बनाई जा रही है।

(7) योजना बनाये जाने के बाद उसकी प्रशासनिक एवं तकनिकी स्वीकृति के बाद काम चालू किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल !

## कोटा में स्टेडियम का निर्माण

307. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) (श्री कृष्ण कुमार गोयल की ओर से); क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर में मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

स्टेडियम का शिलान्यास किया गया था ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि इस निमित्त राशि इकट्ठी हुई थी ? अगर हां, तो कब 2 व किस 2 साधन से ?

(3) क्या यह सही है कि कोटा जिलाधीश के पास चैरिटी फण्ड की राशि है ? अगर हां, तो कितनी ? क्या उसमें से कुछ राशि स्टेडियम को भी एलॉट की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि स्टेडियम के मैदान में फसल, सब्जी आदि बोई गई थी ? अगर हां तो कब ?

(5) उक्त खेती आदि पर कुल कितना व्यय हुआ वह उससे आमदनी कितनी हुई ?

(6) क्या इस समय भी वहां खेती हो रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(7) स्टेडियम के निर्माण पर अभी तक कितना व्यय किस-किस कार्य पर हुआ है ?

(8) उक्त स्टेडियम कब तक तैयार हो जावेगा ?

उपमन्त्री, शिक्षा ( राव श्री धीरसिंह ): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में सूचना अभी नहीं आयी है अतः निवेदन है कि इसको स्थगित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री सुवालाल चौधरी !

## पंचायत समिति, दूदू क्षेत्र में कृषकों को बिजली

308. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, दूदू के ग्रामों में कृषि उत्पादन हेतु कितने कुओं को बिजली 1967-68 में देने की योजना है ?

(2) क्या जयपुर से बगरू जो लाइन बिजली की जा रही है इसको महता, केशरीसिंहपुरा, झरना, बोराज तक सन् 67-68 में हो जाने की योजना है ?

(3) पंचायत समिति, दूदू के अलग-अलग ग्रामों में जो करीब 5000 कुएं चालू हैं जिनके लिए सरकार कब तक बिजली की व्यवस्था कर सकेगी ?

(4) साखून, दूदू, मोजमाबाद, विचूर्ण जिनकी जन संख्या 4000 से ऊपर है उनको बिजली कब तक दी जावेगी ?

विद्युत् मंत्री ( श्री हरदेव जोशी ) : (1) कुओं को बिजली देने के लिये योजना नहीं बनाई जाती है। जिन ग्रामों का विद्युतिकरण हो चुका है उनमें विद्युत् मंडल के नियमानुसार यदि बिजली देना संभव हो सकता है तो समुचित धनराशि उपलब्ध होने पर बिजली दे दी जाती है।

(2) सन् 1967-68 का योजना अभी नहीं बनी है इसलिये निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(3) पंचायत समिति, दूदू में जहां पर विद्युत् पहुंच चुका है वहां यथा संभव शीघ्र बिजली दे दी जावेगी।

(4) निश्चितरूप से कुछ कहा नहीं जा सकता।

श्री सुवालाल चौधरी : इस साल विद्युतिकरण के संबंध में पंचायत समिति, दूदू में काम करा सकते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : एक्सटेन्शन का काम जारी है। बजट के आंकड़ों का फाइनेलाइजेशन हो तब ही कुछ कहा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह!

( विराम )

श्री खेतसिंह !

( विराम )

माननीय श्री खेतसिंह !

## तारबन्दी का आधार

309. श्री खेतसिंह ( शेरगढ़ ) : क्या वनमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जंगलात विभाग द्वारा घास की बढ़ोतरी के लिये जो तारबन्दी की जाती है वह पंचायत की सहमति से की जाती है अथवा जंगलात विभाग अपनी मरजी से करता है ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील शेरगढ़ के ग्राम कनोडिया पुरोहितान बलाऊ, दासानिया, सुवालिया, बालेसर, में जो तारबन्दी का कार्य अकाल राहत कार्य के रूप में किया जा रहा है वह ग्रामीण जनता की परेशानी को बढ़ायेगा ?

(3) क्या इन गांवों की पंचायतों ने कई प्रार्थना-पत्र इस आशय के दिये हैं कि वे इस तारबन्दी को नहीं चाहते हैं ?

वनमंत्री ( श्री नारायणसिंह मसूदा ) : (1) वन विभाग की भूमि पर विभागीय आदेशों से और पंचायत की भूमि पर पंचायत की सहमति से व जिलाधीश की आज्ञानुसार तारबन्दी की जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) केवल कनोडिया पुरोहितान की पंचायत का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ था और इसीलिए वहां तारबन्दी का कार्य नहीं किया गया है।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के स्टेटमेंट को चेलेन्ज करता हूं।

सभी पंचायतों ने यह लिखकर दिया है कि तारबन्दी वे नहीं चाहते हैं फिर भी तारबन्दी इसलिए कर रहे हैं कि वार्ब्ड वायर खरीद लिया था उसका उपयोग करने के लिए और कोई स्थान नहीं था।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मेरी सूचना के अनुसार ऐसी बात नहीं है। केवल कनोडिया पुरोहितान का विरोध-पत्र प्राप्त हुआ है।

श्री खेतसिंह : सभी ने लिखकर दिया है। मेरे पास आवेदन पत्र हैं मैं प्रस्तुत कर दूंगा आप कैंसिल कर देंगे ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : उसकी जांच कराली जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री केसरीसिंह !

## जिला बूंदी में नहरों से सीपेज की रोक थाम

*310. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :-

जिला बूंदी में कमाण्ड एरिया में नहरों से होने वाले सीपेज की रोक-थाम की व्यवस्था के लिए सरकार की क्या योजना है ?

# Page No.25



**उपमंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) :** जिला बूंदी में नहरों से होने वाली सीपेज की रोक थाम के लिए (1) वल्लोव (2) भवरिया कुआं (3) मदुन्ला (4) मदुन्डा खटकडा योजनाओं को पूरा किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त निम्न योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है (1) इशरनगर (2) घनातरी (3) सीतापुरा तथा गुढ़ा, पाईवाला-पुरा, बूंदी का गोटड़ा व भीमतल बांधों की नहरों पर लाइनिंग का काम प्रगति पर है।

(1) जमीतपुरा (2) चितावा (3) देहित (4) रिडी-चडी आदि योजनायें तैयार की जा रही हैं इनकी स्वीकृति के बाद कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

**श्री केसरीसिंह हाड़ा :** क्या यह सत्य है कि सीपेज से काफी काश्तकारों की जमीन और फसल नष्ट हो गई है। उनसे पिलाई ली जाती है और फसलों को हानि होने दी जाती है ?

**श्री मनफूलसिंह :** हां, यह सही है इसीलिये योजना बनाई गई है।

**श्री केसरीसिंह हाड़ा :** फिर किसानों से उसकी पिलाई ले ली जावे यह कहां तक न्याय संगत है ?

**सिंचाई मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :** बूंदी का इलाका ऐसा है कि पत्थर के फिशर से पानी बहकर सीपेज होता रहता है। जहां तक नहरों का सवाल है लाइनिंग की जा रही है। बड़े पैमाने पर इसको रोकने का जहां तक सवाल है उसके लिये वाटर एन्ड पॉवर कमीशन से इस विषय में कन्सल्ट किया जा रहा है। वे इस ओर ध्यान दे रहे हैं।

**श्री केसरीसिंह हाड़ा :** अध्यक्ष महोदय, डिपार्टमेंट बिलकुल सो रहा है। कोई पत्थर नहीं है। माल की जमीन है उसमें सीपेज होता है बहुत सी जगह। ड्रेनेज से पानी निकल कर गड्ढों में चला जाय, काश्तकारों की जमीन न बिगड़े और फसल बरबाद न हो इस पर क्यों नहीं कोई विचार किया गया है ?

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** अध्यक्ष महोदय, आखिर सीपेज के सम्बन्ध में कुछ न कुछ विचार करके इस उलझन को सुलझाना चाहिये। इससे बहुत नुकसान होता है। पिलाई भी लेते हैं यह मेरे ख्याल से एक अत्याचारी व्यवहार है।

**श्री हरिदेव जोशी :** जैसा मैंने निवेदन किया कि जहां तक नहरों का सवाल है लाइनिंग की जा रही है। बड़े पैमाने पर इस सीपेज को रोकने के लिए सेन्ट्रल वाटर एन्ड पॉवर कमीशन से कन्सल्ट करके स्कीम बनाई जा रही है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है।

**श्री हरिदेव जोशी :** इसीलिये निवेदन किया कि यह कहना ठीक नहीं है कि कुछ नहीं किया गया है। अमुक-अमुक स्कीम, जैसा अभी उप मंत्री महोदय ने बताया था, कम्पलीट हो चुकी है। लाइनिंग हो चुकी हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** राज्य सरकार ने सेन्ट्रल वाटर एन्ड पॉवर कमीशन को कब लिखा है ?

**श्री हरिदेव जोशी :** दो ढाई महीने पहले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सेन्ट्रल वाटर एन्ड पावर कमीशन से क्या आया उत्तर ?

श्री हरिदेव जोशी : लाइनिंग की जानी चाहिये । प्रमुक सलाह दी है । बड़े पैमाने पर सीपेज को रोकने के लिये क्या करना चाहिये उनसे सलाह ली जा रही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार ने अनुमान लगाया है कि सीपेज से कितना बड़ा नुक्सान होता है ?

श्री हरिदेव जोशी : टोटल एस्टीमेट तो नहीं उसका लेकिन हम मानते हैं कि सीपेज नुक्सानदेही है इसीलिये इसको रोकने के लिये हम आगे बढ़ रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब ओरिजनल प्रोजेक्ट बन रहे थे और स्कीम बन रही थी उस वक्त जो प्रिकाशन्स लेने चाहिये थे वे नहीं लिये गये तो दोषी अधिकारियों के साथ क्या किया गया ?

( 12 मध्यान्ह )

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास ये चीजें नहीं हैं ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा: अध्यक्ष महोदय, मैं एक आश्वासन चाहता हूं । क्या सरकार यह आश्वासन देने को तैयार है कि जिन काश्तकारों की जमीनें सीपेज से बिगड़ी हैं, फसलें जिनकी बिगड़ी हैं, उनसे कम से कम पिलाई नहीं ली जावेगी, अगर नुकसान नहीं दिया जावे तो ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया कि इसको एग्जामिन करा लिया जावेगा अगर फसलों को नुक्सान होने वाली बात मालूम हुई तो निश्चित रूप से पिलाई नहीं ली जानी चाहिये । यह देख लेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले भी सदन में इस तरह के प्रश्न आये हैं कि सीपेज से अगर नुक्सान हुआ है तो एक तरफ डवलपमेन्ट के नाम पर बेटरमेन्ट लेवी आप लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ बेटरमेन्ट के नाम पर फसल को नुक्सान हुआ है तो जस्टिस की बात है कि लगान तक किसी प्रकार वसूल नहीं होना चाहिये । यह पहले भी सवाल सदन में आया है और उस पर सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि विचार करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

(प्रश्न संख्या 311 नहीं पूछा गया)

श्री अध्यक्ष : श्री बी.एन. जोशी 312 !

गांव गादरवाड़ा के निकट बांध का निर्माण

212. श्री बी. एन. जोशी (बांदी कुई): क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) जयपुर जिले की बसवा तहसील में सांवा इलाके में गादरवाड़ा गांव के निकट बान्ध बनाये जाने की योजना किस स्तर पर चल रही है ?

(ख) इस योजना की अनुमानित लागत क्या है ?

(ग) उक्त बान्ध के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने का सिंचाई विभाग कब तक विचार रखता है ?

उप मन्त्री सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : (क) ऐसी कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बी. एन. जोशी : क्या यह सही है कि इस प्रकार की योजना 57-58 से भी पहले तैयार हो चुकी थी ?

श्री मनफूलसिंह : ऐसी कोई योजना हमारे पास नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी (सिंचाई मन्त्री) : 53 में विचार किया गया था किन्तु इसका सारा पानी चूंकि भरतपुर जिले में जाता है और वहां के पानी को रोकना उचित नहीं समझा गया इसलिए इस स्कीम को ड्रॉप कर दिया था। पर इसके बाद निरन्तर भरतपुर जिले में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होने से पहले जो ऐतराज था उसको वापिस ले लिया था और इस बांध को बनवाया जावे इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): ऐसा कोई ऐतराज नहीं है भरतपुर की तरफ से।

श्री बी.एन. जोशी : क्या यह भी सही है कि बसवा तहसील के भूतपूर्व एम.एल.ए. के साथ पत्र-व्यवहार में इस आशय का पत्र आया था तहसील से कि इसका एस्टीमेट तैयार करा कर सेन्ट्रल वाटर बोर्ड को भेजा जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

बीदासर वाटर वर्क्स

313. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़): क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सच है कि चुरू जिला स्थित बीदासर आदि में वाटर वर्क्स हेतु किसी दान दाता द्वारा सरकारी मांग के अनुसार धन राशि देना स्वीकार कर लिया गया है ? अगर हां, तो कितने समय पहले ? और कितनी धन राशि और क्या उसका एग्रीमेन्ट हो चुका ?

उपमंत्री, जन-स्वास्थ्य (राव श्री धीरसिंह) : जी हां, दिनांक 6-1-66 को 2,50,000) रुपये की धन राशि देना स्वीकार किया है। अभी तक कोई एग्रीमेन्ट नहीं हुआ है।

श्री लाभचन्द वैद : फिर देरी का क्या कारण है ?

राव श्री धीरसिंह : कारण इसमें जो जल स्रोत है उसका निर्णय अभी नहीं कर पाये हैं कि उसे कहां बनाया जावेगा। पहले सांडवास में तीन जल स्रोत तलाश करने का था और वहाँ ट्यूब वैल खोले भी गये पर पानी तीन हजार गेलन प्रति घन्टा से ज्यादा नहीं आया जब कि होना चाहिये 8 हजार गेलन प्रति घन्टा। तो इसकी खोज जरूरी है पहले। इसके बाद जरूर आगे की कार्यवाही की जावेगी।

श्री लाभचन्द वैद : यह खोज कार्य कितने अरसे से चल रहा है ?

राव श्री धीरसिंह : जब से स्कीम को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री लाभचन्द वैद : यह इम्पॉर्टेन्ट प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। कितने अरसे से यह खोज कार्य चालू है मैं यह पूछना चाहता हूं।

राव श्री धीरसिंह : तीन साल से। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का कूप अन्वेषण विभाग है उसके द्वारा इस खोज का कार्य किया जा रहा है।

# Page No.28



श्री लाभचन्द वैद : मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि कितने अरसे से चालू है?

राव श्री धीरसिंह : करीब तीन साल से। 63 से यह चालू किया गया है। इस बारे में बोर्ड की मीटिंग अभी 11-5-67 को भी हुई है।

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्षों से यह खोज कार्य चालू है। कुल दस-पांच मील का यह एरिया है। इसमें इतनी धनराशि खर्च करने के बाद भी क्या सफलता नहीं मिली? ये अभी भी सफल नहीं हो पाये हैं।

## रूपारेल नदी पर बारां बान्ध में जमा सिल्ट

314. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को मालूम है कि अलवर जिले में रूपारेल नदी पर बारां बान्ध में अलवर जिले के हिस्से की तरफ काफी सिल्ट जमा हो गई है जिसके कारण इस तरफ पानी का बहाव बहुत कम हो गया है?

(2) क्या सरकार ने इस सिल्ट को हटाने तथा इस ओर पानी के बहाव में कोई रुकावट पैदा न हो इसका स्थाई हल निकालने के लिए कोई कदम उठाने के निर्णय लिए हैं? यदि हां, तो क्या? और नहीं, तो क्यों नहीं?

उप मंत्री सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) :
(1) जी हां।
(2) जी हां, पानी के नियन्त्रित विकास की योजना विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या उत्तर दिया। सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : योजना विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या विचाराधीन है।

श्री मनफूल सिंह : पानी के नियन्त्रित निकास की योजना विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह योजना कब से विचाराधीन है? कौन विचार कर रहा है और कौनसी ऐजेन्सी विचार कर रही है?

श्री हरिदेव जोशी : पोजीशन यह है कि नेशनल हाई वे दिल्ली जाती है उसके ऊपर रूपारेल नदी पर वाइफर करके दो हिस्से में बांटा गया है। एक तरफ अलवर में पानी जाता है और दूसरी तरफ भरतपुर में जाता है। उसको वाइफर सेट करने से सिल्ट जमा हो गई है और खेतों के बराबर हो गई।

दूसरी तरफ यह पोजीशन पैदा हुई कि उस जमीन का यह जो फीडर है वह जयसमन्द तालाब पर जाता है। किनारे-किनारे फीडर जाती है उसके आस पास जो जमीन है उसे किसानों को एलॉट कर दिया गया है। किसानों ने उस पर खेती कर ली। उससे भी पानी जयसमन्द में कम पहुंचता है तो हमने जो जमीन एलॉट की है उसके लिए रेवेन्यू बोर्ड से निवेदन किया है कि उनको डिसपजेस किया जावे और फीडर को क्लीयर किया जावे ताकि पानी पहुंच सके।

और दूसरी तरफ इस प्रकार की सिल्ट को हटाने के लिए एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को एस्टीमेट देने के लिए भी लिख दिया है।

# Page No.29



श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो खेतों के एलाटमेंट की बात कही गई तो ये तो एन्युप्रली बोर्डर पर टेम्परेरी लीज पर दे दी जाती है एक साल के लिए इसलिए उनकी वजह से पानी के रुकने का प्रश्न नहीं पैदा होता। सही बात यह है कि जयसमन्द में सिल्ट जमा होने से पानी कम पहुंचता है। इससे इरिगेशन का शेयर भी कम हो गया है। इसलिए इस कारण जमीन फैलाव करती है वह भी चला जाता है। खातेदारी राइट एक्रू हो नहीं सकता इसलिए जब तक उनको डिसपजेस नहीं करेंगे तब तक पानी नहीं आवेगा यह कहना गलत है। आप तो कृपा करके सिल्ट जो जमा हो गई है उसे हटाने की कोशिश करें। नेचुरल बहाव पानी का हो जावेगा।

फिर अलवर भरतपुर का कोई झगड़ा नहीं है। वाइफकेशन बाकायदा है। आप का तो यह रुझान हो गया है कि कभी किसान की बात कहकर अलवर और भरतपुर की बात कह कर मामले को स्थगित करने की चेष्टा करते हैं। मन्त्री महोदय अब ध्यान दें। वर्षा आने वाली है उससे पहले पहले अगर सिल्ट निकलवा देंगे तो पानी आ सकता है।

श्री हरिदेव जोशी : इस नदी का पानी चूंकि भरतपुर में जाता है उससे भरतपुर में बाढ़ आती है और दूसरी तरफ अलवर में पानी की कमी है तो हम यह समझते है कि इसको ठीक से नियन्त्रित करके पानी को जयसमन्द में दिया जावे उसके लिए दो रास्ते हैं। एक तो फीडर का रास्ता बन्द हो गया है उसको वेकेट कराया जावे और दूसरा सिल्ट जमा हो गई है उसको हटाया जावे। जहां तक सिल्ट के हटाने का सवाल है सर्वे डिविजन को स्कीम देने के लिए आर्डर दे दिये गये है। जहां तक जमीन को वेकेट कराने का सवाल है केस रेवेन्यू बोर्ड में पड़ा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : रुपारेल नदी से भरतपुर जिले में बाढ़ नहीं आती। वह केवल कामां की तरफ है। कुछ कामां गुड गांवां को तरफ से पानी आता है उससे आफत पैदा होती है। रुपारेल नदी से नहीं होती।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कहूं कि जहनियत वे छोड़ दें अलवर भरतपुर को लड़ाने की। यहां पर इस तरह का प्रश्न पैदा न करें। हमने काफी सबर किया है अब यह नहीं चल सकेगा। We have learnt much. We would not fight with each other,

श्री हरिदेव जोशी : We don't wish so,

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

एक माननीय सदस्य : स्थगित प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : वे भी समाप्त हुए। आर्डर प्लीज! बाकी के प्रश्नों का उत्तर माननीय सदस्यों को दे दिया जावेगा।

स्थगित को पुनः स्थगित कर दिया गया है।

(शेष प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिये।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न

अध्यापकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा

285. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या सरकार हायर सेकेण्डरी स्तर तक अध्यापकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करने का विचार रखती

( श्री भगवानदास शास्त्री )

है ? यदि हां, तो यह कब तक सम्भव हो सकेगा ?

उत्तर

सभी सरकारी कर्मचारियों जिनकी आय 400) रुपये से कम है उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का इन्तजाम सरकारी की तरफ से किया हुआ है। इन कर्मचारियों में अध्यापक भी शामिल हैं।

रामसर, श्रीनगर और माखुपुरा, जिला अजमेर में बिजली सप्लाई

286. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चतुर्थ आम चुनाव के दौरान ग्राम रामसर व श्रीनगर, जिला अजमेर में लगभग 60 मील के क्षेत्र में केवल 12 दिन में बिजली लगाकर 11-2-67 को वित्त मन्त्री (भूतपूर्व) ने उद्घाटन किया ? अगर हां, तो ग्राम माखुपुरा जिला अजमेर के किसानों को लगभग 15 मास तक कृषि सिंचाई हेतु बिजली क्यों नहीं दी गई जब कि किसानों ने एक वर्ष पहले विद्युत् विभाग में नियमानुसार रुपये जमा करा दिये थे ?

(2) क्या रामसर व श्रीनगर ग्राम जिला अजमेर में बिजली नियमानुसार लगी है ? अगर नहीं तो क्या जांच कराने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। दिनांक 11-2-1967 को उद्घाटन नहीं हुआ। जिन किसानों ने आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर दी उनको बिजली दे दी गई।

(2) यदि माननीय सदस्य अनियमितता का कोई विशेष उदाहरण दें तो उसे अवश्य देख लिया जावेगा।

दांता रामगढ़ क्षेत्र में बिजली

290. श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दांता रामगढ़ के समस्त क्षेत्र में भाखरा विद्युत् की कमी के कारण बिजली नहीं दी जा रही है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि दांता रामगढ़ क्षेत्र में बिजली के खम्बे इसलिए गिर रहे हैं कि उनकी जड़ों में सीमेन्ट का प्रयोग नहीं किया गया और इससे काश्तकारों को हानि उठानी पड़ रही है ?

(3) उक्त प्रयोजन के लिए दांता रामगढ़ क्षेत्र के लिए कितने बोरे सीमेन्ट के लिए स्वीकृत किये गये और उनका उपयोग कैसे हुआ है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। यह सूचना एकत्रित की जा रही है।

ग्राम खोर, तहसील बहरोड़ में औषधालय

292. श्री अमीलाल यादव (बहरोड़): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला अलवर की तहसील बहरोड़ के ग्राम खोर में औषधालय खोला गया है ? यदि हां, तो क्या वह अब भी चालू है ?

उत्तर

ग्राम खोर तहसील बहरोड़, जिला अलवर में कोई औषधालय नहीं खोला गया है।

### लघु सिंचाई हेतु तालाबों के निर्माण हेतु बजट प्रावधान की राशि

301. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूँडावत: क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) गत वर्ष लघु सिंचाई के लिए नये तालाब वगैरा बनाने में कुल कितनी रकम राज्य द्वारा खर्च की गई।

(2) इस चालू वर्ष के लिए बजट में कितनी राशि रखी गई ?

(3) यदि पिछले वर्ष के मुकाबले लघु सिंचाई के लिये इस साल कम राशि रखी गई तो किन कारणों से ?

उत्तर

1. लगभग 80 लाख रु०

2. 73 लाख रुपये वित्तीय कठिनाइयों तथा केन्द्र द्वारा धन राशि के प्रावधान पर निर्भर करता है।

### गांव बावरा में कुओं पर बिजली

303. श्री शंकरलाल ( जैतारण ) : क्या विद्युत मन्त्री यह बतानेकी कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि रायपुर तहसील जिला पाली के गांव बाबरा में पूर्ण गांव में और किसानों के कुओं पर मांग के अनुसार बिजली नहीं पहुंचने की शिकायतेंग्राम पंचायत बाबरा की तरफ से भेजी गई हैं।

(2) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) अब कब तक गांव की मांग पूरी कर दी जावेगी।

उत्तर

जी हां।

किसानों के कुओं पर यथा सम्भव शीघ्र बिजली देने की कार्यवाही की गई। कनेक्शन देने का कार्य बराबर चालू है। इच्छुक उपभोक्ताओं के आवश्यक कार्यवाही पूरी कर देने पर यदि विद्युत शक्ति और धन राशि उपलब्ध हुई तो कनेक्शन दे दिये जावेंगे।

### गांव मंडना, तहसील लाडपुरा के कृषकों को बिजली

305. श्री बृजवल्लभ : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिला की तहसील लाडपुरा में कोटा से मंडाना वाया दरा बिजली की मेन लाइन गई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मेन लाइन से बिजली का कनेक्सन कसार मंडाना के किसानों ने निजी कुओं पर लिये जाने की मांग की है ? यदि हां, तो उसमें से कितने किसानों को कनेक्सन दिया गया है और बाकी को आज तक न दिये जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

जी हां। कोटा से मंडाना तक लाइन खींची जा चुकी है। दरा तक लाईन नहीं गई है। जी हां मंडाना गांव में 42 किसानों ने बिजली की मांग की थी उनमें से केवल दो ने राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, द्वारा मांगी गई राशि जमा कराई उनको कनेक्शन दे दिया गया, बाकी 40 किसानों ने रकम जमा नहीं कराई। उनको कनेक्शन नहीं दिया गया है।

इसी तरह कसार ग्राम में 6 किसानों ने बिजली की मांग की, मगर उनमें से एक को राशि जमा कराने पर कनेक्शन दे दिया गया, एक किसान ने राशि जमा नहीं कराई

# Page No.32



(श्री बृजवलभ)

इसलिये उसे कनेक्शन नहीं दिया गया। बाकी 4 ने धनराशि तो जमा कराई लेकिन न्यूनतम वार्षिक बिजली पास गारन्टी नहीं दी इस कारण अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया। नियमानुसार कार्यवाही पूरी होते ही उन्हें बिजली उपलब्ध कर दी जायेगी।

### कनवास ग्रामीण नल योजना

311. श्री जुझारसिंह : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कनवास ग्रामीण नल योजना कब मंजूर हुई, कब शुरू की गई व कब से पूरी हुई पड़ी है ?

(2) इस नल योजना में कुल कितनी लागत लगी है व जनता से क्या सहयोग प्राप्त हुआ है ?

(3) उपरोक्त नल योजना से जनता को अब तक पानी नहीं मिल सकने के क्या कारण हैं और वर्तमान दिक्कतों को दूर करने के लिये अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ?

(4) कनवास नल योजना कब से चालू कर दी जावेगी ?

### उत्तर

कनवास ग्रामीण नल योजना दिसम्बर 1964 में मंजूर हुई, जनवरी 1965 से काम किया गया, व 18 अप्रेल 1967 से जल वितरण कार्य चालू कर दिया गया।

इस नल योजना पर अप्रेल 1967 तक रु० 61140 खर्च हो चुके हैं जनता से जन सहयोग के रूप में 3650) रु० की धनराशि योजना के 5 प्रतिशत अंशदान के रूप में प्राप्त हुई है।

योजना से पानी वितरण करना चालू कर दिया गया है।

कनवास योजना 18 अप्रेल सन् 1967 से चालू कर दी गई है।

(12.09 म०प०)

### कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चौथे प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री मूलचन्द डागा: मैं इसमें संशोधन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब तक की परम्परा यह रही है कि ऐसे प्रस्तावों पर संशोधन नहीं आता रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि कार्य सलाहकार समिति के सदस्य हैं वे अपने दल का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। फिर भी मुझको आपत्ति नहीं है अगर आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहें तो।

प्रश्न नम्बर 1 परम्परायें इस तरह की रही हैं कि संशोधन नहीं आते रहे, प्रश्न नम्बर 2 आपकी पार्टी का उसमें प्रतिनिधित्व रहा है। उसके बावजूद भी यदि आप इसको प्रस्तुत करते हैं तो मैं इसको ले लूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि......

श्री अध्यक्ष : इस पर भाषण नहीं होगा। आपने प्रस्तुत कर दिया। मैं इसको वोट के लिए रख देता हूं।

**श्री मूलचन्द डागा** : मेरा इसमें संशोधन है और आप संशोधन को जरा पढने का कष्ट तो करें ......

**श्री अध्यक्ष** : मैंने कष्ट कर लिया। संशोधन मेरे हाथ में हैं और पढ़ भी लिया।

**श्री मूलचन्द डागा** : परन्तु पहले कार्यक्रम निकलता है 10 रोज के लिए।

**श्री अध्यक्ष** : मैं इसको रख देता हूं।

प्रश्न यह है कि .......

**श्री मुकुटबिहारी लाल** (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, जब तक विचार करें मैं आपके माध्यम से सदन में सभी पार्टियों के माननीय सदस्यों के लिए एक निवेदन करना चाहता हूं......

**श्री अध्यक्ष** : अभी नहीं। अभी निवेदन नहीं करिये।

**श्री मूलचन्द डागा** : मैं चाहता हूं कि इसको रीकन्सीडर कर लिया जाये। मैंने लिखा है कि इसको रीकन्सीडर किया जाये...

**श्री अध्यक्ष** : मगर संशोधन है हर तरह का।

**श्री मूलचन्द डागा** : मेरा संशोधन है कि आप इसको रीकन्सीडर करने का कष्ट करें। पहले आप कार्यक्रम 29 तारीख तक का देते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : तो क्या मैं यह मानकर चलूं कि आप विथड्रा नहीं करते हैं। आप विथड्रा कर रहे हैं?

**श्री मूलचन्द डागा** : जी हां।

**श्री अध्यक्ष** : मैं अनुमति देता हूं।

**श्री मुकुटबिहारी लाल** : अध्यक्ष महोदय, इस पर सदन की सहमति लेने से पहले आपकी मार्फत मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा। मेरा निवेदन यह है।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य इस में निवेदन का प्रश्न नहीं उपस्थित होता है। यह प्रतिवेदन आया है और मुझको इस सदन की अनुमति लेनी है। इन पर बहस नहीं होगी।

**श्री मुकुटबिहारी लाल** : थोड़ी सी अपनी राय व्यक्त कर दूं......

**श्री अध्यक्ष** : नहीं। मैं यह निवेदन करूं कि राय देना यह प्रश्न भी परम्पराओं के अनुरूप नहीं रहा है और मैं इजाजत नहीं दे सकता। मुझे तो केवल इस पर अनुमति लेनी है। इसलिये मैं प्रश्न रख देता हूं।

**श्री मुकुटबिहारी लाल** : अपना दृष्टिकोण तो बता दें।

**श्री अध्यक्ष** : दृष्टिकोण नहीं रखा जाता है। मैं प्रश्न रख देता हूं। क्या सदन की अनुमति है कि इसको स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

**श्री हरिदेव जोशी** : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चौथे प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

**श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है क्या इस सदन में किसी माननीय सदस्य को अधिकार नहीं है कि वह परम्पराओं को बदलने के लिये अपनी राय व्यक्त कर सके?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर,

स्थगन प्रस्ताव : राजस्थान पाक सीमा पर राजस्थान के सीमावर्ती

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न व्यवस्था का यह है कि कार्य सलाहकार समिति का चौथा प्रतिवेदन, जो मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसको अभी सदन ने स्वीकार नहीं किया है।

श्री हरिदेव जोशी : हो गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो उपस्थापन करने का प्रस्ताव रखा उसकी अनुमति दी है उसके बारे में यह प्रस्ताव रखा था और यह स्वीकार करते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : It should be Properly read only.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अगर कोई नेग्लीजेबल मिस्टेक हैं तो वह करेक्ट भी हो सकती है और सदन ऐसे छोटे प्रश्न पर नहीं जायेगा। माइनर एरर है जिसको दुरुस्त किया जा सकता है।

स्थगन प्रस्ताव.

(12-16 म०प०)

## स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था

### राजस्थान पाक सीमा के राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा हवाई अतिक्रमण संबंधी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : राजस्थान पाक सीमा के राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा हवाई अतिक्रमण की सूचना माननीय श्री भैरोंसिंह ने एक स्थगन प्रस्ताव के द्वारा दी है। यह मामला इतने अविलंबनीय लोक महत्व का नहीं है कि इस पर विचार करने के लिए सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित कर दी जाये। अतः मैं इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं देता।

कोटा जिले की तहसील दीगोद में भूमि अवाप्ति के संबंध में कृषि मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस स्थगन प्रस्ताव को आपने अस्वीकार किया है उसके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि आपकी इस पर व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन एक बात अवश्य है कि कुछ बदली हुई परिस्थितियों में जो अरब और इजराइल का झगड़ा हो रहा है और पाकिस्तान का जो रवैया भारत के प्रति नये तरीके में बन रहा है इन बदली हुई परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में राजस्थान और पाकिस्तान की लगने वाली सीमाओं की स्थिति और भी गम्भीर होती जा रही है, और जिस प्रकार की हालत इस अरब और इजराइल के झगड़े से बनी है और भारत की एक विचित्र स्थिति बन रही है और जो समाचारपत्रों में समाचार आ रहे हैं उनसे ऐसा लगता है कि भारत सारे मामले में किस प्रकार से अछूता रहेगा यह समझ में नहीं आता। यह तो निश्चित है कि इस अरब और इजराइल के झगड़े से भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बिगड़ने की पूरी संभावनायें हैं और पाकिस्तान इस सारी स्थिति का नाजायज लाभ उठायेगा और वह कभी भी आक्रमण कर सकता है इसलिए राजस्थान

( श्री सतीशचन्द्र )

एक सीमावर्ती राज्य होने के कारण से उसकी जो पाकिस्तान से सीमायें लगती हैं उसकी सुरक्षा के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की अत्यन्त जागरूक होने की आवश्ययता है और इस सदन को विश्वास में लेने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा न हो कि अरब और इजराइल के झगड़े से जो तीसरे विश्वयुद्ध की ज्वालाएं उठ रही हैं उनके कारण कहीं पाकिस्तान और भारत का संघर्ष फिर से शुरू न हो जाये और जिसकी कि संभावनाएं केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ नेताओं ने भी व्यक्त की हैं। इस पृष्ठ भूमि में इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति यद्यपि आपने नहीं दी है वह तो व्यवस्था शिरोधार्य है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस प्रश्न की गंभीरता को समझते है इसलिए राज्य सरकार को आप निर्देशन देंगे कि इस प्रश्न पर सदन के प्रमुख सदस्यों की एक बैठक बुलाकर या सदन की कोई कैमरा की मीटिंग करके जो राजस्थान की सीमा का सवाल है उस पर विस्तृत रूप से यह सदन विचार कर सकेगी ऐसी व्यवस्था की जाय इसके लिये राजस्थान पाक सीमावर्ती सदस्य भी बहुत जागरूक हैं और ऐसा नहीं हो कि जैसी स्थिति १९६५ में राजस्थान के साथ हो गई इस प्रकार की स्थिति फिर हो जाये। इस संबंध में कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष :** जो माननीय सदस्य ने भावनायें व्यक्त की हैं इसके संबन्ध में पहले ही इस सदन में मैंने माननीय गृह मंत्रीजी से आग्रह किया था कि वे इस सदन को इस प्रश्न पर विश्वास में लें और इस प्रश्न पर माननीय गृह मंत्री जी ने भी यह विश्वास दिया था कि सदन के प्रतिपक्षी नेताओं की एक कैमरा में मीटिंग बुलाकर इस सारे प्रश्न पर वह उनको विश्वास में लेंगे। मैं पुनः अपनी पहले की व्यवस्था को ही दोहराता हूं और गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र यह महत्वपूर्ण प्रश्न है-हमारी सीमाओं का भी प्रश्न है — केन्द्रीय सरकार की भी इसमें दिलचस्पी है, राजस्थान की भी दिलचस्पी होना स्वाभाविक है। इसलिए इस स्थिति पर विचार करने के लिए मैं समझता हूं कि सारे सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए और मुझको भी अवगत कराया जाय कि वह तिथि कौनसी निश्चित करते हैं जब कि ग्रुप लीडर्स को वह विश्वास में लेंगे।

**श्री हरिदेव जोशी :** अध्यक्ष महोदय, भूतकाल में भी जैसा आपने कहा वैसा किया जाता रहा है और आइन्दा भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसी प्रकार की कार्यवाही की जाती रहेगी और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से सलाह करके तिथि के बारे में भी आपको शीघ्र ही अवगत करा दूंगा।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में जो पहले आपने व्यवस्था दी थी और जब पहला स्थगन प्रस्ताव हुआ था उसके संबंध में भी आज तक उस व्यवस्था के अनुसार न तो कोई बैठक बुलाई है और न सदन के किसी भी सदस्य को विश्वास में लिया है और माननीय मंत्री महोदय का यह कहना कि भूतकाल में किया जाता रहा है तो सदन को विश्वास में लिया ही नहीं गया और उनका यह कहना घोर उदासीनता है कि आपकी व्यवस्था के अनुसार सदन को विश्वास में लिया है।

**श्री अध्यक्ष :** यह हो गया है।

# Page No.36



श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अरब इजरायल के कारण•••••

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर डिबेट अलाउ नहीं करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस प्रश्न पर•••••

श्री अध्यक्ष : मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है और गृह मंत्रीजी को आग्रह किया है कि वह शीघ्रातिशीघ्र कैमरे में मीटिंग बुलाएं और माननीय सदस्यों को सदन में कोंफिडेंस में लें। इसके बाद कोई इस पर वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं वाद-विवाद हर्गिज नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इससे पाकिस्तान के बोर्डर की समस्याएँ पैदा हुई हों या नहीं परन्तु खाद्य समस्या पर जो हमारा अमेरिका से शिपमेंट होकर अनाज आने वाला था उस पर इसका असर पड़ेगा और इस प्रश्न को लेकर • • •

श्री अध्यक्ष : जितनी भी समस्यायें हैं वे आ जायेंगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अध्यक्ष महोदय • • •

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खाद्य समस्या की ओर मैं • • •

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। कृषि मंत्री महोदय।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि ईजराइल के बोर्डर पर जो इण्डियन सोल्जर्स मारे गए हैं उस पर हाउस आफ पार्लियामेंट ने भी शोक प्रस्ताव पास किया है • • •

श्री अध्यक्ष : इसकी सूचना आप मुझको पहले से दे देते तो इसकी प्रक्रिया निश्चित करके इस पर विचार किया जा सकता था, इस समय हाउस में इस प्रश्न को न उठाया जाय। पार्लियामेंट ने इस पर संवेदना प्रगट करदी है तो सारे राष्ट्र ने प्रगट करदी है। सारे राष्ट्र ने संवेदना प्रकट करदी है।

श्री पी० के० चौधरी : हम भी कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्रीजी।

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं समझता हूं कि यह जानते हैं कि चम्बल के कमाण्डेड एरिया के अन्दर बहुत बड़ा ऐसा कल्टीवेटेड एरिया है जहां पर वाटर लोगिंग की बहुत बड़ी सीरियस प्रोबलम उठ खड़ी हुई है। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से समय समय पर कृषि डिपार्टमेंट की तरफ से और इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पर कुछ प्रोजेक्ट चलाए हैं जिनकी मार्फत से ड्रेनेज का और लेवलिंग का काम होता है। रीक्लेमेशन का काम भी होता है और इसके साथ साथ वाटर लोगिंग की प्रोबलम पर भी काफी प्रगति की है। लेकिन राज्य सरकार इन स्कीमों को हाथ में लेने के बाद ऐसा महसूस करती है कि चम्बल कमाण्ड एरिया की वाटर लोगिंग की जो प्रोबलम है वह एक यूनिक प्रोबलम है और देश भर में वाटर लोगिंग की प्राबलम को हल करने के लिए

(श्री परसराम मदेरणा)

और उनसे मेजर रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए योजना बनी है। यहां पर जो मैथड एप्लाई किए जा रहे है और इन पर जो एक्सपेरीमेंट किए जा रहे हैं, वे अपने ही प्रकार के हैं। इस लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के कन्सल्टेशन से और एफ.ए.ओ. के तहत इस साल से एक नया प्रोजेक्ट चम्बल कमाण्डेड एरिया के अन्दर दीगोद क्षेत्र के अन्दर एक्सपेरीमेंट करने की सेंक्शन दी है। यह जो प्रोजेक्ट जिसको दीगोद क्षेत्र में शुरू किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट के लिए ग्यारह सौ एकड जमीन की आवश्यकता होगी। इस जमीन पर कई प्रकार के एक्सपेरीमेंट किए जायेंगे और उस एक्सपेरीमेंट से जो रिजल्ट् अचीव होंगे उस रिजल्ट्स को हम कमाण्ड एरिया के अन्दर मास्टर प्लान बना कर लागू करना चाहते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव में लिखा है कि कई काश्तकारों की भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि एफ.ए.ओ. के अन्तर्गत इस कार्य को शुरू किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के लिए मैनेजर की नियुक्ति की जा चुकी है और मिस्टर जान, इसके मैनेजर बन कर आ गए हैं। उन्होंने उस क्षेत्र को देखा है और उस क्षेत्र में उन्होंने एक प्रोजेक्ट बूंदी में शुरू करने की पेशकश की है और दूसरा प्रोजेक्ट कोटा डिस्ट्रिक्ट के दीगोद क्षेत्र में जहां पर कि वाटर लोगिंग और इसी प्रकार की अलाइड प्रोबलम्स हैं उस क्षेत्र में शुरू करने की तजवीज पेश की है। राज्य सरकार फिलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि माननीय सदस्यों को यह बता सके कि जिन काश्तकारों की जमीन इन 1100 एकड़ में आएगी जो लगभग 144 काश्तकारों की जमीन होगी और 643 बीघा के आस-पास यह जमीन आती है, वह एक साल में ही काम में आयेगी या दो साल में आयेगी या तीन साल में आयेगी या तीन सालों के अन्दर भी अलग अलग मन्थ के अन्दर जमीन की हमको आवश्यकता पड़ेगी। अभी कल ही छः तारीख को प्रोजेक्ट मनेजर यहां पर थे, कलेक्टर कोटा और प्रोजेक्ट मैनेजर आए थे और उनके साथ जो प्रोजेक्ट डाइरेक्टर अपोइन्ट किए गए हैं, इन तीनों से बात-चीत करने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वे लोग मौके पर जाकर देखें कि कितनी जमीन की आवश्यकता है इस साल के लिए और वहां जो जमीन सरकारी जमीन 400 बीघा पड़ी हुई है, वह जमीन प्रोजेक्ट के काम में लाई जा सकती है या नहीं और अगर नहीं लाई जा सकती तो कितने काश्तकारों की जमीन हमें एक्वायर करनी पड़ेगी और एक्वायर करनी पड़ेगी भी या नहीं। इसमें भी दो बात हैं। कुछ ऐसे एक्सपेरीमेंट या ट्रायल, जो प्रोजेक्ट के अन्दर किये जायेंगे, जिसकी वजह से अगर काश्तकार अपनी जमीन पर फसल की बुआई करता है और पानी देने की व्यवस्था करता है तो उस हालत में जमीन को अवाप्त करने की आवश्यकता होगी या नहीं। जो एक्सपेरीमेंट प्रोजेक्ट ओथोरिटीज उस जमीन पर करना चाहेंगे उसे जमीन का मालिक काश्तकार करने देने के लिए तैयार होता है या नहीं, ये सारी चीजें हैं जिन पर विचार करने के बाद ही कहा जा सकेगा कि कितनी जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी और एक्वायर करनी भी पड़ेगी तो तीन साल के लिए कितनी 2 तादाद के अन्दर अवाप्त की जाएगी। लेकिन मैं यह बताना आवश्यक समझता हूं कि इस प्रोजेक्ट

(श्री परसराम मदेरणा)

का काम पूरा होने पर, तीन साल के अन्दर या तीन साल के बाद, कितनी जमीन हमें काश्तकार से लेनी पड़ेगी, उस जमीन पर जो इम्प्रूवमेंट हम सरकारी खर्च से करेंगे तो तीन साल के बाद उस इम्प्रूव्ड जमीन को काश्तकारों को वापिस लौटा दी जायेगी। मेरे कहने का मतलब माननीय सदस्यों को यह है कि जो वाटर लोगिंग की प्रोबलम है कोटा की ओर चम्बल कमाण्ड एरिया की, यह एक यूनिक प्रोबलम है और हमने यू.एन.ओ. के मार्फत एफ.ए.ओ. के अन्तर्गत प्रोजेक्ट शुरू करने का निश्चय किया है और यह एक्सपेरीमेंट के तौर पर है, ताकि इससे हम इस नतीजे पर पहुंच सकें कि इस बहुत बड़ी प्रोबलम को सोल्व करने के लिए कौन से मैथड रिजोल्व्ड करने पड़ेंगे ताकि वाटर का यूज और लैंड का यूज कल्टीवेशन के लिए बैस्ट पोसिबल वे में किया जा सके। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी जमीन एक्वायर की जायेगी, एक साल के अन्दर, दो साल के अन्दर या तीन साल में, जिन काश्तकारों की भी जमीन एक्वायर की जायेगी उसका पूरा कम्पन्सेशन दिया जाएगा और कम्पेन्सेशन देने के बाद, तीन साल के बाद वह जमीन काश्तकारों को वापिस लौटा दी जायेगी। मैं समझता हूं कि इस स्थिति को सदन के सामने रखने के बाद काश्तकारों में किसी बात को लेकर भ्रम व्याप्त हो गया या किसी प्रकार का संदेह पैदा हो गया हो तो वह नहीं रहना चाहिए। इस एक्सपेरीमेंट का फायदा उनको मिलने वाला है। जो जमीन पर इम्प्रूवमेंट होकर वापिस लौटा दी जाएंगी तो उसका फायदा भी इन काश्तकारों को ही मिलेगा। मैं समझता हूँ कि इससे सारी स्थिति स्पष्ट हो गई होगी।

**श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मंत्रीजी ने कहा कि जिन 144 परिवारों की जमीन वाटर लोगिंग को रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट के रूप में ली जा रही है, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि यह प्रोजेक्ट की लागत से बनेगा और उसमें कितने लाख रुपया खर्च होगा ? और जो मिस्टर जोन आए हैं और जिस अमेरिका के द्वारा इसमें करीब एक करोड़ रुपया लगाया जा रहा है इसमें क्या इन किसानों का हिस्सा रहेगा। इसके अन्दर जो पैदावार होगी उस पैदावार से किसानों को क्यों वंचित किया जाता है और यह जो तीन साल का प्रश्न आता है जिन किसानों की जमीनें ली जायेंगी, उन पर जिन किसानों की मेड़-बन्दी बनी हुई है तीन साल के बाद जब जमीनों को वापिस दिया जाएगा तो उस समय किसानों के बीच में झगड़े खड़े होंगे। कोई किसान कहेगा कि मेरी जमीन इतनी थी और कोई कहेगा कि मेरी जमीन इतनी थी और जब वह जमीन वापिस लौटाई जावेगी तो उसके लिए मेडबन्दी का जो खर्चा आएगा उसको कौन देगा ? तीन साल के लिए जब किसानों की जमीन ली जाएगी तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका लगान कौन देगा और इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन किसानों की जमीन ली जा रही है उन किसानों की आजीविका का साधन एकमात्र जमीन है, जिनके पास बीस बीघा, पच्चीस बीघा या पच्चास बीघा जमीन है. सरकार उसको एक्वायर करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक

( श्री देवीदत्त )

बीघा जमीन पर तीस रुपया मुआवजा दिया जाएगा, उससे उनका गुजारा कैसे चल सकेगा ? उनका गुजारा इसमें चल नहीं सकता। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार के पास उस इलाके के अन्दर आज भी जो सरकारी फार्म हैं जिनमें सैकड़ों बीघा जमीन है और और भी जगहों पर जमीनें हैं उन पर परीक्षण क्यों नहीं किए जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्रीजी को कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के 144 काश्तकारों ने जिलाधीश के पास आकर यह लिख कर दिया है कि हमारी जमीन के अंदर वाटर लोगिंग नहीं है। हमारी जमीन के सतह के अन्दर आज भी पैदावार अच्छी होती है और उसमें वाटर लोगिंग नहीं है। इसके साथ साथ मैं यह बात और भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए अमेरिकन एम्बेसी के द्वारा जो एक करोड़ की सहायता दी गई है वहां पर हमारा अणु शक्ति केन्द्र था, जिसमें पहले आग लग चुकी थी उसके बारे में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कहीं अमेरिकन एम्बेसी कोटा जिले के अन्दर खतरा पैदा न करदे। अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले के अन्दर पीस वालिन्टियर कोर के युवकों ने जगह जगह अपने शिविर बना रखे हैं, वहां यदि अमेरिकन फार्म बनता है तो यह अवश्य मान कर चलिए कि पीस कोर के युवकों का सम्पर्क उनके साथ अवश्य रहेगा। क्योंकि कोटा एक राजस्थान का ही नहीं अणु शक्ति केन्द्र होने के कारण सारे हिन्दुस्तान का महत्वपूर्ण भाग है उसके लिए कहीं यह संकट पैदा न करदे।

अध्यक्ष महोदय एक करोड़ रुपये के लालच में आकर हमारे देश की सुरक्षा को कहीं खतरे में न डालदें। उस फार्म में काम करने वाले अमेरिकनों से पीस वालिन्टियर कोर का कनेक्शन रहेगा इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिगोद कोटा के बिल्कुल पास में है अतः वहां ऐसा परीक्षण न किया जाय। अन्ता के निकट जो सरकार की जमीन पड़ी हुई है वहां पर वाटर लोगिंग की समस्या भी है अन्ता क्षेत्र के अन्दर हजारों बीघा जमीन सरकार की पड़ी हुई है जिसको सरकार नीलाम करने जा रही है। चम्बल कमान्डेड एरिया के अन्दर वाटर लोगिंग वहां ज्यादा है इसलिए इस स्थान को छोड़ कर वहां अन्ता में सरकार की जमीन पड़ी हुई है उस पर यह प्रयोग किया जाय। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, इस काम के लिये जो आप किसानों की जमीन लेने जा रहे हैं, आखिर उनके रोजगार का साधन भी तो वही जमीन है उनसे जमीन लेने के बाद वे अपने बाल बच्चों का भरण पोषण किस प्रकार से कर पायेंगे, उनकी जमीन तीन साल के लिये ली जायगी तो उनको किस प्रकार से खर्चा दिया जायगा। किसान आन्दोलन न करें इस लिये आप इस बारे में उनके अनुकूल कदम उठायेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया था यह प्रोजेक्ट अमेरिकन एड से शुरू नहीं किया जा रहा है यह तो युनाइटेड नेशन्सट्ड डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत शुरू किया जा रहा है। यह ओरगेनाइजेशन वर्ल्ड आर्गेनाइजेशन है इस लिये इनके साथ अमेरिकन पीस कोर के स्वयं सेवकों का इस में हाथ होगा या दूसरे लोगों का हाथ इसमें होगा इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो जायगा यह आपका मानना बिल्कुल निराधार है।

( श्री परसराम मदेरणा)

जहां तक फूड एन्ड एग्रीकल्चर का सवाल है ऐसे कामों के लिये इनके पास जो टेकनिकल एक्सपर्टस होते हैं वे इस प्रकार की स्कीम्स होती है उसमें मदद करते हैं इस प्रकार के प्रोजेक्ट में एक्सपेरिमेन्ट करने के लिये एक ही देश के नहीं अनेक देशों के लोग जो वाटर लोगिंग के एक्सपर्ट्स है, वहां आयेंगे। ऐसी हालत में यह कहना कि इसमें अमेरिकन लोगों का ही प्रभुत्व होगा भ्रमपूर्ण एवं अनुचित है। क्योंकि अभी तक राजस्थान सरकार के सामने इस प्रोजेक्ट की पोजीशन क्लीअर नहीं है इसलिये यह पूरी तौर से नहीं कहा जा सकता है कि इस प्रोजेक्ट के लिये इस साल कितनी जमीन की आवश्यकता होगी, और कितनी जमीन को इसके अन्तर्गत लेना पड़ेगा। हो सकता है कि सरकार की जमीन, जो 547 एकड़ पड़ी हुई है उस पर भी शुरू किया जा सकता है। वहां यह प्रोजेक्ट शुरू किया जायगा तो भी दो तीन टुकड़ों में शुरू होगा एक 110 दूसरा 107 और तीसरा 80 एकड़ का प्रोजेक्ट होगा इस तरह से वे इस काम को शुरू करना चाहते हैं।

इसी एरिया में से लाइन की रोक के लिये हमने एक मैनेजर को लगाया है वह चम्बल कमान्डेड एरिया को देख कर हमने जगह को सिलेक्ट किया है क्योंकि उस एरिया के अन्दर से लाइन की प्रोबलम ज्यादा है। सब एक्सपर्ट्स वहां बैठ कर उस बारे में अपनी राय बनायेंगे। इसलिए सब को सब जमीन एक साथ ही तीन साल के लिये ले ली जायगी यह बात नहीं। कुछ जमीन एक साल के लिये ही अवाप्त करनी पड़े, कुछ दो साल के लिये अवाप्त करनी पड़े और हो सकता है कुछ जमीन को तीन साल के लिये भी अवाप्त करनी पड़े। यह अवाप्त करने का कम्पेनसेशन दिया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह कम्पेनसेशन क्या होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : तीन साल के बाद उस जमीन का इम्प्रूवमेंट कर उन किसानों को वापिस लौटा दी जायगी। ऐसी हालत में सरकार पर यह आरोप लगाना कि राज्य सरकार किसानों के हित पर कुठाराघात कर रही है, अनुचित होगा।

अध्यक्ष महोदय, अगर हमें जरूरत नहीं होगी तो उस जमीन को अवाप्त नहीं किया जायगा। सोइल कन्जरवेशन एक्ट के नीचे अगर वहां क्राप बदलने से काम चल सकता है तो वैसा करेंगे और इर्रीगेशन मेथड्स जैसे कि वे सिफारिश करेंगे उस तरीके के इम्प्लीमेन्ट्स अख्तयार करने पड़ेंगे।

जहां तक कम्पेनसेशन का सवाल है। हम उस जमीन को तीन साल के लिए लेने जा रहे हैं। कुछ जमीन तीन साल के लिए कुछ जमीन दो साल के लिए और कुछ एक साल के लिए इस प्रोजेक्ट के बारे में फाइनल प्रोपोजल नहीं भेजे हैं इसलिए पूरी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। हमने कलेक्टर कोटा को और हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्पलोई हैं और मनेजर मि० जोन को कहा है कि आप तीनों जाकर वहां देख लें कि इस साल कितनी जमीन की आवश्यकता है ? आया सरकारी जमीन से ही काम चल सकता है तो फिर दूसरी जमीन अवाप्ति की कार्यवाही न की जाय। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट के लिए जितनी जमीन की आवश्यकता होगी उतनी ही ली जायगी।

( श्री परसराम मदेरणा)

यह प्रोजेक्ट केवल 1100 एकड़ तक ही सीमित नहीं होगा चम्बल कमान्डेड एरिया का जितना वाटर लोगिंग एरिया है उस सारे एरिया के लिए एक्सपेरिमेन्टल तौर पर काम करेगा। मास्टर प्लान लागू करके फाइनेन्सियल इम्पलीकेशन्स वर्क आउट करके अगर उसमें ज्यादा अमाउन्ट इनवोल्व होगा तो वर्ल्ड बैंक को एप्रोच किया जायगा। आज वाटर लोगिंग के कारण इरिगेशन बढ नहीं पा रहा है अगर वाटर लोगिंग रुक जाता है तो एक विशेष समस्या जो राजस्थान सरकार को परेशान किये हुए है और किसान को परेशान किए हुए है वह हल हो जाती है, तो वर्ल्ड ओरगेनाइजेशन अपने खर्च से जिस काम को करने जा रहा है और उसके लिए लाखों रुपया खर्च करने जा रहा है। एफ० ए० ओ० के हैडक्वार्टर के लिए बातचीत चल रही है अभी मैं नहीं कह सकता कि इसके फाइनल इम्पलीकेशन्स क्या होंगे। इस आधार पर राज्य सरकार यह मानती है कि कुछ लोगों को अपनी जमीन छोड़नी पडे, एक, दो या तीन साल के लिए ताकि एक्सपेरिमेन्टल तौर पर इतने बड़े काम को हाथ में ले रहे हैं यह काश्तकारों के हित में लेना चाहते हैं। यह काश्तकारों के हकों के बिपरीत की भावना नहीं यह तो उनके फायदे की बात है। उस भूमि को इम्प्रूव करने के बाद उनको वापस लौटा दी जायगी।

श्री देवीदत गाडेया : अध्यक्ष महोदय मैं मंत्रीजी से एक बात पूछना चाहता हूं श्री जोन कहां से आये हैं? यह कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो मशीनें आयेंगी क्या वे अमेरिका से नहीं आयेंगी? और जो जमीन आप लेने जा रहे हैं क्या वह तीन साल के लिए नहीं ले रहे हैं, यदि तीन साल के लिए लेते हैं तो उन किसानों के परिवारों का खर्चा, आजीविका किस प्रकार चलेगी तीन साल तक। अपने बच्चों का पेट किस प्रकार से भरेंगे। क्या सरकार उनको दूसरी जमीन देगी जिनकी जमीन उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है।

श्री परसराम मदेरणा : जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की जायगी, उतनी ही जमीन उनको तीन साल के लिए जब तक उनकी ली जायगी, दी जायगी। उससे थोड़ी बहुत ज्यादा ही होगी, कम नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री जोन कहां से आये हैं वह भी बता दीजिए ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने यह अनुमान लगवाया है कि वाटर लोगिंग के कारण चम्बल कमाण्डेड एरिया में कितनी जमीन इफेक्टेड होती है ?

श्री परसराम मदेरणा : ये फीगर्स अभी मेरे पास नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह प्रोजेक्ट कम्पलीटली इन्डियन एक्सपर्ट्स के हाथ में रहेगा या मैनेजमेन्ट जो फाइनेन्स प्रोवाइड कर रहा हैं। उनके हाथ में होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : दोनों के हाथ में होगा। हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकलचर है वे ए० एफ० ओ० के एक्सपर्ट्स हैं उनके नीचे नहीं रहने वाले हैं दोनों के इक्वल स्टेट्स होंगे।

श्री अध्यक्ष : महालक्ष्मी मिल्स, श्रम मंत्री।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस एग्रीमेंट में यह उम्मीद थी कि

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्रम मंत्री महालक्ष्मी मिल्स।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय.........

श्री परसराम मदेरणा : इसका संबन्ध भारत सरकार से है।

श्री अध्यक्ष : हो गया न साहब !

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : महालक्ष्मी मिल्स लि० व्यावर 3 मई, 1966 से आर्थिक संकट के कारण से—

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : आई एम इन पजेशन ऑफ दी हाउस।

श्री अध्यक्ष : महालक्ष्मी मिल्स के प्रश्न के ऊपर यह सवाल उठा लेना।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका महालक्ष्मी मिल से सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्रम मंत्री।

(12-40 म० प०)

## महालक्ष्मी मिल्स लि०, व्यावर के संबंध में शासकीय वक्तव्य

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, महालक्ष्मी मिल्स लि०, व्यावर 3 मई, 1966 से आर्थिक संकट के कारण बन्द हो गई। गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड रेग्युलेशन एक्ट की धारा 15 के तहत में एक कमेटी मुकर्रर की इसकी जांच के लिए और यह सही पाया कि इस मैनेजमेन्ट के हाथों मिल्स का चलना कठिन है, और इसलिए उन्होंने श्री शरफअली को तारीख 9 जनवरी, 1967 से ऑथोराइज्ड कन्ट्रोलर मुकर्रर किया और 10 जनवरी को इन ऑथोराइज्ड कन्ट्रोलर महोदय ने इस मिल का चार्ज लिया।

26 अप्रेल, 1967 से मिल पुनः चालू हुई। इस मिल के चालू हो जाने के बाद राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस और इंटक की तरफ ये शिकायतें प्रायः श्रम विभाग को प्राप्त होती रही कि इस मिल में रिट्रेन्चमेंट हो रहा है तथा वर्कलोड बढ़ाया जा रहा है। इनके बारे में मिल के ऑथोराइज्ड कन्ट्रोलर साहब से पूछा गया और जो कुछ उन्होंने लिखा है वह तो मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन स्थिति इस तरह से है कि यह मिल एक नोटिफिकेशन के जरिये रिलीफ अन्डरटेकिंग घोषित की गई, और जब कोई इन्डस्ट्री रिलिफ अन्डरटेकिंग के अन्दर घोषित कर दी जाती है और स्पेशल प्रोवीजन्स ऑफ दी रिलिफ अन्डरटेकिंग्स एक्ट के उस पर लागू होते हैं तो फिर उसकी धारा 4 के तहत में तमाम इन्डस्ट्रीयल रिलेशन्स के मुताल्लिक कानून जितने भी है वे सब उस पीरियड के लिए उस तरह के इन्डस्ट्रीयल व रिलिफ अन्डरटेकिंग पर लागू होते है वे सस्पेन्ड हो जाते है।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से इस घोषणा के पश्चात इस मिल के लिए इन्डस्ट्रियल एम्प्लायमेंट स्टैंडिंग आर्डर्स एक्ट 1946 इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, 1947 एज एमेन्डेड बाई दी इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट (राजस्थान एक्ट नम्बर 34) ऑफ 58, मिनिमम वेजेज एक्ट और राजस्थान

# Page No.43



( श्री वृजसुन्दर शर्मा )

कार्मशियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ये चारों प्रावधान इसके ऊपर जब लागू नहीं रहते हैं तो श्रम विभाग के पास कोई अधिकार नहीं रहता है जिससे कि इस मिल के जितने झगड़े हैं उनमें हस्तक्षेप कर सके। फिर भी श्रम विभाग की तरफ से यह प्रयत्न किया गया कि आथोराइज्ड कन्ट्रोलर साहब से बातचीत करके इन मुद्दों पर बातचीत की जाय। पहले तो वे बात करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अभी हमारे पास वह सूचना आई है कि उन्होंने यह कहा है कि बातचीत करके निपटाने के लिए तैयार रहेंगे। तो श्रम विभाग केवल इस एक्ट के आधीन या श्रम कानूनों के अन्तर्गत नहीं बल्कि विवाद के निपटारे के लिए बीच में आने के लिए तैयार है और वह जायेगा।

उन्होंने, जहां तक छंटनी का प्रश्न है, यह बतलाया है कि जिन 126 व्यक्तियों की छंटनी के बारे में कहा जाता है उनको उन्होंने जितने भी परमानेंट वर्कर्स थे 136 उनमें से किसी भी स्थाई कर्मचारियों को नहीं निकाला है और मिल की तीन शिफ्टों में सारा स्थाई स्टाफ लगा दिया गया है जो कि मिल के बन्द होने के समय काम पर लगा हुआ था। यह बात जरूर है कि कुछ एडजस्टमेंट उन्होने इसमें किया है। यह भी उन्होंने मन्जूर किया है कि वर्कलोड उन्होंने बढाया है।

इन सब बातों के बारे में किसी कानून के अन्तर्गत नहीं बल्कि श्रमिकों की सहायता के लिए लेबर डिपार्टमेंट बीच में पड़ कर निपटारा कराने की कोशिश करेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मंत्रीजी ने इस बात को स्वीकार किया है कि श्रम विभाग जो अभी तक रिलीफ अन्डरटेकिंग का बहाना लेकर इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, बावजूद यूनियन्स की तरफ से सैकड़ों दफा लिखने के, अब सरकार ने इस स्थिति को मन्जूर किया है और इसमें हस्तक्षेप करने का आश्वासन दिया है। परन्तु अध्यक्ष महोदय, इस रिलिफ अन्डरटेकिंग के बारे में जो सरकार का अपना दृष्टिकोण माननीय मंत्रीजी ने जाहिर किया है, मैं समझता हूं कि सरकार का उस दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय उस फेक्ट्री में, महालक्ष्मी मिल्स के अन्दर जब से वह पुनः चालू हुई है तो वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये गये हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि वहां पर वर्कलोड बढ़ाया गया है। चाहे उन्होंने इस बात का स्वीकार नहीं किया है कि कोई स्थाई लोगों का रिट्रेन्चमेंट किया गया है, परन्तु वास्तविकता यह है कि कुछ स्थाई लोग हैं, 5-6 लोग हैं जिनको अभी तक काम पर नहीं लगाया गया है। लेकिन जो काम पर भी लगाये गये हैं, अध्यक्ष महोदय, उन लोगों को भी उसी काम पर नहीं लगाकर ऐसे कामों पर लगाया है कि जिस काम को वे कर नहीं सकते, और वह इसलिए कि वे मजदूरों के अगेवान है और इस तरह से काम में अयोग्य साबित होने पर उनको हटाने का केस बनाया जा सके जो कि मैं समझता हूं कि नार्मल फैक्ट्रीज एक्ट के विरुद्ध है।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो औरों को काम पर नहीं लिया गया है और वे सरप्लस हैं तो यदि वहां पर इस तरह से जो लोग सरप्लस हैं तो इस साधारण

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नियम के अनुसार कि जिन लोगों को नौकरी सबसे बाद में मिली हैं उनको सबसे बाद का मानकर रिट्रेन्चमेंट किया जाना चाहिए। परन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से नार्मल लेबर लॉज के तहत जो भी कानून है उनका कोई भी पालन नहीं किया गया केवल इस बहाने पर कि यह रिलीफ अन्डरटेकिंग है और रिलीफ अन्डरटेकिंग होने के कारण तमाम लेबर लाज इस पर लागू नहीं होते। इसलिए वहां पर मनमानी की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं वहां पर मिल चालू होने के बाद वहां जो स्टाक मौजूद था उस सारे स्टाक को बेच दिया गया है और आज स्टाक की 40 परसेन्ट किमतें बढ़ गई हैं, लेकिन मजदूरों का एक महीने का पगार, उनका महगाई भत्ता, उनका बोनस, इस तरह का जितना पैसा बकाया था उसका कोई पेमेंट नहीं किया गया। मजदूरों के जो केसेज चल रहे थे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के तहत उनको दरख्वास्त देकर स्टे करवा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में, जहां पर जो कि साधारण लेबर लाज के तहत मजदूरों के पहले के अधिकार थे उनका पूरा हनन किया जा रहा है इस बात पर कि उनके उपर लेबर लॉज अभी तक सस्पेन्शन में हैं, तो मजदूरों की यह स्थिति बन गई कि वे चाहे जिनको निकाल दे, चाहे जितना वर्कलोड बढा दे, उनकी चढी हुई तनख्वाहें नहीं दी जाय, और अदालत में जो भी उनके केसेज है उनको स्टे करवा दिया जाय। अदालत उनकी नहीं सुन सके और हमारा श्रम विभाग इस बात से चुपचाप है कि लेबर लाज सस्पेण्ड है, तो मजदूरों के सामने रास्ता क्या है ? मजदूर कहां जाय ? यह स्थिति है अध्यक्ष महोदय, जो मजदूरों को मजबूर करती है दूसरा रास्ता अपनाने को जब कि कानून बिल्कुल इन्कार कर दे, अदालत बिल्कुल इन्कार कर दे, सरकार बिलकुल इन्कार कर दे उनके मामलों पर सोचने के लिए।

अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रिलीफ अन्डरटेकिंग के बारे में जो सरकार का दृष्टिकोण है कि वहां पर लेबर लाज लागू नहीं होते, तो उसका मकसद यह है ऐसे रिलीफ अन्डरटेकिंग में मजदूरो की जो मांगे हैं उनको मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा प्लीज पर दिया जाय और प्लीज हुआ मानकर न वेज इन्क्रीज के लिए मांगे रखें, न डियरनेस अलाउन्स के लिए और न अन्य सुविधाओं के लिए वे मजदूर मांग करे, इस रूप में उन लेबर लाज को सस्पेन्शन माना जाना चाहिए, परन्तु जो एक्जिस्टिंग राइट्स मजदूरों के है जो वेतन स्तर उनका है, जो मंहगाई भत्ता उनका है जो स्थायित्व है, जो उनकी ग्रेड हैं उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जानी चाहिए यह रिलीफ अन्डरटेकिंग का मकसद होना चाहिए।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहुंगा कि इस कारखाने में न केवल रिट्रेन्चमेंट किया गया है बल्कि लोगों की तनख्वाह भी कई जगह दस-दस और बीस-बीस रुपये घटाई गई है और इस स्थिति का फायदा उठा कर अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजनैतिक रूप से इन्टक की यूनियन को प्रोत्साहन देने के लिए जो लोग या जो मजदूर एटक से संबंधित हैं, उनको उनके पहले वाले काम से हटा कर दूसरे धन्धों में लगा दिया गया है, और उनके वर्क लोड को भी

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

बढ़ा दिया गया है। जो लोग इन्टक से संबंधित हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करके उन धन्धों में रखा जाता है। इस कारण से मजदूरों में तीव्र असंतोष है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि एक तो सरकार यह आश्वासन दे कि रिलीफ अन्डर टेकिंग एक्ट में मजदूरों के जो एक्जिस्टिंग राइटस है, उस कानून को, लेबर लॉज के सस्पेन्शने होने के कारण यह हर्गिज मतलब नहीं है, इम्प्लीमेंट इस तरह से नहीं किया जाय और जो उनके एक्जिस्टिंग राइट्स है उन पर कुठाराघात किया जाय, उनको कम किया जाय। जब रिलीफ अन्डर टेकिंग के अन्दर कोई क्रेडिटर है वह मिल के ऊपर दावा नहीं कर सकता है, उस पर कानून लागू नहीं होता है— तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन रिलीफ अन्डर टेकिंग मजदूरों को सहूलियत देने के लिए, उनको राहत देने के लिए होने चाहिए ( समय-समाप्ति-सूचक घंटी ) न कि उन गरीबों का फरदर एक्स्प्लोइटेशन करके, उनके मुंह को बन्द करके, एन्टी लेबर प्रेक्टिसेज को जारी करने के लिए और एक यूनियन पर दूसरी यूनियन को हावी करने के लिए और मजदूरों का दमन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाय। अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में एक मिल को जब सरकार ने अपने हाथ में लिया था और उसके पहले एक एडवर्ड मिल ब्यावर को सरकार ने अपने हाथ में लिया था तो पेमेंट आफ वेजेज एक्ट, जब तक मुकदमा चलता रहा तब तक जिन मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिलती, वह उसके तहत तनख्वाह लेते रहे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ··· ····

श्री अध्यक्ष: माननीय श्रम मंत्री महोदय

श्री रामानन्द अग्रवाल: इस तरह मजदूरों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उस संबंध में माननीय मंत्री जी सारी स्थिति को देखेंगे और यह आश्वासन देंगे कि इस तरह की कोई चीज नहीं हो।

श्री जसराज(भिनाय): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संबंध में कुछ कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: यस! यस!

श्री जसराज: जैसा कि मेरे साथी रामानन्दजी ने अभी हाउस को बतलाया, मैं भी आपको इस बात की जानकारी देना चाहूंगा कि जो छटनी की गई है उस छटनी में इस प्रकार के व्यक्तियों की गलत बुनियाद के ऊपर··· ··

श्री गिरधारी लाल व्यास: अध्यक्ष महोदय, क्या स्वतन्त्र पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी मिल गई हैं?

श्री जसराज: छटनी की गई है कि एक आदमी जो काम नहीं करता था उसको उस काम को करने को बाध्य किया गया है। इस मिल का एक नेता सिंह नाम का वर्कर है, उसके कन्धे पर इतना बोझ लाद दिया गया कि उसके कन्धे पर घाव पड़ गये। उसके कन्धे पर घाव पड़ गये तो वह गिर गया और गिर गया तो वह बेहोश हो गया और बेहोश हो जाने के बाद भी उस व्यक्ति को नौकरी से हटा दिया गया। यही नहीं, मैं आपको निवेदन कर दूं कि जिस समय से यह मिल बन्द हुई है उस दिन से उन मजदूरों को हाजिरी देने के लिए प्रति दिन मिल पर बुलवाया जाता है। सुबह सात बजे वह हाजिरी देने जाते हैं उनको नौ बजे तक मिल में रहने के लिए बाध्य किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, ला

( श्री जसराज )

श्राफ इक्विटी के अनुसार यह किसी प्रकार उचित नहीं है और इन्सानियत के तकाजे के अनुसार भी नहीं है। वह आदमी नौ बजे के बाद किसी रोजगार पर नहीं जा सकता है। वह दूसरे कोई धन्धे में नहीं जायेगा, न उसको चूने-पत्थर का काम मिलेगा और न कोई दूसरे प्रकार नौकरी मिल सकती है। उसके बावजूद छटनी किया जाना इन्टक को प्रोत्साहन देने के नाम पर, मैं समझता हूं, इन्सानियत के तकाजे के खिलाफ है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इन्टक के एक सेक्रेटरी हैं मि० टिकिया, जिसका कि मिल को डुबोने के अन्दर हाथ था, जिसका मिल को नुकसान पहुंचाने में हाथ था, वही सेक्रेटरी मि० टिकिया आज भी काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिस समय तीन सिफ्ट चालू की गई थी उस समय सबसे यह अन्डर टेकिंग ली गई थी कि जो इन्टक के मेम्बर बनेंगे उनको ऐसा धन्धा देंगे....

श्री गिरधारी लाल व्यास : गलत !

श्री जसराज : उनको मिल में रहने दिया जायगा। इस प्रकार की जो सारी की सारी कार्यवाही हो रही है, इनका राज्य सरकार के द्वारा संचालन हो और उसमें भी इस प्रकार की राजनैतिक बू आये तो...

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है।

श्री जसराज : यह मजदूरों का शोषण है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) हम चाहेंगे कि इस प्रकार की जो गलत कार्यवाही हुई है उसको खत्म कराने की ओर मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्रम मंत्री।

श्री बृजसुन्दर शर्मा ( श्रम मंत्री ) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख होता है कि जब मिल बन्द हो जाती है और उसको चलाने की कार्यवाही की जाती है तो यह आरोप लगाया जाता है कि यह राजनैतिक कारणों से किया जा रहा है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : चलाने पर राजनैतिक नहीं कहते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसको अच्छी तरह चलाने के लिए आथोराइज्ड कंट्रोलर को अधिकार दिया जाता है और जब वह डिसिप्लेन के मामलों के अन्दर कोई कार्यवाही करता है तो यह कहा जाता है कि यह राजनैतिक कारण से किया जाता है। अच्छा तो फिर यह है कि कोई मिल बन्द होने वाली हो तो माननीय सदस्य यह सलाह देंगे कि उसको बन्द करने दिया जाय...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और हो क्या रहा है राजस्थान में ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं कि इस प्रकार के आरोपों से हम कन्ट्रोलर के हाथ-पैर को बांध कर मिस-मैनेजमेंट को कन्टीन्यू नहीं रहने देना चाहते। फिर भी मैंने यह आश्वासन दिया है कि यद्यपि कानूनन श्रम विभाग का अधिकार नहीं है कि इस बारे में दखल दे फिर भी आथोराज्ड कंट्रोलर से हम सम्पर्क में है और इस झगड़े को निपटाने की कोशिश करेंगे।

जहां तक इन्टरप्रिटेशन आफ दि रिलीफ अन्डर टेकिंग एक्ट का संबंध है, मैं समझता हूं, माननीय मित्र रामानन्दजी उसको अच्छी तरह से पढ़ें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे, वैसे सदन के सामने मैं उसके प्रावीजन्स

( श्री बृजसुन्दर शर्मा )

पढ़कर जरूर सुना देना चाहूंगा ताकि इस मामले में कोई गलतफहमी नहीं हो। धारा चार (ए) इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है।

"(4) (a) In relation to any relief undertaking and in respect of the period for which relief undertaking continues as such under sub-section (2) of section 3:—

(i) all or any of the laws mentioned in the schedule to the Act or any provisions thereof shall not apply or shall, if so directed by the State Government, be applied with such modification (which do not, however, affect the policy of the said laws) as may be specified in the Notification, and

(ii) all or any of the agreements, instruments, awards or standing orders made under any of the laws mentioned in the schedule to this Act, which may be applicable to the undertaking immediately before it was acquired or taken over by the State Government or before the issue of the notified order in respect thereof under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, or before any loan, guarantee or other financial assistance was provided to it by the State Government, shall be suspended in operation or shall, if so directed by the State Government, be applied with such modifications as may be specified in the notification."

मेरा निवेदन यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि अभी इस बारे में कोई मोडिफिकेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है कि जिसके कारण मोडीफाई किया जाय नोटिफिकेशन को। यदि आवश्यकता महसूस की गई, नोटिफिकेशन को मोडीफाई करने की जरूरत हुई तो वह किया जा सकता है। फिलहाल ऑथोराइज्ड कंट्रोलर ने जो जवाब दिया है उससे हमें संतोष है। उसने जवाब दिया है कि 136 आदमियों की जो छंटनी की है वह छंटनी न होकर केवल एक काम से दूसरे काम पर लगाने का एडजस्टमेंट है। इससे कोई बेरोजगारी की समस्या पदा नहीं होती है जिसके कारण हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़े और इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट से निवेदन किया जाय।

दूसरी पोजीशन बताई गई है वह यह है कि जैसा मैंने निवेदन किया, जो पहले वर्क लोड था उससे ज्यादा, पहले से कुछ ज्यादा वर्क लोड हुआ है। उसके लिए ऑथोराइज्ड कंट्रोलर का यह कहना है कि जो अवार्ड इस बारे में, वर्क लोड के बारे में 31-7-60 का हुआ था उसके अनुसार ही यह वर्क लोड है। इसके बारे में यदि कोई बाद में शिकायत हो तो उसकी जांच करके हम ऑथोराइज्ड कंट्रोलर को कह सकते हैं।

( 1 म. प. )

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जिस एक्ट का हवाला दिया है मेरी शिकायत यही है कि इसी एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है। इस लेबर लॉ को सस्पेन्ड होते हुए भी जो आवश्यकता समझें उसका मोडिफिकेशन करके उसको लागू कर सकते हैं। मैंने यह निवेदन किया कि गवर्नमेंट की नीति है कि आप

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

उनकी फर्दर डिमांड को धारा 4 को देखते हुए करते रहें और इस हद तक आप तो इसको सस्पेन्ड कर सकते हैं, लेकिन उनके जो राइट्स हैं, जो वे काम कर रहे हैं उनको आप लागू रखिये। यह मिल इस लिए घाटे में नहीं गई कि मजदूरों का खर्चा ज्यादा था। यह इसलिए घाटे में गई कि मैनेजमेन्ट ने अपव्यय किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

और इस बारे में मजदूरों के बार-बार ध्यान आकर्षित करने पर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह तो मैनेजमेन्ट के देख-रेख का प्रश्न है। मजदूरों के एग्जिस्टिंग राईट्स के लिये जिस हद तक लेबर लाज कर सकता है, उस हद तक गवर्नमेंट नोटि-फिकेशन करके करे तो उस हद तक लागू करना चाहिये।

(1.02 म० प०)

## अनुदानों की मांग संख्या 1, 28 और 33 भू-राजस्व दुर्भिक्ष-सहायता एवं वन

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार।

अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं मानीय सदस्यों का ध्यान किस तरह से कटौती के प्रस्ताव और मांगों पर नियंत्रण कर सकें उसके लिये आज तक प्रणाली सदन की रही है उसकी तरफ आकर्षित करूंगा।

आज जैसा कि कार्य सूची में उल्लिखित किया गया है अनुदानों की मांगों पर विचार शुरू होगा। और इस वर्ष भी पिछले की भांति अनुदानों की मांगें समूह में प्रस्तुत होंगी। आज ली जाने वाली मांगें —

(1) भू-राजस्व,

(2) दुर्भिक्ष,

(3) वन।

इन मांगों पर जिन कटौती प्रस्तावों की सूची मानीय सदस्यों के पास भेजी जा चुकी है उनमें 200 कटौती के प्रस्ताव हैं और उनकी सूचनायें देने वाले माननीय सदस्यों की संख्या 44 है। उपरोक्त कटौती प्रस्तावों की संख्या को देखते हुए समयाभाव के कारण यह संभव नहीं होगा कि सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इनकी सूचनाएं दी हैं अपने अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाय। ऐसी स्थिति में जैसा कि पिछले वर्षों में इस सदन की परिपाटी रही है सभी मांगों पर दिये गये कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत हुए समझे जायं, और इन्हें पृथक् से सदन में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जाय वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें तो वे भी अपने विचार व्यक्त कर कर सकेंगे, किन्तु वे समय के भीतर ही ऐसा करें ताकि आज का कार्य समय पर समाप्त किया जा सके। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है प्रति दिन मांगें समूह में पेश होंगी और उनको उसी दिन बहस में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा दिए जाने के पश्चात निपटाया जाना है।

जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण

( श्री अध्यक्ष )

उत्तर न मिल सके तो उसके विशेष आग्रह पर सरकार की ओर से संबंधित माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर मिल जाय ताकि उन्हें सन्तोष हो ।

उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत करते हुए हुए मांगों पर विचार करने के लिए मोटे रूप से सरकारी पक्ष को 1.45 घन्टे का समय दिया जायगा जिसमें मंत्रियों द्वारा उत्तर देने का समय भी सम्मिलित होगा स्वतन्त्र पार्टी को एक घन्टा, जनसंघ को 40 मिनिट एवं अन्य दलों आदि को 20 से 25 मिनिट का समय दिया जायगा ।

यह प्रक्रिया आज की मांगों के संबंध में अपनायी जायगी और यही कल से ली जानेवाली अन्य मांगों के सम्बन्ध में भी होगी ।

मंत्री महोदय अपनी मांगें प्रस्तुत करें ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, दुर्भिक्ष, भू-राजस्व और वन तीनों पर बोलना है । मैं यह निवेदन करूंगा कि अगरआज भू-राजस्व पर ही बोलने का मौका दें तो अच्छा रहेगा । क्योंकि मानीय सदस्य बोल नहीं सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष : यह परिपाटी चली आ रही है । माननीय सदस्य बोल सकेंगे ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : पार्टी के सदस्य कोई भी बोलेगा या वही बोल सकेगा जिसने कटौती का प्रस्ताव दिया होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ( जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था रही है कि माननीय सदस्य बोलना चाहें वे कटौती के प्रस्तावों पर बोल सकते हैं चाहे उन्होंने कटौती के प्रस्ताव नहीं दिये हैं । मगर यह आपके डिसक्रीशन पर रहता है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हम लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष: इसको रिजिड नहीं समझे यह परिपाटी है, इसमें इधर थोड़ा और उधर थोड़ा, फिर फिर भी परिपाटी है फ्लेक्सीबल है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : समय लिमिट भी रहना चाहिये नहीं तो कोई एक घन्टा बोलेगा और किसी को बोलने का अवसर ही नहीं मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष : सदन के माननीय सदस्यों के सहयोग से यह आसन अपना कार्य करेगा । मंत्री महोदय अपनी मांगे प्रस्तुत करें ।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1938 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,97, 61000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,68,00,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

**राव श्रीनारायणसिंह मसूदा :** अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक 70-वन के संबंध में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,14,20,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

**श्री अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

## इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए

### मांग संख्या 1

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर):**

1. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व की वसूली स्थगित करने की दृष्टि से दुष्काल की स्थिति का मूल्यांकन करने में पक्षपात पर चर्चा करने के लिये)।
2. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि के आवंटन में पक्षपात करने पर चर्चा के लिये)।
3. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों आदि द्वारा चुनावों के समय राजनीति में भाग लेने पर चर्चा के लिये)।

### मांग संख्या 28

4. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता कार्यों को चालू करने में असमानता और पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिये)।
5. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता के लिए काम पर लगाये गये मजदूरों का चुकारा करने में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

### मांग संख्या 33

6. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में वन-सम्पदा के संरक्षण तथा संवर्द्धन में राज्य सरकार की उपेक्षा के बारे में चर्चा के लिये)।

### मांग संख्या 1

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :**

7. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा भूमि-सुधारों के प्रति दुर्लक्ष बरतने की स्थिति पर चर्चा के लिये)।
8. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू राजस्व में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर, भरतपुर जिलों में निष्क्रमणार्थी भूमि के सम्वत् 2003 अथवा उसमें पुराने, काश्तकारों को खातेदारी हकूक देने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा करने के लिये)।
9. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीन किसानों को जमीन अलॉट करने में सरकार की दुर्लक्षापूर्ण प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

10. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में रूंध/मदारपुर की 400 बीघा भूमि सरकार द्वारा अनुचित तौर पर एलॉट किये जाने पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( राजस्थान रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट पर अमल करने पर सरकार द्वारा ढिलाई बरती जाने पर चर्चा के लिये )।

12. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक-9 भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय ( राज्य सरकार की भूमिहीन लोगों को भूमि एलॉट करने की दुर्लक्ष पूर्ण प्रणाली पर चर्चा के लिये )।

13. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अलवर जिले में बन्दोबस्त में की गई गल्तियों को दुरस्त करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 1, शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अलवर जिले में कुओं को गलत तौर सिवाय चक दर्ज करने और उनकी कीमत वसूली के संबंध में चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अलवर जिले की रूंध/मदारपुर की 400 बीघा भूमि ग्राम चांदोली के निवासियों को अनुचित रूप से एलॉट करने के बारे में चर्चा के लिये)।

### मांग संख्या 28

16. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अकाल-सहायता कार्य को राजनैतिक दृष्टिकोण से करने पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अकाल-सहायता कार्य के चालू करने में राज्य सरकार द्वारा पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिये )

18. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (तहसील टूडू में अकाल ग्रस्त ग्रामों के लोगों को धन्धा नहीं मिला व खाद्य उपलब्ध नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

### मांग संख्या 33

19. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अलवर जिले में सिरबोझा पर लकड़ी लाने वालों पर अनुचित एवं अनावश्यक पाबंदियाँ लगाकर तंग करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अलवर जिले में वन से लकड़ी लाने वालों का कस्बा डहरा, तहसील अलवर के पास किसी व्यक्ति की सहायता अथवा साइकिल की सहायता प्राप्त करने पर चालान करने पर चर्चा के लिये)।

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

21. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा वन की सीमा के बाहर लोगों का चालान करने पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अलवर जिले में वन विभाग द्वारा नये बन्दोबस्त में पहाड़ों में किसानों के पुराने अधिकारों को समाप्त करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

श्री देवीदत्त गाड़िया (बांरा) :

23. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पटवारी प्रशिक्षण विद्यालय में कोटा क्षेत्र से परीक्षण के लिये पक्षपात पूर्ण ढंग से भेजे जाने पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले में लगान वसूली में चल रही धांधली बाजी व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिला में राजस्व विभाग अधिकारियों द्वारा गलत महंगाई भत्ता लेने पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 कम कर दिया जाय भू-मापन व्यवस्था के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को महंगाई, यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा सुविधा दिये जाने में पक्षपातपूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जिला कोटा में मालवमोरी, तहसील मांगरोल तालाव की 60 बीघा जमीन के बेचने में अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बांरा उप-जिला क्षेत्र की भूत-पूर्व जमीदारी भू-सम्पत्तियों के संबंधी मामले के निपटारे में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

29. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रु० कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों के बारे में नीति का अनुमोदन)।

30. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बारां उप-जिला क्षेत्र में राहत कार्यों में हुए धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

31. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बारां क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वनों से कटाई गई इमारती लकड़ी और अन्य उपज के भारी दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

( श्री देवीदत्त गाड़िया )

32. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बारां वन विभाग द्वारा भवन निर्माण में हजारों रु० के अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बारां जंगलात अधिकारियों द्वारा घास कटाई, बंधाई एवं लदवाने आदि कार्यों में हजारों रुपयों का गोलमाल करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

श्री नाथू राम ( बागीडोरा ) :

34. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में पंचायत समिति भूखिया में ग्रामन्तिया पंचायत, डोकर पंचायत भूखिया पंचायत के पांच हजार मजदूरों को राहत कार्य पर नहीं लगाने की चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जावे (बांसवाड़ा जिले में पी० डब्लू० डी० द्वारा सड़कों के जो राहत कार्य चल रहे हैं उसमें अधिक धनराशि के दुरुपयोग एवं समय पर मजदूरों को पेमेन्ट नहीं करने की चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में अकाल की स्थिति में राहत कार्यों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

37. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जिला बांसवाड़ा में वनों की रक्षा नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा ( गोगुन्दा ) :

38. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर, डूंगरपुर में भयंकर अकाल की स्थिति होने पर भी राज्य सरकार द्वारा अकाल सहायता कार्यों के लिये अपर्याप्त धन-राशि देने पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (उदयपुर डूंगरपुर, जिले में दुर्भिक्ष सहायता कार्यों पर पूरे मजदूर काम पर न लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) :

40. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (छोटे जमींदारों की भूमि का हक मालिकाना बिस्वेदारी व खेवटदारी हटा कर खातेदारी पर "श्री सरकार" लिखा होने के कारण किसानों की हालत दयनीय हो गई है अतएव उन्हें भूमि स्वामित्व देने पर चर्चा के लिये)।

# Page No.54



( श्री विजयसिंह रावत )

41. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (छोटे छोटे काश्तकारों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने पर चर्चा के लिये )।

मांग संख्या 28

42. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों में रत मजदूरों को महंगाई के आधार पर मजदूरी में वृद्धि नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

43. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के फल स्वरूप पुराने जंगल नष्ट होते जा रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये )।

44. मांग संख्या 33, शीर्षक 70-वन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले के वनों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन):

45. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में आवंटित जमीनों का कब्जा नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

45. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में भूमि एलाटमेंट व पक्षपात मनमानी की गई है, उसको रोकने पर चर्चा के लिये)।

श्री केदारनाथ (गंगानगर):

47. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान कनाल परियोजना के अन्तर्गत खाली जमीन के एलॉटमेन्ट के बारे में सरकार की अस्पष्टता पर चर्चा के लिये )।

48. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (15 दिसम्बर, 1959 के बाद भूमि-हीन व छोटे खातेदारों ने जो जमीन खरीदी है उसे मान्यता देने में सरकार अस्पष्ट है, इस पर चर्चा के लिये )।

49. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (भूमिहीन किसानों की समस्याओं के संबंध में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये )।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):

50. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में भू-राजस्व हटाया जावें, इस पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पट वारखानों के जीर्णोद्धार के बारे में चर्चा के लिये )।

52. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया

( श्री रघुनाथ विश्नोई )

जाय (जिला कर्मचारी वर्ग की काश्तकारों के प्रति गलत मनोवृत्ति के बारे में चर्चा के लिये ) ।

53. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय(राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों के अनुसार कार्य न करने से काश्तकारों की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ) ।

54. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (भूतपूर्व जमीदारी भू-सम्पत्तियों के संबंध में व्यय में कमी के बारे में चर्चा के लिये ) ।

55. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (भू- राजस्व के संग्रहण पर व्यय में कमी करने के सुझावों पर चर्चा के लिये )।

मांग संख्या 28

56. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर, जिला जालोर में अकाल सहायता कार्यों के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए ) ।

मांग संख्या 33

57. मांग संख्या, 33 मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सांचोर में वन विभाग के भवातड़ा जोड़ के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ) ।

मांग संख्या 1

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) :

58. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय(बीकानेर जिले के बारानी हिस्से में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि तीन वर्ष की बजाय दस साला आधार पर आवंटन करने पर चर्चा के लिये) ।

59. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिये जाय (अलाभकारी जोतों पर से लगान समाप्त करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 28

60. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (रेगीस्तानी इलाके को अकाल से मुक्ति दिलाने की योजना बनाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 33

61. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (वन खंड भोड़ बीड़, जिला बीकानेर को कृषि प्रयोजनार्थ अस्थाई तौर पर दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 1

श्री रावत राम (छापर) :

62. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (आराजी राज जमीन के एलॉटमेन्ट में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

63. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सरकारी पड़त व खातेदारी भूमि को आबादी भूमि में बदलने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

( श्री रावतराम )

64. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (चूरू जिले में गलत सेटलमेन्ट द्वारा उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कर दिया जाय (राजस्थान में लैण्ड रेवेन्यू शीघ्र समाप्त करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

66. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अकाल की रोकथाम के लिये स्थाई तौर से सरकार की निश्चित योजना नहीं बन सकने पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (चूरू जिले के अकाल ग्रस्त क्षेत्र में अभी तक राहत कार्य प्रारंभ नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

श्री केसरीसिंह हाड़ा ( हिन्डौली ) :

68. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (तहसील नैनवा के ग्राम रामगंज के भूमिहीनों को काश्त भूमि आवंटन में पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

69. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सामान्य निर्वाचन से पूर्व सरकार द्वारा अकाल सहायतार्थ खोले गये कार्यों को पूर्ण न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

70. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा बिला नाम काबिल काश्त भूमि अपने डिमार्केशन में लेने पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (ग्राम दबलाना, तहसील हिन्डौली के जंगलात की भूमि पर अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जिला बूंदी के वन अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही से वन निधि का तेजी से होने वाले ह्रास पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

श्री ब्रजप्रकाश गोयल ( हनुमानगढ़) :

73. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अधिकतम जोत सीमा के Zones के निर्धारण पर चर्चा के लिये।

74. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (परमानेन्ट एलॉट की गई जमीनों की किश्तों वसूली के सम्बन्ध में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

Page No.57



( श्री ब्रजप्रकाश गोयल )

75. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले की कृषि भूमि संबंधी Record of Rights की अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

76. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ के भाखरा क्षेत्र में ली गई आराजी भूमि पर वन कायम करने पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के साथ-साथ वन लगाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

श्री हीरा (कुशल गढ़) :

78. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अकाल से प्रभावित क्षेत्रों के स्थगित लगान को माफ करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

79. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (उत्पादन के नाम से वन की बर्बादी रोकने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

श्री जुझारसिंह ( रामगंज मंडी ) :

80. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (ग्राम मदनपुरिया, तहसील रामगंज मंडी में बसे बंनजारा परिवारों को नियमों में होते हुए भी सरकार द्वारा भूमि स्वामित्व नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (तहसील रामगंज मंडी व सांगोद में कृषकों की अपने कुओं पर अधिकार नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले में राजस्व कर्मचारियों की अव्यवहारिक आवंटन नीति से हुए नुकसान की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (तहसील सांगोद के कटाव क्षेत्र में बढ़ते हुए भूमि अतिक्रमण को नहीं रोक सकने से हुए नुकसान व विभाग की उपेक्षावृत्ति पर चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सांगोद तहसील, जिला कोटा में सूखा व अकाल की स्थिति होते हुए भी भू-राजस्व वसूल करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

85. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम

# Page No.58



( श्री जुझारसिंह )

कर दिया जाय (कोटा जिले में दुर्भिक्ष सहायता देने में वरते गये पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

86. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक ७०—वन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (शीघ्र उत्पन्न होने वाली पौध के विस्तार व संरक्षण के लिये इस वर्ष के आय-व्ययक में कोई प्रावधान न होने पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (Farm Forestry के विकास पर ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक ७०—वन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (Fodder Banks (पशु खाद्य अधिकोष) स्थापित नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (प्रशासनिक पक्षपात के कारण बनी अव्यवस्था व अनिश्चितता से वन विकास में बाधा पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (वन-संरक्षण कार्य में ढिलाई व लापरवाही करने पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (तहसील सांगोद, जिला कोटा में वन विभाग द्वारा भू-संरक्षण हेतु व्यवहारिक कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (कोटा जिले के Plans क्षेत्र में वन-विकास पर ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १

श्री दुर्गालाल बाद्दार (हवामहल, जयपुर):

93. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कृषि योग्य भूमि अनियमितता से अन्य कार्यों में परिवर्तित किए जाने पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (भूमि एलॉटमेंट में होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

95. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता के नाम से सरकारी धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३३

96. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन-सम्पदा के बुरी तरह से नष्ट किए जाने से उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोपों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) :

97. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (भू-राजस्व शीघ्र समाप्त किये जाने पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 1 मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिये जाय (भरतपुर जिले के किसानों से सरकारी दर से दुगुना लगान के बारे में चर्चा के लिए)।

99. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (किसानों के भूमि अधिकारी के प्रमाण स्वरूप पास बुक न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

100. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्य को राजनैतिक हितों की दृष्टि से संपादित करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम):

101. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पटवारियों द्वारा किसानों को परेशान करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

102. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले में अकाल के कार्यों पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):

103. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (भूमि के आवंटन में दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

104. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अकाल पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्यों में हुई अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

105. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अकाल क्षेत्र घोषित करने में भेदभाव किये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

106. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय। (कृषि योग्य भूमि को वन विभाग से निकालने पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 1

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :

107. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बनेठा ग्राम के काश्तकारों से

( श्री दिग्विजयसिंह )

उनके 20 वर्ष के कब्जे होते हुए भी उनको मालिकाना हक न देने के संबंध में चर्चा के लिए)।

108. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में भू-राजस्व शीघ्र समाप्त करने के संबंध चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जिला टोंक में तहसील देवली व अलीगढ़ में लम्बे अर्से से कब्जा शुदा काश्तकारों की बेदखली पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (ग्राम बनेठा व उसकी ढाणी के मीणों की झोपड़ियों के, काश्तकारों के 20 वर्ष के काश्त के कब्जों से बेदखल करके उनसे 20 गुना वसूल किये जाने पर चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय ( अकाल होने से जो भू-राजस्व स्थगित किया गया है उसे वसूल न करने पर चर्चा के लिये)।

### मांग संख्या 28

112. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय ( सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के अभिकरण से दूनी नगर सड़क, तहसील देवली पर चालू अकाल राहत कार्य में कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे पक्षपात पूर्ण रवैये से उचित लाभ प्राप्त नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों की अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये )।

114. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों संबंध में मजदूरी की दरों के विषय में चर्चा के लिए )।

115. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय .(जिला टोंक में बनास नदी में हाल ही में बाढ़ से जो हुई क्षति से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिये जाय (अकाल राहत कार्यों पर जो मजदूरी दी जाती है वह बिलकुल अपर्याप्त है,इस पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय ( सहायता कार्यों के पैसों का सरपंचों द्वारा दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

### मांग संख्या 33

118. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया

Page No.61



( श्री दिग्विजयसिंह )

जाय (राज्य में गेम सेन्चुरीज की ओर कोई ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (हाल ही शिकार के लाइसेन्स प्रदान करने की तब्दीली से जनता की असुविधा पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या, 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (राज्य में वन सम्पत्ति को जिस प्रकार नष्ट किया जा रहा है और उससे जो हानि हो रही है इस पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (शिकार के परमिटों को दिये जाने की प्रणाली में परिवर्तन करने पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (वन के ठेके दिये जाने में जो अनियमितताएं होती हैं उस पर चर्चा के लिये)।

### मांग संख्या 1

श्री नाथूललाल करोल(जमुवारामगढ़):

123. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सिवाय चक भूमि के एलॉटमेंट में पक्षपात करने पर चर्चा के लिये)।

### मांग संख्या 28

124. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64–दुर्भिक्ष सहायता में 100 रु० कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

125. मांग संख्या 33,मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय काश्तकारों को अपनी खुद काश्त की लकड़ी लाने पर वन विभाग के नाकेदारों द्वारा परेशान करने पर चर्चा के लिए)।

### मांग संख्या 1

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) :

826. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले की तहसील लाडपुरा के रंगपुर ग्राम में काश्त भूमि के विक्रय में पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

### मांग संख्या 33

129. मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (कोटा डिवीजन के जंगलों के ठेकों पर स्वीकृति की देरी से हुई हानि पर चर्चा के लिए)।

130. मांग सं० 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय। (सवाई माधोपुर के जंगलों को सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा नुकसान व उसके मुआवजे पर चर्चा के लिए)।

( श्री कृष्ण कुमार गोयल )

129. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय। (जिला चित्तौड़ के देवगढ़ रेंज के जंगल में सागवान की चोरी पर चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (ईसरदा के जंगल की कटाई में की जाने वाली लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) :

131. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (भू-राजस्व समाप्त करने को राज्य के लिए गलत मानता हूं इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

132. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय। (वन निरन्तर नष्ट होते जा रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसींद):

133. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (काश्त भूमि के आवंटन की ठीक व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

134. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय। (वन विभाग के रेंज आफिसेज को तहसील व कलेक्टोरेट के लेवल पर स्थापित करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

श्री सहदेव (आमेर)

135. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय। (नामान्तरकरण की कार्य-प्रणाली को अधिक सरल एवं कम खर्चीली बनाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

136. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिय जाय। (जयपुर जिला अकाल सहायता सलाहकार समिति द्वारा निर्दिष्ट एवं स्वीकृत कार्यों पर अमल नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम दिया जाय। (जयपुर जिले के अकालग्रस्त क्षेत्रों में सस्ता अनाज नहीं मिलता है, इसकी गम्भीरता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :

138. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय। (जयपुर जिले में लेवी की वसूली के बारे में चर्चा के लिए)।

139. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर

( श्री पी० के० चौधरी )

दिया जाय। (जयपुर जिले में फसल के खराबी को विभागीय कर्मचारी द्वारा सही तौर पर दर्ज न करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

140. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय। (ग्राम लालासर, त० फुलेरा में नदी के किनारे भू-संरक्षण योजना चालू करने के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १

श्री हंसराज आर्य (भादरा) :

141. मांग संख्या 1 मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय। (कृषि भूमि, भूमिहीन कृषकों को आवंटित न करने पर चर्चा के लिए)।

142. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले के बारानी क्षेत्र में भू-राजस्व वसूली में अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) :

143. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय। (सीमा स्तम्भों के निर्माण में होने वाली लापरवाही को रोकने पर चर्चा के लिए)।

144. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जिला व्यय में पटवारियों के वेतन में वृद्धि हेतु चर्चा के लिए)।

145. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय। (बीकानेर शहर के तथा उप नगरों के पशुओं के चराने हेतु अर्से दराज से गोचर भूमि छूटी हुई है, रेवेन्यू अधिकारी इसे कृषि में परिवर्तित कर रहे हैं, जिसे रोके जाने हेतु चर्चा के लिए)।

146. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय। (बीकानेर शहर के घूसरा नामक गोचर भूमि को कृषि के लिए रेवेन्यू अधिकारी दे रहे हैं जिससे पशु-धन को बहुत नुक्सान हो रहा है, यह भूमि नगर निवासियों के द्वारा कीमत जमा करा कर स्टेट के समय से ही गोचर भूमि में दर्ज है, इसकी रक्षा हेतु चर्चा के लिए)।

147. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय। (भू-राजस्व के संग्रहण पर व्यय में होने वाली फिजूल खर्चों को रोकने पर चर्चा के लिए)।

148. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय। (भूतपूर्व जमींदारी भू सम्पत्तियों के संबंध में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने पर चर्चा के लिए)।

149. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय। (अभिलेख सुधार योजना के खर्च में कमी की जाने पर चर्चा के लिए)।

( श्री गोकल प्रसाद शर्मा )

150. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रु० कम कर दिया जाय। (राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय टोंक के खर्चे में कमी की जाय, इस पर चर्चा के लिए )।

मांग संख्या 28

151. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अकालग्रस्त क्षेत्रों में कुए खुदवाने के लिए तथा नालियां, तालावों को गहरा करवाने हेतु रकम बढ़ाई जाने के लिए चर्चा के लिए)।

152. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय ( अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए पीने के पानी के लिए राशि कम रखी गई है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

153. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय ( बीकानेर में जोड़ बीड़ बीछवाल के चारागाहों को नाजायज तरीके से सरकार ने कब्जे में लिया है, उसे वर्षा के बाद पशुओं को चराने के लिये छोड़ा जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय ( बीकानेर जोड़ बीड़ में चराई के साथ 2 गलत तरीके से पिलाई की वसूली की जा रही है, उसे बन्द करवाने पर चर्चा के लिये )।

155. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय ( वन विभाग में होने वाली फिजूल खर्ची कम किये जाने पर चर्चा के लिये )।

मांग संख्या 28

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ( जौहरी बाजार, जयपुर ) :

156. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 100 रु० कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों के बारे में नीति का अनुमोदन )।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) ;

157. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र में अब तक राहत कार्य नहीं खोलने पर चर्चा के लिए )।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) :

158. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय ( सार्वजनिक कार्य निर्माण के अधिकरण में अनियमितता बरतने पर चर्चा के लिए )।

मांग संख्या 33

159. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (मरुस्थलों में सड़कों के किनारे वृक्षों की दुर्गति पर चर्चा के लिये )।

मांग संख्या 28

**श्री रामकिशन (वैर):**

160. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अकाल क्षेत्र घोषित करने में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (उदयपुर डिवीजन में चलाये गये अकाल राहत कार्यों में गड़बड़ी पर चर्चा के लिए)।

162. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय [व्यक्तिगत सम्पत्ति (तालाब आदि) पर दुर्भिक्ष सहायता का रु० खर्च करने के लिए]।

163. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बिना योजनाओं के राहत कार्यों को हाथ में लेने से उन पर हुई फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

164. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन भूमि को कृषि भूमि घोषित करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

**श्री मूलचन्द डागा (पाली):**

165. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (धनराशि का अनुपयोगी कामों पर व्यय होने से अकाल पीड़ित व्यक्तियों को राहत न मिलने पर चर्चा के लिए)।

166. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अकाल सहायता के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण कार्यों में अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

167. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (गांव गिरोलिया में राहत कार्य आरम्भ न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

168. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृक्षारोपण के कार्य की असफलता के कारणों पर चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (वनों की दुर्दशा को रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (गुड़ा एटला के मवेशियों को एटला के जोड़ में न चरने देने के बाबत पर चर्चा के लिए)।

171. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पाली शहर का पहाड़ियों भापुपरा की पहाड़ी) पर वृक्ष लगाने की योजना पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर)

172. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बनास नदी में बाढ़ के कारण सवाई माधोपुर सब डिवीजन के आहत कृषकों को सहायता न देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

173. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले के किसानों के लिये काश्तकारी व जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) :

174. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत तहसील खेरवाड़ा में, खेरवाड़े से सोम, छानी से भाभरी व छानी से रानी सड़क को कंकरीट की सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

175. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (खेरवाड़ा, तहसील के भाभरी पाटिया परेडा जगह के जंगलों में ठेकेदारों को ठेका न देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

176. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में अकाल सहायता कार्यों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में सहायता कार्यों को लम्बे समय तक चालू रखवाने पर चर्चा के लिये)।

श्री डूंगारामराजोरिया (दौसा) :

178. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रु० कम कर दिया जाय (तहसील जमवारामगढ़ व दौसा तहसील में अकाल पड़ने पर भी अकाल घोषित नहीं किया गया इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

179. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय (वनों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर)

180. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (भू-राजस्व की छूट असन्तोषजनक है, इस पर चर्चा के लिए)।

# Page No.67



(श्री फूलचन्द बाफना)

मांग संख्या 33

181. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (वन काटने व लगाने में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री विट्ठल प्रसाद (पोकलखूट):

182. मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक 70—वन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (वन पैदावर की नीलामी में राज्य सरकार द्वारा उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

श्री शंकरलाल (जैतारन)

183. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (पाली जिले के भूतपूर्व जागीरदारों से भू-राजस्व की बकाया वसूल न करने पर चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (समय पर भूमि एलोट न करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

185. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैतारण तहसील के दुर्भिक्ष पीड़ित मजदूरों को मजदूरी न मिलने पर चर्चा के लिए)।

186. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (जैतारण तहसील के लिए स्वीकृत 60,000 रुपये के पेय जल की राशि न देने पर चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्यों की धीमी गति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर):

188. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत आवंटित भूमि पर खातेदारी हक देने में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

189. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64—दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में अकाल राहत कार्य खोलने में सरकार द्वारा Famine Code की अवहेलना करने की कार्यवाही पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

190. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन में से 100 रु० कम कर दिया जाय। (जयपुर उद्योग सवाई माधोपुर को, खानों से पत्थर लाने के कारण होने वाले वन के नुकसान की क्षतिपूर्ति में सरकार द्वारा रियायत बरतने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

191. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (बाड़मेर जिले में जिन स्थानों पर लगातार तीन वर्षों से अकाल है वहां भू-राजस्व माफी के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

192. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में अकाल सहायता कार्य में लगे हुवे मजदूरों को कम वेतन मिलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

193. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता के अन्तर्गत जिला बाड़मेर में काश्तकारों को बैलों और बीज की तकावी के उचित वितरण के संबंध में चर्चा के लिये)।

194. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64-दुर्भिक्ष सहायता में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत चल रहे कार्यों एवं सम्पूर्ण की हुई सड़कों पर अनुचित खर्चा होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बहरोड़) :

195. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (हरिजन सहकारी समिति ग्राम मोहम्मदपुर; तहसील बहरोड़ जिला अलवर, को सरकार से जमीन अलाट होने पर भी दखल नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बानसूर तहसील, जिला अलवर के सटिलमेंट की कार्यवाही शीघ्र समाप्त न किये जाने से होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

197. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू-राजस्व में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम मोहम्मदपुर, तहसील बहरोड़, जिला अलवर की सहकारी समिति को सरकार की आज्ञानुसार अलाटशुदा भूमि पर दखल नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

198. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील बानसूर, जिला अलवर के बन्दोबस्त को शीघ्र समाप्त नहीं करने से होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

199. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग की काबिल काश्त भूमि को माल विभाग को स्थानान्तरित न करने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

श्रीमती सुमित्रा (झुन्झुनू) :

200. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में लगातार तीन वर्षों से अकाल पड़ते रहने के कारण भू-राजस्व माफ न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री अध्यक्ष (श्री विजयसिंह) : अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री विजयसिंह (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : वे तो प्रस्तुत किये गये समझे गये। आप इन पर बोलेंगे।

यदि आपकी सहमति हो तो विरोधी दल के नेता को पहले मौका दे दिया जावे।

श्री विजयसिंह: मैं इससे सहमत हूं।

(1.08 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व और मांग संख्या 28 मुख्य, शीर्षक 64-दुर्भिक्ष तथा मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक ,70 वन के संबंध में मैं अपने कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष रखते हुए निवेदन करूंगा कि वन के संबंध में मेरे खयाल से राजस्थान सरकार ने इतना ध्यान नहीं दिया है कि जितना देना आवश्यक था। वनों का महत्व इस देश में अनादि काल से रहा है। वनों को तपोवन की संज्ञा दी गई है और वनों में वेदों की उत्पत्ति तक हुई है। मैं समझता हूं कि वन राष्ट्र का धन और सौन्दर्य है और यदि मैं यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वन राष्ट्र का शृंगार है। आज वनों को मेरे खयाल से निर्दयता से काटा गया है और जिस तरह से हमारे देश में स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात वनों का ह्रास हुआ है और ऐसे वनों का ह्रास पूर्व में कई वर्ष पूर्व कभी नहीं हुआ होगा।

मैं समझता हूं कि सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि प्रचार के द्वारा वनों के प्रति आदर, वृक्षों के प्रति आदर की भावना का संचार करें और वनों की उपयोगिता के सम्बन्ध में, वनों के संरक्षण के सम्बन्ध में प्रचार के द्वारा जनता का सहयोग प्राप्त करें।

जहां तक कि अकाल का प्रश्न है, यह निश्चित मेरा अभिमत है, उपाध्यक्ष महोदय, कि वनों का ह्रास होने के कारण ही वर्षा का अभाव आज हम अनुभव कर रहे हैं। मैंने उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के उन हिस्सों को देखा है अभी अभी, जहां वन है वहां मैंने यह पाया कि वहां कुओं में पानी है, नालों में पानी है, वहां कुछ फसलें भी हुई हैं। क्योंकि मैं यह नहीं कहता कि वहां पर सर्वथा सुकाल ही है लेकिन कमी होने के उपरान्त भी कम्पेरिटिवली वहां पर अभाव पानी का, अन्न का कम है।

वनों के सम्बन्ध में मैं सुझाव के रूप में निवेदन यह करना चाहूंगा कि वनों का सीमांकन जो किया जाता है, वह इस लक्ष्य को लेकर किया जाता है कि वहां सीमान्त का उल्लंघन न हो। अगर सीमांकन लोगों के खेतों के पास करते हैं, लोगों के मकानों के पास करते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार होगा, जनता का उत्पीड़न होगा और वह सीमांकन निष्पक्ष रूप से, साइंटिफिक रूप से

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

होना नहीं कहा जा सकता । सरकार का ध्यान इस ओर मैं पुरजोर रूप से आकर्षित करना चाहूंगा कि सीमांकन इस लक्ष्य को रख कर करें, कोई चीज संसार में परमानेन्ट नहीं है, पर सीमांकन करने के बाद कुछ वर्षों के लिये कम से कम दो तीन साल तक तो चल सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ।

मैंने बार बार तृतीय विधान सभा के सत्रों में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि वनों के संरक्षण के लिये पत्थरगढ़ी की व्यवस्था होनी चाहिये और मैं कहता हूं भूतपूर्व वन मंत्री माननीय श्री भीखा भाई ने जो कुछ किया एक काम ठीक ढ़ंग से ठीक आधार पर किया तो वह पत्थरगढ़ी कराने की व्यवस्था की है, उसका मैं स्वागत करता हूं । आप वनों को चाहे जहां संरक्षण दें यह संभव नहीं है पर जहां संरक्षण दें वहां निश्चित रूप से आपकी नीति निर्धारित होनी चाहिये कि 5 वर्ष तक इस संरक्षण की व्यवस्था को प्रोत्साहन देंगे, इसके बीच इस व्यवस्था में ऐसी रद्दोबदल नहीं करेंगे कि वनों का एकाएक सम्पूर्णतया ह्रास हो जाय। मैं यह भी सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि कोई न कोई प्रोटेक्टेड वन की व्यवस्था होनी चाहिये । ऐसे क्षेत्र निर्धारित करें कि चाहे वह 5 परसेन्ट, 10 परसेन्ट ही समस्त वन क्षेत्र का हिस्सा हो पर जिस हिस्से को प्रोटेक्शन दें, वहां चराई बन्द करें, वहां कटाई कतई बन्द करें । क्योंकि मेरे खयाल में राजस्थान के जंगल ओवर वर्क है, ओवर एक्स्प्लोइटेड हैं । प्रोटेक्टेड वन हैं उनको दृढ़ता के साथ वास्तविक रूप से प्रोटेक्शन नहीं दे पाते तो मेरे खयाल से कागजी प्रोटेक्शन से तो विशेष हानि हो होगी बनिस्पत लाभ के । अगर प्रोटेक्शन देना है तो मेरा निवेदन है कि कम से कम 5 साल की अवधि मुकर्रर करें कि वहां 5 साल तक चराई, कटाई नहीं होगी । पत्थरगढी के द्वारा वनों को प्रोटेक्शन दें और वनों का संरक्षण करें ।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, घास की समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है । जो नोट सरकार के द्वारा वनों के सम्बन्ध में वितरित किया गया है उसमें यह उल्लेख है कि भारत सरकार द्वारा रकम अनुदान के रूप में प्राप्त नहीं होने के कारण घास के सम्बन्ध में व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई । मेरी समझ में नहीं आता कि, अगर जन सहयोग इस सम्बन्ध में प्राप्त करें, खाद सिस्टम पर घास का संरक्षण कर और आस पास के लोगों को कहें कि आधा हिस्सा अपने मवेशियों के लिये काट कर ले जांय, जितना घास काटें उससे आधा सरकार को दें । उस घास के जखीरे को गंजियों के रूप में रख सकते हैं, और जरूरत के वक्त, अकाल के समय में वह जखीरा हमारे पशुओं के लिये बड़ा कारगर हो सकता है ।

मैंने बार बार सुझाव दिया है कि आदिवासी क्षेत्रों के वनों में फलदार वृक्षों को लगायें, महुआ, आम, पेड़ा, आंवला लगा सकते हैं, मैं तो कहूंगा कि नीबू तक को उगा सकते हैं और जन सहयोग से इस संबंध में सुचारु रूप से, सुन्दर ढंग से व्यवस्था कर सकते हैं ।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यह ठेके की व्यवस्था है, इसको अगर सर्वथा बन्द नहीं कर सकते तो इसको कम कर दीजिये, आधा कर दीजिये । क्योंकि दिन ब दिन ये ठेकेदार अनधिकृत रूप से जंगलों को काटते हैं । अभी मेरे पास शिकायत आई है,

# Page No.71



(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मुझे उस ठेकेदार का नाम मालूम नहीं है पर मैं उनका नाम मन्त्री महोदय को भेज सकता हूं। मैं यह नहीं कह सकता कि यह शिकायत कहां तक सत्य है, मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में जांच करवा लें। देवगढ़ रेंज में कत्थे का ठेका 75 हंडी के लिये दिया गया वहां 375 हंडियां ठेकेदार ने लगाई हैं और चराई के जंगल, बीड़ सब जगह आपा धापी करने के लिये कटाई की है और लाखों रुपयों की कटाई की है।......

श्री गिरधारीलाल व्यास : खान मोहम्मद है नाम उसका।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने तो ठेकेदार का नाम बताया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो माननीय सदस्य श्री गिरधारीलालजी शर्मा ने नाम बताया वही है। मैं भूल गया था, खान मोहम्मद उस ठेकेदार का नाम है।

मुझे मालूम नहीं कहां तक तथ्य है पर मेरी निश्चित धारणा है कि इसमें जरूर तथ्य है, मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इसमें छानबीन करेंगे व इस मामले की पूरी तरह जांच करेंगे। मुझे आशंका है कि जितने ठेकेदार होते हैं उनमें से अधिकांश रूप से सरकारी पक्ष, सरकारी कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करते हैं, भ्रष्टाचार के द्वारा उनको रिश्वत दे देते हैं और उनके सहयोग से सीनाजोरी और चोरी भी करते हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में विचार करके उचित छान-बीन करें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वन्य पशुओं के संरक्षण के बारे में सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। सिरिस्का गेम सेन्चुरी है, वह एक अच्छी गेम सेन्चुरी है, वहां वन्य जन्तु हैं पर वन्य जन्तुओं के सम्बन्ध में मुझे आपत्ति है और वह यह है कि सांसी और कंजरों को गेम सेन्चुरी के बिलकुल पास में बसाया है, वहां कोई खेती की व्यवस्था नहीं है। वे लोग खरगोश तीतर आदि का शिकार करते हैं। मैं मोटे लोगों का नाम तो नहीं लेता पर तीतर और खरगोश आदि का शिकार होकर यहां आता है और होटलों में सर्व होता है। सरकार के नियमों की अवहेलना होती है तो इस संबंध में व्यवस्था की जानी चाहिये। उन सांसी कंजरों को वहां क्यों बसाया गया है, इस सम्बन्ध में सरकार को विचार करना चाहिए। बसाना है तो उनको ऐसे स्थान पर बसाया जाय जहां उनके लिये खेती करने की व्यवस्था हो, उनके लिये रोटी रोजी की व्यवस्था हो सकती हो।

मैंने यह भी सुना कि जय समन्द की गेम सेन्चुरी में ठेकेदार ने कोयले निकाले हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि सरकार को अधिकार नहीं है वह गेम सेन्चुरी का ठेका दें पर रोटेशन से। पर रोटेशन से दसवें हिस्से पर साल में किसी को ठेका दिया जाय तो एक हद तक उचित है पर यह ठेका 1/3 गेम सेन्चुरी का दिया गया, गेम सेन्चुरी का उसने सफाया कर दिया है। इससे गेम सेन्चुरी की सेंक्टिटी पवित्रता में फर्क आया है और इसमें सरकार की व्यवस्था है वह सुचारु ढंग से नहीं चल पायेगी। राजस्थान में आज वन्य जन्तु की संख्या घट रही है। इन वन्य जन्तु को संरक्षण दिया जाना चाहिये। हेडल, चिकारा, काला हिरन,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सांभर-इनको संरक्षण दिया जाना चाहिये। काला हरिण कृष्ण मृग के नाम से सुप्रसिद्ध है सारे विश्व के सुप्रसिद्ध वनों में यह प्रसिद्ध है। इसकी संख्या घट रही है। इसको संरक्षण दिया जाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि काले हरिण को संरक्षण देकर लोगों के खेतों का नुकसान करवा दे पर ऐसे स्थान हैं बीकानेर, जोधपुर में काले हरिणों को संरक्षण दे सकते हैं। जिन क्षेत्रों में विश्नोई रहते हैं, वहां काले हरिणों को संरक्षण दे सकते हैं विश्नोई काले हरिणों को पवित्र जानवर मानते हैं। दूसरे लोगों को कोचर को भी नहीं आने देते, आते हैं तो उन पर आक्रमण करते हैं ऐसे स्थानों में काले हरिण को संरक्षण देंगे तो मेरे खयाल से काले हरिण सुरक्षित रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में मैंने बहुत कुछ कहा है और मैं उन बातों को दुहराना नहीं चाहता। फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूं कि यदि बाड़मेर, जालोर और सिरोही, इन तीनोंकी बस्ती में 14 लाख लोगों के लिये 60 लाख रुपये खर्च किए। उनके मुकाबले में उदयपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में 500 लाख याने 5 करोड़ रुपए खर्च किए। तो यह एक व्यवस्था मेरे ख्याल से ऐसी है जो अखरती है। खास तौर से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच नहीं बिठा सकते हैं तो सरकार की संकीर्ण मनोवृत्ति है और पक्षपात पूर्ण मनोवृत्ति है, जिसका मैं विरोध करता हूं। आप इन राहत कार्यों को जारी रखते हैं तो उनका स्वागत लेकिन उसके साथ साथ आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पक्षपात न हो। केवल मस्टर रोल फार्म्स न भराए जायं और आफिसर्स से यह नहीं कहा जाय कि वे कांग्रेस का प्रचार करें, कांग्रेस का झंडा खड़ा करें और कांग्रेस की जय बोलें और उसके विपरीत लोगों से कहें कि तुम तारे वाले के हो इसलिए तारे वालों के पास जाओ, तुमको राहत कार्य का फायदा नहीं देंगे। यह जनतन्त्र के लिए अच्छा नहीं है। अगर यह चीज होती है तो मेरे खयाल से देश के अन्दर और राजस्थान के अन्दर जनतन्त्र नहीं है, पर भ्रष्ट अधिनायकवाद कहूंगा और मैं उसका विरोध करूंगा।

श्री नारायणसिंह मसूदा (जन स्वास्थ्य मन्त्री): यहां एक ठेकेदार मोहम्मद का नाम आया था, इसकी मुझे जानकारी मिली है। कल तार आया था और माल रोक दिया गया है और इन्क्वायरी के लिए आदेश जारी किए गए हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे कोई लेना देना नहीं है लेकिन मन्त्री महोदय ने जो इस संबंध में प्रकाश डाला है, उसके लिए मैं आभारी हूं। हमारा तो कर्त्तव्य है कि आपसे कहें और आपको जो कुछ उचित लगे व्यवस्था आप करिए। सारा राजस्थान मेरे ख्याल से एक राज्य है। मैं उदयपुर डिवीजन का रहने वाला हूं, वहां राहत कार्य हो तो मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन सारे राजस्थान को एक तरफ रखा जाय और उदयपुर दूसरी तरफ तो उचित नहीं। मैं सिंचाई की व्यवस्था का ही एक उदाहरण दूं कि 40 लाख रुपये सिंचाई के लिए अकेले उदयपुर के लिए और 50 लाख रुपए सारे राजस्थान के लिए यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसका हमें विरोध करना पड़ेगा क्या सूर्य उदय और अस्त होता है तो सिर्फ उदयपुर में ही होता है? क्या दूसरे क्षेत्र महत्व नहीं रखते? यह मुख्य मंत्री

( महारावल श्री लक्ष्मणसिंह )

के लिए भी अशोभनीय व्यवस्था है और इस संबंध में यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम विरोध करें और हम सरकार से मांग करें कि निष्पक्ष कमीशन इस संबंध में बिठाएं। हम एवीडेन्स पेश करेंगे, हम शहादत देना चाहते हैं। मुख्य मन्त्रीजी जब उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने बहस के दौरान कहा कि यदि इस संबंध में कोई निष्पक्ष जांच बिठाई जायगी तो अकाल राहत कार्य की व्यवस्था कोई करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। मैं अदब के साथ निवेदन करूंगा कि उनके विचारों से मैं सहमत नहीं हूं। मैं अपने दल की ओर से····

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री): ऐसा मेरे ख्याल से कहीं भाषण में नहीं आया कि कोई काम करने को तैयार नहीं होगा, आप एसर्टेन करें तो अच्छा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उन्होंने कहा कि अगर इस संबंध में निष्पक्ष जांच जैसी कोई व्यवस्था की जायगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो मेरे खयाल से दीए के नीचे अन्धेरा है। अगर जांच ही नहीं करवानी है तो बहुमत द्वारा जो निर्णय होगा ले सकते हैं लेकिन हमें जो मांग करनी है, वह सिद्धांत की मांग है, हम करते रहेंगे, चाहे आप उसको ठुकरा दें चाहे स्वीकृत करें...

श्री गिरधारीलाल व्यास: आप हमारी डिवीजन को डुबाना चाहते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आदिवासी बस्ती बहुत तीव्र वेग से बढ़ती जा रही है, डूंगरपुर जिले में। 500 प्रतिशत की वृद्धि 60 वर्षों के अन्दर हुई है। आपको अगर परिवार नियोजन करना है तो आदिवासी क्षेत्रों में कुछ न कुछ व्यवस्था करें। प्रचार के द्वारा करें। आप राहत कार्य में जो कुछ खर्च करते हैं, मेरे खयाल से आदिवासियों में कभी खुशहाली नहीं ला सकते जब तक परिवार नियोजन के संबंध में कोई व्यवस्थित ढंग से प्रचार के द्वारा आप कोई ठोस कदम नहीं उठाते··

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह परिवार नियोजन की मांग नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अकाल से यह ताल्लुक रखता है, यह ओवरलैपिंग है। अगर आदिवासी क्षेत्र में अकाल है और दुर्भिक्ष है तो वहां पर खुशहाली लाने के लिए मेरा यह सुझाव है। यदि आप इससे सहमत नहीं हैं, तो आपकी विचारधारा आप व्यक्त कर सकते हैं।

अगर आपको सिनेमा स्लाइड्स के द्वारा प्रचार करना हो तो सिनेमा की व्यवस्था भी जाड़ों में कम से कम न करें। जाड़ों में आदिवासियों के सर पर ठिठुरती सर्दी में शरीर पर वस्त्र नहीं होता तब रात को वे कैसे आकर सिनेमा देख सकते हैं। आपको अगर यह प्रचार करना हो तो जाड़ों में कम से कम न करें और गर्मी के मौसम में ऐसे प्रचार की व्यवस्था करें तो ठीक होगा।

भू-राजस्व के संबंध में हमारे जिले में जो ग्रामदान की व्यवस्था है वह सुचारु ढंग से नहीं चल रही है। लोगों को प्रलोभन दिया जाता है और उनको धोखे के द्वारा ग्रामदान से अन्दर सम्मिलित किया जाता है। अगर धोखे के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा उनको ग्राम दान योजना के अन्तर्गत लिया जाता है तो

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उनको अधिकार होना चाहिए कि यदि वे ग्रामदान से बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं। अगर आप ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करते हैं तो मेरे खयाल से वैधानिक रूप से, सैद्धान्तिक रूप से, जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं, उनसे भी आप उनको वंचित रखते हैं। तो सर्वथा यह अनुचित व्यवस्था है और इसका मैं विरोध करता हूं।

सामान्यतः यह मैंने देखा है कि जो सरकारी कर्मचारी शासनारूढ दल की तरफ से प्रचार करते हैं, उनका 8-8, 10-10 वर्षों तक कोई तबादला नहीं होता है और जो निष्पक्ष रूप से काम करते हैं, उनका 6 महीने या 8 महीने में ही तबादला हो जाता है। तो सामान्यतः आप को यह चाहिए कि 4-5 वर्षों में सभी कर्मचारियों का तबादला करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरे खयाल से वेस्टेड इन्टरेस्ट्स की स्थिति उत्पन्न करते हैं, रिश्वतखोरी उत्पन्न करते हैं और स्वस्थ जनतन्त्र के विपरीत आचरण करते हैं।

कल मैंने अजमेर के कलेक्टर का उदाहरण दिया कि यदि सरकार का इतना हौसला है तो वह मेरी मांग के संबंध में विचार करे। अगर कलेक्टर निर्दोष है और केवल राजनैतिक कारणों से उसका तबादला किया गया है तो उसको कम से कम वापस 6 महीने के लिए बुलाए।

डूंगरपुर जिले के अंदर मैं उदाहरण दूं कि वहां छोटे मोटे पटवारी हैं, उनके नाम भी मैं दे सकता हूं लेकिन गरीब आदमियों की हानि हों ऐसा मैं नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि वे नामजद आदमी हैं। 15-17 सालों से एक ही तहसील में काम कर रहे हैं, क्योंकि वे कांग्रेस के गलत प्रचारक हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास: गलत।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: आपके रेवेन्यू केसेज का जो बैकलाग है, उसमें आपके पेंडिंग केसेज की तादाद घटती नहीं है, बढ़ती जा रही है।

पैन्डिंग केसेज अगर एक साल में 20 हजार थे तो दूसरे साल 30 हजार और चौथे साल 35 हजार हो गये। अगर इस तरह से बढ़ते जावेंगे तो यह शासन के लिए शोभनीय नहीं है। मेरे खयाल से जनता का उत्पीड़न बढ़ेगा।

कम्पेन्सेशन के लिए अवश्य निवेदन करना चाहूंगा। सड़कें बनाते हैं या तालाब बनाते हैं, वे बनें, सड़के और तालाब बनें लेकिन उसके साथ साथ सरकार के द्वारा यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि लोगों को कम्पेन्सेशन (मुआवजा) तुरन्त मिल जाय, उनको मुआवजा तुरन्त चुका दिया जाय। ऐसा नहीं होता है। उसके विपरीत मैंने पाया है माननीय भीखाभाई के क्षेत्र में छः छः वर्ष सात सात वर्ष का मुआवजा चुनाव के एक दिन दो दिन पहले चुकाया गया। यह एक ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था है जो जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा के विपरीत है।

अलाटमेन्ट के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से गांवों की यह स्थिति है कि अलाटमेन्ट की वहां पर कोई गुन्जाइश ही नहीं है। अलाटमेन्ट हो तो आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों को ही भूमि का अलाटमेन्ट हो। अगर किसी गांव में जगह ही नहीं है, बीड़ नहीं है मवेशी खड़े रहें उतनी ही जगह नहीं है तो वहां पर अलाटमेन्ट नहीं होना चाहिये। अलाटमेन्ट हो तो अलाटमेन्ट कमेटी गांव में जाकर अलाटमेन्ट कराये। ऐसा नहीं कि प्रधानजी और अलाटमेन्ट

( महारावल श्री लक्ष्मणसिंह )

कमेटी अलाटमेन्ट जहां करना है वहां से पांच मील दूर बैठकर अलाटमेन्ट कर दे। आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासी लोगों को अलाटमेन्ट होता है तो यह वाजिब व्यवस्था नहीं है और इसकी शीघ्रतम रोकथाम होनी चाहिये। जहां अलाटमेन्ट करने योग्य भूमि कतई नहीं है वहां अलाटमेन्ट अनर्थ करेगा यह मेरी निश्चित धारणा है।

लेवी के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की आवश्यकता है 37 लाख टन, आप लेवी में 20 हजार टन प्राप्त करके क्या करेंगे? यह तो काश्तकारों का उत्पीड़न है। आप खर्चा भी इस पर करेंगे और जो इससे लोगों का उत्पीड़न होगा उसके मुकाबले में आप 20 हजार टन अन्न प्राप्त करेंगे वह कम्पन्सेट भी नहीं करेगा। यह आपकी वृथा योजना है। मैं लेवी के सिद्धान्तः विरुद्ध रहा हूं। काश्तकारों पर नाना प्रकार के कर लगाये हुए हैं। राजस्थान के किसान पर आपने इतने कर लगाये हैं कि भारतवर्ष के किसी भी प्रान्त में किसानों पर इतने कर नहीं होंगे। उस पर फिर आप लेवी लगाते हैं तो यह अत्याचारी व्यवस्था है और मैं इसका सख्त विरोध करता हूं।

मैं समझता हूं, किसान जो गांधीजी का प्रिय है और जिसको हमारे नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने प्राथमिकता दी है उसको सबसे ज्यादा आजादी दी जाय, वह देश की रीढ़ की हड्डी है, वह सच्चे रूप से देश का अन्नदाता है। लगान से उसको मुक्त करते हैं तो बजट में व्यवस्था की है वह कतई अप्राप्य है। तीस एकड़ भूमि तक आजाद करे लगान से, आज नहीं तो लक्ष्य बनाकर आजाद करें, सीलिंग की सीमा तक आजाद करे लगान से। लगान वसूली की पुरानी व्यवस्था केवल भारतवर्ष में ही है, अन्य सभ्य देशों ने इसको छोड़ दिया है, उनके अनुसार भी और एक सभ्य सरकार के नाते भी किसानों को आजादी देनी चाहिये। उसको ऋण मुक्त करें इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री गिरधारीलाल व्यास: कट मोशन के लिहाज से समय मिल रहा है या कैसे? इसका कोई आधार है? आपने कोई लिस्ट बना रखी है?

श्री उपाध्यक्ष: व्यवस्था यह रखी गई थी कि हरएक दल को समय दिया जाय। कांग्रेस दल को 1 घंटा 45 मिनिट, स्वतंत्रपार्टी को 1 घन्टा, जनसंघ को 40 मिनिट, अन्य दलों को 20 मिनिट 25 मिनिट सुविधानुसार।

श्री मनोहरसिंह मेहता: निर्दलियों का?

श्री नाथूलाल करोल: कट मोशन पर तो समय दीजिये बोलने का। जनरल बहस पर भी समय नहीं दिया बोलने का।

श्री उपाध्यक्ष: रामानन्दजी के 16 कट मोशन्स हैं।

श्री गिरिधारीलाल व्यास: रामानन्द जी का नम्बर आये उस वक्त दें।

श्री उपाध्यक्ष: दल के अनुसार दिया जायगा।

श्री नाथूलाल: पहले भी हम को समय नहीं दिया गया।

# Page No.76



**श्री विजयसिंह रावत** : मेरा नम्बर आता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपके दल को एक घंटे का समय दिया है, उसमें से आपको समय मिल जायगा।

**श्री दुर्गालाल बाढ़ दार** : थोड़ा 2 समय दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : इस समय में जितने माननीय सदस्य बोल सकेंगे बोल लेंगे। यह मेरे हाथ की बात नहीं है। बहुत लम्बा समय लगे तो सब माननीय सदस्यों को यह अवसर नहीं मिल सकेगा।

**श्री नाथूलाल** : बजट पर टाइम नहीं दिया बोलने का, अब तो हमको मिलना चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य यह कैसे मान कर चल रहे हैं कि उनको समय नहीं मिलेगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्षजी मैंने राजस्व के संबंध में, दुर्भिक्ष सहायता के संबंध में तथा वन विभाग के संबंध में कुछ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको दस मिनिट का समय मिलेगा उसी अनुसार आप अपना भाषण करें।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अभी अध्यक्ष जी ने कहा था कि कम से कम 25 मिनिट।

**एक माननीय सदस्य** : आपने 5 मिनिट यों ही निकाल दिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऐसा नहीं किया है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : माननीय अध्यक्षजी ने 25 मिनिट की व्यवस्था की है, मैं फिर नहीं बोलूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : 20 से 25 मिनिट तक दूसरे दलों को भी दिया जावेगा। साथ में यह भी कह दिया था कि बोलने वाले जितने माननीय सदस्य होंगे उसके अनुसार समय का बंटवारा करने का अधिकार आसन को होगा।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : अधिक से अधिक कटौती प्रस्ताव रामानन्दजी के हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप माननीय सदस्य चाहते हैं कि सबको समय मिले। पांच मिनिट का समय तो इसी में ही चला गया। यदि समय का सदुपयोग करें तो ज्यादातर माननीय सदस्य बोल सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्षजी, सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं भूमि सुधार, लैंड रिफोर्म्स के बारे में। राजस्थान सरकार यह मानकर बैठी है कि भूमि सुधार कर दिया है और अब भूमि सुधारों को फीज कर दिया जाय और आगे भूमि सुधार किये न जायं। सरकार ने रेवेन्यू लाज कमीशन मुकर्रर किया था उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और डिसेन्टिंग नोट दूसरे माननीय सदस्यों ने दिये हैं उसके आधार पर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नम्बर 1 कुछ कानून सरकार ने पास किये उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती। जिसकी वजह से जो भी लैंड रिफार्म्स किये थे वे ना के बराबर हैं। इसीलिये यह जरूरी है कि उस दिशा में कदम उठाये जायं।

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

उपाध्यक्षजी, लैंड युटिलाइजेशन एक्ट, 1954 पास किया था। उसके तहत आज तक राजस्थान में एक भी केस ऐसा नहीं है जिसके अन्दर कोई एक्शन लिया हो। इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय 67,000 एकड़ भूमि ऐसी है जो एक साल से अधिक फालो रहती है और रिपोर्ट यह है कि इस दौरान में 53,54 के बाद जब से लैंड रिफार्म्स शुरू हुए हैं 61-62 तक 26 परसेन्ट की फालो रखने की बढ़ोतरी हुई है। वे लोग रखते हैं जो एक्स जागीरदार थे या जो बड़े बड़े खातेदार हैं जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं। और इससे नेशनल वेस्ट हो रहा है। जमीन के वे मालिक बन बैठे हैं। काश्त किसी को करने देते नहीं। करेंगे तो वे समझते हैं कि उनके अधिकार चले जावेंगे। इस तरह सारी राजस्थान की जमीन का 33 परसेन्ट कल्टीवेबल लैंड फालो रहती है। तो इस ओर ध्यान देकर लैंड रिफार्म्स करने की जरूरत है।

जिन लोगों की जमीनें दो साल से अधिक फालो रही है, जिन लोगों ने दो साल से अधिक समय से काश्त नहीं की है, इन जमीनों को सरकार को अपने कब्जे में ले लेना चाहिये और उसे भूमिहीनों को अलाट कर देना चाहिये। और दो साल से अधिक को उनके राइट्स खत्म करके भूमिहीनों को दे दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से इन्टरमीजियरी जो खत्म करने की बात आप पहले कहते थे, वे खत्म नहीं हुए और दूसरे पैदा हो गये, पर इस तरह से वे भी खत्म हो सकते हैं।

आज तो सब-लैटिंग बड़े पैमाने पर चल रहा है। पांच साल तक का कानून में प्रावधान था। लेकिन अब जो आंकड़े हैं पांच साल से बहुत ज्यादा अरसे के हैं, 58 परसेंट सब-लेटिंग पांच साल से ज्यादा के है। ऐसे लोगों के खातेदारी राइट्स खत्म हो जाने चाहिये। और जो सबटीनेन्सी में काश्तकार काश्त करते हैं उनको खातेदारी हुक्म देकर उनको खातेदार घोषित कर दिया जाना चाहिये। ताकि जोतने वाला किसान जमीन का मालिक बन सके।

इसी तरह से जो कल्टीवेबल वेस्ट लैंड है अलाटमेंन्ट के लिये उसे अलाट कर दिया जाना चाहिये। ऐसी लैंड 1 करोड़ 66 लाख एकड़ पड़ी है। ऐसा नहीं है कि यह रेगिस्तान में पड़ी हो। साउथ ईस्ट हिस्से में 60 लाख एकड़ पड़ी है। तीसरी योजना में इसमें से केवल 10 परसेंट लैंड अलॉट की गई है, 29 लाख एकड़ जमीन अलाट की गई है। अगर इसी स्पीड से आप चले तो हमें 40 वर्ष अब और लगेंगे इस सारी जमीन को अलाट करने में।

अगर सरकार अन्न उत्पादन के लिए सिन्सियर है तो उसे वार फुटिंग पर इस काम को करना चाहिये। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को जुटा कर एक साल में इस सारी जमीन को अलाट कर देना चाहिये ताकि अन्न का उत्पादन बढ़ सके और भूमिहीन लोगों को इसमें काम करने का मौका मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ प्रोब्लम्स हमारे अलवर जिले की हैं जिनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा।

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

सन् 47 में पार्टीशन के वक्त जो मुसलमान लोग जमीन छोड़ कर चले गये थे उनको बीस वर्ष हो गये, उन पर जो लोग काश्तकर रहे हैं टिनेन्सी एक्ट के अनुसार उनको खातेदारी राइट दे दिये जाने चाहिये थे, 15 अक्टूबर को जो काबिज थे उनको खातेदार करार दे दिया जाना चाहिये, जो 47 से थे 55 तक वे आठ साल में खातेदार बन जाने चाहिये थे पर आज तक वे ऐसा नहीं कर पाये, 15-9-62 को आश्वासन दिया था माननीय मुख्य मन्त्री ने। पर मुझे खेद है वह आश्वासन भी पूरा नहीं हुआ। हम भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं और जब तक वहां से कुछ निर्णय नहीं हो जाता तब तक कीमत भी वसूल नहीं की जावेगी। मुझे खेद है कि ऐसे आश्वासन की पूर्ति नहीं होती। मुझे आशा है अब भी यह आदेश तुरन्त निकाल दिये जावेंगे और इसके अलावा कीमत की वसूली भी रोक दी जावेगी। इसी तरह कानून के नाम पर उसके अन्दर बड़ी गड़बड़ी हुई है।

मेरी कान्स्टीटयूएन्सी में इस प्रकार के 20 हजार केस होंगे जिसमें मेरी जमीन उसके नाम कर दी और उसकी मेरे नाम कर दी। एक एक केस के लिये कम से कम 100 रुपये खर्च होते अगर अपील करें कोर्ट में और इस तरह बीस हजार केसों में 20 लाख रुपया किसानों को खर्च करने पड़ जावेंगे। केवल एक तहसील में सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि इस पर सरकार विचार करेगी। मुझे उम्मीद है सरकार इस पर विचार करेगी।

बहुत सी खातेदारियां हैं जिनमें बहुत गड़बड़ियां है। एडवाइजरी कमेटी आपने मुकर्रर की है। पर वह इनइफेक्टिव हैं। अलॉटमेंट के रूल्स के तहत वे अपने फैसले लागू नहीं करवा सकते। मर्जी तहसीलदार की, पटवारी की जो इन जमीनों को खाली डिक्लेअर कर दें, अलॉटमेंट कर भी दिया तो खसरा नम्बर नहीं। यह जिम्मेदारी पटवारी के हाथ में रह जाती है। पजेसन तो उनके हाथ में हो सकता है तो इस तरह से एडवाइजरी कमेटी के बावजूद उनके फैसले चलते नहीं। कुछ रिकमेण्डेशन की हैं तो वे अलॉटमेंट एस.डी.ओ. है और ओथोरिटी है उनके लिए अलाटमेंट कराया जावे तो इसमें यह जरूरी है।

वन विभाग के बारे में निवेदन करूं। फोरेस्ट एक्ट है उसकी तहत जो रूल्स बने हुए हैं वे बहुत पुराने जमाने के हैं। बहुत पुरानी मान्यताओं के आधार पर आधारित हैं। इसलिये उनमें संशोधन करने की आवश्यकता है। एक रूल की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाऊं अगर किसी को वहां से लकड़ी ले जाना हो तो ट्रान्जिट पास होना चाहिये। अगर जयपुर शहर में भी जौहरी बाजार से सिविल लाइन में जाना चाहे लकड़ी लेकर तो उसको ट्रान्जिट पास लेना चाहिये। अगर आप घर में इन्धन जलाने के लिये लकड़ी ले जाते हैं और फोरेस्ट गार्ड या अफसर के नजर में आ जावे तो आपका चालान हो सकता हैं। तो इस तरह से इस प्रावधान का दुरुपयोग करके उनका चालान किया जाता है। सीमा का ध्यान नहीं रहता। फोरेस्ट की सीमा खत्म हो जाने के बाद भी लकड़ी लाने वाले का आते ही चैकिंग होता है और अगर इसमें कोई किसी की मदद पर आया, अगर किसी आदमी ने अपनी औरत की मदद के लिये उससे बोझा ले लिया तो उसका चालान भी कर सकता है। वे यह कह सकते हैं कि

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

जिसके नाम में पास हो वही लाने वाला होना चाहिये। जंगल की सीमा निकलने के बाद दस मील बाजार या गांव तक भी उसे ही लाना चाहिये। अगर जंगल की सीमा निकलने के बाद भी किसी ने किसी को बोझा बदलने में मदद कर दी तो वह कानून का मुजरिम बन जावेगा। उसका चालान होगा और उस पर जुर्माना भी किया जायेगा। इस प्रकार की दिक्कतें जंगल महकमे की तरफ से हो रही हैं। इस बारे में एक पर 30 जुर्माना कर दिया। अब चालान अगर अदालत में जाता है तो और भी दिक्कत होती है। 30 से ज्यादा खर्चा वहां हो जाता है इसलिए वे सोचते हैं कि चलो 30 देकर अपना पिण्ड छुड़ाओ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी अव्वल तो रूल्स में तब्दीली की जरूरत है और तब्दीली नहीं हो तब तक भी मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इसका इन्टरप्रिटेशन लिबरेली सेन्सीबल तरीके से और व्यवहारिक तरीके से किया जाये और इसका चैकिंग फोरेस्ट डिपार्टमेंट वाले अपनी सीमा के अन्दर ही करें, सीमा से बाहर इस तरह का चैकिंग करना और चालान करना खत्म किया जाये।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, जो बन्दोबस्त किया गया है उससे जिन किसानों का पहाड़ों के ऊपर अधिकार था और जंगलात के ऊपर अधिकार था उनके अधिकारों का पूरे तरीके से हनन किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जो बन्दोबस्त किया गया है उसका लोगों को पता नहीं चला कि उन्होंने कहां तक सीमा रख ली इसका भी लोगों को पता नहीं चला और जब अपील की मियाद निकल गई तो अब दीवार बनाना शुरू किया है और लोग ऐतराज करते हैं तो उनको कहते हैं कि आपने अपील क्यों नहीं की अब तो मियाद निकल गई है। लोगों को तो जब दीवार खींची जाती है तो किसानों को पता लगता है कि अब बन्दोबस्त हुआ है। तो ऐसी हालत में लोगों को अपने मवेशियों को चराने का अधिकार था, घास लाने का अधिकार था, लकड़ियां लाने का अधिकार था यह सब अधिकार खत्म कर दिये गये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बड़े असंतोष का कारण है और वन विभाग को चाहिये कि इस बन्दोबस्त के प्रश्न पर दुबारा विचार करें और जहां शिकायतें हों वहां सरसरी तरीके से उसको री-ओपिन किया जाये और किसानों के जो पुराने राइट्स हैं उनको री-एस्टेब्लिश किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री देवीदत्त गाडिया।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भू-राजस्व से संबंधित, दुर्भिक्ष से संबंधित और वन विभाग से संबंधित कटौती प्रस्ताव रखे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह विश्वास था कि पानरवा कांड के बाद राजस्थान के अन्दर कोई भी जंगल से संबंधित काण्ड नहीं होगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह पानरवा काण्ड जिसमें अब्सा अली शामिल था और जिसके कारण यह काण्ड हुआ, आज राजस्थान के अन्दर कोटा जिले के बारां क्षेत्र के अन्दर उस पानरवा काण्ड के साथ साथ एक बहुत बड़ा काण्ड हुआ जिसको छतरगंज का काण्ड

( श्री दैवीदत्त )

कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस काण्ड के अन्दर जहां उदयपुर के अन्दर अब्बास अली बोहरा था वहां इस क्षेत्र के अन्दर इस काण्ड का हीरो है जामा बोहरा और मुझे ऐसा लगता है कि इस काण्ड का रिश्तेदार भी उस काण्ड के रिश्तेदार से संबंधित है। यह जो काण्ड है यह एक जमींदारी का काण्ड है और छतरगंज का एक जमीदार श्री जयपाल सिंह जो कि बम्बई में रहता है जिसको संवत् 2015 के अन्दर खुदकाश्त के अन्दर 2 हजार बीघा जमीन मिली थी और उसके साथ ही साथ 423 बीघा जमीन पहले इनके पास थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस जमीन के अन्दर इनको खुद काश्त करने का अधिकार था और इसके साथ ही साथ जमींदारी एक्ट के अन्तर्गत इस जमीन को बेचने का उसको कोई अधिकार नहीं था। लेकिन इस जामा बोहरे ने जमींदार से जिस समय जमींदारी प्रथा समाप्त हो रही थी उस समय इस ने बहुत बड़ा षडयंत्र रचकर पुराने स्टाम्प्स लेकर जमीदारी को 21 हजार रुपये में खरीदा और पुराने पांच हजार के स्टाम्प्स पर लिखवाकर उस जमीन को 2 हजार से 20 हजार बीघा जमीन करवाई और इस प्रकार से; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस 20 हजार बीघा जमीन या जिसको जंगल कहें जिसके अन्दर लाखों की सम्पत्ति थी 21 हजार रुपये में खरीदकर और एक बड़ा भारी षडयंत्र रचकर उसको अपने कब्जे में किया माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस जंगल से इस जामा बोहरे ने अब तक, मैं आपकी सूचना के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ६। लाख का कोयला उस जंगल से बनाकर बेचा, उस इलाके के अन्दर ६ लाख की लकड़ियां बेची और 2 लाख का कत्था उस जंगल से तैयार करके बेचा इस प्रकार से उसने कुल मिलाकर करीब 14 लाख की सम्पत्ति अर्जित की 21 हजार में उस जंगल ने खरीदकर और 5 हजार के पुराने स्टाम्प से खरीदकर। इसको जंगलात विभाग ने रोका तो इसने हाईकोर्ट की शरण ली। वह पहले रेवेन्य बोर्ड के अन्दर गया और रेवेन्यू बोर्ड से मिलकर इसने अपने केस को हाई कोर्ट में जाने के लिए संबंधित फाइल को रोके रखा और जंगलात विभाग को हस्तक्षेप नहीं करने दिया और उस समय के मिनिस्टर को 10 हजार की रिश्वत देकर अपने केस को दबाये रखा। इसके साथ ही साथ जहां छतरगंज के जंगल को साफ किया उसके साथ ही साथ विलास का जंगल है, उसकी 17 हजार बीघा जमीन के ऊपर भी कब्जा किया। और उसको 28 हजार रुपये में खरीदा और तीन हजार की रजिस्ट्री कराई और जिस छतरगंज के जंगल को पुराने स्टाम्प पर लिखवा कर खरीदा उसकी आज तक कोई रजिस्ट्री नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किशनगंज और शाहबाद के इलाके में अभी तक करीब 35 जमीदारियां हैं जिसमें से आज भी कई जमीदारों के मामले अधर लटक रहे हैं। सन् 59 के अन्दर जब जमीदारी खत्म हो जानी चाहिए थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के राजकीय अधिकारी जिसमें जिला स्तर के अधिकारी भी हैं उन जमीदारों के मामलों को निपटाना नहीं चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! आप कृपा कर अपने कटौती प्रस्तावों पर

( श्री उपाध्यक्ष )

ही जो आपने दिये हैं, बोलें। आप विषयांतर बोल रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, जमींदारी के मामले हैं और उन पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से उस इलाके के अन्दर आज करीब 30-35 जमींदारियां हैं।

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक क्लेरीफिकेशन चाहूंगा। सदन के जो विरोधी दल के नेता थे उनके जब कटौती प्रस्ताव आये तो वह सब चीजों पर बोले हैं। तो या तो वह सब के लिए चीज हो।

श्री उपाध्यक्ष : आपने क्या कहा मैंने सुना नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा टाइम जा रहा है।

श्री पी० के० चौधरी : आपने कहा कि कटौती प्रस्ताव के ऊपर ही रहें। लेकिन विरोधी दल के नेता ने भाषण दिया तो उन्होंने कटौती प्रस्ताव के अलावा भी दूसरे विषय पर भाषण दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नियमों की बात कह रहा था। नियमानुसार जो कटौती प्रस्ताव हैं तीन विषयों पर उसी के ऊपर ही बोलना चाहिए। पहले अगर कोई माननीय सदस्य विषयान्तर हो गये थे और वह बात उनके ध्यान में नहीं लाई गई तो अलग बात है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बराबर विषय से बाहर बातें चलती रहें। यह डिबेट के हिसाब से भी ठीक नहीं है और जो बात माननीय सदस्य कहना चाहते हैं वह कह भी नहीं सकेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : मेरा निवेदन यह नहीं है कि उसके बाहर कहें। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि उसको रिजिडली इम्पलीमेन्ट किया जाये यह नहीं हो कि एक सदस्य के लिए किया जाये और दूसरे के लिये एग्जम्प्शन दिया जाये।

श्री देवीदत्त गाड़िया ; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जंगल का कहना है इसके अन्दर और भी जमींदार हैं जैसे तापड़ीखेड़ा, गरडा है। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। राजकीय अधिकारी और रेवेन्यू बोर्ड हस्तक्षेप करते हैं और हजारों रुपया खाकर वह मामलों को सुलझाना नहीं चाहते हैं।

एक प्रश्न और है कि वहां 1963-64 के अन्दर बारां क्षेत्र से वन विभाग ने 3 लाख 21 हजार 355 रुपये का अकाल के लिए घास खरीदा था उसके अन्दर करीब 50 हजार रुपए का गबन और घोटाला था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है और उसके अन्दर जो वैगन्स की लदाई की गई थी बीकानेर और बाड़मेर के अन्दर जो घास भेजा गया था उसके अन्दर बारां क्षेत्र के मजदूरों के लिए घास के वैगन भरने के 10-10 रु० के वाउचर्स बनाये गए और उनको 5-5 रुपये का भुगतान किया गया ....

(2 म.प.)

माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से घास की बंधाई, घास की लौडिंग, ट्रकों के

# Page No.82



(श्री देवीदत्त)

अन्दर घास की भराई के अन्दर गम्भीर मामले हुए हैं। इसके अन्दर 50 हजार के घोटाले हुए हैं और उसकी जांच हुई है। जांच के अन्दर, मेरी समझ में नहीं आता कि एक बार उसकी जांच एण्टी-करप्शन डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है और उसकी जांच सी० एफ० कोटा के द्वारा की गई जो स्वयं इसके अन्दर थे। इस प्रकार एण्टी करप्शन के द्वारा जांच होने के बाद दुबारा जांच सी० एफ० के द्वारा की गई और उस घास कांड की जांच कोटा के डी.एफ. ओ. ओमप्रकाश पारीख करने जा रहे हैं। जिस कांड की जांच एण्टी-करप्शन वाले कर चुके, जिसकी जांच कोटा का सी.एफ. कर चुका है उसी जांच को अब कोटा का डी. एफ.ओ. कर रहा है। यह जांच किस प्रकार से की जा सकती है। कोटा सी.एफ. के खिलाफ उसके नीचे का अधिकारी डी.एफ. ओ. कैसे जांच कर सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। इस प्रकार से क्यों इस घास काण्ड को दबाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस घास काण्ड में श्री ओ. पी. पारीख को, अच्छा तो यह होता कि इसको सस्पैंड किया जाता, उसको निलम्बित करके आज उसको जेल की सींखचों में रखा जाना चाहिए था लेकिन मेरे पास ऐसे प्रमाण है, मेरे पास उन मजदूरों के एफिडेविट हैं कि जिन्होंने कहा है कि हम से दस रुपये की रसीदें करवा कर हमको पांच रुपये दिए हैं। मेरे पास उन मजदूरों के वाउचर हैं, उन मजदूरों के स्टेटमेंट है जिन्होंने एक एक चीज के अदालतों में बयान दिए हैं। मैं समझता हूं कि उस घास काण्ड के हीरो ओ. पी. पारीख को निलम्बित किया जाना चाहिए था लेकिन हुआ क्या है। यह राजस्थान का भ्रष्टाचारी शासन जिसके अन्दर जो सी.एफ. थे वे बड़ी बड़ी रिश्वतें लेकर उसे आई.एफ.एस. में सलेक्शन करके लेना चाहते थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसकी सर्विस बुक के अन्दर यह रिमार्क लिखा हुआ हो, जिस आई. एफ. एस. के फार्म में यह लिखा हो कि जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच हो रही हो उसको सलेक्शन में नहीं लिया जाना चाहिए लेकिन जिन व्यक्तियों के खिलाफ जांच थी जो अन्य डी. एफ. ओ. थे उनके लिए तो यह कहा गया कि उनके खिलाफ जांच है और यह कह के उनको कंसीडरेशन में नहीं रखा जाता है लेकिन बारां के डी.एफ.ओ. श्री ओ.पी. पारीख का नाम सलेक्शन में अण्डर कंसीडरेशन रखा गया, इसका एकमात्र कारण है एडीशनल चीफ सेक्रेट्री की महरबानी। और जोइन्ट इन्क्वायरी, जिसके अन्दर ओ.पी. पारीख, बी.एम. अग्रवाल और दूसरे कर्मचारी, किशनलाल और पुरुषोत्तम थे, उस जोइन्ट इन्क्वायरी में से इसे निकाला जा रहा है बड़े नाटकीय ढंग से। एडीशनल चीफ सैक्रेट्री ने उसको जोइन्ट इन्क्वायरी से अलग करके उसके कागजात मंगाए और उसके लिए कहा कि इसकी अलग से जांच की जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो डी.एफ.ओ. किसी गम्भीर मामले में इन्वोल्ड हो, जिसके ऊपर गम्भीर चार्ज हो, जो स्वयं उस बारां घास डिपो का कस्टोडियन हो, जो कि स्वयं वहां का ड्राईंग और डिस्बर्सिग आफिसर था, इसके साथ साथ जो अकाउन्टेंट की फार्मलिटीज को स्वयं करता था। जो चैक स्वयं काट कर दिया करता था और जिसको अकाउण्ट को चैक करके मनी डिस्ट्रिब्यूशन का अधिकार था, इस प्रकार की अनियमिताएं जिस डी.एफ.ओ. के द्वारा

# Page No.83



( श्री देवीदत्त )

की गई हों, घास को खरीदने का जो काम था वह भी उसके द्वारा किया गया, वह स्वयं गया था घास की खरीद करने के लिए और स्वयं ने ही पेमेंट किया था, इस प्रकार के गम्भीर चार्जेज जिसके खिलाफ हों कि जिसने रोकड़, स्याही से लिखे हुए अक्षरों को मिटाने की कोशिश की, रबर के द्वारा मिटाने की कोशिश की जिसके प्रमाण आज भी रिकार्ड में मौजूद हैं, इस प्रकार के अधिकारी का आई.एफ. एस. में सलेक्शन करने की चेष्टा की जाती है तो यह बहुत अन्याय-पूर्ण बात राजस्थान की जनता के साथ होगी और दूसरे अधिकारियों के साथ भी पक्षपात होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, बारां निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर एक ग्राम है पाल बोंबरा ग्राम। एक ओर तो कहा जाता है कि राजस्थान के अन्दर पानी की बहुत कमी है। कहते हैं कि इंसानों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, मवेशियों को पानी नहीं मिलता और पानी के लिए जो तालाब हैं उनका सुधार किया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस ग्राम के अन्दर एक तालाब है जिसके अन्दर 50 60 या 65 बीघा जमीन हैं जहां पर कि इंसान और मवेशी पीने के लिए पानी प्राप्त करते हैं। इस तरह की जमीन को और इस प्रकार के नाटकीय ढंग से बारां के एस.डी. ओ. ने और कोटा के जिलाधीश महोदय भी उसमें शामिल है, बड़े ही नाटकीय ढंग से उस जमीन को नीलाम किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले इस जमीन की नीलामी के अन्दर उस गांव के किसानों ने 24 हजार रुपये लगाए और उन्होंने चौथान के रूप में छः हजार रुपये भी जमा करा दिए। उस जमीन की दुबारा नीलामी की गई वहां के किसानों से उसका 36 हजार रुपया लगाया गया और उसकी चौथान में साढ़े आठ हजार रुपया भी जमा कराया लेकिन उन दोनों को पजेशन नहीं दिया गया और तीसरी बार नीलामी बड़े ही रहस्यमय ढंग से की गई अपने बन्द कमरे में एस. डी.ओ. के द्वारा। जो पहले नीलामी लगाने वाले थे उनको कोई इत्तला नहीं दी गई और तीसरे ही आदमी गोपीलाल छींपा को तीन हजार रुपये रिश्वत के लेकर बिना पहले नीलामी लगाने वालों को सूचना दिए उस जमीन को नीलाम कर दिया गया और 38 हजार में उस जमीन को देकर उसका चौथान जमा करा लिया गया और तुरन्त ही उसका पजेशन भी दे दिया गया। वहां के गांव के लोगों ने दरख्वास्तें दी जिलाधीश को कि हमारे पीने के पानी का साधन यह तालाब ही है और तालाब से यदि पानी नहीं मिलेगा तो मवेशी और इंसान प्यासे मरेंगे। यद्यपि उस इलाके में चम्बल की नहर है और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बात सही है कि उस नहर के अन्दर हमेशा पानी नहीं रहता। गर्मी के अन्दर मवेशी पानी के बिना मरेंगे ही लेकिन उस इलाके के इंसानों को भी पानी नहीं मिलेगा। इसके लिये मैंने एक तार मुख्य मन्त्रीजी को 15.5.67 को दिया। मैंने तार से सूचना दी कि इस प्रकार से जो जमीन की नीलामी की जा रही है उसको रोका जाय। मेरे पास एक लेटर सम्बन्धित विभाग के सहायक अधिकारी का आया है और उसमें यह बात लिखी है कि नीलामी से संबंधित कागजात तुरन्त भेजे जांय और तब तक नीलामी को स्थगित रखा जाय। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति ने उस जमीन का कब्जा ले लिया, जमीन को पा लिया और यह

( श्री देवीदत्त )

आदेश रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। क्या कारण है कि एक ओर नीचे के अधिकारी आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते और दूसरी ओर यह व्यक्ति जमीन को फोड़ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी ही बात नहीं है। इसके साथ साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं.........

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कौन सा तालाब?

श्री देवीदत्त गाड़िया : भाल बोंबरी तालाब, मांगरोल तहसील में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिलाधीश ने सन् 65 के अन्दर किसानों से गल्ला वसूली की थी और उन्होंने कुछ व्यापारियों की एक सोसायटी बनाई थी। वह सोसायटी रजिस्टर्ड भी नहीं थी। इसके अन्दर कुछ चार पांच व्यापारी जो कलेक्टर के मुंह लगे हुए थे, उन्होंने कलेक्टर के साथ मिलकर सांठ-गांठ की और उन्होंने एस. डी. ओ. को आर्डर दिया कि इस मंहगाई को रोकने के लिये और जनता को सस्ता गल्ला दिये जाने के लिए वह किसानों से सीधा गल्ला खरीदें और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि तहसीलदार ने और एस. डी. ओ. ने अपने अधिकारों का उपयोग करके और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर से सांठ गांठ करके तीस हजार बोरी बारदाना नीलीधारी का••—

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! यह मांगे भू-राजस्व, दुर्भिक्ष और वन विभाग से से सम्बन्धित हैं। उनमें आपके जो कटौती के प्रस्ताव हों उसके बारे में आप कहें तो ठीक है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उन्ही के बारे में कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इधर उधर से घुमा फिरा कर आप उनका नाम ले लें तो वह सम्बन्धित नहीं हो जाता है। जो आपने कटौती के प्रस्ताव दिए हैं उन्हीं के ऊपर आप वाद-विवाद करेंगे तो मंत्री महोदय उसका जवाब दे सकेंगे और जिस बात को आप कहना चाहते हैं उसका उत्तर भी मिल सकेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती के प्रस्ताव में लिखा है कि जिला स्तर के अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके •••

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, जनसंघ पार्टी को आपने चालीस मिनिट का समय दिया है और इन माननीय सदस्य ने ही 25 मिनिट ले लिए हैं तो क्या दूसरे सदस्य नहीं बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : चालीस मिनिट का समय है, अब इसको एक माननीय सदस्य लें, दो लें, तीन लें, यह उन माननीय सदस्यों के देखने की बात है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरे पांच मिनिट तो इन्होंने ही ले लिये हैं। ये बार बार बाधा डाल रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव के आधार पर ही बोल रहा हूं उन्होंने बीस हजार बोरी गल्ला इकट्ठा किया और वह गल्ला किसानों से जो कि ए क्वालिटी का गेहूं था जिसका भाव उस समय 61 रुपये का था, उसे किसानों से 55 रुपये के भाव में खरीदा और 55 के भाव के दाम दिये और वह गल्ला किस प्रकार से वितरित हुआ, उस गल्ले को किसने बेचा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं, सरकारी अधिकारियों ने•••••

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : जैसा आपने फरमाया, इस बात का मैं तो जवाब नहीं दे सकूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस सम्बन्ध में व्यवस्था देना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य असंगत बातें कहें कटौती प्रस्ताव से, उसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय को उसका उत्तर देना भी नहीं चाहिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी अधिकारियों ने टी.ए.,डी.ए. उठा लिया...

श्री उपाध्यक्ष : आपके इस वाद विवाद से कोई मतलब निकलने वाला नहीं क्योंकि इसका माननीय मंत्री उत्तर देने वाले नहीं है। अतः आपने जिस विषय से कटौती के प्रस्ताव रखे है उन्हीं के बारे में बोलें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उस इलाके अन्दर भूमि वितरण में बड़ा पक्षपात हुआ है, सरकार कहती है कि हम पिछड़ी जाति के लोगों का उत्थान कर रहे हैं उनको हम भूमि वितरण करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, नारेड़ा गांव के पच्चीस तीस पिछड़ी जाति के किसानों ने गये चार सालों से सरकार की पड़त भूमि पर काश्त करते आ रहे हैं उनको लगातार ट्रेस पासर जारी करने के बाद आज तक उनसे दो हजार रुपया जुर्माना वसूल कर लिया है। इतना ही नहीं सन् 66 में उप जिलाधीश महोदय ने किसानों को जमीन अलॉट की, तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियों द्वारा जमीन अलॉटमेंट के नाम पर पिछड़ी जाति के किसानों से 3500 रुपया रिश्वत का ले लिया और कह दिया कि जमीन तुम्हारी हो जायगी। वह रकम ऊपर तक नहीं पहुंच सकी तो एस.डी.ओ. ने वह अलॉटमेंट पिछड़ी जाति के लोगों के नाम कैंसल कर दिया और उनको ट्रेसपासर नियुक्त कर दिया। आज जब कि जमीन फिजूल नहीं पड़ी रहने दी जानी चाहिए लेकिन जब पिछड़ी जाति के किसानों ने उस जमीन का उपयोग किया तो उनको ट्रेसपासर घोषित किया इस तरह से उन किसानों को उनकी जमीन से महरूम किया जा रहा है।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार पटवारी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा नहीं देती उनको टी.ए., डी.ए. बराबर नहीं मिलता उनका अलाउन्स बड़े २ अधिकारी ले लेते हैं। आज बढ़ती हुई महंगाई में एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी अपना पेट नहीं भर सकता, उनको चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती, टी.ए. नहीं मिलता, उनको ट्रेवलिंग अलाउन्स जरूर मिलना चाहिये इस तरह से कटौती के प्रस्ताव को रखते हुए मैं सरकार का ध्यान उन बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव बांसवाड़ा जिले के अकाल के बारे में और फोरेस्ट के बारे में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में आज भी भयंकर दुष्काल है और वहां की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है, पिछले दो वर्षों के अन्दर सरकार ने जो पैसा खर्च किया है वह ठीक है फिर भी वहां मजदूरों को समय पर पैसा नहीं मीलता है। इस साल तो स्थिति और भी खराब होती जा रही है। उस स्थिति के बारे में विरोधी दल के नेताओं ने और अन्य माननीय सदस्यों

(श्री नाथूराम)

ने बताया कि बांसवाड़ा जिले में अकाल के नाम पर लाखों रुपया खर्च हुआ है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर में लाखों की तादाद में आदिवासी रहते हैं और वहां लोग मजदूरी पर जाते हैं। आज भी वहां के लोग अधिक बेकार बैठे हुए हैं। मेरे पास वहां से तार आया है कि लोगों को समय पर मजदूरी नहीं मिलती। मैंने उस तार को नत्थी करते हुए अकाल सहायता मंत्री महोदय को एक लम्बा चौड़ा पत्र लिखा है कि वहां पर मजदूरी शीघ्र दिलाने की व्यवस्था की जाय। आज मंत्रीजी ने बताया एक सप्ताह में हो जायगा। लेकिन अभी तक पेमेन्ट नहीं हुआ दुबारा तार दिया कि वहां पर मेढ़ बन्दी जो करवाई गई उसका पेमेन्ट नहीं हुआ। गढी तहसील और बागीडोरा तहसील में हजारों मजदूरों को, जो गढ़ी का काम किया, उनको पेमेन्ट नहीं हुआ। उस तार का जवाब मिला कि आधे मजदूरों को पेमेन्ट नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा राहत कार्य करवाये जाते हैं और उनका समय पर पेमेंट नहीं होता है यह बड़े दुख की बात है। गरीब लोग, एक तो मजदूरी नहीं मिलती इस कारण दुखी हैं दुसरी ओर उनको समय पर पेमेन्ट नहीं होता तो लोग भूखे मरेंगे सरकार इस अव्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं देती। समय पर पैसा नहीं मिलता, पानी पीने को नहीं मिलता, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्यों को बांसवाड़ा का दौरा करना चाहिये ताकि आपको वहां की स्थिति का ज्ञान हो सके। आज वहां कितने लोग बेकार हैं। मेरे पास दो तारीख को फिर तार आया है जो गरीब आदिवासी ने भुखिया से सागबाड़ी 25 मील दूर जाकर जहां से तार लगता है वहां से तार दिया है वह इस प्रकार है :— Nathuram M.L.A. Govt. Hostel Jaipur.

Therer is no any work Pauchayat Amaliya, Bukhiya.

Dokol. About five thousand labou- rers starving due to no work. Executive Engineer and DFO not given labour. So you are requested kindly orders to start relief soil conservation, forest and road work immediately otherwise revolution may come in the people. Because they are starving. Adhyaksh Congress Mandal Bhukhiya.

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति वहां की है। गरीब आदिवासियों को काम और पैसा नहीं मिलता इसलिये उनको दूर जाकर तार देना पड़ता है। आज जहां लाखों रुपया खर्च करते हैं वहां लाखों की तादाद में लोग भूखे हैं....

श्री श्रवणलाल : तुम्हारे नाम से लोग लाखों रुपया खा जाते हैं तुम्हारे नाम पर खा रहे हैं...

श्री नाथूराम : अव्यवस्था जरूर है समय पर उनको पेमेंट नहीं मिलता है।

श्री श्रवणलाल : तुम्हारे नाम पर खा रहे हैं, तुम्हारे को बदनाम कर रहे हैं..

श्री नाथूराम : आपको वहां क्या हो रहा है मालूम नहीं। अगर माननीय सदस्य को किसी प्रकार की हमदर्दी होती तो वे हमारा विरोध नहीं करते। विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा वहां काफी पैसा खर्च

( श्री नाथूराम )

कर दिया आज भी वे वहां जाकर देखें पाँच-पाँच हजार लोग बेकार बैठे हैं जिनको मजदूरी नहीं है घर बैठे हैं। आप लोग शहरों में रहते हैं, यहां आप लोगों को मकान बनवाने के लिये मजदूर मिल जाते हैं, यहां पर उद्योग धंधे हैं, यहां पर मजदूर मिल जाते हैं लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा में उदयपुर तहसील में जहां आस पास भी प्राइवेट धंधा नहीं है वहां पर मजदूरी के लिये आदिवासी लोग जाते हैं तो पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारी उनको हटा देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा जो काम चल रहा है उसमें लोग हजारों रुपया खा रहे हैं। मेट्रिकुलेट मेट या सुपरवाइजर नहीं रखा जाता जिनके द्वारा पैसा मिलता है उन्हीं अनपढ़ों को मेट या सुपरवाइजर रखा जाता हैं। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनको उस इलाके का दौरा करना चाहिये वहां की स्थिति देखनी चाहिये लाखों रुपये जिनसे जायज फायदा उठाया है लोग खा गये उनको जांच करके डिसमिस करना चाहिये। हमारी सरकार ने खर्च जरूर किया है लेकिन प्रशासन की ढिलाई की वजह से पी० डब्ल्यू० डी० वाले एक बटा चौथाई हिस्से की रकम जिसका कि नाजायज फायदा उठाया है। इसकी जल्दी से जल्दी जांच की व्यवस्था होनी चाहिये।

आजकल वहां ऐसी स्थिति है कि मवेशियों के लिये पानी नही, इन्सानों के लिये पानी नहीं है। सरकार जो पैसा दे रही थी वह भी बन्द कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि सार्वजनिक कुओं के लिये पैसा देना चाहिये, ताकि ब्लास्टिंग करके पानी निकाल सकते हैं। आज हालत यह है कि जो लोग रात्रि में पानी भर लेते हैं उनको पानी मिल जाता है बाकी को पानी के बिना रह जाना पड़ता है। गढ़ी तहसील के अन्दर भयंकर दुष्काल था दो महिने पहले वहां पानी नहीं मिलता था, कुओं में पानी के पैसों के लिये जिले की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन वहां पर कहीं भी पानी नहीं है। कुओं में 50–60 फुट नीचे तक पत्थरों में ब्लास्टिंग किया तो भी पानी नहीं है, क्योंकि लगातार भयंकर दुष्काल है। और माही नदी ऐसी निकली है चारों तरफ उस जिले में कि माही के नजदीक के जो गांव हैं उसमें भी पानी का लेवल बिल्कुल नीचे चला गया है, और तालाबों में पानी नहीं है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में मजदूरों को मजदूरी नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं है वहां मजदूरी खोलनी चाहिये और कुओं के लिए अधिक पैसा देना चाहिए ताकि लोगों को पानी मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष, बोरिंग मशीन के लिये कई दफा मांग की, लेकिन अभी तक वहां एक भी बोरिंग मशीन नहीं पहुंची है। दो-दो साल से डिस्ट्रिक्ट रिलीफ कमेटी ने प्रस्ताव पास किया, लेकिन अभी तक एक भी मशीन नहीं पहुंची। ब्लास्टिंग की मशीन 8-8, 15-15 दिन तक बेकार पड़ी रहती है। पहले पैसा मांगते हैं। जब पैसा नहीं मिले तो सार्वजनिक कुओं के लिए कैसे ब्लास्टिंग होगा ? माननीय मन्त्री महोदय इसकी जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें।

माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय विरोधी दल के नेता ने बताया कि बांसवाडा जिले में

(श्री नाथूराम )

51 सड़कों का काम चल रहा है । मैं यह जरूर मानता हूं कि गये साल चल रहा था किन्तु अभी तो 51 सड़कों में से केवल 8 सड़कें चल रही हैं बड़ी बड़ी · · ·

श्री जयनारायण सालोदिया : सरकार ने बताया था · · ·

श्री नाथूराम : अरे, आप तो बैठे रहें।

8 सड़कें ऐसी चल रही हैं जो मीलों लम्बी हैं लेकिन उनमें एक-एक फर्लांग के दो-दो पाइंट पर काम चल रहा है। उसका फायदा लोगों को नहीं मिला। रिलीफ के वक्त में भी औजार नहीं थे और लोगों के के हाथों और पांवों में खून निकल गया मिट्टी और पत्थर तोड़ने में । वह जगह जगह पड़ी हुई है। जगह जगह सोलिंग हो रहा है वह अधूरा है। अगर वह सोलिंग चल रहा है वह पूरा नहीं होगा तो आम रास्ते बन्द हो जायेंगे । हमारे वहां गलियाकोट एक तीर्थ स्थान है वहां पर बोहरा कम्युनिटी की बस जा रही थी तो पी०डब्ल्यू०डी० के कर्मचारियों की मूर्खता के कारण उन्होंने सड़क पर पत्थर डाल रखे थे जिससे वह बस उलट गई जिसे हमारे आदिवासियों ने जाकर उस बस को सीधा किया था, और दो रोज तक वह बस पड़ी रही और यात्री लोग बड़ी मुश्किल में रहे। पी०डब्ल्यू०डी० पर कोई कन्ट्रोल नहीं । कलेक्टर ने काम के लिए उनको कई बार लिखा, लेकिन उनके आदेशों को भी वहां की पी०डब्ल्यू०डी० के कर्मचारियों ने नहीं माना। गढ़ी मुखिया के ए.इ.एन. जो इन्चार्ज हैं व धर्मेन्द्रकुमारजी ये वहां पर ओवरसियर हैं वे हजारों रुपये खा रहे हैं। मजदूरों को मर्जी हो, तो काम पर लगायें और मर्जी न हो तो न लगायें। इनकी कई बार शिकायतें की गई लेकिन जांच नहीं हुई । इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन पी०डब्ल्यू०डी० के कर्मचारियों पर अंकुश होना चाहिए और उनकी जांच के लिए कमीशन बिठाना चाहिये जिन्होंने हजारों रुपयों का नाजायज फायदा उठाया है।

ये सरकार का लाखों रुपया खा गये । माननीय उपाध्यक्षजी, इसकी जल्दी से जल्दी व्यवस्था होनी चाहिए, और एक्स०इ०एन० गढी और ओवरसियर ने जो मनमानी की है और नाजायज फायदा उठाया है उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्यवाही होनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा एक कटौती प्रस्ताव है वन विभाग के बारे में । उसके बारे में थोड़ा सा निवेदन कर दूं । बांसवाड़ा जिले में, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे घने जंगल थे कि कभी दुष्काल नहीं होता था । आजादी के बाद जब ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई और बड़े बड़े पूंजीपतियों को जंगल के ठेके दिये गये और उन्होंने जंगल नष्ट कर दिये तो दुष्काल हो रहा है। वहां पर कई स्थानों पर ऐसे घने जंगल थे कि सूर्य की किरणें नीचे तक नहीं पहुंचा करती थीं। लेकिन उनका फायदा बड़े बड़े पूंजीपतियों ने उठाया और सरकार का लाखों और करोड़ों रुपये का नुकसान किया, और इधर क्या हुआ कि जंगल खत्म हो जाने से हमारे यहां भयंकर दुष्काल हो रहा है। आज से 10 साल पहले भी मैंने इस विधान सभा में निवेदन किया था और पांच सात पहले भी निवेदन किया था कि जंगलों की सुरक्षा की जाय लेकिन माननीय उपाध्यक्ष, हमारे इन जंगलों की रक्षा नहीं हुई और दिन पर दिन जंगल

( श्री नाथूराम )

खत्म होते जा रहे हैं । फारेस्ट मिनिस्टर साहब ने गये साल बताया था कि ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी गई । जब जंगल खत्म हो गया तो उस प्रथा को बन्द करने से क्या होता है । वहां पर सागवान और बांस के जंगल इतने घने हैं कि उनके खेजड़े जो हैं उनकी ही आज रक्षा हो तो जंगल पनप सकते हैं । इससे क्या होगा कि वर्षा अच्छी होगी। और अन्न उत्पादन पर काफी असर होगा । एक तरफ तो उत्पादन के लिए लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं, और उसकी जबरदस्त व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जंगल को आप खत्म कर रहे हैं ।

बड़े बड़े तालाबों की आवश्यकता है और माही प्रोजेक्ट की मुझे खुशी है कि वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जायगा ऐसा वित्त मंत्री महोदय ने बताया था । माननीय उपाध्यक्षजी, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये, लेकिन जब तक जंगल की रक्षा नहीं होगी तो माही प्रोजेक्ट कैसे सफल होगा ? वह उसी समय सफल होगा जब जंगलों की व्यवस्था ठीक होगी । जंगल अच्छे होंगे तो पानी अच्छा बरसेगा तो माही प्रोजेक्ट सफल होगा और हमारे यहां कई छोटे बड़े तालाब हैं उन तालाबों के लिए पानी चाहिए । अच्छी वर्षा होगी तो तालाब भर जायेंगे और खेती पर इसका असर होगा, सिंचाई की अगर व्यवस्था नहीं होगी, तो अन्न का उत्पादन कैसे होगा ? माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, यानि फोरेस्ट मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जंगल एरिया में आदिवासी बसते हैं वहां पास में तो सागवान और बांस के जंगल हैं जो कि उनकी व्यक्तिगत निगरानी में है, लेकिन जहां वन विभाग की व्यवस्था है वहां पर जंगल नष्ट हो रहे हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जंगल में रहने वाले जो फारेस्ट के चौकीदार हैं उनके लिए फोरेस्ट की चौकियां बने ताकि बरसात में वे लोग उनमें रह सकें और जंगल की रक्षा कर सकें ।

और आपके द्वारा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों के जो पढ़े लिखे लड़के हैं, मेट्रिक, इन्टर व बी. ए. तक पढ़े लिखे लोग हैं उनको फोरेस्ट की सर्विस में नहीं लिया जाता है जो लेने चाहिये और ऐसे लोगों को लिया जाता है जो कि जंगल का नामोनिशान तक नहीं जानते हैं । किताबें रट लेने से क्या होता है । वे जंगल में रहना पसन्द नहीं करते हैं । इसलिये निवेदन यह है कि आदिवासी और अन्य काश्तकारों के, चाहे वे किसी जाति के हों, पढ़े लिखे लोगों को फ़ोरेस्ट विभाग में रखना चाहिए ताकि जंगलों की वे पूरी तरह से रक्षा कर सकें । इसलिए, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके द्वारा मेरा यह निवेदन है कि जंगलों की जल्दी से जल्दी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमारे यहां बरसात पर उसका असर हो और जो यह भयंकर दुष्काल है वह दूर हो जाय ।

इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि-

**श्री उपाध्यक्ष:** आपके दल का समय एक घंटा और 45 मिनिट है उस हिसाब को आप थोड़ा ध्यान में रखें । मंत्री महोदय भी इसी समय में जबाव देंगे ।

**श्री नाथूराम :** मैं संक्षेप में दो मिनिट में ही कह देता हूं ।

( श्री नाथूराम )

जहां पर फोरेस्ट ने अन्दर काबिले काश्त भूमि है उसको जंगल वालों ने रोक रखा है । उस भूमि पर कुछ पौधा नहीं है । पहाड़ के नीचे जहां मैदान है वह बन्दोबस्त में तो रेवेन्यू में है लेकिन जंगल वालों ने अपने कब्जे में कर रखा है । इसलिए निवेदन है कि जो काबिले काश्त भूमि है वह रेवेन्यू में दर्ज की जाय ताकि उस पर अन्न का उत्पादन हो ।

इसके साथ-साथ यह भी निवेदन है कि चिप बोर्ड फैक्ट्री है उसको 30 वर्ष का बीघे के जंगल ठेका दिया है । आजकल उसका काम बन्द है लेकिन सरकार द्वारा कागजात के अन्दर उस चिप बोर्ड फैक्ट्री वालों ने अपने नाम से कई जंगल रोक रखे हैं । माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा वन मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि चिप बोर्ड वालों को जो ठेका दिया है उन्होंने कई जंगल खत्म कर दिये हैं और फिर भी खत्म करेंगे इसलिए जो ठेका दिया है उसको खत्म कर देना चाहिए और विभाग द्वारा जंगल की रक्षा करना चाहिए । यही मेरा निवेदन है ।

कई माननीय सदस्यः माननीय उपाध्यक्ष,

श्री उपाध्यक्षः श्री देवन्द्रकुमार !

श्री देवेन्द्रकुमार (गोगुन्दा): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 328, मुख्य शीर्षक 64 पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं । मैं बहुत कम टाइम लूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के बारे में बहुत से हमारे दोस्त बोल चुके हैं, इसके बारे में आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं । उदयपुर डिविजन में 3 साल से लगातार बारिश के अभाव से अकाल पड़ रहा है वहां पर अधिकतर लोग आदिवासी हैं और गरीब कौमों के लोग रहते हैं । जिनके पास सिवाय मजदूरी के और कोई धन्धा नहीं है । न तो वहां पर कोई आसपास ऐसा धन्धा चलता है कि वहाँ पर जाकर अपना पेट भर सकें और न उनके पास कोई ऐसी खेती है उससे अपना पेट भर सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त सरकार के ऊपर भी काफी आपत्ति है लेकिन सरकार इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन गरीब आदिवासियों और मजदूरों का सबसे पहले पालन पोषण करे । आपको चाहे किसी दूसरे काम भी बन्द करना पड़े, आपको चाहे कितना ही खर्च करना पड़े लेकिन भुखमरी के टाइम पर उनका पालन पोलन पोषण सरकार को करना चाहिए । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास में इस प्रकार की रिपोर्ट आती है, यदि कहीं से पूछा जाता है तो कि काम पर मजदूर नहीं आते हैं । यह बिलकुल गलत बात है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० की एक रोड चल रही है सराड़ा से संभाली, उस रोड के काम से चार हजार मजदूरों को निकाल दिया गया है । आज एक मजदूर काम पर जाता है तो उसके पीछे दस मजदूर खाने वाले होते हैं, यदि एक मजदूर निकाल दिया जाता है तो वह दस आदमी क्या करेंगे । मैं आपको निवेदन करूंगा कि गवर्नमेन्ट की जो स्थिति है और पालिसी है वह बिलकुल ठीक है, लेकिन जहां पर भुखमरी का सवाल है गवर्नमेन्ट उसके लिए ठीक व्यवस्था जरूर करे । चाहे गवर्नमेन्ट के

( श्री देवेन्द्र कुमार )

सामने कितनी ही डिफीकल्टी आयें, चाहे कितनी ही समस्यायें आयें तो भी सब बातों को छोड़कर भुखमरी को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है। मैं निवेदन करूं कि कुछ दिन पहले इस सदन में माननीय महारावल बोल रहे थे। उन्होने यह कहा था कि सरकार ने एक वोट के कारण उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा मजदूरों को काम पर लगाया है। मैं उनके इस कथन का घोर विरोध करता हूं। उनको यह खयाल नहीं है कि मजदूरों की आज क्या स्थिति है और उस स्थिति में वह क्या करते हैं। आप तो गेहूं की रोटी खाते हैं लेकिन उन मजदूरों को क्या मिलता है। उनको खाने के लिए माइलो मिलता है और वह भी पूरा नहीं, उनको केवल महीने में पांच किलो माइलो मिलता है। अब जिस परिवार में दस व्यक्ति होते हैं तो वह क्या खायेंगे-यह आपको सोचना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिले। सरकार ने इसके लिए जो काम चलाये हैं और मजदूरों का किसी तरह से निर्वाह कर रही है उसके लिए यदि वे धन्यवाद देते तो मैं उनका उपकार समझता। लेकिन वह इस बात को इसलिए कहते हैं क्योंकि वह समझते हैं कि आदिवासी लोग उनके दुश्मन हो गये हैं। उनको ख्याल रखना चाहिए कि किसी समय आप उनके दुश्मन थे, आज आदिवासी आपके दुश्मन हो गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि गोगुन्दा उदयपुर में आता है, वहां इस समय दो तीन सड़कें, पहले शुरू हुई थीं, अधूरी पड़ी हुई हैं। वहां पर रिलीफ का काम शुरू नहीं हुआ है। एक सड़क है, गोगुन्दा से ओगड़ा, और दूसरी है गोगुन्दा से कोठडा। अगर यह सड़कें बन जाती हैं तो हमारे लिए आवागमन का साधन बन जाता है। उधर के लोग आयें तो वह आसानी से उदयपुर आ सकते हैं। इसके अलावा एक सड़क है, जो गोगुन्दा से सायरा और सायरा से राणकपुर तक है। उस सड़क पर ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को काम मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र में, उदयपुर एरिया में मेढ़ बन्दी का काम है, यह काम चलता है लेकिन उसके बदले में उनको क्या मिलता है। एक आदमी को एक रुपया दो आना, एक औरत को चौदह आना और एक छोटे बच्चे को बारह आना। आज मंहगाई के जमाने में क्या आप महसूस करते है कि इससे काम चल सकता है आज आप गवर्नमेंट होस्टल से यहां तक आते हैं तो उसमें डेढ़ रुपया खर्च हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक मजदूर दिन भर अपने बच्चों को रुला कर काम करता है उसको उसके बदले में केवल एक रुपया दो आना मिलता है। उससे उसका क्या होगा। मेरा निवेदन है कि इस मंहगाई के जमाने में, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें और कम से कम गरीब लोगों का फेमिन का ख्याल कर पैसा जरूर बढ़ाना चाहिए।

दूसरा मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो पी० डब्ल्यू० डी० रोड चल रही हैं उसमें क्या होता है कि नपाई से काम करया जाता है। आज एक मजदूर

# Page No.92



( श्री देवेन्द्र कुमार )

को दस फीट गहराई तक खोदने पर केवल एक रुपया दो आना मिलता है। एक तो इतना कम पैसा देते हैं जिसमें उसके पीछे जो दस आदमी रहते हैं उनका पालन पोषण नहीं होता है दूसरी तरफ काम इतना ज्यादा देते हैं। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट के पैसे का गबन करते हैं उनके ऊपर आपको निगरानी रखनी चाहिये। यदि आपके पास में कोई शिकायतें आवें तो उनकी पूरी जांच होनी चाहिये और जांच होने के पश्चात् दोषी कर्मचारी को अवश्य दण्ड देना चाहिए। मैं मानता हूं कि सब गवर्नमेंट सर्वेन्टस चोर नहीं होते हैं। चोर एक आध पैदा होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट चोर है। मैं कहता हुं कि गवर्नमेंट चोर नहीं है, उसमें काम करने वाला कोई एक आदमी चोर हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग भ्रष्टाचार फैलाते हैं, उनके लिए मंत्री महोदय ऐसे आदेश दें कि उनके खिलाफ कोई शिकायत आवे तो उनको बाकायदा इन्क्वायरी हो। इन्क्वायरी होने के साथ ही उसको सस्पेन्ड करना चाहिए और सस्पेन्ड करने के अलावा उसकी शिकायत सही होने पर सजा भी देनी चाहिए। इससे जो दूसरे कर्मचारी लोग हैं उनको पता लगेगा कि वह लोग क्या रहे हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर कोई शिकायत होगी तो उसकी हमको सजा भी होगी। इससे दूसरे कर्मचारी भी डरेंगे। यदि आप ढिलाई रखेंगे तो लोग क्या करेंगे कि वह पैसा दबायेंगे और गरीबों के लिए जो पैसा आता है उसको दबाकर वह मजदूरों का शोषण करेंगे। इससे आपकी सारी व्यवस्था खत्म हो जायगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बारे में ध्यान दें।

सबसे ज्यादा मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो मजदूरों को एक रुपया दो आना मजदूरी मिलती है उसको बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जाय, उसका पैसा बढ़ाया जाय क्योंकि वह दिन भर अच्छी तरह से मेहनत करके काम करता है। इसी तरह से दिन भर बच्चे को रुलाकर एक महिला काम करने के लिये आती है वह बच्चे को भूखा मारा करती है और खुद दिन भर धूप के अन्दर काम किया करती है, उसको मजदूरी केवल चौदह आना मिलते हैं। इसके अलावा एक बच्चा रोता हुआ पेट से पत्थर बांधकर काम करता है उसको बारह आना मिलते हैं। एक आदमी दिन भर खेती करता है, या फावड़ा चलाता है उसको एक रुपया दो आना मिलता है—इतनी मजदूरी से इन लोगों का क्या होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फेमिन के अन्दर आप इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं और दूसरी सब जगह पर पैसा बढ़ाते हैं। जब फेमिन होता है तो लोगों में भुखमरी की स्थिति होती है उस समय उनको इतना कम पैसा मिलता है इससे वह लोग कैसे अपना काम चला सकेंगे। अब मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर जो मैंने कटौती के प्रस्ताव इस मांग पर पेश किये हैं उनके लिए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह रावत!

श्री श्रवणलाल : On a point of order Sir, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कई बार आपके समक्ष निवेदन किया है कि आज तक, जब कि कई दिनों

# Page No.93



(श्री श्रवणलाल)

तक बहस बजट पर हुई, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस चलती रही यह सैशन चलते चलते कई दिन हो गये लेकिन मुझे समय नहीं दिया गया है। मैं यह मानूं कि या तो मेरा नाम ही नही है......

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम मेरे ध्यान में है। रावत साहब के पश्चात् आप बोलें।

श्री श्रवणलाल : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पांच मिनट खराब कर दिये आपने इस तरह।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, भू राजस्व, दुर्भिक्ष और वन की मांग पर समय के अभाव के कारण मैं अधिक नहीं बोलूंगा, केवल कुछ पोइन्ट्स देना चाहूंगा। जहां तक भू-राजस्व का सवाल है, वैसे तो सारे भारतवर्ष के अंदर जमीन सरकारी कर दी गई है, फिर भी जिस वक्त में गिरदावरी होती है उसके अंदर 'श्री सरकार' लिखा जाता है। इसका असर तो छोटे किसान हैं, जिनके पास में खेती के लिये अपर्यप्त जमीन है, उसके ऊपर पड़ता है ...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गिरदावरी होती नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : "श्री सरकार खाते"......

श्री केसरीसिंह : 'खाते श्री'। अब समझे आप। खाते काश्तकार होता था पहले। अब खाते "श्री सरकार" करते हैं।

श्री विजयसिंह रावत : खाते "श्री सरकार" करने के कारण जो किसान पहले यह इन्ट्रेस्ट लेता था कि उस भूमि के अंदर अधिक से अधिक पैदावार करे, उस भूमि को जो कि बंजर भूमि उसको दी गई है, उपजाऊ बनाए। मगर अब उसके दिमाग में यह बात पैदा हो गई है कि जो मेरे पास में है वह सरकारी भूमि है। इसमें दो राय नहीं कि सरकार ने यह जो कानून निकाला है इसके तहत इस वक्त में किसान सरकार का एक टैनेन्ट है और सरकार का टैनेन्ट होने के नाते उसको जो पहले सुविधायें प्राप्त थी वह सुविधायें उससे छीन ली गई हैं। पहले की अपनी सुविधाओं के आधार पर वह चरोट भूमि को जैसी उसकी मर्जी होती थी वैसे रखता है, उसको अपने बैलों के चरने के लिए भी अपने हक में रखता था। लेकिन आपके इस कानून के कारण उस पर एक यह असर हुआ है। और दूसरा असर यह हुआ है कि वह उस जमीन को मार्टगेज नहीं कर सकता है। शायद मंत्री महोदय कहेंगे कि वह मार्टगेज कर सकता है। लेकिन उसको वर्ष कटी पोजीशन के साथ करनी पड़ती है लेकिन पहले पोजीशन के बिना वह केवल उस पर वर्ष कटी ही करता था। इसके कारण उत्पादन में भारी असर पड़ता है। पहले जो किसान अपनी जमीन में रुचि लेता था, उस जमीन को उपजाऊ बनाता था और यह कोशिश करता था कि अधिक से अधिक उत्पादन करूं वह भावना खत्म हो गई है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो अब आप "श्री सरकार" करते हैं उसको जल्दी से जल्दी बन्द करके

( श्री विजयसिंह रावत )

काश्तकार को खातेदारी, स्वामित्व के रूप में देने का प्रयत्न करें। दूसरा सुझाव मेरा इसके बारे में यह है कि खातेदारी के बाद में जो बात आती है वह यह कि किसान जिस भूमि को, जो बन्जर जमीन है, बंजर जमीन पड़त है उसके काश्त के योग्य अपने समय में अपनी मेहनत करके उपयोगी बनाने की कोशिश करता है और उसमें वह बीघा डेढ बीघा जमीन निकालता है तो नये कानून की धारा 91 के तहत उस पर केसेज चलाये जाते है। आज अजमेर में हजारों के केसेज ऐसे पेन्डिंग हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे कि धारा 91 के अन्तर्गत जमीन जहां कहीं ली जावे और जिसके लिये जन साधारण को कोई आपत्ति हो या जो जमीन कोई किसान 40 या 50 बीघा दबा कर बैठा हो तब तो यह ठीक ही है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक किसान अपनी फसल काटने के बाद अपना समय खर्च करके उस भूमि को पैदा योग्य बनाता है जो एक या दो बीघा या तीन बीघा उसके लगती है तो उस पर यह धारा 91 लागू नहीं की जावे। हाल के चुनावों के समय में सरकार के द्वारा यह कहा गया था कि यह धारा 91 को खत्म कर दिया गया है लेकिन अभी इसके लिये खास तौर से नहीं कह सकते कि कहां कहां इसको खत्म किया गया और कहां पर किस रूप में रखा गया है। यह तो सरकार ही जानती हैं। मगर मेरा यह सुझाव है कि जो किसान थोड़ी बहुत जमीन को अपनी मेहनत से काश्त के काबिल बनाता है उसको नहीं छेड़ा जाए।

दूसरा जहां तक दुर्भिक्ष का प्रश्न है, इसके बारे में मेरा कहना है यह है कि सीलिंग कानून को जहां तक मालूम हुआ है वह तो टूट गया है।

श्री ब्रज सुन्दर शर्मा : वह तो नहीं टूटा है।

श्री विजय सिंह रावत :- वह लागू कहां हुआ है। आप उसको जब तक लागू करेंगे तब तक तो कई लोग मर जावेंगे।

अगर सरकार इस बात के लिये ध्यान दे कि चुनावों से पहले जितने भी राहत कार्य खोले गये थे उसमें वे गांव भी शामिल थे जहां वास्तव में अकाल नहीं था और जहां पर वास्तव में अकाल था उन गांवों में राहत कार्य नहीं हुए। इसलिये मैं कहूंगा कि जिस प्रकार मिलिट्री में अगर कोई सिपाही किसी प्रकार की गलती करता है तो पूरी की पूरी प्लाटून को सजा मिलती है। इसी तरह राज्य सरकार के एक्चुअल अकाल कार्य वहां पर कराने चाहिये जहां पर लोगों का जीवन राहत के कार्यो पर निर्भर करता है। और जहां पर अकाल के कारण लोगों का जीवन संकट में है। मैं खास तौर से अजमेर के लिये निवेदन करूंगा। माननीय राजस्व मंत्री वहां पर आये थे उस समय उनको बताया गया था और आपने आदेश जारी किये कि तुरन्त वहां पर राहत के कार्य चालू कर दिये जावें। लेकिन अब तक उनके आदेशों का आज तक पालन नहीं किया है। आज भी मेरे पास डेप्यूटेशन वहां से आया है और पंचायत समिति श्रीनगर का भी पत्र जो मेरे पास आया है उस पत्र को भी मैं मंत्री महोदय आपकी सेवा में दे दूंगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि वर्षा के समय से पहले जो भी सुविधा लोगों के लिये जो अकाल से पीड़ित हैं, कर सकते हैं करने की व्यवस्था करें जो आज मौत के मुंह में हैं

( श्री विजयसिंह रावत )

ग्रौर जिनको जल्दी से जल्दी राहत की जरूरत है उनको ग्राप जल्दी से जल्दी राहत दें जिससे उनको राहत का कार्य मिल सके ग्रौर उससे वे ग्रपनी पेट की ग्राग को मिटा सकें।

इसके साथ साथ मेरा यह निवेदन है कि जैसा राज्य सरकार कहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाने के दृष्टि-कोण से उनके डेली वेजेज को, जो उनकी मजदूरी है उसमें वृद्धि नहीं कर सकते हैं। मैं ग्रापके इस कथन से सहमत हूं लेकिन इसमें ग्रापको कुछ न कुछ ऐसा संशोधन करना चाहिये कि इस महंगाई को मद्देनजर रखते हुए कुछ तो वेतन में ग्राधार रखना चाहिये। ग्राज जो स्त्री सुबह से शाम तक मिट्टी ढोती है उसको ग्राप 14 ग्राना देते हैं ग्रौर एक जवान जो मिट्टी खोदता है ग्रौर 100 फुट या 200 फुट मिट्टी खोदने पर ग्राप उसको एक रुपया दो ग्राने देते हैं, यह मेरे खयाल से इस महगाई को देखते हुए न्यायोचित नहीं है ग्रौर ग्रापको इसमें वृद्धि करनी चाहिये। ग्रफसोस की बात है कि हम लोग जो प्रतिनिधि चुन कर ग्राये हैं, सभी इस बात से सहमत होंगे कि ग्राज जो उन को मजदूरी मिलती हैं वह बहुत कम है ग्रौर एक रुपये का ग्राटा भी क्या मिलता है। जो मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करे उसके लिये यह मजदूरी बहुत कम है। एक रुपये का $3\frac{1}{2}$ पाव ग्रनाज ग्राता है! इसलिये मेरा ग्रापसे निवेदन है कि ग्राप इस पर पुनः विचार करें।

जहां तक वनों का प्रश्न है, जब से ग्राजादी मिली है, ग्राजादी के बाद में हम देखते हैं कि जो जंगल पुराने थे उनकी हर साल कटाई होती थी ग्रौर उससे लकड़ी के उत्पादन में सरकार को पैसे में बढ़ोतरी होती थी मगर ग्राज जंगलात महकमे की क्या हालत है। हर जिले में फोरेस्ट ग्रॉफिसर हैं मगर वे ऐसे ग्रोफिसर्स हैं जो टेलीफोन से भर्ती किये गये हैं, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में गये उसी डिस्ट्रिक्ट में जंगलों का सत्यानाश कर दिया। ग्रापके जितने भी फोरेस्ट गार्ड हैं वे क्या करते हैं, मैं ग्रापको बताना चाहता हूं कि वे गावों में जितनी बकरियां होती हैं मान लें एक गांव में 500 बकरियां हैं। एक बकरी पर 8 ग्राना चार्ज करते हैं। फोरेस्ट ग्रोफिसर जाता है ग्रौर उनसे मस्टर रोल पर दस्तखत करवा कर ले ग्राता है ग्रौर उनको तनख्वाह नहीं देता है। वे तनख्वाह गांव से लेते हैं ग्रौर ग्रोफिसर से उनको नहीं मिलती है। इससे यह भ्रष्टाचार होता है ग्रौर वनों की रक्षा नहीं हो पाती। इसलिये सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि सरकार वन रक्षा के लिये एक विधायकों की समिति बना दे जो जांच कर सके कि फोरेस्ट गार्ड वास्तव में फोरेस्टों की रक्षा करने में समर्थ हैं या भ्रष्टाचार करते हैं। मैं इस सम्बन्ध में एक छोटी सी बात करूंगा। ग्रजमेर जिला है वहां पर वन हैं। पुराने वन इस कारण से खत्म हो गये कि नये जंगल बनाये ग्रौर उनको गांव वालों ने पनपने नहीं दिया। इसका कारण यह है कि वहां पर जानवरों की तादाद ज्यादा है ग्रौर उन लोगों के पास चरने की जमीन कम है जिसको जरूरत है उनका कहना है कि ग्राप इनकी रक्षा हमारे हाथ में देदो ग्रौर हमारे हाथों में इनको दे दो ताकि हम इनको बढाया करेंगे लेकिन उनकी बात को ग्रभी तक सरकार ने नहीं माना ग्रौर इसका नतीजा यह हुग्रा कि राज्य सरकार को धनराशि में भी नुकसान हुग्रा ग्रौर आज तक जो खर्चा करना पड़ा वह

( श्री विजयसिंह रावत )

व्यर्थ गया और वनों को भी आगे नहीं बढ़ा सके। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि गांव वालों के साथ इस सम्बन्ध में समझौता किया जावे जिससे पुराने जंगल नष्ट नहीं हों और नये जंगल पनप सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेते हुए दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूंगा। सरकार ने दुर्भिक्ष का काम खोला है। हम मानते हैं, माननीय मन्त्री सहानुभूति और ईमानदारी से इन राहत कार्यों को चलाने में अग्रसर हैं मगर जो आदेश दिये जाते हैं उनका पालन करने वाले पूरी तरह से पालन नहीं करते और मैं यह भी कहूंगा कि जहां पर कार्य चल रहे हैं वहां पर दो दो तरह के रजिस्टर मेन्टेन किये जाते हैं जहां मजदूरों की संख्या तीन हजार होती है वहां 3500 और चार हजार दिखाई जाती है और असली मस्टर रोल अलग बनाये जाते हैं। इसलिये मेरा सरकार को सुझाव है कि दुर्भिक्ष के कार्य खुले हैं वहां राज्य सरकार की तरफ से कोई मस्टर रोल ऐसे हों जो बाजार में नहीं मिलते हों उनमें हाजरी की जावे जिससे गरीब लोगों पर जो सरकार पैसा खर्च करना चाहती है वे उसका पूरा लाभ उन गरीब आदमियों को मिल सके जिनको मिलने का अधिकार है।

इसके साथ साथ मैं तहसीलों के बारे में भी निवेदन करूंगा। जैसा 91 धारा के तहत मुकदमे हैं उनके जरिये आज तहसीलों में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि जिसका कोई अन्दाजा नहीं। तो पटवारियों पर नियन्त्रण रखने के लिये सरकार कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करे कि आज पटवारी की कड़ी ग्राम पंचायत से अलग है, उसको ग्राम पंचायत के साथ जोड़ने की कोई न कोई तरकीब की जाय जिससे पटवारी अलग रह कर राजस्थान सरकार और जनता के बीच में झगड़े पैदा नहीं कर सके, जैसे कि अभी हमारे सामने मिसालें आ रही हैं। पटवारी की अलग रिपोर्ट है, तो ग्राम पंचायत की अलग ही रिपोर्ट है, कहीं ग्राम पंचायत अकाल बता रही है तो पटवारी सुकाल बता रहा है। कहीं पटवारी अकाल बता रहा है तो ग्राम पंचायत सुकाल बता रही है!

समय अधिक न होने के कराण मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने जो सुझाव दिये हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय उन पर मनन करेंगे और उन्हें लागू करने की कोशिश करेंगे।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री श्रवणलाल।

**श्री श्रवणलाल (हिन्डौन)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे अमूल्य समय दिया है उसके लिये मैं आपकी तरफ से....................

**एक माननीय सदस्य** : आपकी तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं?

(हंसी)

**श्री श्रवणलाल** : आपकी तरफ से जो समय दिया गया है, उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। मांग संख्या 9, 28 व 33 में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। जहां तक सवाल भू-राजस्व का है, उसमें मेरे कई इस प्रकार के कटौती प्रस्ताव हैं जमीनों के अलोटमेंट की व्यवस्था में बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं और जिस व्यक्ति को जमीन मिलनी चाहिये थी उसको न मिलकर जिसके पास पहले से ही अधिक जमीन है, उसको और अधिक जमीन मिलती रही है। इसके लिये देखा जाय

( श्री श्रवणलाल )

तो तहसीलों में अलॉटमेंट कमेटियां बनी हुई हैं उनके प्रधान, सरपंच, तहसीलदार, विकास अधिकारी मेम्बर होते हैं

एक माननीय सदस्य : एम० एल० ए० ही होते हैं।

श्री श्रवणलाल : इसके अलावा सदस्य विधान सभा को भी उसके अन्दर रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां सवाल इस बात का होता है कि अमुक जमीन किसी व्यक्ति विशेष को देनी है तो वहां इस प्रकार की अनियमितताएं की जाती हैं कि उस जमीन को देने के अंदर जो लोग बाधा कर सकते हैं, रुकावट पैदा कर सकते हैं, उनको सूचना तक नहीं देते हैं, अगर सूचना देते भी हैं तो तारीख कोई और ही दे देते हैं और अलॉटमेंट किसी और ही तारीख को कर देते हैं। मेरी तहसील हिन्डौन में, जहां से मैं चुन कर आया हूं, वहां कई इस प्रकार के मामले देखने को मिलेंगे।

वहां ग्राम गढ़ीपुरा के हरिजनों के लिये 57 बीघा जमीन अलॉट हुई, बड़ी ही मुश्किलों से तो वह जमीन अलॉट की और अलॉटमेंट के बाद में तीन साल के बाद तक भी उन गरीबों को उस जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया। वे गरीब यह आशा लेकर चलते थे कि हम भूमिहीन हैं, हमको जमीन मिल जायगी तो उस जमीन के माध्यम से हम अपने बाल बच्चों के पेट का पालन कर सकेंगे। पर वहां के हरिजन तहसीलदार के लिये, एस०डी० ओ० के लिये, कलेक्टर के लिये रो रहे हैं कि उनको तीन साल से कब्जा नहीं दे रहे हैं। वहां तहसीलदार और कर्मचारियों ने किस प्रकार का रवैया अपना रखा है, उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर ताज्जुब होगा। एक एक, दो दो, तीन तीन चार चार, पांच पांच, बिस्वा जमीनें जिनके खेतों के पास थीं, उस जमीन पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया या पैदावार बढ़ाने के लिये उस जमीन को जोत लिया तो एक बिस्वा, दो बिस्वा, चार बिस्वा जमीन ने पटवारियों के एतराज के द्वारा उनको बेदखल किया गया। केवल बेदखल ही किया गया हो तो मान लिया जाय कि ठीक है पर उनको नोटिस देने के बाद दस दस बार रुलाया जाता है, तंग किया जाता है। तहसील में तारीख लगाकर इस प्रकार उनको तंग किया जाता है कि वे किसी प्रकार रिश्वत देकर अपना पीछा छुड़वायें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: आन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर, प्रभारी मंत्री नींद ले रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: यह आपने कैसे जाना?

श्री उपाध्यक्ष: नींद लेकर नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। अगर सदन कार्यवाही में बाधा उपस्थित करते तो व्यवस्था का प्रश्न होता।

श्री पृथ्वीसिंह पाली: मनन कर रहे हैं।

श्री श्रवणलाल: मन्त्री महोदय सुनते तो अच्छा था, सोने के लिए तो लोबी मौजूद है। सोना हो तो लोबी में जाकर सोयें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको सीरियसली चेलेंज करता हूं। मेरी आदत है कि मैं आंखें मूंद कर सुनता हूं। पीछे से माननीय सदस्या ने क्या मुझे बैठे बैठे ऊंघते हुए देखा है, जो सोने का कह दिया, मैं सब चीजें सुन रहा हूं, जमीनों के अलॉटमेंट के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री श्रवणलाल: जमीनों के अलॉटमेंट में गलत कार्यवाहियां होती हैं जिनको जमीनें अलॉट की जाती हैं वे लोग मारे मारे फिरते हैं इस आशा से कि हमें किस तरह से जमीन पर कब्जा मिले और उस जमीन पर मेहनत के साथ पैदावार बढ़ाकर अपने बाल बच्चों को पालें। उन हरिजनों को, उन गरीब किसानों को जमीने नहीं मिलने से वे लोग परेशान हैं।

अपने जिले सवाई माधोपुर में मैंने और मेरे साथी ने इस चीज की शिकायत की, एस० डी० एस० और तहसीलदार की अनियमितताओं की शिकायत कलेक्टर के पास की है पर इसकी कोई सुनवाई नहीं करते।

केवल यही नहीं, किसी गरीब को जमीन अलॉट कर दी गई है तो जो लट्ठधारी हैं, जो शक्ति रखते हैं वे गरीबों की जमीनों पर उगी हुई फसल को जानवरों के द्वारा उजाड़ देते हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रकार की घटनाओं को रोकें और जिन व्यक्तियों को अलॉट की हुई जमीनों पर कब्जा नहीं मिला है, उनको उन जमीनों पर कब्जा दिलायें, खातेदारी राइट्स दिलायें।

आज जमीनें अलॉट हो जाती हैं तो उनको कन्वर्ट कराने के लिए तहसीलदार के पास कई बार चक्कर खाने पड़ते हैं। जब तक 100, दो सौ या अधिक रुपया रिश्वत के रूप में नहीं देगा तब तक उसको खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही साथ यह होता है कि किसी के पिता का देहान्त हो गया, खातेदारी उसके पिता के नाम से है और उसका लड़का बाप के नाम की खातेदारी को अपने नाम बदलवाना चाहता है तो वह तब तक खातेदारी नहीं बदलवा सकता जब तक कि पटवारी को, तहसीलदार को सौ दो सौ रुपया रिश्वत के नहीं देगा। आये दिन इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। उच्च अधिकारियों के पास शिकायतें की जाती हैं पर वे ध्यान नहीं देते हैं और हमारे मन्त्री महोदय तो सोते रहते हैं। और नहीं तो असेम्बली में ही सोते रहते है, कहें तो किससे कहें। यह सरकार ही अन्धी बहरी है जो सोती रहती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस कार्य को करने के लिये आप मन्त्रीजी से कहें। गरीबों के साथ अत्याचार होता है, उनको जमीनें दिलाई जायं।

इसके साथ, जो वनों का मामला है, आज वनों के लिए क्या हो रहा है?

श्री शिवचरणसिंह: मैं सदस्य महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आपके क्षेत्र में सबसे अधिक फौजी आदमी हैं और आप कृपया बताएं कि आपने कितने फौजियों की एलॉटमेंट के बारे में, उनको जमीन दिलवाने के लिए प्रयत्न किया है?

श्री श्रवणलाल: अफसोस की बात है कि आज जिस प्रकार से माननीय सदस्य फौजियों के लिए सवाल उठा रहे हैं, इन सवालों को आज नहीं मैं आज से 5 साल पहले अनेक बार उठा चुका हूं और फौजियों के लिए कितनी श्रद्धा उनको है, उतनी मुझे है। सवाई माधोपुर के अन्दर सबसे अधिक फौजी हैं, फौजी एरिया है, वहां फौजियों को जमीन दी जानी चाहिए लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार ने आज तक एक भी व्यक्ति को जमीन नहीं दिलाई है और इसी के साथ साथ अगर सदस्य महोदय के लिए कहा जाय तो आप 300 बीघा जमीन लेकर बैठे हैं लेकिन

# Page No.99



( श्री श्रवणलाल )

आपने उनको कुछ भी जमीन नहीं दी है। मैं इस बात के लिए कहता रहता हूं। जब एलाटमेंट कमेटी की मीटिंग में जाता हूं, मैंने हर जगह इस बात का नोट दिया है कि हमारी तहसील के अंदर ऐसे किसी भूमिहीन किसान फौजी भाई को जमीन नहीं दी है। एक एक फौजी भाई ने एक एक जगह नहीं, 6-6 जगह नहीं, 25-25 जगह जाकर सोल्जर्स बोर्ड में लिखाए जाने के बाद भी 25-25 जगह की एलाटमेंट कमेटी में पेश करने पर भी आज तक जमीन नहीं दी गई है।

मैं वनों के बारे में कह रहा था। जंगलों के लिए ठेके दिए जाते हैं और लाखों के ठेके गोलमाल............

श्री उपाध्यक्षः वनों के बारे में आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री श्रवणलालः इस प्रकार की व्यवस्था हो चुकी है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कह रहा था कि वनों के ठेके वहां पर किस प्रकार से दिए जाते हैं। मैं ठेके के विषय में नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि जो गरीब लोग सर पर बोझ ढोते थे, जो 5-5 मील से लकड़ी लाकर अपना पेट गुजर करते थे, आज उनकी क्या हालत है। सवाई माधोपुर में इस प्रकार से उनके लिए परमिट दिए जाते हैं। नजदीक के जंगल तो ठेकेदारों को नीलाम में दे दिए जहां से बोझ ढोने वाले लकड़ी नहीं ला सकते, ठेकेदार उनको लकड़ी नहीं लाने देते हैं। अगर लकड़ी लानी है तो 10-10, 15-15 मील पर जाइए। एक व्यक्ति अगर 15 मील से सर पर बोझ डालकर शहर में आए तो कितना समय उसको जाने में लगेगा, कितना समय आने में लगेगा और वह किस प्रकार से वजन को लेकर आएगा और किस तरह बेचकर अपना गुजारा चला सकेगा। इतना ही नहीं, पहले व्यवस्था थी इस बात के लिए सवाई माधोपुर के अंदर गरीब लोग अपने गधों द्वारा, ऊंटों द्वारा, घोड़ों द्वारा, उस लकड़ी को लाया करते थे.......

श्री देवेन्द्र कुमार मीणाः क्या सवाई माधोपुर में गधे भी होते हैं ?

श्री श्रवणलालः गधे तो आजकल हर जगह बैठे हुए हैं, मुझसे क्यों कहलवाते हो। आज सभी गधे ही गधे नजर आ रहे हैं।

श्री शंकरलाल (जैतारण): उपाध्यक्ष महोदय ये शब्द कि सभी गधे ही गधे नजर आते हैं, ये शब्द अन्पार्लियामेंट्री होते हैं, ये निकाल देने चाहिए। ये शब्द सब माननीय सदस्यों के लिए कहे गए हैं।

श्री उपाध्यक्षः गधा शब्द अपने आप में अन्पार्लियामेंट्री नहीं है लेकिन यदि किसी को संबोधित करके कहा जाय तो अन्पार्लियामेंट्री होगा।

श्री श्रवणलालः मुझे बड़ा अफसोस है कि जो सवाई माधोपुर में गधे थे वे उन्होंने खरीद लिए, मैं क्या कहूं ?

श्री उपाध्यक्षः जब माननीय सदस्य बोल रहे हों तो बीच में बाधा न डालें तो अच्छा होगा।

श्री श्रवणलालः जो व्यवस्था पहले थी उससे वे लोग घोड़ों द्वारा, ऊंटों द्वारा और गधों के द्वारा लकड़ी लाया करते थे। वे जंगल आज इतनी दूर होने के कारण

(श्री श्रवण लाल)

और इस महंगाई को दृष्टि में रखते हुए, उनके बच्चों के पालन के खातिर फिर से घोड़ों, गधों और ऊंटों के द्वारा लकड़ी लाने की इजाजत दी जाय।

जहां तक मेरे जिले में अकाल का संबंध है मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि यह अकाल जो है, वह सवाई माधोपुर से दूर रहे तो अच्छा ही है। लेकिन जब से इन मंत्रियों के कदम हमारे जिले में पड़े हैं तब से अकाल की छाया शुरू हो गई है। हम चाहते थे कि मंत्रियों के कदम न पड़े। आज हमारे जिले के अन्दर जिस प्रकार से कई तहसीलों के अन्दर अकाल पड़ा हुआ है और दूसरे जिलों के अन्दर देखा जाय कि किस प्रकार से वहां रिलीफ फंड खुल गये हैं, किस प्रकार खर्चा हो रहा है। अगर इस प्रकार की तुलना हमारे यहां पर की जाय तो शून्य के बराबर है। सवाई माधोपुर ही ऐसा जिला मिलेगा जहां खर्चा नगण्य के रूप में मिलेगा जब कि दूसरे स्थानों पर लाखों और करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : व्यवस्था का प्रश्न है। पहले माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्णय हो चुका है कि जनसंघ पार्टी को 40 मिनिट दिये जायेंगे।

श्री श्रवणलाल : यह तो आपके सोचने का सवाल है। तो मैं कह रहा था कि आज हमारे यहां पर अकाल है, हमारी तहसीलों में भी अकाल है, ऐसी जगह है कि अनाज की पैदावार बिल्कुल नहीं हुई है और कई तहसीलें ऐसी हैं कि जहां पर सर्दी में फसलें नष्ट हुई हैं, कई तहसीलें ऐसी हैं जहां पर ओले पड़ने के कारण फसलें नष्ट हुई हैं और सरकार की तरफ से कोई रिलीफ फंड नहीं खोला गया है। जो उनको आयातित गेहूं पी एल 580 का मिलता था, वह भी बन्द कर दिया गया है। वह सिर्फ एक ही जगह मिलता है, इसलिये कि वहां से कांग्रेस एम.एल.ए. जीता है। हिन्डौन तहसील के अकाल ग्रस्त गांवों के लिये अनाज इसलिये नहीं दिया जाता कि वहां से हर समय जन संघ का एम एल ए. जीत कर आता है, इसलिये वहां पर सस्ते गेहूं की दुकानें नहीं खोली गंगापुर में खोली हैं क्योंकि वहां पर कांग्रेस का एम. एल, ए. है यह भेदभाव की नीति जो हमारी सरकार अपना रही है, उसको भुलाना चाहिए और आज देखना चाहिये कि किस तहसील के अन्दर पीने के पानी की कमी है, किस तहसील में आने-जाने के साधनों की कमी है और जिस प्रकार उदयपुर और जोधपुर और दूसरी जगहों को देखते हैं तो उसी प्रकार से अकाल राहत कार्यों को इधर भी खोलेंगे तो अच्छा होगा।

इसके साथ साथ आज सबसे बड़ी समस्या हमारे जिले में पानी की है उसके लिए भी अगर मंत्री महोदय ध्यान देंगे तो अच्छा है। मैंने कई बार स्थगन प्रस्ताव भी रखे हैं। कांग्रेस के 20 साल के शासन में आज तक जनता को पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है। मुझे शर्म आती है इस बात के लिए कि आज हिंडौन में जिस प्रकार से जनता जल पीती है, वह जल अगर मंत्री महोदय को एक समय भी पिला दें तो वह नहीं पी सकेंगे। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां जल समस्या को हल करके जल मुहैया करने के लिए आवश्यक कदम उठायें।

**कई माननीय सदस्य:** उपाध्यक्ष महोदय… ..

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री रामकिशन।

**श्री रामकिशन (वैर):** पार्टीज का कर दिया इसलिये हमारी ओर से श्री केदार नाथजी बोलेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री केदारनाथ।

**श्री केदारनाथ** (गंगानगर): माननीय उपाध्यक्षजी, सदन में का लैंड पोलिसी के बारे में ध्यान खींचना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें यह देखना है कि लैंड रिफोर्म्स पोलिसी का इम्पेक्ट क्या हुआ है प्लान पर और जब तक इसके रिजल्ट्स देख न लें मैं सोचता हूं हमारी लैंड रिफोर्म्स पोलिसी पूरी नहीं हो सकती। लैंड रिफोर्म्स के विषय में कई रिपोर्ट्स हमारे सामने आयी हैं। हमारे राजस्थान के लैंड रिफार्म्स कमीशन की जांच रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं और यूनियन गवर्नमेंट की ओर से जो कानून कमीशन है उसकी पीनल कोड्स हमारे पास है। राजस्थान में रूरल इकोनोमी के लिये भी किताब लिखी गई है वह भी हमारे सामने है। इन सब को देखने के बाद क्या हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि रूरल इकनोमी में जो चेन्ज आना चाहिये वह आ गया है? क्या एक्सप्लोइटेशन बन्द हो जाना चाहिये वह बन्द हो गया है? आज भी किसी न किसी रूप में एक्स्प्लोइटेशन मौजूद है, सबलेटिंग है और सब टिनेन्ट्स मौजूद हैं। जो प्रोस्पैक्टिव लैंड रिफार्म्स इनिशियेट करते वक्त था वह इसलिये फिजिलआउट हो गया क्योंकि साथ साथ उसके लिये हम एपरेटस तैयार नहीं कर पाये। राजस्थान में इस सरकार पर और कांग्रेस की पार्टी पर जिसकी सरकार यहां रही है इतने वर्षों से उन पर यह बहुत बड़ा चार्ज है। जो इकोनोमी पैदा करनी चाहिये थी, जो सोशियल वेल्यूज पैदा करनी चाहिये थी, जो एक पब्लिक ओपिनियन को पैदा करना चाहिये था वह आज बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस कमेटीज, मण्डल कमेटीज का जो फंक्शन होना चाहिये था वह आज नहीं है। सोशियल ट्रांसफोर्मेशन पैदा करना चाहिये था वह नहीं कर पाये, पब्लिक ओपिनियम मुहैया नहीं कर पाये। यदि रिएक्शनरीज के हाथों में सारे एपरेटस हों तो फिर अच्छे रिजल्ट्स मिलें, अच्छे डिविडेन्ट मिल जायं जो वह कतई मिलने वाले नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने कट मोशन पेश कर रहा हूं।

अलाटमेन्ट के रूल्स को देखें तो मैं यह कह सकता हूं कि चाहे जागीरें रिज्यूम करने के बाद टिनेन्ट को स्वतन्त्रता दे दी लेकिन वहां पर लैंड ओफ दी टिलर का प्रिन्सिपल नहीं है। यह बुनियादी प्रिन्सिपल था तो बुनियादी तौर पर ही स्वतन्त्रता देनी चाहिये थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कौन कमेटी इसको रिव्यू करती है, किस प्रकार इसका इम्प्लीमेन्टेशन होता है या नहीं, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। माननीय मन्त्री स्वयं एक रेवेन्यू के वकील रहे हुए हैं। लाज पर इनिशियेट करेंगे। यदि वीकली मिटिंग होती रहे और ओफिशियल्स के इन लेप्सेज पर कन्ट्रोल हो सके इसके लिये एक विजिलेन्स कमेटी मुकर्रर करें।

एक इन्स्टान्स देना चाहता हूं। राजस्थान में ग्रो मोर फूड के नाम से एक केम्पेन चला। हजारों लाखों एकड़ जमीन उन लोगों के कब्जे में गई जिनका जमीन से कोई

( श्री केदारनाथ )

वास्ता ही नहीं था। उनको खातेदारी राइट्स दे दिये गये। एक कलम से उनको दे दी गई। न तो बाप का और न ग्रान्ड फादर का कभी यह पेशा रहा। न तो सोइल को समझे और न कल्चर को। या तो वकील थे, प्रभावशाली व्यक्ति थे, अधिकारी थे, मन्त्रियों के रिश्तेदार थे। उनको यह हजारों लाखों एकड़ जमीन ग्रो मोर फूड के नाम से दे दी। एक तरफ तो ये मिसालें हैं। दूसरी तरफ वे मिसालें भी हैं कि जिन्होंने वर्जिन जमीन को आबाद किया, तोड़ किया लेकिन रूल्स के अनुसार उन को कहा यह गया एक बिस्वा पंजाब में था, गंग केनाल में ग्रान्डफादर के नाम से थी, इसलिये अब तुम्हारा इस पर कब्जा नहीं माना जा सकता। चाहे वे वहां 30 साल से 40 साल से आबाद हों। हमारा इम्पेक्ट अच्छा होना चाहिये, राजस्थान सरकार लैंड रिफोर्म्स के प्रति समाजवादी न्याय चाहती है तो इसके लिये वह एक कमीशन मुकर्रर करे। जिनको जमीनें दीं, उनका आज कब्जा नहीं है, हजारों लोगों ने जमीनें बेच दी हैं, मोर्गेज कर दी हैं, सबलेट कर दी है। पांच परसेन्ट भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो खुद काश्त करते हों। यह हालत हो तो ऐसे कमीशन की रिपोर्ट पर बहुत असर पड़ेगा। इस कमीशन को आप मुकर्रर कर दें तो आपको पता चल जायगा कि क्या रोल रहा है, कौनसे मिनिस्टर का कौन रिश्तेदार है, कौन कौन ओफिशियल हैं और किस प्रकार जमीनें हासिल करके कब्जा करके उनको बेच दिया है।

दूसरी बात राजस्थान केनाल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यदि हमारी सरकार आज से दो साल पहले कोलोनाइजेशन के रूल्स फाइनेलाइज कर देती तो मैं सोचता हूं पांच लाख एकड़ जमीन पर इरिगेशन होता

(3.16 म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत सभानेत्री पदासीन)

लगातार इतना इरिगेशन होता, कितना प्रोडक्शन बढ़ता, कितनी बेकारी घटती और कई कोलोनीज बसने के बाद एक नया कल्चर पैदा होता। कितना आपका रेवेन्यू बढ़ता। लेकिन रूल्स फाइनेलाइज नहीं हुए। कहा यह जाता है कि सेन्टर से राय लेनी है, पंजाब से राय लेनी है। रूल्स बनाने में आपको क्या दिक्कत है? जमीन को और पानी को कौन इस्तेमाल करेगा? अलॉट की है या तो जागीरदार हैं उनको जिनको जमीन से कोई वास्ता नहीं। जो लोग हल लिये घूमते हैं उनको आप काश्त के लिए नहीं देते हैं। चार साल से आक्शन करते हैं और सोशियल जस्टिस का नाम लेते हैं। ओक्शन में कौन लेता है? या तो ओफिशियल्स हैं, वकील वगैरह हैं, बेनिफिशियेरीज हैं, वे लोग लेते हैं। बाकी लोग जो लैंड लेस हैं, निराश होकर जाते हैं। ऊपर से सरकार फिर यह कहती है कि राजस्थान में कोई भूमिहीन नहीं रहेगा। भाखरा में क्या गंग केनाल में क्या, राजस्थान केनाल में क्या, मैं समझता हूं, इन लेप्सेज को देखते हुए आप अपने को सुधारेंगे। चाहे भाखरा की जमीन हो, चाहे गंग केनाल की या राजस्थान केनाल की जमीन हो कोई भी आक्शन से जमीन नहीं देनी चाहिए। पुराने इलाकों में जाकर देखिये। सभापति महोदया, पन्द्रह पन्द्रह बीस बीस मील दूर से

( श्री केदारनाथ )

लोग रिव्यू के लिये आते हैं, मामूली बात के लिये उनको इतनी दूर से बुलाया जाता है और वे लोग ठहरे रहते हैं। इसलिये इस प्रकार के कामों को उन स्थानों पर ही ठीक करने के लिये व्यवस्था प्रोवाइड कर दीजिये। एक एडवाइजरी बोडी आपने बना रखी है प्रधान, सरपंच, सोशियल वर्कर और हरिजन। इसको पावर दीजिये। इसको पावर होनी चाहिये कि अलाटमेंट कर सके या केन्सल कर सकें। इलेक्टेड एसेम्बली के मेम्बर्स भी आफिशियल्स को चक कर सकें। कुछ लोगों के कारण इतने लोगों को कष्ट भोगना पड़े यह कहां का न्याय है, कौनसा सोशल जस्टिस है ? इस बोडी को सारे कोन्स्टिट्यूशनल पावर दीजिये और नोन ओफिशियल की उसमें अधिक गिनती हो तो कहीं जाकर करप्शन और हरासमेंट चैक हो सकेगा और भूमि हीनों को जो वास्तव में भूमिहीन हैं उनको भूमि मिल सकेगी।

तीसरी बात, आपकी मार्फत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह है सीलिंग ला। हमने यह तय किया था कि थर्ड प्लान के ड्यूरेशन में सारे हिन्दुस्तान की स्टेट्स में सीलिंग लागू हो जाना चाहिये। लेकिन प्लान से लागू नहीं किया। किसी न किसी बहाने इसको लागू नहीं किया इसी हाउस में चार साल पहले बहस हुई थी पर सीलिंग अभी तक लागू नहीं हुआ। इस से जो सीलिंग का मकसद था, सोशल जस्टिस देने का मकसद था हायर्ड लेबर से जो काश्त कराते रहे, समाज में उससे तब्दीली आवे इसकी इन्तजार में जो थे उनका मकसद पूरा नहीं हुआ। हमारा वह मकसद डिफीट हो गया। आज लार्ज स्केल पर कानून का इवेजन है। ट्रांसफर मौजूद हैं। फोर्थ फाइव ईयर प्लान में आप पढ़ेंगे ट्रैक्टर लैंड रिफार्म पर।

जिन स्माल फार्मस ने बड़े लैंड लार्ड्स से 15-12-54 के बाद अगर अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे से जमीन खरीदी है तो उसे आप रेगुलराइज करें। अगर आपने उनको अदालतों में और दीवानी दावों में छोड़ दिया तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। आपने अगर उनको ओफिसियलडम का शिकार बनाया तो भी राजस्थान का बुरा हाल होगा। खास कर गंगानगर का।

आज वहां 40 परसेन्ट वे लोग हैं जिन्होंने भूमि खरीद कर भूमि ली है। इसलिये उनको आप सोशल जस्टिस के नाते ह्युमेनिटी के नाते उनकी जमीनों को रेगुलेराइज करके राहत दें।

इसके बाद जिन्होंने ट्रान्सफर किये हैं अपने रिश्तेदारों को उन लैंड लार्ड्स को पेनेलाइज करिये किसी न किसी तरह से ताकि उनको मालूम पड़े कि इवेजन का रिजल्ट क्या होता है।

आखिरी बात और कह कर अपना कथन समाप्त करता हूं। सारे के सारे लैंड रिफार्म्स के बारे में 5 रिपोर्ट हमारे पास हैं, और भी रिकमेण्डेशन्स हमारे पास हैं। उन सबके आधार पर जब तक आप एक कम्प्रिहेन्सिव लॉ नहीं लाते तब तक हम लैंड रिफार्म्स में आगे नहीं बढ़ सकते और हमारे लैंड रेवेन्यू कमीशन का मकसद भी फेल हो जावेगा। इस सेशन के बाद ऐसा एक कम्प्रिहेन्सिव ला आना चाहिये। अगर दरअसल हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन राजस्थान में बढ़े, रूरल इकानोमी मजबूत हो, लैंड पर जस्टिस हो और यह

( श्री केदारनाथ )

बताना चाहूं कि लैंड रिफार्म से क्या अचीव किया है तो इनसे लेसन लेकर एक कम्प्रीहेन्सिव लॉ बनाएं तो इससे सब का फायदा होगा ।

**श्रीमती सभानेत्री** : जिस क्रम से सूची में नाम दे रक्खे हैं, मैं उसी क्रम के अनुसार नाम लूंगी । उसके अनुसार अब श्री रघुनाथ विश्नोई बोलेंगे ।

श्री रघुनाथ विश्नोई ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : सभानेत्री महोदया, इस कट मोशन के जरिये मैंने राज्य सरकार का ध्यान तहसील सांचोर में...

**श्री विजयसिंह रावत** : ये नाम आपने फरमाये हैं ये कटौती प्रस्ताव के आधार पर लिये हैं ?

**श्रीमती सभानेत्री** : माननीय सदस्य जब अपने कटौती प्रस्ताव रखते हैं तो कार्यालय में उनके रखने का समय नोट किया जाता है और उस समय के अनुसार उनको क्रम दिया जाता है और उस क्रम के अनुसार मैंने नाम लिये हैं ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : मैंने कट मोशन के जरिये सरकार का ध्यान अकाल के बारे में खींचा है । पूरी तहसील अकाल पीड़ित है और जो अकाल राहत कार्य वहां चल रहे हैं, वे अपर्याप्त हैं ।

इस समय हर गांव में लोग अकाल राहत काम की मांग कर रहे हैं । इसके लिये सरकार की नाडियां बनाने और टांके बनाने का काम भी अकाल राहत कामों में सम्मिलित करने चाहिये जहां इरिगेशन या दूसरे सड़क के काम नहीं हैं । इन कामों को शीघ्रातिशीघ्र चालू करना चाहिये ।

आज क्या होता है इन कामों के अभाव में लोगों को पन्द्रह पन्द्रह और बीस बीस मील की दूरी पर सड़कों और बान्धों के काम पर जाना पड़ता है जो औरतों और बच्चों के लिये बड़ा कठिन है ।

इसमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि इस इलाके में पीने के पानी की भी विकट समस्या है । इसके लिये इन इलाकों में जो बड़े बड़े तालाब हैं और जो इसमें सात आठ महीने पानी चलते हैं उनकी खुदाई जारी करनी चाहिये । ताकि गांवों के लोग वहां काम कर सकें औरतें और बच्चे भी नजदीक होने से आसानी से आ सकें । राज्य सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

मेरे पास कई पंचायतों से तार आये हैं कि राज्य सरकार ने भू-संरक्षण कार्य के लिये पंचायतों में उसे चलाने का फैसला किया था परन्तु भू-संरक्षण विभाग के पास इस वक्त कोई स्टाफ नहीं है — इसकी वजह से काम चलाना चाहते हुए भी चला नहीं पाते । धन काफी है पर स्टॉफ की कमी के कारण काम रुके पड़े हैं । तो सरकार को इस बारे में भी गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

और वह कार्य नहीं हो सकता तो कम से कम राहत कार्य पंचायतों में होना चाहिये इसके दो तीन बन्धों का काम और एक सड़क का काम चल रहा था, वह भी बन्द हो गया । आमली से भवातड़ा रोड़ का काम भी बन्द हो गया मजदूर इतने ज्यादा हैं कि 12 से 18 साल के बच्चों को निकाल दिया । बच्चों को काम पर लेते नहीं, औरतों को भी नहीं लेते ।

**श्री बृजसुन्दर** : कौनसी सड़क ?

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** दांता-रानीवाड़ा सांचोर। वहां ए. ई. एन. आया। उसने 13 से 18 साल तक के बच्चों को निकाल दिया परिवार में आठ आठ दस दस व्यक्ति हैं अगर वे सब काम न करेंगे तो पेट भरना मुश्किल हो जाता है, आप उनको 1 रुपया दो आना मजदूरी देते हैं। फिर चौकड़ियों के जरिये काम भी दे रखा है तो आप इसे देखें।

काम कोई करना चाहता है तो किसी लेबर को रिफ्यूज नहीं किया जाना चाहिये। करीब 500, 10 से 18 साल के बच्चों को निकाल दिया। इसकी मैंने दर्खास्त भी दी जांच कराई जानी चाहिये इसकी।

आपके पास नजदीक काम नहीं हैं तो नाडियों का और टांकों का काम दे सकते हैं। यह भी काम बहुत जरूरी है। इससे पानी की समस्या भी हल हो सकती है।

इसके अलावा फोडर की बैलोंकी खरीद की और बीज की तकावी देना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो सावण की फसल से वे महरूम रह जायेंगे। इसका प्रोडक्शन पर भी असर पड़ेगा। बैलों की खरीद की और बीज की तकावी तो जरूर दी जानी चाहिये।

रेवेन्यू लॉज के बारे में अन्त में मेरा निवेदन है कि एक कम्प्रीहेन्सिव ला बनाना चाहिये ताकि किसान को आसानी हो सके कानून को समझने में और उनको अलग अलग जगह घूमना न पड़े।

अलाटमेंट जो आप करते हैं उसकी भी कब्जा देने की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए :

**श्री खेतसिंह:** सभापति महोदया, आपके पास में जो सूची है और जो आपने फरमाया है कि आप सूची के अनुसार नाम बोलेंगी तो आप कृपया सूची बता दें ताकि हमको भी मालूम हो जाये कि कौन बोलेगा।

**श्रीमती सभानेत्री:** माननीय श्री भीमसेनजी,

**श्री खेतसिंह:** कितने नाम हैं और ताकि मालूम हो जाय कि कितने आदमी और हैं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई:** एक मिनट में ही समाप्त करता हूं।

तो राजस्व विभाग की ओर से अब इस बारे में सारे कम्प्रीहेन्सिव रूल्स को एक साथ लेकर ऐसे कन्सोलीडेटेड रूल्स बनाने चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो।

दूसरे पटवारखानों के बारे में और राजस्व पटवारघर बनाये हैं उनके लिए सरकार की ओर से कम रुपया दिया है इसलिए वह ऐसे बने हैं कि कोई कोई तो गिर चुके हैं और आज उनकी रिपेयर्स के लिए पैसा नहीं है इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए और जैसी लोकल कन्डीसन्स हैं उसी के अनुसार कच्चे पटवार घर बनाते हैं हालांकि आपने पक्के बनाने का आधार तो बना लिया लेकिन पैसे कम देते हैं और नतीजा यह होता है कि वह गिर जाते हैं। दूसरे राजस्व अधिकारियों की मनोवृत्ति ऐसी है और उनका व्यवहार ऐसा है कि लोग परेशान होते हैं। ऐसे अधिकारियों की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि डेमोक्रेटिक सैट-अप में राजस्व अधिकारियों का व्यवहार काश्तकारों के साथ अच्छा होना चाहिए। इस बारे में भी राज्य सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। बस मुझे इतना ही निवेदन करना था।

**श्रीमती सभानेत्री:** श्री भीमसेन।

**श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : सभापति महोदया, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा था कि जिस क्रम में कटौती के प्रस्ताव आये हैं उसी रूप में आप लेंगे। तो केदारनाथजी के बाद विश्नोई जी का नाम था और वह बोल लिए और उनके बाद मेरा नाम है।

**श्रीमती सभानेत्री:** सभी पार्टियों को अलग अलग टाइम बांट दिया है। आप (श्री नत्थीसिंह) स्थान ग्रहण करें। आपकी पार्टी को 15 मिनट का समय दिया गया और उसमें श्री केदारनाथजी बोल चुके हैं। इसलिए आपकी पार्टी को और समय नहीं दिया जा सकता।

**श्री रामसिंह** (जायज) : जनता पार्टी का कोई सदस्य नहीं बोला है।

**श्रीमती सभानेत्री:** जनता पार्टी को भी दिया जायेगा।

**श्री नत्थीसिंह:** व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदय, सोशलिस्ट पार्टी में से केवल एक सदस्य ही बोले हैं।

(3.32 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

**श्री भीमसेन:** उपाध्यक्ष महोदय, मेरे 3 कटौती प्रस्ताव हैं सबसे पहले माननीय उपाध्यक्ष जी······

**श्री रामसिंह:** उपाध्यक्ष मोहदय, आपने पार्टियों को समय बांटा था उसके अनुसार जनता पार्टी को समय नहीं दिया गया है यह क्या कारण है?

**श्री उपाध्यक्ष:** सभी माननीय सदस्यों को समय दिया जायेगा ऐसा मानकर चलिये।

**श्री भीमसेन:** माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रस्तुत मांग पर मेरे 3 कटौती प्रस्ताव हैं। समय की कमी के कारण मैं अधिक समय नहीं लूंगा। सबसे पहले मैं बीकानेर जिले में जो बारानी इलाका है उस बारानी इलाके में सरकार कोई भी भूमि का एलॉटमेन्ट करती है वह केवल 3 साल के लिए करती है। राजस्थान के दूसरे बारानी हिस्सों में सरकार जमीन का अलॉटमेन्ट 10 साल के लिए करती है और 10 साल के बाद स्वतः उस भूमि पर काश्तकार को खातेदारी हक हुकूक प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन बीकानेर जिले में जो नियम रखे हैं सरकार ने इससे ऐसा लगता है कि यह बदलने चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां भी भूमि का अलाटमेन्ट 3 साल की बजाय 10 साल के लिए करें ताकि सरकार की इच्छा है कि अन्न का उत्पादन बढ़े और एलाटेड भूमि पर जो खर्चा करना पड़ता है और समय बर्बाद होता है उनको सारी बचत हो जायेगी। मैं समझता हूं कि सरकार इसके लिए शीघ्र से शीघ्र आदेश जारी करे।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि काश्तकारों को एक पास-बुक इश्यू की जाय। उसके पास जितनी जमीन है, उसमें कितना हक है, कितनी उसकी लेण्ड रेवेन्यू होती है यह सब उस पास-बुक में हो। हर एक काश्तकार को ऐसी पास-बुक इश्यू कर दी जाय तो समय पर वह

(श्री भीमसेन)

लगान अदा कर देंगे और जो सरकारी प्रशासन है मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था यदि सरकार कर देगी तो काश्तकारों के जमीनों के बारे में जो झगड़े फिसाद होते रहते हैं वह नहीं रहेंगे और काश्तकारों को अपनी जमीन के बारे में पूरी जानकारी होगी। ऐसी व्यवस्था करने से काश्तकारों को सुविधा रहेगी और जो सरकारी व्यवस्था पर खर्चा होता है उसमें भी कटौती होगी, उसमें भी कमी आयेगी। इस तरह से मैंने इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है।

दूसरी सबसे बड़ी अहम समस्या अलॉटमेन्ट के लिए आती है। सरकार जमीन एलाट कर देती है लेकिन उसके बाद में काश्तकारों का जमीन पर पजेशन नहीं होता है। कभी कभी लिटीगेशन्स होते हैं और झगड़े फिसाद होते हैं इसलिए सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि काश्तकार को सरकार जमीन एलॉट होने के बाद में उसको कब्जा दिलाने की सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। काश्तकारों को इसके लिए अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। यह जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी और काश्तकारों को परेशानियां आती हैं उनको दूर करना सरकार का फ़र्ज है।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने इस वर्ष से जो फ्रेग्मेन्ट्स हैं उनके लिए लेण्ड रेवेन्यू एबोलिश कर दी है लेकिन धीरे धीरे सरकार को जो अन इकानामिक होल्डिंग्स हैं उनकी भी लेण्ड रेवेन्यू माफ करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार इस ओर कदम उठायेगी। इसके अलावा एक वन विभाग के सम्बन्ध में छोटा सा कटौती का प्रस्ताव था। हमारे वहां पर एक छोटा बीड़ के नाम से एक जगह है जहां काश्त के लिए लोगों को जमीन दी जा सकती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भूमि जो काश्त के लिए दी जा सके उसको दिया जाना चाहिए।

इन्हीं उद्देश्यों से मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रावतराम!

श्री रावतराम (छापर) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भी कुछ कटौती के प्रस्ताव हैं। और इस बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं राजस्व मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जब से पंचायतों का निर्माण हुआ है और सरकार ने यह फैसला किया है कि पंचायतों को आबादी भूमि का अधिकार दिया जाये लेकिन आज यह स्थिति है कि जो आबादी भूमि है उसके लिए जिन पंचायतों ने गवर्नमेंट के पास यह लिखा है कि जमीन हमको एक्वायर करके दी जाये, आबादी के लिए दी जाये, उनकी मिसलें आज कई वर्षों से चल रही हैं लेकिन उस संबंध में कोई फैसला नहीं हो रहा है और इससे क्या होता है कि लोग अनअथोराइज्ड कब्जा करते जा रहे हैं। आबादी के पास में जो खातेदारी लेण्ड या दूसरी जो सरकारी जमीनें पड़ी हैं उनके ऊपर लोग कब्जा करते हैं उसके बाद में उनको नोटिस दिये जाते हैं और उनको हटाया जाता है, उनका कब्जा तुड़वाया जाता है। मैं उन गांवों का जिक्र करूंगा जहाँ खारी पानी का एरिया है। वहां सरकारी जमीन है उस पर लोग कुण्ड बना लेते हैं, टांके बना लेते हैं और उसके बाद में तहसीलदार के नोटिस जाते हैं कि

( श्री रावतराम )

इनको हटाग्रो । मेरा निवेदन यह है कि जिन पंचायतों की ग्रोर से ग्राबादी भूमि के लिए जो मिसलें चल रही हैं कलेक्टोरेट में ग्रोर दूसरी जगह उनको पूछना चाहिए कि उनको निपटाने में कितना समय लगेगा ? जहां तक मुझे जानकारी है मैं मेरे जिले के बारे में बताना चाहता हूं कि चूरू जिले की ग्राज सैकड़ों मिसलें कलेक्टोरेट के कार्यालय में पड़ी हैं ग्रौर ग्राज उनको वहां 1½ साल हो गये हैं लेकिन कोई डिसीजन नहीं होता है ग्रौर इस से गांव वालों को भी नुकसान होता है ग्रौर पंचायतों को भी नुकसान होता है । इसके ग्रलावा जो खातेदार हैं उन खातेदारों ने जमीन की कमी की वजह से ग्रपने खेतों के ग्रन्दर किसी ने कुग्रा बना लिया है तो किसी ने मकान बना लिया है उनको तोड़ने के लिए तहसीलदार के नोटिस जाते हैं । जहां तक मुझे ज्ञान है राजस्व विभाग के इस तरह के ग्रादेश हैं कि कोई भी किसान ग्रपनी खातेदारी लेण्ड पर ग्राबाद हो सकती है एक छोटे से टुकड़े पर यदि ऐसा है तो सरकार को चाहिए कि यह स्पष्ट ग्रादेश कलेक्टर को दे कि वह तहसीलदार को पाबन्द करे कि जो खातेदार ग्रपनी लेण्ड पर हाउस बनाता है या कुग्रा बनाता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाये । तो मैं निवेदन करूंगा कि ग्राबादी भूमि की मिसलें जो बहुत वर्षों से चलती ग्रा रही हैं ग्रौर पंचायतों को ग्राबादी के लिए भूमि नहीं मिलती ग्रौर मिसलों को पड़े कई कई साल हो गये हैं उनका निपटारा करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए । ..

इसके ग्रलावा दूसरा मेरा प्रश्न है जिसकी ग्रोर मैं ग्रापका ध्यान दिलाऊंगा- वह है ग्रारजी राज जमीन का, जिसका कि हर साल ग्रलॉटमेंट करते हैं । जैसा माननीय सदस्य बीकानेर से ग्राए हैं, उन्होंने बताया है उसी तरह का प्रोसीजर ग्रापने चूरू जिले में भी लागू कर रखा है । हर तीसरे साल ही नहीं वहां तो लोगों को हर साल एप्लीकेशन देनी पड़ती है । हर साल एप्लीकेशन देनी पड़ती है ? ग्रौर किसानों को यह भरोसा नहीं रहता कि यह जमीन अगले साल हमको मिलेगी भी या नहीं । जहां तक मेरी जानकारी है, मैं आपको बताता हूं कि भारत सरकार की तरफ से इस तरह की कोई कमेटी बैठाई गई थी, जिसका नाम शायद पशु कमेटी होगा ग्रौर उस पशु कमेटी के जिम्मे यह काम लगाया गया था कि इस एरिया में, जहां डेजर्ट एरिया है खासतौर से, क्या गुंजाइश है किसानों को ग्रागे बढ़ाने की ग्रौर इस मसले पर वह कमेटी विचार करे ग्रौर उस कमेटी ने यह रिपोर्ट की है कि डेजर्ट एरिया के ग्रन्दर खासतौर से एनीमल हस्बेंड्री का काम ही किया जा सकता है । इसलिए जो ग्रारजी राज जमीन है, जो सरकारी जमीन है, उसको परमानेंट तौर पर ग्रलॉटमेंट नहीं करना चाहिए ग्रौर इसीलिए इसे रोक रखा है ग्रौर हर साल ग्रलॉटमेंट करते हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर इतनी ज्यादा जमीन नहीं है कि पशु पालन का धन्धा भी सुचारु रूप से चलाया जा सके । कहीं बीस बीघा, कहीं 25 बीघा, कहीं 50 बीघा जमीन मिलती है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो जमीन का ग्रलॉटमेंट किया जाय वह कम से कम दस साल के लिए किया जाए, हर साल के लिए नहीं । ग्रभी माननीय सदस्य भीमसेनजी ने बताया कि किस तरह से 15-15, 20-20 माइल से लोग ग्राते हैं दरख्वास्तें

(श्री रावतराम)

देने के लिए और फिर भी उनके दिल में यह भरोसा नहीं रहता कि जमीन मिलेगी या नहीं, इस तरह का बोझ उनके दिमाग पर रहता है जिससे वे अपनी जमीन पर अधिक सुधार भी नहीं कर पाते हैं। इस लिए मेरा निवेदन है कि जमीनों का अलॉट-मेंट कम से कम दस साल के लिए होना चाहिए।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान अब जो हमारे यहां दो तीन साल पहले हमारे जिले में सैटलमेंट हुआ उसके बाबत दिलाना चाहता हूं। हमने सैटलमेंट क्यों कराया। हमने सैटलमेंट इसलिए कराया कि जो झगड़े हैं किसानों के आपस में, खेती के बाबत, कहीं ज्यादा हैं तो कहीं कम हैं, जो कई तरह के झगड़े रहते थे उन झगड़ों को निपटाने के लिए आपने सैटलमेंट करवाया था। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वह झगड़े निपटने के बजाय और ज्यादा बढ़ गए है और झगड़े बढ़ने का कारण यह है कि सैटलमेंट सही तौर पर नहीं हुआ है। अभी जो सैटलमेंट किया गया है और पिछला जो सैटलमेंट हुआ था, उसका जो माप का तरीका या वह दूसरा था और इस बार सैटलमेंट में जमीनों को नापा गया है वह दूसरे तरीके से नापा गया है। तीन चार पांच खेतों को मिला करके उसको नापा गया है और उसमें फिर उसकी सीमा-बन्दी की गई है और जो खेत 60 बीघा के थे उनको 50 बीघा लिखा गया है। जो खेत 50 बीघा के थे उनको 60 बीघा लिख दिया गया है और इसी कारण से लोगों में झगड़े हैं। आज सैटलमेंट कमिश्नर के यहां हजारों की संख्या में मुकदमे चल रहे हैं। आज चार चार साल हो गए हैं उन मुकदमों को सुलटाया नहीं जाता है। इस व्यवस्था से किसान ज्यादा परेशानी में पड़ गए हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में आप-को कारगर कदम उठाना चाहिए। आप चाहते हैं कि किसानों को राहत मिले, आप चाहते हैं कि किसानों की स्थिति सुधरे तो आपको बिल्कुल दुरुस्त तरीके से ठीक ढंग से आगे बढ़ना चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि उनकी हालत में सुधार हो तो आपको इस मामले में ध्यान देना पड़ेगा।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लैंड रेवेन्यू का सवाल भी पैदा होता है राजस्थान सरकार ने बहुत दिनों के बाद इस साल एक छोटा सा कदम उठाया है कि लैंड रेवेन्यू माफ करेंगे जिनके पास छोटी होल्डिंग्स हैं। तो मैं यह देखता हूं कि जो हमारे जिले के अन्दर 15 एकड़ की, 15 एकड़ की छोटी छोटी जोतें हैं, उन किसानों को इससे कोई ज्यादा राहत मिलने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे यहां डेजर्ट एरिया है और उसमें जोतें बहुत बड़ी हैं। इसलिए आपको हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए और किसानों को राहत देनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, कि कम से कम पचास प्रतिशत किसानों को इससे फायदा हो, वे इस केटेगरी में आवें इस तरह का कदम आपको उठाना चाहिए। इस साल तो अब क्या होगा, फिर भी उम्मीद करते हैं कि आयन्दा के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए।

इसके अलावा मैं अकाल राहत के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इस साल हमारे चुरू जिले के 45 गांव अकाल में हैं। यहां हाउस में बड़ी जोरदार चर्चाएं पिछले दिनों में हुई और कहा गया कि मानवीय दृष्टि से, इन्सानियत को देखकर यह

( श्री रावतराम )

सारे कदम उठाए गए हैं, पैसा खर्च किया गया है। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण सभी जगह समान रूप से रखना चाहिए। यह नहीं कि जहां, 45 गावों में, एक भी राहत का काम आज तक शुरू नहीं हुआ है, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सस्ते अनाज की कोई दुकान नहीं है तो क्या सरकार यह समझती है कि वहां पर कोई अकाल नहीं है। आज लोग भूखों मर रहे हैं, अनाज के बिना, अनाज नहीं मिलता है, पानी भी तीन तीन, चार चार कोस से लाना पड़ता है, आप वहां पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं कर सके। एक जिले को इस तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आप कहते हैं कि कलेक्टर ने कोई रिपोर्ट नहीं की। कलेक्टर की रिपोर्ट आई है, मुझे एक प्रश्न का उत्तर यहां मिला है कि कलेक्टर ने लिखा कि मेरे पास नीचे से प्रस्ताव नहीं आया। नीचे से प्रस्ताव कहां से आता। पंचायत समिति ने लिखा, जिला परिषद ने लिखा, हमने कहा और किसका प्रस्ताव चाहते हैं कलेक्टर, यह मेरी समझ में नहीं आया। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि गांवों की जिम्मेदारी आपकी है। जिन लोगों को काम नहीं मिलता है उनके लिये आप यह कह कर टाल नहीं सकते कि थोड़े से गांव हैं वहां काम नहीं चल सकते हैं। इलेक्शन के दिनों में मैं गांवों में गया था और वहां मैंने लोगों की हालत देखी थी। मजदूरों के पास कोई धन्धा नहीं था। चार महीने के बाद भी आज तक वहां कोई राहत कार्य शुरू नहीं किया गया। बरसात का टाइम सामने आ रहा है। ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनको तकावी दीजिए, चारा दीजिए, बीज दीजिए ताकि खेती के लिये ही वे कोई न कोई कदम उठायें। मैं उम्मीद करता हूं कि कलेक्टर शुरू से आप बातचीत करेंगे और उन गांवों को इस तरह से राहत पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, यहां इस हाउस में इस बात की भी चर्चा चली कि जो मजदूर राहत कार्यों पर लगे हुए हैं उन मजदूरों को आज प्रति व्यक्ति एक रुपया दो आना और औरत को चौदह आना मिलता है. फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। यह सवाल आज ही नहीं पिछले तीन चार साल से यहां पर उठ रहा है। आज इतनी महंगाई बढ गई है, अनाज महंगा हो गया है उसके बाद भी आप एक औरत को चौदह आने और एक आदमी को एक रुपया दो आने देते हैं तो हम यह मान कर चलते हैं कि हमारे मन में उनके प्रति टीस नहीं है क्योंकि हमारी औरतें मजदूरी करने के लिये वहीं नहीं जाती हैं। औरतें गरीबों की जाती हैं और छोटी जातियों की औरतें जाती हैं, इसलिए आपके दिलों में कोई दर्द नहीं हैं। यहां पर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के माननीय सदस्य भी बैठे हैं लेकिन वे भी सरकार का मुंह देखते हैं। उनको अच्छा रुपया मिल जाता है इसलिए उनकी औरतें आराम से रहती है, लेकिन जिनकी औरतें मजदूरी करने के लिये जाती हैं उनको दर्द होता है। परन्तु उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। कहां गया आपका फेमिन कोड। बड़े जोर शोर से कहा जाता था कि फेमिन कोड बना रहे हैं उसमें मजदूरी बढ़ायेंगे। उस फेमिन कोड को क्या हो गया। क्यों नहीं आपने मानवीय दृष्टि कोण अपनाया? जो आप चौदह

( श्री रावतराम )

आने देते हैं उसकी जगह डेढ रुपया तो कम से कम दीजिए। तो मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को नहीं टालना चाहिये, इससे नीचे के तबके के लोगों को बहुत राहत मिलेगी, उनको...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

बहुत परेशानी हो रही है चौदह आने में।

एक छोटी सी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। वह यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि आये साल जो हमारे राजस्थान में अकाल पड़ता है और खास तौर से बीकानेर, बाड़मेर, नागौर डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं कि इन जिलों में हर साल अकाल की छाया पड़ती है और पिछले दस सालों से तो लगातार अकाल पड़ते रहते हैं। करोड़ों रुपये सरकार ने इन एरियाज में खर्च किये हैं। अभी भी कोई यह बता नहीं सकता कि आयन्दा अकाल नहीं पड़ेंगे। अकाल तो आते रहेंगे और सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैं यह नहीं समझता कि सरकार अकाल के पैसे को रोक सकती है, लेकिन अगर आपको लोगों की हालत ठीक करनी है, उनको राहत पहुंचानी है तो जो पशुपालन के धन्धे हैं, जहां पानी के साधन हो सकते हैं, सिचाई के जरिये दूसरे काम हो सकते हैं तो इस तरह की स्थाई व्यवस्था करने के लिये आपको कोई कमेटी या कमीशन बना कर स्थायी योजना बनानी चाहिए ताकि उस योजना के जरिए लोगों को धीरे २ काम पर लगाया जा सके और अकाल से होने वाली परेशानी से उन्हें बचाया जा सके। मुझे उम्मीद तो यह थी कि इस बजट के अन्दर ही जरूर इस प्रकार की कोई योजना, अकाल को रोकने की कोई स्थायी योजना का निर्माण सरकार करेगी लेकिन इस प्रकार की कोई योजना इस बजट में नहीं रखी गई है। आगे के लिए तो कम से कम इस प्रकार की कोई योजना, बड़ी योजना बनाई जाय, पिछले दस साल से आप करोड़ों रुपया इस पर खर्च कर चुके हैं तो कोई योजना बना कर काम शुरू किया जाय। तो मैं समझता हूं कि डेजर्ट एरिया के अन्दर धीरे धीरे दस साल के बाद में जाकर इस अकाल पर काबू पा सकेंगे। इसलिए सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह इस तरफ जरूर ध्यान दे। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निवेदन करूंगा कि मैंने जो बहुत सी बातें कही हैं उन पर माननीय मंत्री महोदय ध्यान देंगे। चूंकि माननीय, बहुत से, सदस्य बोलने के लिए उतावले हो रहे हैं, अतः मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल।

श्री पी० के० चौधरी : ये स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य काफी समय ले लेते हैं इनके लिये एक घन्टा था वह पूरा हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा नहीं हुआ। श्री मोतीलाल।

श्री मोतीलाल (रेवदर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने बहुत सी जगहों पर अकाल राहत के कार्य शुरू किये हैं, अकाल राहत के नाम पर बहुत जगह सरकारी रुपये का गबन हुआ और घोटाला हुआ है। इसके लिये मैं उदाहरण देना चाहता हूं ग्राम भारजा तहसील पिन्डवाड़ा, जिला सिरोही जिन मजदूरों ने मजदूरी की उनकी मजदूरी नहीं चुकाई। कलेक्टर लोग जो सरकार के वफादार है उनको यह आदेश

# Page No.112



( श्री मोतीलाल )

दिया जाना चाहिए कि जिन गरीब मजदूरों की मजदूरी बकाया है उनको जल्दी से जल्दी दिलाने की व्यवस्था करें ताकि उनको राहत मिले ।

(बहुत से माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री केसरीसिंह ।

**श्री पी० के० चौधरी** : स्वतन्त्र पार्टी को एक घण्टे से ज्यादा समय हो गया है । हमें बोलने की इजाजत दी जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष** : एक घण्टे से ज्यादा समय नहीं हुआ । श्री केसरीसिंह ।

**श्री खेतसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय ने मेरा नाम पुकारा है ।

**श्री रामसिंह** : खेतसिंहजी जरा कम सुनने लग गये हैं उनका मुआयना डाक्टरों द्वारा करवाया जाय ।

**श्री पी० के० चौधरी** : इन्होंने एक घन्टे से ज्यादा समय ले लिया है ।

**श्री केसरीसिंह (हिन्डोली)**: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा राजस्व पर एक कटौती का प्रस्ताव है ....

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : क्या उपाध्यक्ष महोदय, लिस्ट के अनुसार समय दिया जा रहा है या कैसे ?

**श्री उपाध्यक्ष** : सुविधा के अनुसार दिया जा रहा है ।

**श्री पी० के० चौधरी** : पहले कहा गया था लिस्ट के अनुसार दिया जायगा ।

**श्री केसरीसिंह** : तहसील नेनवा में एक गांव है रामगंज, वहां पर जो पड़त जमीन थी उस जमीन को तहसीलदार द्वारा बांसी, जो एक पास का गांव है, वहां के कीरों को एलॉट कर दिया गया। मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस ग्राम के अन्दर स्वयं भूमिहीन काश्तकार हैं उनको वंचित करके दूसरे ग्राम के काश्तकारों को जमीन दी जाय यह कहां तक उचित है ? इसके अतिरिक्त वह जमीन 6 साल तक पड़त रही क्योंकि काश्त नहीं की और उसके बाद रामगंज के काश्तकारों के प्रार्थना पत्र तहसीलदार के पास प्रस्तुत किये गये पर उस पर भी विचार नहीं किया, तो ग्रामीणों ने और कोई चारा न देख कर उस जमीन को तोड़ कर दिया । अब उनके खिलाफ एस.डी.एम. के यहां मुकदमा चल रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है, और बात यह है कि उस ग्राम के लोगों ने कांग्रेस को साथ नहीं दिया, विरोधियों को वोट दिया इसलिये और भी ज्यादा उनको परेशान किया जा रहा है । इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि जिस गांव में भूमिहीन काश्तकार हों तो जमीन का एलॉटमेंट सर्वप्रथम उन्हीं को ही होना चाहिये यह उन्हीं का अधिकार है । मगर ऐसा नहीं किया गया । मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे ।

इसके अतिरिक्त एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एलॉटमेंट के अन्दर काफी घोटाला होता है । तहसीलदार के पेशकार लोग एलॉटमेंट के एक दो रोज पहले ही उन गांवों में पहुंच जाते हैं जहां पर काश्तकारों को एलाटमेंट करना होता है और काश्तकारों से रकम लेकर उनके नाम एलॉटमेंट करते हैं । इस व्यवस्था में भी सरकार सुधार करे और इस तरह की दुर्व्यवस्था और भ्रष्टाचार को खतम करना चाहिये ।

( श्री केसरीसिंह )

एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1955 में जब मैं विधान सभा का सदस्य था तो एक कानून आया और उस कानून के अन्तर्गत उन काश्तकारों को, जिनका जमीन पर कब्जा किया हुआ था, उनको बगैर पैसे और बगैर मुआवजा जमीन खाते बांध दी गई, लेकिन वह कानून पता नहीं कहां की रद्दी की टेकरी में डाल दिया और आज काश्तकारों से पैसा लिया जा रहा है। पाटन के क्षेत्र के अन्दर 700 रुपया फी बीघा सरकार ने इस तरह लिये हैं पर काश्तकारों को जमीन तक नहीं दी। उन जमीनों पर दूसरों द्वारा कब्जा किया हुआ है और जिनसे उस जमीन का एक चौथाई पैसा लिया गया है उनको कब्जा नहीं दिया गया। यह सरासर अनुचित है। दूसरी मुझे सरकार से यह निवेदन करनी है कि मेरा जो कटौती का प्रथम प्रस्ताव राजस्व पर है उस पर सरकार विचार करे और रामगंज के जो काश्तकार भूमिहीन हैं उन पर विचार करके उचित कार्यवाही करे।

मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव दुर्भिक्ष पर है और वह यह है कि सामान्य चुनावों के पूर्व सरकार द्वारा खोले गये सहायता कार्य पूरे करने का विचार किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि अकाल सहायता के अन्दर जो कार्य सरकार ने चुनावों के पूर्व खोले, मैं नहीं जानता वे किस कारण से बन्द कर दिये गये, वे पूरे करने चाहिये। मैं आपको नाम और कार्य निवेदन करता हूं। तहसील हिन्डोली में गुढ़ा गोकुलपुरा का बांध है जिसके बारे में मैंने प्रश्न भी रखा था पर वह नाम गोकुलपुरा के बजाय गोपालपुरा छप गया और सरकार ने जवाब नहीं दिया, दूसरा प्रश्न आया तो कहा गया कि काम बन्द कर दिये गये। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि चुनावों के पूर्व जनता को गुमराह किया गया, अकाल सहायता के नाम से यह कहा गया कि यह तालाब तुम्हारे लिये बनवा रहे हैं और यह हर सूरत में बनेगा। मगर बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि ज्यों ही चुनाव खत्म हुए और परिणाम घोषित हुए और कांग्रेस हार गई तो वह कार्य बन्द कर दिया गया। इसलिये मैं सरकार को आपके जरिये उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि जो कार्य हाथ में लिया गया है और जिसके लिये जनता को आश्वासन दिया गया है उस कार्य को पूरा करने का सरकार का कर्त्तव्य है, यह उनका दायित्व है चाहे कांग्रेस वहां जीते चाहे हारे। जो भी दुर्भिक्ष का कार्य हाथ में लिया हैं उसका पूरा करना चाहिये।

(4 म० प०)

दूसरी है तजवाड़ की सड़क। जजावर की सड़क सरकार ने हाथ में ली और पत्थर बोलडर डाल दिये, मगर सड़क का काम बन्द कर दिया गया और कहा गया कि अकाल नहीं है। मैं नहीं समझ पाता कि बगैर बारिश हुए, बगैर फसल पैदा हुए कैसे अकाल गायब हो गया। यह तो ऐसा समझा जाय कि ज्योंहि चुनाव खत्म हुए अकाल गायब हो गया। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए और जहां जहां पर कार्य शुरू किये हैं उनको पूरा करना चाहिए, वर्ना जो भी रकम सरकार द्वारा व्यय हुई हैं वह सब बेकार हो जायगी।

दूसरी है पेंच की बावड़ी की सड़क जो सरकार ने अपने हाथ में ली और आश्वासन दिया था कि सड़क बनेगी, मगर वह भी अधूरी छोड़ी दी गई है।

( श्री केसरीसिंह )

इसके अतिरिक्त मैं चन्द शब्द जो कि मजदूर हैं उनके लिए कहना चाहूंगा। मजदूरों के साथ में सरकार खिलवाड़ करती है। खिलवाड़ इस प्रकार होता है कि दो गड्ढे खुदवा दिये और दो गड्ढों के बाद में उनको अधिकार नहीं कि एक तीसरा गड्ढा खोदें। उनको इसके लिए 1रु० 2 आना मिलेगा, 14 आना मिलेगा और 12 आना मिलेगा और उसको घर जाने की भी इजाजत नहीं है और उनको 8 घंटे तक विना काम वहां पर बैठाये रखा जायगा। मैं खुद मेरे चुनाव के दौरान में ग्राम पाई बालूपुरा के बान्ध पर गया तो वहां पर एक्स० ई० एन० इरीगेशन आये थे तो उनसे बात चीत हुई तो उन्होने कहा कि 8 घंटे तक यहां रखेंगे। उसके बाद में इजाजत देंगे और दो गड्ढों से ज्यादा नहीं खोद सकेंगे। न घर का काम कर सकते हैं, न वहां का काम कर सकते हैं। उनके पास बन्धी हुई रकम है एक आदमी के लिए 1रु० दो आना। उससे किसी भी सूरत में ज्यादा नहीं मिल सकती है। इस लिए उनसे न कार्य कराया जाय और न उनको घर जाने दिया जाय यह सरासर अनुचित है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त जो पैसा दिया जाता है वह बहुत कम है, और उस वक्त मजदूरों की यह मांग थी कि उनको पैसा नहीं देकर अनाज दिया जा, और अनाज देने से ठीक रहेगा क्योंकि मजदूरी जो की जाती है वह अनाज के लिए ही की जाती है।

अब मैं वन के विषय में निवेदन करूंगा। रियासतों के जमाने में जो बीड़ रहा करते थे उनका यह तात्पर्य था कि अकाल के समय और जनता के काम के लिए घास वक्त पर उपलब्ध हो, मगर इस सरकार ने वह परिपाटी भी बलाए ताक रख दी है, क्योंकि उनको जरूरत नहीं कि घास इकट्ठा किया जाय, क्योंकि गुजरात और बाहर से अनाप-शनाप पैसा देकर घास मंगा लेते हैं। उनको कुछ नहीं करना पड़ता है। उस वक्त रियासतें छोटी थीं। उनके पास साधन कम थे, इस लिए हर तरह से जनता की सुभीता के लिए ध्यान रखना पड़ता था। बीड़ों की क्या हालत है कि डिमार्केशन के जंगलात ने पत्थर गाड दिये हैं और पत्थर गाड कर मवेशियों का अन्दर घुसना बन्द कर दिया है। अगर मवेशी घुसते हैं तो अनाप-शनाप जुर्माना वसूल करते हैं। नतीजा कुछ नहीं निकलता है। न जनता को घास मिलता है और न मवेशियों को चारा। इस लिए मेरा कटौती का प्रस्ताव है कि जो जमीन काबले काश्त है और जिसको जंगलात ने अपने डिमार्केशन में लेलिया है उसको तुरन्त डिमार्केशन से बाहर निकालकर रेवेन्यू में दे दिया जाय और भूमिहीन काश्तकारों के बीच में उसका वितरण फौरन हो जाना चाहिए, क्योंकि इस समय अन्न का संकट है और अन्न के संकट के वक्त में जो काम की जमीन है, जो काबिले काश्त जमीन है उसको रोक कर जंगलात में रखेंगे तो उससे कोई तात्पर्य होने वाला नहीं है। यह मेरा वन के विषय में पहला कटौती का प्रस्ताव है। सरकार द्वारा ध्यानपूर्वक इस पर विचार किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दो और हैं। मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। मुझे समय का ध्यान है। (कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर) कृपया आप शान्त रहें। मैं नया नहीं हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास: घन्टे भर तक तो आप अकेले ही बोलेंगे.... ..

श्री उपाध्यक्ष: आपकी पार्टी का केवल एक मिनिट का समय बचा है।

श्री केसरीसिंह: दो कटौती के प्रस्ताव हैं। जंगलात पर दूसरा कटौती का प्रस्ताव मेरा यह है कि डबलाने में जो वड़गांव व रेण के बीड़ हैं उनकी जमीन के ऊपर डवलाना के उप सरपंच के जरिये या उसके कहने से वहां के हरिजनों को कब्जा दिला दिया गया है जब कि डवलाने के भूमिहीन काश्तकार उसके लिऐ आवेदन-पत्र पेश कर रहे हैं, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस लिए मैं चाहूंगा कि जो आदेश हों..........

श्री नारायणसिंह मसूदा: यह कहां है ?

श्री केसरीसिंह: डबलाने का बीड़।

एक माननीय सदस्य: बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है डबलाना।

श्री केसरीसिंह: यह वड़गांव का बीड़ है डबलाने के पास।

इसके अतिरिक्त जो जमीन भूमिहीन काश्तकारों के पास है, जिन्होंने जमीन जंगलात के अन्दर से ले ली है उसको रेग्युलेराइज करने के लिए सरकार को निवेदन करूंगा, क्योंकि अगर रेग्युलेराइज नहीं होगी तो उन पर काफी कठिनाई होगी। इसके अतिरिक्त इसी जंगलात की भूमि के अन्दर डिमार्केशन के अन्दर चैता के ग्राम में बी० डी० ओ० को तहसीलदार द्वारा जमीन दे दी गई है और उस जमीन की पूरी हंकाई, जुताई का काम पंचायत समिति के ट्रेक्टर और पंचायत समिति के साधनों से कराये गये। यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस जमीन को या तो जंगलात में रखते हैं और काश्तकारों को नहीं दी जाती है और बी० डी० ओ० को दे दी गई है, और उसके उपरान्त भी जमीन के अन्दर जितना भी काम ट्रेक्टर वगैरह से हुआ है, खाद और बीज का हुआ है वह सब पंचायत समिति की ओर से किया गया है। इसका मैंने प्रश्न भी रखा है, लेकिन सरकार ने कोई विचार नहीं किया, लिहाजा मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपने पांच कटौती के प्रस्ताव सदन के समक्ष पेश कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वृजप्रकाश।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था एक बार में हो कि जब हमारे व्यक्ति को समय दिया जाता है तो क्रम के अनुसार दिया जाना चाहिए। सदन की यह परम्परा रही है कि जब प्रश्न कार्यालय में पेश करते हैं तो उस पर टाइम भी दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: पार्टी नहीं लगाई जाती है। फिर तो यह होगा कि जिन पार्टी वालों ने सबसे पहले दे दिया वे ही बोलते रहेंगे। एक ही पार्टी का समय हो जायगा।

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ठीक कह रही हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : समय क्रम के अनुसार मिलें।

श्री बृजप्रकाश : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन जिन को समय दिया है उनके नाम बोल दिये जायं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह उसी को अवसर दिया जाता है जो मेरी आई केच करता है।

श्री खेतसिंह : हम तो आपकी एक घन्टे भर से आई केच कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजप्रकाश समय बहुत कम है। ( कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर ) समय तो बीच-बीच में यों खर्च करवा देते हैं। अच्छा होता उससे तो कि उनको बोलने देते।

श्री बृजप्रकाश (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव संख्या 72 सीलिंग आफ होल्डिंग्स के सम्बन्ध में मैं सदन को अपने विचार देना चाहूंगा। सीलिंग आफ होल्डिंग्स के लिए पिछली कई बार, मैं समझता हूं कि शायद 3 बार, राजस्व मंत्री ने लागू करने की कोशिश की और तीनों बार ही पेचीदगियां पेश हुई वे मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह बताया गया कि लागू करने में किसानों को बहुत ज्यादा परेशानियां आयेंगी तो वे स्थगित कर देंगे। अब इस चुनाव के बाद राजस्व मंत्री ने अपने बूंदी के दौरे पर इस कानून को लागू करने के लिए फिर एलान कर दिया है और उसमें यह कह दिया है कि जल्दी से जल्दी इसके लिए तारीख निर्धारित कर दी जायगी। मैं यह चाहता हूं कि राजस्व मंत्री महोदय के उस भाषण की इज्जत रहे और पहले की तरह नहीं होगा, जिस प्रकार पहले भी इसको लागू करने की कोशिश की गई और फिर यह लागू नहीं किया गया, अब की बार ऐसा न हो। यदि आप इससे सम्बन्धित समस्याओं को सुलझाये बिना इसको लागू करने की कोशिश करेंगे तो इसको लागू नहीं कर सकेंगे। इस कानून को लागू करने की तलवार किसान की गर्दन पर पिछले पांच सालों से लटकाई हुई है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इससे सम्बन्धित सब समस्याओं को सुलझा कर और अच्छी प्रकार इसको देख कर लागू करना चाहिये। जब यह कानून बना था, तब की और आज की परिस्थिति के अन्दर काफी परिवर्तन आ गया है। इसलिये इस कानून के प्रावधानों को दुबारा अच्छी तरह से देखना जरूरी हो गया है। यदि आज की परिस्थिति और तब से अब तक हुए परिवर्तनों को देखे बिना इस कानून को लागू करने की कोशिश की गई तो मेरा निवेदन है कि इससे एक अव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी, किसानों के ऊपर अन्याय होगा और एक गड़बड़ी उत्पन्न हो जायगी। मैं अपने क्षेत्र के मुतल्लिक कुछ विशेष जानकारी रखता हूं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो असेसमेंट सर्किल्स बनाये गये थे, उन असेसमेंट सर्किल्स के आधारों में मेरे क्षेत्र में काफी परिवर्तन हो गया है। और वह मुख्य परिवर्तन आज भाखरा क्षेत्र में हुआ है क्योंकि तीस हजार एकड़ का रकबा पिछले दिनों रिवाइज्ड चकबन्दी के अन्दर अनकमान्ड घोषित कर दिया गया है। उस रकबे में जो पहले कानून में सीलिंग निर्धारित की गई थी वही अब भी रख दी जायगी तो जो अनकमाण्ड रकबा तीस हजार एकड़ की तादाद में है उस पर सीलिंग का जो पहले निर्धारण हुआ है,

( श्री बृजप्रकाश )

उसको ही लागू किया गया तो वहां के किसानों के साथ में एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। सीलिंग के सम्बन्ध में कानून में जो धारा रखी गई है, उसमें लिखा है दस मन फी बीघा, यानि दस मन जिस जमीन में गेहूं पैदा हो सकता है या दस मन गेहूं की कीमत का कोई दूसरा अनाज पैदा हो सकता है, उसको एक स्टेण्डर्ड एकड़ माना जायगा। यह सीलिंग कानून की एक विशेष धारा है क्योंकि इसके आधार पर ही असेसमेंट सर्किल्स बनाये गये हैं। अगर यह आधार ठीक होता है तो इस आधार पर किये गये सीलिंग से हर किसान के साथ में न्याय हो सकता है। इस आधार पर ही इस सम्बन्ध में सारे नियम और कानून में सारे प्रावधान होने जरूरी हैं। अगर वह नहीं होते हैं तो किसानों के साथ में न्याय नहीं हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन सारी चीजों को आज की परिस्थिति में दुबारा देखना चाहिये।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि जो नियम बने हुए हैं, इन नियमों में जिस प्रकार से असेसमेंट सर्किल्स बनाये गये हैं वह बिल्कुल कानून की धारा के खिलाफ हैं। जो कानून में धारा है कि दस मन गेहूं फी बीघा या दस मन गेहूं की कीमत का दूसरा अनाज पैदा हो सके - इस आधार पर असेसमेंट सर्किल्स नहीं बनाये गये हैं। इसके विपरीत आर्बीट्रेरीली, मनमाने ढंग से असेसमेंट सर्किल्स बनाये गये हैं। और उस आधार पर ही इस सीलिंग कानून को लागू करने की कोशिश की जा रही है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि गंगानगर जिले को एक यूनिट माना गया है, जिस प्रकार से हर जिले को एक यूनिट माना गया है और गंगानगर के अन्दर भूमि का वर्गीकरण किया गया है -राजस्थान कैनाल, गंग कैनाल, भाखरा प्राजेक्ट एवं गंग कैनाल द्वारा सिंचित तथा असिंचित नहरी क्षेत्र। इस वर्गीकरण में सिंचित और असिंचित-दोनों तरह की जमीन को वर्गीकरण में बराबर रखा गया है। मैं नहीं समझता कि कोई साधारण से साधारण आदमी भी इस बात को मान लेगा कि सिंचित और असिंचित दोनों तरह की जमीन में बराबर अनाज पैदा हो जायगा। इसलिए जो वर्गीकरण का तरीका एडाप्ट किया गया है और उसमें जो भूमि का निर्धारण किया गया है- मैं समझता हूं, वह बिल्कुल गलत है। वर्गीकरण के सिद्धान्त के आधार पर वह बिल्कुल गलत है। हमारे गंगानगर जिले में नहरी क्षेत्र में, वैसे वहां ज्यादा क्षेत्र नहरी है, सिंचित और असिंचित जमीन में कोई भेद न करके जो सीलिंग लागू किया गया है, उसके कारण से किसानों के साथ में अन्याय होगा, उसके कारण से किसान बरबाद हो जायेंगे, और इसके कारण एक किसान और दूसरे किसान में भेद होगा, उससे एक दूसरे के अन्दर मन मुटाव पैदा हो जायगा। दूसरा है, ऐसा नहरी क्षेत्र जिसमें नहरी पानी केवल एक बार दिया जाय। यह दूसरा सैक्शन है। इसका मतलब यह होगा कि यदि नाली में बाढ़ आ जाती है तो उस नाली की बाढ़ के कारण फसल बरबाद होगी ही। लेकिन उसमें फिर किसान फसल बोता है तो उसको भी आप उसी सेक्शन में मानेंगे, जिस सेक्शन में है, ऐसा नहरी जिसमें केवल एक बार पानी दिया जाय। इसके बाद में तीसरा सेक्शन है, पाला और नाली- इसमें सीलिंग की फिर तादाद बढ़ा दी गई है। पहला सेक्शन है, उसमें है राजस्थान कैनाल, गंग कैनाल, भाखरा

( श्री बृजप्रकाश )

प्रजेक्ट एवं गंग कैनाल द्वारा सिंचित तथा असिंचित, दूसरा है, ऐसा नहरी क्षेत्र जिसमें नहरी पानी केवल एक बार दिया जाय और तीसरा है पाला और नाली– जो इस क्षेत्र के लिए यूज किया गया है। इसका कोई पता नहीं लगता है कि इसका आफिसर्स लोग किस तरह का मतलब निकालेंगे। इसी तरह का वर्गीकरण दूसरे जिलों में भी रखा गया है।

अब इसमें जो एक विशेष परिवर्तन हुआ है, उसको मैं एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा। अनूपगढ़ में, जो एक बोर्डर एरिया है और जहां पर नहर की टेल है, वहां पर 29 एकड़ जमीन का सीमा निर्धारण किया गया है। अनूपगढ़ में तीस स्टेंण्डर्ड एकड़ के इक्विवलेन्ट 29 एकड़ को रखा गया है। जब कि इसके बिल्कुल नजदीक ही सूरतगढ़ में 45 एकड़ रखे गये हैं। सूरतगढ़ में बिल्कुल उसी प्रकार की जमीन है, इसके अलावा अनूपगढ़ में नहर के टेल में है और सूरतगढ़ हैड में है, तब भी अनूपगढ़ में 29 एकड़ की सीमा रखी गई है और सूरतगढ़ में 43 एकड़ की सीमा रखी गई है। इसी तरह से हनुमानगढ़ में भी 43 एकड़ की सीमा रखी गई है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का भेद रखना किसानों के लिए खतरनाक होगा अगर इस पर सीलिंग लागू करते समय अमल किया गया, तो यह किसानों के साथ में एक बड़ा अन्याय होगा। इसलिए जो सीमा निर्धारित की गई है, जो असेसमेंट सर्किल्स निर्धारित किये गये हैं उनके ऊपर आज की परिस्थिति के अन्दर फिर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

एक सन् 1960 से हमारे राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में इस प्रकार का प्रावीजन बनाया गया है, सीलिंग के लिए प्रॉवीजन्स बनाते वक्त कि 1960 से जो बेनामे या ट्रान्सफर्स किये जायेंगे उनको वेलिड नहीं माना जायगा और जो 1960 के तीन साल ट्रान्सफर्स या बेनामे हुए हैं उनको वेलिड मान लिया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सीलिंग कानून में एक धारा 175 है, उसमें यह प्रॉवीजन है कि इस कानून में दिये गये प्रावीजन्स की खिलाफवर्जी करते हुए किसी ने जमीन को ट्रान्सफर कर दिया तो उसको वेलिड न मानते हुए सरकार उस टिनेन्सी को रिज्यूम कर लेगी। उसी प्रावीजन में एक लिमिट दी हुई है तीन साल की, यानि तीन साल के अन्दर टिनेन्सी रिज्यूम कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि 1960 में यह ट्रान्सफर रोका गया था उसके बाद से आज तक गंगानगर जिले में ६० हजार ट्रान्सफर हो चुके हैं। 60 हजार ट्रान्सफर हो चुके हैं, इसका मतलब यह है कि 1 लाख 20 हजार आदमियों पर इसका अफेक्ट पड़ने वाला है। इस कानून के तहत, आज जो 1967 है, इस 1967 के तीन साल पहले जो ट्रान्सफर हुए हैं वे वेलिड हो जायेंगे इस तरह जो दो अलग-अलग धारायें रखी गई हैं उनको यदि शामिल कर लिया जाय तो किसान को बड़ी परेशानी हो जायगी, उसको बड़ा नुकसान होगा और उसे अदालत तक में जाना पड़ेगा····

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

एक ट्रान्सफर है उसको कानून के प्रावीजन्स के तहत में इनवेलिड माना जायगा और दूसरे ट्रान्सफर को वेलिड माना जायगा —यह दोनों प्रावीजन्स अपने आप में कान्ट्रेडिक्ट्री है। मैं समझता हूं कि इनको लागू करने से पहले इन पर विचार करना बहुत

( श्री बृजप्रकाश )

जरूरी है कि ऐसे जो 60 हजार केसेज हैं, इनको किस तरह से डील किया जायगा। इनके कारण जो किसानों को तरह-तरह की परेशानी उठानी पड़ेगी उसको दूर करने के लिए सोचना बहुत जरूरी है।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

मेरा जो 72 नम्बर का ग्राइटम है, उसके मुतल्लिक मेरा निवेदन है कि जो परमानेन्ट जमीन एलाट की गई है, उसमें काफी जमीन ग्रनकमाण्डेड घोषित की गई है लेकिन उस जमीन की कीमत कमाण्डेड जमीन की ली जा रही है। ग्रनकमाण्डेड की कीमत जहां पचास है, वहां कमाण्डेड की ढाई सौ है, तो पचास की जगह पर ढाई सौ वसूल किया जाना किसानों के साथ में सरासर ग्रन्याय है। इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए।

एक मेरा 74 नम्बर का जो ग्राइटम है उसके बारे में मेरा निवेदन कि टी० वी० परगना का रिकार्ड है, उसकी ग्रोर ग्राप थोड़ा ध्यान दें। वह रिकार्ड ग्राज रद्दोबदल किया जा रहा है ग्रौर उसकी तरफ ग्राप यदि ध्यान देंगे तो ग्रापको पचास लाख का स्केन्डल मिलेगा। जो रिकार्ड में दर्ज था उसको पूरा निकाल दिया गया है और दूसरे का मालिक के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। इस कारण से जो तमाम रिकार्ड है वह कोई सेन्क्टिटी नहीं रखता है। एक मुरब्बा चार हजार का है तो एक मुरब्बा एक लाख का ... ...

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज ! राजस्व मंत्री जवाब दें !

श्री बृज प्रकाश : मेरा निवेदन है कि इन सब बातों की ग्रोर जरूर ध्यान दें।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से कोई बोला नहीं हैं केदारजी के सिवाय। इसलिए थोड़ा समय इनको (श्री हीरा भाई) दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट का समय दिया जाता है।

श्री हीरा भाई : दो मिनट का समय थोड़ा है, हमारा तो ग्रकाल का क्षेत्र है।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट का समय। स्वतन्त्र पार्टी ने पूरा समय ले लिया है।

श्री हीराभाई(कुशलगढ़):उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी भू-राजस्व की मांग पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उसके सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार से एक निवेदन करूंगा कि जहां तक ग्रकाल के सम्बन्ध में मेरा कट मोशन है उसका ग्रर्थ यह है कि ग्रकाल पीड़ित लोग लगातार तीन साल से हमारे इस राजस्थान प्रान्त में ग्रकाल के कारण परेशानियां भुगत रहे हैं। फिर भी जो हमारे यहां कानून बना हुग्रा है उसमें है कि जहां जहां जितना उत्पादन होगा, जो पैदावार होगी उस पर लगान लिया जायगा ग्रौर बाकी लगान माफ कर दिया जायगा। उस तरीके से, उस टार्जेट से राजस्थान में लगान ग्रकाल पीड़ित क्षेत्र में भी माफ नहीं किया गया है। वह तो केवल स्थगित किया गया है। इसके मायने यह हुए कि ग्राइन्दा साल ईश्वर की कृपा हुई ग्रौर वारिस हो गई तो पूरा लगान वसूल होगा ग्रौर ग्रकाल पीड़ित लोग ग्रपनी जमीन ग्रौर बाल-बच्चों को वेचकर सरकारी लगान की ग्रौर तकावी वगैरह की किश्त भरेंगे तो इसके बारे में

( श्री हीरा भाई )

राज्य सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि यह अकाल के जिले हैं और अकाल क्षेत्र है उनके लिए आज से ही यह घोषणा करें कि उनको बिल्कुल लगान माफ कर देंगे।

दूसरा मेरा दुर्भिक्ष के बारे में यह निवेदन है कि जहां अकाल के सिलसिले में सारी बातें कही जाती है फिर भी हमारे मंत्री हैं वे सब हमारे क्षेत्र का ही दोष बताते हैं। मिनिस्टर लोगों को कोई नहीं कहता कि उनके दोष हैं। सुखाड़ियाजी ने सोना खाया होगा लेकिन उदयपुर डिविजन के लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है कि आप उनके लिये कार्य नहीं करावें। वहां पर $5\frac{1}{4}$ लाख लोग हैं उनमें से 3 लाख तो ऐसे लोग हैं जहां पर बराबर पिछले तीन सालों से अकाल पड़ता आ रहा है। इसलिए आप एक रोज में अगर रोटी देंगे तो तीन लाख लोगों को रोजी देंगे तो दो करोड़ खर्च होकर 5 करोड़ खर्च करेंगे फिर भी यह पूरा नहीं हो सकता। इतना भयंकर अकाल हमारे उधर है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आज बांसवाड़ा जिले में जो रवैया अकाल के साथ साथ चल रहा है वह यह है कि चुनावों के पहले जो राहत कार्य चालू किये थे वे 18 फरवरी से बन्द कर दिये गए हैं और दूसरे स्थानों पर जहां कहीं चालू हैं तो वहां पर 10 दिन काम चलता है और 20 दिन काम बन्द रहता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अकाल की बात कह रहा हूं और वहां की यह हालत है कि वहां लोग भूखे मरते हैं और आपने जो कार्य चालू किये हैं वह ऐसे हैं कि जब किसी का घर जल रहा हो उस वक्त आप यह कहें कि कुआ खोदो और जब कुआ खुदेगा और पानी आवेगा जब आग बुझेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि कब कुआ खुदेगा और कब पानी आवेगा और आप कब आग बुझाएंगे। यह आपकी नीति है। यह तो आपको पहले ध्यान रखना चाहिये था कि जंगलों में जाकर खोदें और वहां जाकर काम करिये और दूसरे तमाम काम बन्द कर दिये जावें। आज वहां पर लोग जानवरों की तरह से मर रहे है एक तरफ तो सुखाड़िया साहब मानवता के दृष्टिकोण की बातें कर रहे हैं और दूसरी ओर वहां पर जा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि लोग जानवरों की तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं। आपके कलेक्टर आदि 15 दिन काम चलाते है और 15 दिन के बाद काम बन्द कर देते हैं और फिर 20 दिन के बाद चालू करते हैं। वहां पर भूखे लोग जावेंगे और उनको 15 दिन काम मिलेगा और बाद में नहीं मिलेगा तो वे क्या करेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे वक्तव्य को जरा सुनने की कृपा करें यह अकाल से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष: पांच बजे तक समय है। दो मंत्रीजी को जवाब देना है इसलिये आप अपना भाषण समाप्त करें आयन्दा आपको और अवसर दिया जावेगा।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सदन की परम्परा रही है कि हरिजन, महिलाओं और शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिये कुछ समय में छूट दी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : समय का अभाव है इसके कारण ऐसा करना पड़ रहा है।

एक माननीय सदस्य : थोड़ा समय बढ़ा दिया जावे।

(श्री विजयसिंह और पी० के० चौधरी व श्री हीराभाई के एक साथ बोलते रहने से अश्रव्य)

श्री हीराभाई : मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने खड्डे खोदने के लिये एक व्यवस्था बनाई है और वह यह कि तीन आदमियों को 15 फीट लम्बा 6 फीट चौड़ा और 4 फीट गहरा गड्डा खोदना पड़ता है। उसमें भी कुछ रोक नहीं है। वह खड्डा दो दिन में भी पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास औजारों की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वह दो दिन में पूरा नहीं होता और तीन दिन में होता है तो आप उस खड्डे खोदने वालों को एक दिन की मजदूरी देंगे। यह बिल्कुल गैरवाजिब है।

उपाध्यक्ष महोदय, उनकी हालत मरने के सिवाय दूसरी नहीं है और अगर वहां पर जा कर देखेंगे तो आपको रोना आवेगा। जब अकाल के कानून के अनुसार लोगों को रीलीफ दिया जाता है तो उनको रोज दैनिक काम पर देना चाहिये फिर यह बात क्यों कि आदमी को लगाया जावेगा और छोरों को नहीं लिया जावेगा और छोरों को निकाल दिया जावेगा लेकिन हम देखते हैं कि जब पेमेन्ट होता है तो उन छोरों के नाम पर भी पेमेन्ट होता है। इसी तरह गर्भवती औरतों के लिये कानून है और कोई अपंग है तो उनके लिये भी व्यवस्था है कि वह वहां आ कर बैठा रहेगा और उसको भी रीलीफ दिया जावेगा। मगर ऐसा नहीं किया जा रहा है। बस्सी में एक औरत गर्भवती काम पर गई और जब उससे काम नहीं हुआ और रास्ते में पेट में दर्द हुआ और जाते जाते रास्ते में बच्चा जन दिया और रास्ते में ही मर गई।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हीराभाई : बिल्कुल सही कह रहा हूं इस तरह से किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री।

श्री हीराभाई : चुनावों के पहले 15 रु० माहवार के हिसाब से दिये जाते थे लेकिन वे भी चुनावों के बाद में बिल्कुल बन्द कर दिये गये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। रेवेन्यू मिनिस्टर।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक दुर्भिक्ष का संबंध है क्योंकि यह सिलसिला चल रहा है इसलिए मैं चाहूंगा कि पहले दुर्भिक्ष के बारे में जो माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं उन पर कहूं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दी गई थी कि जिन जिन को बोलने का मौका नहीं दिया जावेगा उनको मन्त्री महोदय लिखित में जवाब दे देंगे। ........

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिन जिन को बोलने का मौका नहीं दिया जावेगा .......

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था शुरू में ही अध्यक्ष द्वारा दे दी गई थी और उसको दोहराने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी बांसवाड़ा से आये हुए माननीय सदस्य हैं उन्होंने दुर्भिक्ष की गम्भीरता के बारे में अपने विचार सदन के सामने रखे, इसी तरह से उस जिले से दूसरे माननीय सदस्य आये हुए हैं उन्होंने भी दुर्भिक्ष की गंभीरता के बारे में सदन के सामने कुछ बातें रखी हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि जहां इस प्रकार की गंभीरता हो ज्यादा खर्च करना और काम की मांग की जाती है और दूसरी तरफ विरोधी दल के नेता द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि यह पैसा बहुत पक्षपात पूर्ण तरीके से खर्च किया जाता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि विरोधी दल के नेता इसी क्षेत्र से आए हैं शायद वे इसकी गंभीरता को समझते नहीं हों, बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर के जिले ऐसे हैं जहां भील और आदिवासी लोगों की संख्या अधिक है।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : प्रोन ए पोइन्ट ओफ इन्फोरमेशन सर। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि पैसा ज्यादा चुनावों के कार्यों में खर्च किया गया है। यह आरोप नहीं लगाया जैसा आप कहते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उन्होंने आरोप लगाया है और मेरे सामने लगाया है।

श्री विजयसिंह रावत : वह तो चुनावों के बारे में लगाया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उन्होंने यह आरोप लगाया है कि इन तीनों जिलों में ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है और जिलों में नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, तीन वर्षों से राजस्थान में अकाल घोषित है और जहां तीन साल के अकाल के हों वहां की हालत खराब है लेकिन हम राजस्थान के रहने वाले कठोर परिश्रमी हैं, कुछ भीख मांगने की आदत नहीं है और काम करने की आदत है इसलिये मुसीबत के दिनों को राजस्थान के लोग निकालते चले जा रहे हैं। और अगर आज हम दूसरी जगहों की जो खबरें सुनते हैं, उनको पढ़ें तो कहीं भण्डारे चल रहे हैं, कहीं किचन्स चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहे हैं। पर राजस्थान अगर मांग करता है तो केवल काम की मांग करता है। आज के दिन माननीय सदस्य कहते हैं कि 1 रु० 2 आना मजदूरी बहुत कम है। पर यह मान कर चलिये कि जहां 1 रु० 2 आना की मजदूरी के लिये लोग आते हैं तो यह मान कर चला जाता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है इसलिए वह इस बुरे समय को जिस किसी तरह गुजारने के लिये वह एक रुपया दो आना की मजदूरी करने के लिये आता है।

श्री केसरीसिंह : आप क्या गरीबी का फायदा उठाना चाहते हैं ? पेट भर खाना नहीं देना चाहते ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक खाना देने की जिम्मेदारी है सरकार इस बात का हमेशा प्रयत्न करती है कि कोई व्यक्ति भूख से न मरे, मुसीबत के दिन निकल जांय। केवल काम देने के लिये काम करवा रहे हैं। जब मुसीबत के समय और कोई काम नहीं, आजीविका के लिये और कोई चारा नहीं है तो फेमिन कोड के मुताबिक निर्धारित दर से मजदूरी दी जा सकती है।

इस दुर्भिक्ष को ले कर दो तीन मामले और उठाये गये। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे यहां काम चालू नहीं किया गया, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे

( श्री बृजसुन्दर )

यहां पानी नहीं दिया गया और कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि चुनावों के समय में काम चालू किये गये और चुनावों के बाद में बन्द कर दिये गये। मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। जब काम चालू किये गये तो यह देख कर काम चालू किये गये थे कि ये काम चालू रहेंगे पर जैसा कि मुख्य मन्त्रीजी ने कहा एड्मिनिस्ट्रेटर रूल आया तो सीलिंग लगा दिया कि 5 करोड़ से ज्यादा का काम नहीं करें तो गवर्नमेंट ने यह सोच कर कि राहत कार्यों को जुलाई तक चलाना है तो धीरे धीरे चलाना चाहिये। इस आधार पर काम बन्द कर दिये गये और इससे कई जगह, कई लोगों को परेशानियां हुईं। अब राजस्थान सरकार द्वारा सब कलेक्टर्स को कहा गया है कि किसी व्यक्ति को काम से अलग नहीं किया जाय, जो काम पर आये उनको काम दिया जाय। यह जरूर है कि प्राथमिकता प्रोडक्टिव वर्क्स को दी जाय। इसलिये सिंचाई के कामों को, कन्सोलिडेशन के कामों को, सोइल कन्जर्वेशन के कामों को प्राथमिकता दी गई। इसके साथ ही साथ जहां इस प्रकार के काम नहीं होते हैं, जहां इस प्रकार के कामों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, जैसे कई जगह से शिकायत आई है कि सोइल कन्जर्वेशन का स्टाफ ही नहीं है तो वहां इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि छोटे छोटे तालावों के काम को, सड़कों काम को किया जा सकता है। इसलिये अब किसी भी क्षेत्र से इस बात की शिकायत नहीं आ सकती कि··· ··

श्री देवीदत्त गाड़िया : ( शाहबाद ), किशनगंज के इलाके में अकाल क्षेत्र है, वहां काम बन्द पड़ा है, वहां सिर्फ चुनावों के समय गेहूं वितरण किया गया था और कोई कार्य नहीं किया गया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : शाहबाद, किशनगंज क्षेत्र से मैं भी परिचित हूं, इसलिए इस बात का सन्तोष करके चलें कि जहां काम की आवश्यकता है कोटा कलेक्टर को उनके जिले में राहत कार्य शुरू करने के लिये 2 लाख रुपया एडवान्स रखा हुआ है और जहां अकाल क्षेत्र है, वहां रिलीफ कमेटी के जरिये जो काम सेंक्शन होता है वहां उनको वह काम करवाने की इजाजत है। माननीय सदस्य जानते हैं कि कहां कोटा में काम शुरू हुआ है कहां नहीं हुआ है, पर मैं जानता हूं कि किशनगंज शाहबाद क्षेत्र है वहां की परिस्थिति ऐसी है कि 1.2 रु० मजदूरी पर काम करने के लिए आने को वहां के लोग तैयार नहीं हैं, वहां की ऐसी परिस्थिति है, मैं जानता हूं।

श्री केशरीसिंह : मैंने स्पेसिफिक दो चार नाम दिये थे, उनके बारे में स्पष्टीकरण कर दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं बोल लूं। उनके बारे भी कहूंगा। 2 तारीख के बाद सब कलेक्टर्स को वायरलैस मैसेज भेज दिये गये हैं कि जो काम पर आएं, उनको काम पर लिया जाय और जो प्रायोरिटी इश्यू की गई है, उस ही के अनुसार कार्य किया जाय। अब कहीं से शिकायत नहीं मिलेगी कि काम बन्द पड़ा है।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ······

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप बीच में न बोलें ·········

श्री खेतसिंह : जोधपुर कलेक्टर को इन्सट्रक्शन्स दिये और वह पहुंचने के बाद में पेमेंट सिर्फ दस आने किया है, 1.2 रु. के स्थान पर।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं नहीं समझ पाता कहां का मामला है।

श्री खेतसिंह : जोधपुर जिले की कह रहा हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर कोई एक घंटे भर काम करके अपनी सुविधानुसार चला जाय तो क्या उसको पूरी मजदूरी दी जा सकती है ?

श्री खेतसिंह : यह जोधपुर जिले की बहुत गम्भीर समस्या है, सारे के सारे मजदूर बैठे हैं कलेक्टर का यह कहना है कि टास्क बेसिस पर वर्क था इसलिये पूरा पेमेंट नहीं करूंगा, उनको कहा जा रहा है कि 1.2 रु० की जगह 10 आना ही दिया जायगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : टास्क बेसिस पर वर्क लेना इसलिये शुरू किया कि कई आदमी मालदार होते हुए भी काम पर आते हैं और देखते हैं कि घंटा भर काम किया तो वह तो ले लें। टास्क बेसिस पर काम करते हैं वह पी०डब्ल्यू० डी० के शिडयुल से आधा पड़ता है, पी०डब्ल्यू०डी० से कराया जाय तो दुगनी मजदूरी पड़ती है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: पी०डब्ल्यू०डी० से ही हो रहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: 10 आना रोज के हिसाब से जिन लोगों को दिया है, क्या उसकी आप जांच करवायेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक चौकड़ी की रेट पर तो ज्यादा आता है, डूंगरपुर-बांसवाड़ा में करें तो पी० डब्लू० डी० का दुगना होगा। फेमिन में आधा काम करना पड़ता है।

मैं जैसे कि निवेदन कर रहा था कि जून का महीना इसके लिए बहुत ही ऐसा महीना है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा मजदूर काम पर आयेंगे। आज के दिन राजस्थान में 5 लाख और कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, इन इलाकों में हम यह आशा करके चलते हैं कि यह संख्या 7 लाख हो जायगी। इसलिये हमने इन्तजाम किया है कि 7 लाख मजदूरों के लिए काम दिया जाय।

श्री खेतसिंह : 1.2 रु. की जगह 10 आने दिये जा रहे हैं -

श्री बृजसुन्दर शर्मा: माननीय खेतसिंह जी, बीच बीच में नहीं बोलें तो ज्यादा अच्छा है, मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं, मैं तो इस पर बोल रहा हूं और बीच बीच में माननीय सदस्य बोलें तो उससे खराबी आ जाती है, पूरी बात कहना चाहता हूं वह नहीं कह सकता।

श्री रामकिशन : मन्त्री महोदय की आवाज बड़ी नम्र है, इसमें तेजी करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि 7 लाख श्रमिकों के आने की अपेक्षा की जाती है, उनके लिए हमने व्यवस्था की है। इसके अलावा रबी के क्षेत्र हैं, जहां रबी की फसल फेल्योर हुई है और जहां काम की आवश्यकता है, उन क्षेत्रों के लिए भी आदेश दे दिए हैं कि कलेक्टर टेस्ट वर्क शुरू करा सकेंगे और काम पर आयेंगे उनको काम पर

( श्री बृजसुन्दर )

लगाया जायगा। कोशिश इस बात की की है कि योजनाबद्ध हमारा काम हो, उन पर मजदूर लगें तो अच्छा है। पर जहां इन कामों को नहीं किया जा सके वहां तालाबों के काम में, सड़कों के काम में मजदूर लगाए जा सकेंगे, इसके अलावा और काम नहीं है तो सड़कों का काम जारी रहेगा। इसके अलावा आदेश दे दिये गये हैं कि जहां काम अधूरे रह गये हैं, उनको जारी रखा जाय। उनको प्राथमिकता देकर पूरा कराया जाय।

नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ तालाबों और सड़कों का जिक्र किया। हो सकता है कुछ काम बन्द हुए हों लेकिन जो गोकुलपुरा का तालाब है उसका सर्वे शुरू हो गया है, काम योजनाबद्ध तरीके से शुरू किया गया है।

**श्री केशरीसिंह :** मैं चेलैंज करता हूं कि काम बंद कर दिया गया है।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** बीच में बन्द किया गया था क्योंकि सीलिंग लागू किया गया था। 2 तारीख के बाद जो काम हुए हैं, वे चालू रहेंगे। अगर ऐसा स्थान हो जहां पर साइल कन्जरवेशन या एफोरस्टेशन का काम है तो फिर उस पर सड़क का काम चालू नहीं होगा। पीने के पानी का जिक्र किया गया। मैं समझता हूं कलेक्टर्स से जितनी मांग है कुओं को गहरा करने के लिए, उसको स्वीकार किया गया। बांसवाड़ा के बारे में सवाल उठाया गया, कि वहां पर कुओं को गहरा कराने के लिए रकम स्वीकृत नहीं हुई है। बांसवाड़ा जिले में पीने का पानी मुहैया करने के लिए कुओं को गहरा कराने के लिए 1,20,000 की मन्जूरी दी गई है और मैं समझता हूं कि इस रकम से वहां जो पानी का अभाव है, चाहे कितना ही गहरा कुओं का करना पड़े, किसी तरह से भी पानी को लाना पड़े, वहां के अभाव की पूर्ति हो सकेगी।

जहां पर कई स्थानों पर पेमेंट के बारे में, मस्टर रोल्स के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। जहां से इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो उनकी जांच में अवश्य कराऊंगा और करवाकर जो कुछ मुनासिब कार्यवाही हो सकेगी, की जायगी।

**श्री हीराभाई :** आप वहां घोड़े और गधे बराबर मान कर चलते हैं तो उससे मजदूर मर जाते हैं। कम से कम यह आदेश तो दें कि वहां जमीन कैसी है, अर्थवर्क है, हार्ड वर्क है या चट्टान है, उसके लिए कुछ करें नहीं तो आप तो एक ही लकड़ी चलाते हैं कि करो तो करो नहीं तो मरो, यह आपकी नीति गलत है। मध्यप्रदेश में रेल्वे···

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** इस बारे में अधिकारियों को डिस्क्रेशन दिया गया है कि वह देखें कि कहां पत्थर का काम है, कहां खुदाई का काम है, उनको अलग रेट्स से पेमेंट किया जाय और खाली मिट्टी का काम हो तो अलग रेट्स से और यह देखा जाय कि वास्तव में एक आदमी से ज्यादा काम न हो। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, अगर इस बारे में आदेश जारी नहीं किए गए हैं तो जारी करवा दिए जायेंगे कि वास्तव में अगर पत्थर की खुदाई का काम है तो उसके लिए यह रेट और गड्ढे खोदने पड़े तो यह रेट। इस बारे में आदेश जारी किए जायेंगे।

**श्री विजयसिंह रावत :** आपने जो कहा कि मैं जांच कराऊंगा जहां पर भी मस्टर रोल्स में भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन अगर एम० एल० ए० कन्सर्न्ड उस ऐरिया में जाता है और मस्टर रोल्स में गड़बड़ी पाता है तो क्या अधिकार है उसको चेक करने का ? दूसरे मस्टर रोल्स के फार्म्स देने की व्यवस्था के बारे में भी कहें।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** जहां तक मस्टर रोल्स को चेक करने का ताल्लुक है, असिस्टेंट इंजीनियर चेक करने के लिए हैं ......

**श्री विजयसिंह रावत :** वे सारे के सारे भ्रष्ट हो जाते हैं तो एम० एल० ए० को क्या अधिकार है ? वहां जाकर वह देखता है......

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** आपकी नजर में सारा एडमिनिस्ट्रेशन भ्रष्ट है।

**श्री विजयसिंह रावत :** आपको मैं ऐसे मस्टर रोल्स बता दूं तो क्या ऐक्शन लेंगे ? अगर आपको मैं डबल मस्टर रोल्स बता दूं तो क्या ऐक्शन लेंगे ? मैं क्लेरीफिकेशन चाहता हूं।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** क्लैरीफिकेशन यह है कि आप जाकर मस्टर रोल को चेक नहीं कर सकते। अगर आपको मजदूर कम नजर आते हैं तो आप असिस्टेंट इंजीनियर के मार्फत चेक करायेंगे। मस्टर रोल सरकार की तरफ से भी जाता है।

**श्री विजयसिंह रावत :** तो फिर डबल कैसे आ जाता है ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** डबल कहां है ?

**श्री विजयसिंह रावत :** डबल आता है ?

**श्री खेतसिंह :** तो फिर केस बन जायगा।

**श्री देवीदत्त गाड़िया :** खेतसिंहजी, आपका डिप्टी मिनिस्टरशिप का केस खत्म हो गया।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** मैं समझता हूं कि अगर कोई बात रह जाती है तो उस बारे में मैं नहीं समझता कि डिटेल में जायं लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसी नीति सरकार ने बनाई है उस नीति के अनुसार काम होगा और कोई भी अधिकारी किसी तरह से यह नहीं कहेगा कि उसके पास पैसा नहीं आया। हमारा उद्देश्य यह है कि यह खराबी के दिन हैं उनको निकालना है जीवित रह कर। भूख से किसी को मरने नहीं दिया, काम हरेक को दिया जायगा जिससे दुख के दिन समाप्त हो सकें। आखिर आराम के दिन तो नहीं हैं, जब मुसीबत आती है तो उसे बरदाश्त करना चाहिए।

**श्री रामकिशन :** मैंने दो तीन बातों के लिये कटौती का प्रस्ताव भेजा था लेकिन........

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** मैं आपको जवाब भेज दूंगा।

**श्री रामकिशन :** मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं। भरतपुर में जिन गांवों में ओले पड़े हैं, दुर्भाग्य से अबकी बार कई गांवों में ओले पड़ गये तो उसके लिये सरकार ने क्या उन गांवों को अकालग्रस्त घोषित करने का फैसला किया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर उन गांवों में खराबा है कानून के अनुसार ।

श्री राम किशन : कलेक्टर ने लिख दिया है कि यह गांव अफेक्टेड हैं ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : कलेक्टर ने रिपोर्ट की है कि वहां बहुत बुरी हालत है और उन्होंने लगान पहले स्थगित कर दिया था लेकिन दो तीन दिन पहले पटवारियों को भेज दिया गया क्योंकि उनका कहना है कि राज्य सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। इसलिये लगान वसूल करेंगे। किसानों की सारी फसल चौपट हो गई है और वे लगान वसूल कर रहे हैं ।

श्री मुकुटविहारीलाल ( बयाना ) : टेनिस के बाल जितने ओले पड़े हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर हालत खराब है और दुर्भिक्ष कानून के अनुसार घोषित होना चाहिये तो किया जायेगा लेकिन उसकी चेकिंग तो होगी ही। ऐसा होता है कि कलेक्टर की रिपोर्ट आती है, वित्त विभाग चेक करता है। वित्त विभाग की स्वीकृति आते ही अकाल विभाग अकाल घोषित करता है ।

श्री रामकिशन : आप जब तक घोषित नहीं करेंगे, तब तक लगान वसूल होता रहेगा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं आदेश जारी कर दूंगा कि ऐसी स्थिति है तो लगान वसूली बन्द की जाय ।

जहां तक राजस्व की समस्या है, कई प्रश्न इस सदन में आए हैं और वास्तव में ये प्रश्न बहुत गंभीर हैं और इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कन्वरशन के बारे में सवाल आए, ट्रेसपासर्स के बारे में सवाल आए, एलॉटमेन्ट्स के बारे में सवाल आए, एलाटमेंट हुआ पर पजेशन नहीं दिए जाने के बारे में सवाल आए। इसके अलावा बारानी जमीन पर रेगिस्तानी इलाकों पर 10 साल की एलॉटमेंट के बारे में सुझाव आये हैं, रेवेन्यू लॉज कमीशन के इम्पलीमेंटेशन के बारे में और कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाने के बारे में जो देरी हो रही है, उसके बारे में सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा सीलिंग के बारे में और इररेगुलर असेसमेंट्स जो सीलिंग से ताल्लुक रखती हैं, ये मुद्दे उठाए गए हैं ।

जहां तक दफा 91 के मामलों का ताल्लुक है, राज्य सरकार ने बहुत पहले से इनके रेग्युलराइजेशन के बारे में भिन्न भिन्न तारीखों में आदेश जारी किए हैं और उसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति भूमिहीन हैं और उसने किसी अमुक तारीख से पहले उस जमीन पर अधिकार कर रखा है तो उसको रेग्युलराइज करने के लिए यहां से आदेश जारी कर दिए गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो ऐसे किसान हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया है और वह भूमिहीन है और 15 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है तो रेग्युलराइज करने की कार्यवाही करनी चाहिए ।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि किनारा ग्राम के जो पिछड़ी जाति के किसान हैं, जो भूमिहीन थे और 4 साल से कब्जा किया है और उनको ट्रेसपासर्स घोषित कर दिया उन पर दो हजार रुपया जुर्माना हो चुका क्योंकि न खातेदारी के अधिकार दिए गए ··

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह केस आप आज लाए हैं। इसको देखा जायगा। इस में दो तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो वह भूमिहीन होना चाहिए, दूसरे जमीन ऐसी हो जो एलॉट की जा सकती हों और तीसरे उसको रेग्युलराइज कराने के लिए वहां की एलॉटमेंट कमेटी बिठा कर उस एलॉटमेंट को रेग्युलेराइज करे ये तीन बाते हैं। अगर एलॉटमेण्ट कमेटी द्वारा रेग्युलराइज की जाती हैं तो किसी को आपत्ति नहीं।

श्री देवीदत्त गाहिर्या : जिस जमीन को जिलाधीश ने एलोट कर दिया था और दुबारा कैंसिल कर दिया, उसमें प्रश्न उठता है कि एलोटमेंट करने योग्य है या नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ एलोटमेंट हो चुका। जब एक बार एलोट हो चुकी और दुबारा केन्सल कर दी तो फिर एलॉट करने में क्या दिक्कत हो सकती है। इस आधार पर आपका क्या आश्वासन है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस आधार पर जवाब नहीं दिया जा सकता। जिलाधीश ने अलॉट कर दिया, फिर केन्सल कर दिया, किस कारण से अलॉट किया और केन्सल किया, इस सारी पत्रावली को जब तक नहीं देख लिया जाता तब तक इसका कोई जवाब इस आधार पर नहीं दिया जा सकता। नरायला के लिये आपने स्पेसिफिक केस पूछा है उसको देख लिया जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जो डेट 31 दिसम्बर, 1961 रखी थी, लेटेस्ट डेट आपने क्या रखी है ? पिछले साल ही रेग्युलराइजेशन का कानून लागू किया है। सीकर, भरतपुर, अलवर का एक्सेप्शन किया था। हमारे यहां दफा 11 की कार्यवाही होकर दखल कर दिया। पिछले साल लगाया तो उन जिलों के लिये आप एक्सटेन्ड कीजिये इस प्रिंसिपल पर कि भूमिहीन होना चाहिये लैंड अलाट हो सकती थी यह सूरत हो तो। इसको आप अपटूडेट कर दीजिये जिससे ऐसे केसेज हों वे इसमें कवर हो सकें। सोशल जस्टिस की बुनियाद पर ऐसे तमाम लोगों को रेग्युलेराइज हो जाना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सोशियल जस्टिस के आधार पर हो यह भी बराबर डेट बढ़ती जा रही है। लेटेस्ट डेट 1965 है। जो 65 तक ऐसे हैं उनको ओटोमेटिकली रेग्युलराइज कर दिया जाय। ज्यों-ज्यों डेट बढ़ती जा रही है त्यों-त्यों अतिक्रमण होते जा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 65 की कौन सी तारीख ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दिसम्बर, 65 है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 31 दिसम्बर 65 से लागू किया है। लेकिन यह डेट नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : डेफिनेटली फिर बता दूंगा। ऐसी चीज है और कोई परिस्थिति पैदा हो तो उस डेट पर फिर विचार किया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कन्वरशन्स का ताल्लुक है मैं समझता हूं यह समस्या बहुत गम्भीर है और सरकार इस पर विचार करेगी कि क्या नीति अपनाई जाय। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कृषि योग्य भूमि पर ट्रेसपास करके मकान बना लिये। बड़े बड़े मकान आज के दिन हैं दफा 91 के तहत सरकार को अधिकार है मकान

# Page No.129



(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

पर कब्जा कर ले, वापिस रिज्यूम कर लें और बेदखल कर देते हैं तो फिर उन मकानों का क्या हो। यह एक गम्भीर मसला है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़े दिन के बाद राज्य सरकार और मंत्री मंडल के सामने इस मसले पर विचार के लिये यह रखूंगा। एक उच्च कमेटी के पास इस प्रश्न को रख कर भी इसकी डिटेल्स एक्ज़ामिन करवा रहा हूं। जो भी इसके निर्णय होंगे वह हाउस में मैं पेश करूंगा।

श्री विजयसिंह रावत : दफा 91 के बारे में इतना बताने की कृपा करें मकान आदि की बात नहीं है जमीन खोद कर दस बिस्वा भी निकाल लीं दूसरी जमीन तो उस पर भी यह लागू होगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मान लीजिये 50 बीघा है और फिर कन्वर्शन कर ले और किसी के पास दस बीघा है तो ऐसे लोगों के लिये जिनके पास दस बीघा हैं तो इसके लिये नियम है। दस बीघा है और एक बीघा निकाल लें तो उसको रेगुलेराइज करा सकते हैं। इसके लिये सरकूलर निकाल दिया गया है।

एक प्रश्न माननीय उपाध्यक्ष जी उठाया गया बीकानेर से आने वाले सदस्य के जरिये और उनकी इस चीज को वाजिब मानता हूं बारानी जमीन और जगह दस साल के लिये एलॉट की जाती है और दस साल के बाद खातेदारी हक मिलते हैं लेकिन रेगिस्तानी इलाके में या किसी प्रोजेक्ट में या कोलोनी में नहीं आता या योजना के अन्दर नहीं आता वहां भी यह वाजिब नहीं है मुझे ऐसा लगता है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय आधा घन्टा के लिये और बढाया जाता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं इस बारे में जो कुछ भी उन्होंने सुझाव दिये हैं उनको स्वीकार करने की कोशिश करूंगा।

रेवेन्यू लाज कमीशन के बारे में डिप्टे के सवाल उठाये गये। मैं समझता हूं यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आमतौर पर यह जल्दी नहीं कर सकते हैं। पहली रिपोर्ट आई तो उसके आधार पर राजस्थान टिनेन्सी बिल सदन में पेश किया गया। पेश करने के बाद वह पारित नहीं हो सका है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी एक कोम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन बनाया जाय और उस पर गम्भीरता से विचार करके उसको सदन में प्रस्तुत किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुराना टिनेन्सी बिल जो कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर था उसका क्या हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसमें भी चेन्जेज आई हैं। आज के हालात में परिवर्तन करना पड़ेगा। दो तीन दिन सिरपच्ची की तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज के परिवेक्षण में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें चेन्जेज करें। लगान का सिलसिला बारानी एरियाज हैं, इन सवालों को भी देखना पड़ेगा।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत कुछ अपने सुझाव दिये हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि चाहे गंग केनाल हो, चाहे भाखरा का एरिया हो, चाहे राजस्थान केनाल का एरिया हो, हमारी कोशिश यह रहेगी कि जितना परमानेन्ट एलाटमेन्ट कर

( श्री बृजसुन्दर शर्मा )

सकें, करे और मैंने अभी समय निर्धारित किया है कि जो गंग केनाल का एरिया है उसमें जितना भी इस साल परमानेन्ट बेसिस पर अलॉट कर सकेंगे करेंगे और कुछ जमीन रह जावेगी तो अगले साल परमानेन्ट बेसिस पर कर देंगे। टारगेट मुकर्रर किया सितम्बर को। इस साल सितम्बर तक गंग केनाल की जमीन पड़ी हुई है उसको एलोट कर दिया जायगा।

इसी तरह भाखरा का प्रश्न है। उसमें भी हम चाहते हैं परमानेन्ट एलोटमेण्ट हो।

( 5 म० प० )

उसके परमानेन्ट अलोटमेन्ट के बारे में प्रोग्राम बना रहे हैं।

राजस्थान केनाल का जहां तक ताल्लुक है, कई मुद्दे हैं जिन पर निर्णय लेना बाकी है। यह मानता हूं कि वहां पर जब तक परमानेन्ट अलोटमेन्ट नहीं होगा तबतक स्थिति ठीक नहीं हो सकती, इसलिये जल्दी से जल्दी भारत सरकार द्वारा नियमों में स्वीकृति नहीं मिल जाती, हम लोग इसे नहीं कर सकते। इसके लिए आवश्यक है कि जमीन न पड़ी रहे इसलिये चाहते हैं कि नियमानुसार उसको एलोट करें।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** बोली तो नहीं होगी ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** एक से अधिक व्यक्ति उसी जमीन को लेने वाले हों और लेने वाले एक ही सी कैटेगरी के हों तो इसके सिवाय और कोई चारा नहीं रहता है।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** लाटरी से हो सकता है।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** एक एक जमीन के लिये उसी कैटेगरी के पांच पांच दस दस आदमी आते हैं।

**श्री देवीदत्त गाडिया :** जिनके पास कम जमीन है या नहीं है, उनको प्राथमिकता नहीं देते ? जैसे कोटा जिले में पंजाब के किसान आकर अधिक ऊंची बोली लगाकर जमीन खरीद रहे हैं तो इस पर भी सरकार ध्यान देगी ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** मैं राजस्थान केनाल की बात कर रहा था, आप फरमा रहे हैं कोटा की।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** आप इस पोलिसी पर चल रहे हैं यही दिक्कत है। एक ही कैटेगरी के लोग हैं इसलिये ऑक्शन कर रहे हैं। आप सीधा कहिये न कि आप आक्शन की पोलिसी पर चलना चाहते हैं। पर अगर एक्चुअली भूमिहीनों को देना चाहते हैं तो इसके सौ रास्ते निकल सकते हैं। एक सीरियस प्रोब्लम यह उस इलाके की है। आप क्या उस पर विचार कर रहे हैं ? आप भूमिहीनों को एलोटमेन्ट की पोलिसी को शर्क करेंगे या अबण्डन करेंगे यह आपको तय करना है।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** रूल बन रहे हैं, तब जाकर एलोटमेन्ट का सवाल आवेगा। जबतक परमानेन्ट एलोटमेन्ट नहीं होता है तबतक दिक्कत है। तो जबतक स्थायी एलोटमेन्ट के नियम नहीं बन जाते, तबतक हम एक एक साल तक के लिये एलोट करेंगे। नीति के तौर पर भी हम इसे अच्छा समझते हैं और आपने जो सवाल कहा है वह मान्य नहीं है।

श्री श्रवणलाल ( हिन्डोन ): क्या यह सही है कि अधिकतर पड़त भूमि और सिवाय चक भूमि जो होती है उस पर पहले तो अनधिकृत कब्जा कर लेते हैं और फिर अपना पजेशन उस पर एक दो तीन साल का बता कर एलोटमेन्ट करा लेते हैं और जो एलोटमेन्ट के पात्र हैं ऐसे भूमिहीनों को लेने नहीं देते। इस विषय पर सरकार क्या सोच रही है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके लिए अदालतें खुली हैं।

श्री श्रवणलाल : सवाल आप समझे नहीं हैं। सवाल तो इस बात का है कि अधिकतर जो भूमिवाले हैं या पैसे वाले हैं या कुछ अपनी डंडे की ताकत रखते हैं वे लोग पड़त या सिवाय चक की भूमि पर अनधिकृत कब्जा पहले कर लेते हैं और फिर अपना दो तीन साल का कब्जा बता कर अपने नाम से उस जमीन को एलोट करवा लेते हैं और भूमिहीन लोग जो कतई जमीन नहीं रखते, वे महरूम रह जाते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सदस्य जानते हैं कि डंडे वाले के पास ज्यादा जमीन होती है सौ दो सौ बीघा होती है। उनको किसी तरह से एलोट नहीं हो सकती है। उनको होती है जिनके पास 15 बीघा से कम है या बिलकुल नहीं है।

श्री रामकिशन : यह बात नहीं है। ये जिस इलाके की बात कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं। कायदे से तो नहीं हो सकता उनको अलोटमेन्ट, पर लड़के लड़कियों के नाम से ले लेते हैं। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में बड़े बड़े विस्वेदार लोग ऐसे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : मांडलगढ़ तहसील में पधारिये। वहां तो नारा ही यही लगता है कि हो नोट तो कराओ एलोट।

श्री देवीदत्त गाडिया : तगड़े पैसे वाले हैं। पांच नाम तो मैं ले सकता हूं जिन्होंने अपने नाम पांच २ हजार एकड़ जमीन एलोट करा रखी है नाजायज तरीकों से और उसमें काश्त कर रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो ट्रेस पासर्स हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है उनको रेगुलराइज करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : गिरदावरी झूठी लिखवाकर लेते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गिरदावरी आजकल लिखी नहीं जाती।

श्री फूलचन्द बाफना : भूमिहीन उसको भी कहते हैं क्या कि जिसके पास कई धन्धे हैं पर भूमि नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसकी परिभाषा टिनेन्सी एक्ट में दी हुई है।

श्री फूलचन्द बाफना : उसको आप मानते हैं या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह कानून की बात है।

श्री फूलचन्द बाफना : आप समझाइये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यहां कानून समझाने के लिए हम नहीं आये, कानून बनाने के लिये आये हैं।

( श्री बृजसुन्दर शर्मा )

एक सवाल यह उठाया गया मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, कि ऐसी भूमि भी है जो पहले कमाण्ड में थी और उसको अनकमाण्ड बताया और उसी की कीमत ली जाती है। यह प्रश्न विचारणीय है। माननीय सदस्यों से परामर्श करके निश्चित राय बनाकर इस पर निर्णय लूंगा।

अलवर के सेटलमेन्ट के बारे में प्रश्न उठाया गया। इस बारे में तहकीकात करके जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सरकार के पास आई है उस पर विचार करके शीघ्र ही कदम उठावेंगे।

मैं समझता हूं कि मुख्य मुख्य मुद्दों पर मैंने प्रकाश डाल दिया है।

श्री नत्थीसिंह: मेरा एक कटौती प्रश्न था भरतपुर के विषय में जिस पर समय पर कह नहीं पाया। वहां लगान से दूना लगान लिया जाता है जबकि टिनेन्सी एक्ट के तहत वे ले नहीं सकते।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: इस प्रश्न पर सेक्सन 30 जो जमीनदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन एक्ट की है उसकी तहत में यह प्रावधान है। टिन्नैसी एक्ट का नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: टिनेन्सी एक्ट में भी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: वह इस प्रकार है:—

"Subject to the provisions of sections 15, 15A, 15B and 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 every tenant in an estate, other than a tenant of Khudkasht or sub-tenant shall as from the date of vesting, be the Khatedar tenant of the land comprised in his holding unless he has acquired Khatedari rights therein before such date, and shall, as from the date vesting, pay to the State Government until rents are settled in accordance with the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 by way of rent therefor, the same amount as he had been paying to the Zamindar or Biswedar immediately before such date, but not exceeding twice the land revenue payable in respect thereof."

श्री नत्थीसिंह: यह गलत कहते हैं। भरतपुर में यह नहीं है। 15-10-55 को खातेदारी राइट जिसको मिल गये हैं ऐसों से दूना लिया है। आप इसको इग्जामिन करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई: उनसे तो नहीं लिया जा सकता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: यह आप मुझे बात करके समझा दें। ठीक हो जावेगा। स्पेसिफिकली एग्जामिन करके बता सकूंगा।

श्री गिरधरीलाल व्यास: पंचायतों के पास जो चरागाह हैं उन पर लोग नाजायज कब्जा कर लेते हैं। उसमें 91 के तहत व्यवस्था है पर स्युओमोटो एक्सन नहीं लेता तहसीलदार तो उसके सम्बन्ध में आपकी क्या व्यवस्था है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: दफा 91 साफ है। अगर तहसीलदार नहीं लेता तो पंचायत ले सकती है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : पंचायत स्वयं यह करती हो, सरपंच, पंच मिल कर करते हों और मिल कर दूसरों का कब्जा करा देते हों तो ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं और पंचायत मंत्री से बात करके ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे ऐसी चीज नहीं हो। बहरलाल न तो अभी मेरे पास पूरी इत्तला है और न जवाब ही दे सकता हूं।

**श्री मुकटबिहारी लाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत हमारे माल मंत्रीजी हैं उनसे आश्वासन चाहूंगा कि यह दून के लगान का सवाल है भरतपुर जिले का वह एक आदमी का सवाल नहीं है, यह तो वहां के हजारों किसानों का और 12–13 तहसीलों का सवाल है तो जो कानून की स्थिति है उसको तो आप और हम समझ लेंगे और जैसा आपने कहा कि कानून का मसला है अगर कानून के अन्दर लगान देय है तो ले लिया जाये परन्तु इस सम्बन्ध में हम ऐसी व्यवस्था करलें कि हम आपके चेम्बर में या जहां कहीं भी चाहें आपसे बात करलें और यदि हम आपको यह कनविन्स करदें कि यह गलत तरीके से वसूली हो रही है तो उसके अनुसार कम से कम यह तो माननीय मंत्री महोदय आश्वासन दे दें कि जिसमें हजारों किसानों का सवाल है उसको साफ कर देंगे।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : मैं समझता हूं कि दुबारा आश्वासन की क्या जरूरत है। मैं तो पहले ही कह चुका हूं इस बारे में।

**श्री विजयसिंह रावत** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजस्व विभाग क्या इसकी जांच करेगा कि जो सिटीज के अन्दर पानी आता है जैसे अजमेर में गनेड़ा गांव का पानी आता है वहां से शहर को पानी देने के लिए वहां का सारा पानी खींच लिया इससे गन्ने की फसल नष्ट हो गयी……

**श्री बृजसुन्दर शर्मा**: उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं आपका इस संबंध में कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

**श्री विजयसिंह रावत** : मुझे जानकारी चाहिए…

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : मुझे गन्ने की कोई जानकारी नहीं है…………

**श्री उपाध्यक्ष** : यह आपके कटौती प्रस्ताव में नहीं था। इसलिए आप और किसी समय किसी और तरीके से पूछ सकते हैं इस प्रश्न को।

**श्री रामकिशन** : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक मुख्य बात रह गई। अभी श्री केदार नाथ जी ने कहा था कि अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के तहत जो काश्तकार नहीं थे ऐसे लोगों ने जमीनें ले लीं थीं तो क्या सरकार दो बातों की जांच कर सकती है कि जिनको जमीन दी गई वह उस समय भी काश्तकार नहीं थे और अब भी काश्तकार नहीं हैं। पहले भी वह काश्त नहीं करते थे और अब भी नहीं करते हैं और अब वह उस जमीन को दूसरे तरीकों से बेच रहे हैं या कनवर्ट करा रहे हैं। इससे बहुत बड़ा सामाजिक सवाल हल होता है इसके बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति को काश्तकार बनने से रोका नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति काश्तकार नहीं है लेकिन काश्तकार बनना चाहता है तो जमीन खरीदता है और पैसे देता है इसमें औरों को क्या आपत्ति ?

श्री नत्थीसिंह : लेकिन वहां पर मिलें लगी हैं, कारखाने लगे हैं और जमीन को कनवर्सन कराया है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा अपने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में कोई व्यक्ति खेती नहीं करता है और जमीन खरीदे तो उसमें कोई बाधा नहीं है और ज्योंही वह जमीन खरीदता है खातेदार हो जाता है।

श्री नत्थीसिंह : ग्रो मोर फूड के तहत एलॉटमेंट का सवाल है और वहां पर तेल की मिल लगी और दूसरी फेक्टरीज लगी हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिस परपज के लिए जमीन दी गई है उसके लिए ही यूज होनी चाहिए दूसरे के लिए नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बारे में खुद जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो खेती के लिए जमीन लेता है वह अकृषि भूमि में उसको कैसे परिवर्तित कर सकता है और अगर कर लेता है तो गलत है। जैसा मैंने कनवर्शन के बारे में कहा कि यह समस्या बड़ी गम्भीर है और कई लोगों ने कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित कर ली है, किसी ने मकान बना लिया है, किसी ने कारखाना बना लिया उस पर गम्भीरता से विचार करके एक कमेटी की राय लेकर निर्णय करेंगे। लेकिन मैं फिलहाल इतना ही कह सकता हूं कि कोई भी जमीन कृषि के लिए ली गई है और अकृषि में कोई उसको परिवर्तित कर लेता है तो सरासर उसके खिलाफ यह चीज है।

श्री मुकुटबिहारी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय यह अच्छी तरह से समझ लें। कुछ लोगों ने हजारों बीघा जमीन ग्रो मोर फूड कम्पेन के तहत अपने नाम एलॉट कराली और जिस समय जमीन एलॉट कराई उस समय वह काश्तकार नहीं थे और इतने अर्से तक उन्होंने कभी काश्त नहीं की अब वह दो चीजें कर रहे हैं। एक तो उस भूमि को ऊंची रेट लेकर दूसरों को बेच रहे हैं और उससे हजारों रुपया कमा रहे हैं। दूसरी स्थिति यह है कि जैसे बयाना के अन्दर है, भरतपुर के अन्दर हैं वह बस्तियां जो प्लाट्स के लिए हैं उन प्लाटों को लाखों रुपयों में दूसरे लोगों को बेच दिया है और उनके ऊपर बड़े बड़े प्लाटस खड़े हो गये हैं...

श्री उपाध्यक्ष : इस पर मन्त्री महोदय ने कह दिया था इसलिए दुबारा कहने की जरूरत नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा था और उसको टाल दिया है। मैंने पूछा था कि चरागाह की जो जमीन होती है वह पंचायत मन्त्री के तहत नहीं होती है। जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दी जाती है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही अधिकार होता है। सिर्फ सुपरविजन पंचायत का होता है। इस तरह सड़क पंचायत में वहां सरपंच ने कम से कम सैंकड़ों बीघा जमीन दबा ली है चरागाह की

( श्री गिरधारीलाल व्यास )

उसके खिलाफ जो कार्यवाही करानी चाहिए वह तहसीलदार से करानी चाहिए। पंचायत विभाग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है इस लिए मैं माननीय राजस्व मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि इस तरह से जिन्होंने भी चरागाह की जमीन पर कब्जा कर लिया है उनको हटाने की कार्य-वाही की जाये··· ·· ·····

श्री उपाध्यक्ष : दफा 91 में जो लोकल बाडीज़ के तहत होती है उसके लिए लोकल बाडीज़ को शिकायत करनी होती है और जो सरकार के पास होती है उसके लिए तहसीलदार खुद कार्यवाही कर सकता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : तहसीलदार को सो मोटो अधिकार दे दिया गया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें अमेन्डमेंट हो गया है। तहसीलदार को सो मोटो 91 की कार्यवाही करने का अधिकार दे दिया गया है तो तहसीलदार को इस बारे में और हिदायत कर दी जायगी कि वह इस बारे में सो मोटो करके चरागाह की जमीन किसी दूसरे को नहीं दी जानी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह 2003 से पहले वाला मसला।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक इस मसले का ताल्लुक है। भरतपुर के 2003 के पहले भी काश्तकारों का मसला है जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि, जैसा आप कहते हैं, मुख्य मन्त्रीजी ने कुछ कहा था तो मैं उसको देखकर ही बता सकता हूं। मैं ऑफ हैंड इसके लिए जवाब देने को तैयार नहीं हूं कि 2003 से पुराने काश्तकार किस तरह के हैं आया वह इवेक्यु प्रापर्टी के हैं या खुद की प्रापर्टी के हैं। कुछ ऐसे भी मसले हैं जो कि मत्स्य के वक्त के हैं और वह जमीन छोड़ कर चले गए और फिर आ गये तो उनके बारे में क्या होगा मैं माफी चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि मैं इस समय इस बारे में कोई बात कह नहीं सकूंगा क्योंकि यह बहुत अहम नीति का सवाल है। मैं इस बारे में उत्तर नहीं देना चाहूंगा और ज्योंही इस बारे में अपना दिमाग बना लूंगा, उत्तर दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मन्त्री जी अभी यहां थे उन्होंने 15-5-62 को इसी सदन में इतना आश्वासन दिया था कि उनसे जमीन की कीमत वसूल नहीं की जायेगी और उनको खातेदारी राइट्स देने के बारे में गवर्नमेंट आफ इन्डिया से बात चीत करेंगे। आप बातचीत तो करें लेकिन आप ऐसा प्रयत्न करें कि उनसे बातचीत करके उनसे कीमत वसूल नहीं करें। मेरे नोटिस में आया है कि उनसे कीमत वसूल होनी शुरू हो गई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महो-दय, यह ऐसे केसेज हैं कि जहां इवेक्यु प्रापर्टी थी और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से उन्होंने ले ली और उसका यदि उनको कुछ देना था जैसा परसों गंगानगर का प्रश्न आया था कि इवेक्यु प्रापर्टी के पैसे उस पूल में देने पड़ते हैं चाहे किसी भी तरह से उन्होंने इवेक्यु प्रापर्टी को खरीदी हो या कब्जा किया हो जो इवेक्यु प्रापर्टी का पूल है उसमें रकम जमा करानी पड़ती है। अब यह भारत सरकार के अधीन है कि वह रकम ले या नहीं। तो यह ऐसा मसला है कि जो बहुत उलझा हुआ है मैं आफ हैंड इस बारे में आज नहीं कह सकता।

श्री नत्थीसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी कभी•••

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय हो गया है। राजस्व मंत्रीजी ने जवाब ही दे दिया है और वे कुछ और भी कहना चाहते हैं, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नत्थीसिंह : लगान की व्यवस्था के सम्बन्ध में स्पष्ट कहना चाहिए। तीन साल से वहां अकाल है इसलिए लगान वसूली नहीं होनी चाहिए, उस लगान वसूली को स्टे न करके माफ करना चाहिए। इस बारे में आप अपनी नीति स्पष्ट करें।

( व्यवधान ) ( शोरगुल )

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस बारे में किस प्रकार की स्थिति है, रेमिशन कहां है, कहां सस्पेंशन है, यह तो बहुत विचार करके किया जा सकता है। जहां रेमिशन करना होगा वहां टोटल रेमिशन हो जाएगा और जहां सस्पेंशन करना होगा वहां सस्पेंशन किया जाएगा। किस जगह पर कितने परसेंट नुकसान है यह तो विचार करने की बात है।

( शोरगुल ) ( अश्रव्य )

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो साफ बात है कि अगर तीन चार साल से अकाल है तो तत्काल ही लगान माफ कर देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : लगान को माफ करने का या सस्पेंड करने का जो प्रश्न है यह तो कानूनी प्रश्न है। अगर कानून के अनुसार लगान माफ होना चाहिए तो माफ कर दिया जाएगा। इतने सालों से लगातार फेमिन है तो लगान माफ हो जाएगा। मेरे ख्याल से यह तो कोई पूछने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : टिनेंसी एक्ट में प्रावधान है कि दो साल के बाद अगर लगातार अकाल रहता है तो उसे सस्पेंड नहीं रेमिशन करना चाहिए लेकिन उसका पालन नहीं कर रहे हैं आपके अधिकारी।

( व्यवधान )

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिए अलग से कार्यवाही कर सकते हैं। मंत्रीजी के हां या ना कहने से कानून की व्यवस्था में फर्क नहीं पड़ता।

( शोरगुल ) ( व्यवधान ) ( अश्रव्य )

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो कानून में प्रावधान है उसका पालन होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

यह कानून को पालना का सवाल है, आप प्रश्न पूछिए या और किसी तरह से इसे रख सकते हैं

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय•••••••••

( शोरगुल ) ( अश्रव्य )

श्री उपाध्यक्ष : कानून में जो चीज आई हुई है उसके लिए मंत्री महोदय फिर अपने मुंह से रिपीट करें यह आवश्यक नहीं है। दो साल के बाद लगान माफ करना है तो माफ कर दिया जाएगा अगर इसकी व्यवस्था कानून में होगी। अगर इसके अनुसार कार्यवाही नहीं होती है तो इसके लिए आप अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं कि तीन साल का फैमिन था उसके अनुसार सस्पेंड होना चाहिए या रेमिट होना चाहिए और रेमिट होना था और नहीं किया जाता है तो इसका फैसला दूसरे तरीके से कराया जा सकता है।

( शोरगुल ) ( व्यवधान ) ( अश्रव्य )

**श्री रोशनलाल :** ( सलूम्बर ) : प्रश्न यह है कि कानून में तो वह है लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। इसलिए कहना यह है कि मंत्री महोदय अपने सेक्रेट्री और दूसरे अधिकारी हैं उनको कहें तो काम हो जाएगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए मैं यह कहूंगा कि सदन की यह परम्परा रही है कि मंत्रियों के द्वारा स्पष्ट आश्वासन दिलाये जाते हैं और शासन अपनी व्यवस्था कायम रखता है।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** माननीय बांरा से आने वाले सदस्य ने एक सवाल यह उठाया कि किसी ..........

(शोरगुल) (व्यवधान) (अश्रव्य)

**श्री उपाध्यक्ष :** ज्यादा बाधा उपस्थित नहीं करें।

**श्री रोशनलाल :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिए।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** अगर कानून में आती है तो उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी। कौनसी जगह पर, कितने वर्षो से कितना नुकसान है, कौन से गांव में कितना नुकसान है, यह तो डिटेल में जाने की बात है ...

**श्री हीराभाई :** कानून में आई हुई है तभी तो अकाल घोषित किया है। अगर कानून में नहीं होती तो अकाल ही कैसे घोषित कर देते।

(शोरगुल) (अश्रव्य)

**श्री गिरधारीलाल व्यास :** जहां पर रेमिट कर सकते हैं वहां अवश्य किया जाएगा. इस बात का हम आश्वासन चाहते हैं।

(शोरगुल)

**श्री उपाध्यक्ष :** आर्डर। आर्डर।

**श्री गिरधारीलाल व्यास :** आश्वासन तो दीजिये।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** मैंने जैसा कहा, आप माननीय सदस्य जानते हैं कि अगर कानूनी तरीके से इस चीज का रेमिशन हो सकता है तो रेमिशन होगा और अगर रेमिशन के लिए कानून इजाजत नहीं देता....

**श्री रोशनलाल :** कानून में तो व्यवस्था है फिर भी आपके कलेक्टर उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

**श्री गिरधारीलाल व्यास :** यह किताब कलेक्टर को बता देते हैं फिर भी वह नहीं सुनते हैं।

(शोर गुल) (व्यवधान) (अश्रव्य)

**श्री उपाध्यक्ष :** आर्डर प्लीज।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा :** मेरा अर्ज करना यह है कि प्रश्न तो यही है कि रेमिशन किया जाय....

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** यह बिल्कुल कानूनी मसला है, इसके ऊपर कानून के अनुसार अगर माफी होने का सवाल है तो माफी होगी। कानून के अनुसार अगर माफी नहीं दे सकते तो वह नहीं दी जाएगी। इसके बारे में वाद-विवाद में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, यह मैं समझता हूं।

(शोरगुल) (व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे) (अश्रव्य)

श्री रोशनलाल : कानून में तो इसका प्रावधान है और उनके अनुसार कलेक्टर को लिखकर भेजा है फिर भी आपकी मशीनरी उस पर ध्यान नहीं देती है हम यह नहीं कहते हैं कि कानून में नहीं है और वह कार्य हो जाय लेकिन कानून का पालन नहीं होता है। हम कहते हैं कि चार-चार बार अकाल पड़ गए हैं उस गांव के अन्दर फसलें नष्ट हो गई हैं तो उसका लगान वसूल नहीं होना चाहिए। उदयपुर जिले के अन्दर कई तहसीलों में ऐसे गांव हैं जिनका लगान कानून से माफ होना चाहिए। कलेक्टर महोदय को बताते हैं तो वे सुनते नहीं हैं। मंत्री महोदय को उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय माननीय राजस्व मंत्री महोदय का उत्तर संदिग्ध है, इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए। जो भी उत्तर हो वह पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिये कि होगा या नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस मामले में कानून बिल्कुल स्पष्ट है और जो कानून की व्यवस्था है उससे अधिक न तो मंत्री महोदय कह सकते हैं और न कुछ कर ही सकते हैं। इसलिए इस वाद-विवाद का कतई तौर पर प्रश्न नहीं उठता हैं।

श्री रोशनलाल : मंत्री महोदय यह क्यों नहीं कहते कि कानून की पालना करायेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मंत्री का फर्ज है कि वह कानून की पालना कराए।

श्री रोशनलाल : कौन कराएगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मंत्री का फर्ज है कि वह कानून की पालना कराए। इससे ज्यादा क्या आश्वासन चाहते हैं। मंत्री किसलिए हैं फिर ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : तो फिर कानून की पालना कराइए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यही तो मैं कह रहा हूं कि···

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप स्पष्ट कहिए कि जो कानून का पालन नहीं करेंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जावेगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप ऐसा कीजिये कि अपने अपने क्षेत्रों में, जहां नियमानुसार लगान की माफी होनी चाहिये, वह गांव निकाल कर मंत्री महोदय को दे दीजिए, मंत्री महोदय अगर कोई कार्यवाही न करें तो दुबारा सदन में यह सवाल पेश हो सकता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मैंने सदन का समय बहुत ले लिया है और राजस्थान लैंड रेवेन्यू लाज और उसके नियमों के अनुसार कहां कानून का पालन होता है, किसने पालन किया है और किसने नहीं किया इस पर चले जावें तो शायद दस रोज में भी बात समाप्त न हो और ऐसी चर्चाओं का भी कोई फायदा नहीं हो सकता। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी मुद्दे यहां पर उठाए गए हैं उन मुद्दों पर जो कुछ भी बाकी रह गए हैं उन पर अवश्य विचार किया जावेगा। इतना मैं और कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव कटौती प्रस्तावों के रूप में दिए हैं मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके इसी तरह से सुझाव आते रहेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न करना है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने परसों के रोज ही इस प्रकार का आश्वासन दिया था कि भारत सरकार ने फेमिन के सम्बन्ध में पांच करोड़ की सीलिंग हमारे पर लगा दी थी उसकी वजह से पैसा खर्च हो जाने से सारे काम बन्द हो गए। उसके बाद मुख्य मंत्री महोदय ने यह भी आश्वासन दिया था कि यह सीलिंग अब नहीं रही। इसकी वजह से जो भी काम एक तारीख को बन्द हो गए हैं वे काम पुनः चालू कर दिए जायेंगे। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कांस्टीट्यूएन्सी से इस प्रकार की खबरें मिली हैं कि एक तारीख को वहां पर काम बन्द हो गए और मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन देने के बाद भी वापिस काम चालू नहीं हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एक तारीख से पूर्व जो काम चल रहे थे उनको यथावत् वापिस कब तक चालू कर दिया जावेगा, इसकी व्यवस्था किस प्रकार से करेंगे इसका जवाब दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सदस्य ने शायद मेरा भाषण नहीं सुना। मैंने साफ-साफ कहा है कि जहां काम चल रहे थे वे चालू रहेंगे और अगर वापिस चालू नहीं हुए हैं तो उनको शुरू करवा दिया जाएगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जिन्होंने शुरू नहीं किए हैं आपके आदेशों के बावजूद तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : किसी का कसूर होगा तो कार्यवाही करेंगे।

श्री विजय सिंह रावत (नसीराबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साढे पांच रुपये खर्च हो गए, मैंने माननीय मंत्रीजी को तार भी दिया था कि अजमेर जिले के अन्दर काम शुरू नहीं हुए हैं, उनके आश्वासनों का पालन अभी तक नहीं हुआ है।

(कोई उत्तर नहीं)

श्री उपाध्यक्ष : वन मंत्रीजी।

वन मंत्री (श्री नारायण सिंह मसूदा): उपाध्यक्ष महोदय, कई कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने सदन के सामने प्रस्तुत किए हैं। एक तरफ .....

श्री रोशनलाल : आवाज नहीं आ रही है।

श्री नारायण सिंह (मसूदा): एक तरफ राजस्थान की वन सम्पदा जो कि इस प्रकार से घटती जा रही है ऐसी शिकायतें सुनते हैं और एक तरफ सभी माननीय सदस्यों की इतनी दिलचस्पी देखकर मुझे विश्वास होता है कि वनों की तरफ अभी भी, वनों के महत्व की तरफ और वनों की तरफ हम सब की दिलचस्पी है और हम समझते हैं कि इस सारे ...

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय आधे घण्टे के लिए और बढाया जाता है।

कुछ माननीय सदस्य : पन्द्रह मिन्ट ही काफी हैं।

श्री नारायण सिंह (मसूदा): वनों का क्या स्थान है और वनों की किस प्रकार से रक्षा होनी चाहिए हमारे राजस्थान के अन्दर इस समय जो वनों का क्षेत्रफल है वह 37, 63, 792 स्क्वायर किलो मीटर है यानी 1105 सारे लैण्ड एरिया का आता है और वहां पर 25 से 33 तक उसका वन होने चाहिए तब वह सारी चीज बेलेन्स में आ सकती है।

( श्री नारायणसिंह मसूदा )

यह वनों की स्कीम तीन विभागों में चलती हैं-फारेस्ट्री सेक्शन में, स्वाइल कन्जर्वेशन, और सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स के मातहत इसमें पहले पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ कार्य हुए। उसके पहले यह मानना होगा कि यहां की वन-सम्पदा काफी नष्ट हुई है और उसके नष्ट होने का कारण यह था कि जागीर प्रथा के हटने पर और विलीनीकरण होने की अवस्था में जो पुराने उन वनों के मालिक थे उन्होंने उसको काफी बरबाद किया, लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना में उनको जैसे का तैसा रखने की कोशिश की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ और भी प्लान के अन्तर्गत कुछ कार्य प्रारम्भ हुए और 338.4 लाख रुपया खर्च हुआ। 13 स्कीम्स बनी विभिन्न प्रकार की जिनमें डिमार्केशन, फोरेस्ट प्रोपेगेशन वर्किंग प्लान के अन्तर्गत प्लान्टेशन के काम के अन्दर के प्लान्स इस प्रकार के कई कार्य हाथ में लिये गये। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 147.8 लाख रुपया 18 स्कीमों को लेकर खर्च हुआ और उससे काफी प्रगति भी हुई फिजिकल टार्गेट्स को मैं यदि थोड़ा सा पढ़ दूं तो सन् 1966-67 में ही 278 लाख का खर्चा हुआ। उसमें नये जंगल के नीचे हम 720 हैक्टर जमीन को लाये। 992 फारेस्ट इम्प्रूव हुए और 442 हैक्टर के अन्दर घास उगाई गई फारेस्ट सेटिलमेंट 323 किलोमिटर में हुआ। सॉइल कन्जर्वेशन में 9.52 लाख रुपया का खर्चा होकर 5034 हैक्टर में 22 किलो मीटर जमीन में हुआ, चम्बल प्रोजेकट में भी 11.17 लाख रुपया का खर्चा हुआ और ऐसा प्लान्टेशन 3810 हैक्टर जमीन पर हुआ। 280 हैक्टर में हुआ··· ···

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : कट मोशन का जवाब दे दें तो ज्यादा अच्छा हो और जल्दी हो जायगा। वह तो हमारे पास स्टेटमेंट है।

श्री नारायण सिंह (मसूदा) : यह स्टेटमेंट आपके पास नहीं है। उसको रखने का मतलब यह है कि कई कटमोशन्स के अन्दर यह शिकायत की गई है कि वन-संपदा को काफी उजाड़ा गया है। वास्तव में वन संपदा पर केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि सभी जगहों पर जो पापुलेशन का प्रेशर है उसको देखते हुए उस पर आघात पड़ रहा है, और सभी जगह समस्या उत्पन्न हो रही है कि किस प्रकार से वनों को एक अनुपात में रखा जाय। एक तरफ तो डेमोक्रेसी का तकाजा है, जन-साधारण के मन को जीतने का तकाजा है और दूसरी तरफ वनों की रक्षा करने का तकाजा है। ये दोनों इस प्रकार से संतुलित हों कि कई स्कीम जो वन बनाने की होती है वह पूरी नहीं पड़ सकती। यों सैद्धान्तिक दृष्टि से जोर दिया तो भी काम नहीं चल सकता है। मवेशियों की संख्या भी बढ़ती है। लकड़ी की जरूरत भी बढती है। हमने एक दफा सोचा था कि बढते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए एक बैंच जंगल का बना दिया जाय वह बाकायदा इस वक्त तक नहीं बन सका इसलिए कि कई प्रकार के पोलिटिकल प्रेशर विरोध और प्रभाव उसके अन्दर घटित होते हैं। फिर भी जो कुछ कार्य इतना सब कुछ हुआ है 2-3 योजनाओं के अन्दर उसका मैं थोड़ा सा स्वरूप जो नान-प्लान और प्लान एक्सपेन्डीचर हुआ उसकी दृष्टि से और जो आमदनी खर्च की गई उसकी दृष्टि से मैं प्रस्तुत करता हूं। 57-58 के अन्दर नान-प्लान का 31, 95, 569 रु०

# Page No.141



( श्री नारायणसिंह मसूदा )

और प्लान के अन्दर 20,85,301 रु० यों करके 52,36,870 का कुल खर्च था। 60-61 के अन्दर 39,58,590 नान-प्लान था और प्लान का 41,59,383 रु० कुल 81,17,973 रु० खर्च हुआ। और सन 66-67 में वह बढ़कर नान-प्लान में 61,59,956 प्लानमें 47,77,000 रु० और कुल मिलाकर 1,09,36,956 रु० खर्च हुआ। इसके साथ-साथ आमदनी जहां 57-58 में 70,34,314 रु० हुई और 60-61 में 76,81,158 रु० हुई तथा 66-67 में 1,12,47,058 रु० तक की आमदनी आई। तो आमदनी की दृष्टि से कमी नहीं हुई। इसके अन्दर जो भी खर्चा है उससे आमदनी ज्यादा हुई है लेकिन उसके उपरान्त भी जो इसकी एडिशनल आमदनी इसमें नहीं आ पाती है वह है जो कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और दूसरे जंगलों में जो हकूक हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी छूट दी जाती है उसके हिसाब से आंकड़े फैलाये जाते हैं तो 60-61 में 17-14 लाख की आमदनी इस हिसाब से अलग रहती है और 64-65 में 41-43 लाख की आमदनी उस हिसाब से आती है यह भी उसके अन्दर जोड़ी जाती है। इसके अलावा जो जंगल की कोआपरेटिब्ज हैं उनको जो जंगल दिये जाते हैं वे केवल ठेके पर नहीं दिये जाते हैं बल्कि 3 साल के औसत पर दिये जाते हैं। उनको दिये जाने का हिसाब रहता है तो उसमें भी घाटा पड़ा ही है। इस घाटे को हमें चूंकि एक समाजवादी समाज का निर्माण करना है और कल्याणकारी राज्य को लेकर हम चलते हैं तो बरदाश्त करना पड़ता है।

आज यह प्रश्न आता है कि ठेकेदारी प्रथा ठीक है या नहीं। मैं आगे कुछ कटौती प्रस्तावों के बारे में जिक्र करूंगा जब कि उन पर आऊंगा, और जो विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय ने और दूसरों ने इसके बारे में शिकायतें की हैं कि ठेकेदारों ने किस प्रकार से गड़बड़ियां की हैं। उनका विगतवार विश्लेषण में न जाते हुए और न जाने का यहां पर अवसर ही है, मैं इतना कह सकता हूं कि ठेकेदारी प्रथा ऐसी है कि इस पर अलग तरह से विचारने की बात है, लेकिन उससे एक आमदनी खड़ी हो रही है, और उसका आल्टर्नेटिव या तो टेन्डर सिस्टम हो सकता है या हम सब जगहों पर को-ओपरेटिब्ज बनायें या स्थानीय जनता इतनी जिम्मेवार हो कि फोरेस्ट रिक्वायरमेंट्स के अनुसार वे फोरेस्ट को कुछ हद तक स्वयं देख सकें। दायित्वशीलतापूर्वक इन सब बातों को देखना पड़ता है तब जाकर ठेकेदारी प्रथा का एक आल्टर्नेटिव हमारे सामने आता है। अन्यथा हम यदि एकदम ठेकेदारी प्रथा को हटा दें जिस प्रकार कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अन्दर एक निश्चय के अनुसार हटाया गया तो 98 लाख के करीब करीब घाटा हमारे सामने आता है और उसको आफसेट करने के लिए आल्टर्नेटिव स्कीम सोचने की आवश्यकता भी पड़ जाती है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि ठेकेदारी प्रथा से कुछ नुकसान होता है उसका आल्टर्नेटिव जब तक नहीं सोचा जा सके हम उसको एकदम तिरोहित नहीं कर सकते। वास्तव में नुकसान कई जगहों पर कई प्रकार से होता है तो उसका कारण ज्यादा तो यह मानता हूं और क्षमा याचना पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे में राष्ट्रीयता की कमी है, हमारे में दायित्वशीलता की कमी है और इन सब बातों की

( श्री नारायणसिंह मसूदा )

कमी के कारण यह सब बातें प्रस्तुत होती हैं। आज विकेन्द्रीकृत प्रजातन्त्र की शासन-पद्धति का निर्माण हुआ और सब प्रकार की पद्धतियां इवाल्व हुई हैं परन्तु जब तक राष्ट्रीयता और दायित्वशीलता प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर नहीं आयेगी तब तक हम हमारी राष्ट्रीय सम्पदाओं की रक्षा उचितरूप में नहीं कर सकते। इसलिए जो अटकाव हमारे सामने आ जाते हैं उस कारण हमें कुछ प्रथाओं को देखना पड़ता है, जिस प्रकार ठेका प्रथा है। इसको नेसेसरी इविल समझते हुए भी हमको अपने हाथ में लेना पड़ता है।

मैं इस विषय में जो विरोधी दल के नेता महोदय ने कुछ बातें कहीं हैं उनके ऊपर कुछ प्रकाश डालना ठीक समझूंगा। उन्होंने एक तो प्राटेक्टेड फोरेस्ट का सुझाव दिया। प्राटेक्टेड फोरेस्ट भी और रिजर्व फोरेस्ट भी और मैंने पता लगाया है कि प्राटेक्टेड फोरेस्ट का भी एरिया हमारे यहां करीब ६५७ स्क्वायर मील का अब भी मौजूद है और इसको भी विचारा जा सकता है कि प्राटेक्टेड फोरेस्ट को कहां तक बढ़ाया जाय। मैं तो इसमें यह कहूंगा कि प्रत्येक फोरेस्ट के अन्दर जिन जिन के हक का सवाल आता है, जिस वक्त में यह सर्वे की जाय और यह सर्वेज हो भी रही हैं उस समय इन सब बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि उनके हक को बिना वन सम्पदा को नष्ट किये किस तरह सुरक्षित रखा जा सकता है। पुराने वक्त में राजस्व में एक सिद्धान्त रहा है वाजिबुल अर्ज के मेंषड़ को जंगल में माना गया है। एक का दूसरे पर हक बराबर माना गया है। इसमें थोड़ा विषयान्तर हो जाने की आवश्यकता पड़ जाती है पर मैं अर्ज करूंगा कि वाजिबुल अर्ज की बात का मतलब यह है कि जहां पंचायत होती है तो कहीं पर एक चरागाह होता है। अब वहां उसमें पांच गांव है तो वह दो या चार में बंट जाता है। वह यह समस्या पड़ जाती है और वाजिबुल अर्ज खत्म हो जाता है। कहीं तो सीमाओं को बढ़ाने या घटाने का प्रश्न अराइज होता है वहां वाजिबुल अर्ज हमारे से नजरअन्दाज रह जाता है। लेकिन हम वाजिबुल अर्ज की पूर्ति करने के लिए प्रयत्न करते चले आ रहे हैं। इसलिए इस को तिरोहित करने की आवश्यकता नहीं है। अब वन सम्पदा के अन्दर आम जनता का रस किस प्रकार से पैदा हो सकता है वह अपन उसे समझा सकते हैं और उसमें दायित्वशीलता किस प्रकार से कायम कर सकते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति किस प्रकार से निर्माण की जा सकती है यह सब सोचने की बात रह जाती है। अभी इस विषय में विरोधी दल के माननीय नेता बहुत जोर दे रहे थे। जोर देना एक बात है लेकिन दायित्वशीलता एकदम पैदा किस प्रकार हो-यह दूसरी बात है। अभी एक फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी बैठी है और डिमार्केशन आफ फोरेस्ट के ऊपर अलग अलग स्तर पर, पंचायतों और समिति को साथ लेने का प्रयत्न किया गया है उसके अनुसार समिति लेवल पर समिति से प्रधान, तहसीलदार और स्थानीय डी०एफ०ओ०--स्थान पर स्थान डिमार्केशन के सम्बन्ध में जहां फारेस्ट को रिलीज करने का मुख्य सुझाव है या दूसरे किसी का हक है उसके सुझाव बनाकर भेजते हैं। और जिला स्तर कमेटी है जिसमें कलेक्टर, जिला प्रमुख का प्रतिनिधि अथवा जिला प्रमुख और कन्जरवेटर...... ....

**श्री केशरीसिंह** : इसमें एम०एल०एज० को शरीक क्यों नहीं किया गया है ?

**श्री नारायणसिंह मसूदा** : और यह कमेटी भी सुझाव बनाकर भेजती है।

**श्री केशरीसिंह** : इसमें एम०एल०एज० को शरीक क्यों नहीं किया गया है ?

**श्री नारायणसिंह मसूदा** : एम० एल० एज० तो हर जगह पर मौजूद हैं ही।

**श्री केशरीसिंह** : बिना बुलाये कैसे जायेंगे वैसे तो हर जगह मौजूद रहेंगे पांच साल तक।

**श्री हीरा** : वोट का राइट नहीं है।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : विधान सभा का सेशन तो बारह महीने नहीं चलता है।

**श्री नारायणसिंह मसूदा** : मैं डिमार्केशन के सिलसिले में अर्ज कर रहा हूं, जिस तरह पंचायत समिति और इनको साथ में लिये जाने का प्रयत्न किया गया है वह बता रहा हूं।

**श्री केशरीसिंह** : निवेदन करने का मेरा अर्थ यह है कि सरकार यह समिति बना रही है जिला स्तर पर…

**श्री रामकिशन** : बनी हुई है।

**श्री केशरीसिंह** : नहीं है। तो जो जिला स्तर पर समिति बने उसमें यह तय होगा कि कौन जमीन काबिले काश्त है। उस जमीन का काश्त करने के लिये निकाला जाय तो इसके लिए मेरा अनुरोध है कि विधान सभाई क्षेत्र के जो एम०एल एज० हैं वह इस समिति में शामिल होने चाहिए।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : यह ठीक है।

**श्री केशरीसिंह** : इसमें एम०एल०एज० होने चाहिएं।

**श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर)** : इससे झगड़े में पड़ोगे।

**श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या…

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)**: पहले पूरा तो करने दें।

**श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** : क्या आपकी यह जानकारी में है कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा फोरेस्ट की पैदावार का ठेका पंचायत भी दे रही है और पी०डब्ल्यू०डी० भी दे रहा है और इस कारण लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है।

**श्री नारायणसिंह मसूदा** : फोरेस्ट का ठेका पंचायत या पी०डब्ल्यू०डी० दे यह समझ में कम आता है।

**श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** : मैं निवेदन करूं, आप पूछिये अपने अधिकारियों को कि कोटा डिविजन में जिन ठेकों से 1965 में लाखों रुपयों की इन्कम हुई, वह 1966 के अन्दर हजारों में आ गई और 1967 में उसकी इन्कम और कम हो गयी है। इससे व्यापारी परेशान हैं और फोरेस्ट के अधिकारी भी परेशान है। और पंचायतें भी परेशान हैं यह वह मसला है जिस पर राज्य सरकार को सजगता के साथ सोचना है। सवाल यह है कि एक तरफ आप टैक्स लगाते हैं और दूसरी तरफ हजारों लाखों की इन्कम आप बढ़ा सकते हैं उसको आप बेवजह गिरा रहे हैं। आप अधिकारियों से पूछिये।

# Page No.144



श्री उपाध्यक्ष : जो कोई बात हो आप थोड़े वक्त में उसे कह दीजिये। आपने तो भाषण देना शुरू कर दिया।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : कोटा डिविजन में परता तेलू का ठेका पंचायत देती है, पी०डब्ल्यू०डी० भी देता है और फोरेस्ट डिपार्टमेंट भी देता है। उसके लिए पंचायतों ने जिला परिषद में प्रस्ताव करके भेजा है, और झालावाड़ में जब मिनिस्टर साहबान गये थे तो उनको भी निवेदन किया था लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : पी०डब्ल्यू० डी० की सड़कों के आस पास जो पत्ती वगैरह है होती है उनकी बात कर रहे हैं.........

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : जी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : पेड़ों की पत्ती वगैरह के विषय में आप फर्मा रहे हैं। सड़कों के आस पास के पेड़ों के पत्तों को नीलाम करते हैं इस विषय में सोच लेंगे कि उसके लिए क्या किया जाय। इस समय केवल रिजर्व फोरेस्ट के अन्दर जो वन सम्पदा है उसका डाइरेक्ट ताल्लुक फोरेस्ट डिपार्टमेंट का है। इससे क्या कमी-वेसी आती हैं वह अलग से सोचने की बात है। इसके अलावा एक बात आई···

श्री गिरधारी लाल व्यास : एक कट मोशन मेरा था, आपने जवाब नहीं दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिमार्केशन के सम्बन्ध में आपने बात कही है, वह प्रोबलम इस रूप में होता है कि जब जब आपने डिमार्केट किया या जब उसके ऊपर सेटलमेंट किया गया उस समय किसान कन्टेस्ट नहीं करता है क्योंकि उसको पता नहीं लगता है। लेकिन जब दीवार खींचते हैं या उसके राइट पर रोक लगाई जाती है तब उसे पता लगता है कि अब तुम्हारा राइट नहीं रहा है। अब लिमिटेशन नहीं होने की वजह से, मियाद नहीं होने की वजह से राइटस, क्लेम चले आ रहे हैं। यह प्रोबलम राजस्थान में हैं। मैं निवेदन करूंगा, इतना टेक्निकली स्ट्रिक्ट न होकर बन्दोबस्त होने का तरीका निकालें और अपील के लिये आप उसको दुबारा ओपन करायें और उस पोलिसी को, जिसको गवर्नमेंट ने बराबर डिक्लेअर किया है, किसान के जो परम्परागत राइट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाय, प्रोटेक्ट किया जाय। इसको आप इम्प्लीमेंट करें। अगर केवल बन्दोबस्त होकर यह कर दें कि लोगों ने उस वक्त आब्जेक्शन नहीं किया इसलिए उसको दर गुजर करके यह कहें तो उचित नहीं। किसान के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाय और इसके अन्दर से कोई रास्ता निकाला जाय। आप सरसरी तौर पर दुबारा इस पर गौर कर लेना डिमार्केशन के वक्त पर पब्लिसिटी देते हैं और जानकारी में आया है कि सरपंच और पंच आदि को साथ में लिया जाता है। यह सरकार की कभी भी मंशा नहीं है कि किसी का हक हो तो उसको बिलकुल ही नजर अन्दाज कर दिया जावे। इस विषय में देखा जावेगा कि इस तरह से किसी के राइट्स हनन हुए हैं तो····

श्री रामकिशन : आप कहते हैं कि पब्लिसिटी दी जाती है, यह तो एक फोरमेलिटि हैं और किसान को इस बात का पता नहीं लगता। आप कहते हैं कि नोटिस जाते हैं मगर किसानों का जब सेटलमेंट होता है तब पता लगता है।

एक माननीय सदस्य : पूरी पब्लिसिटी नहीं होती और किसानों को पता नहीं लगता।

श्री नाथूराम बागोडोरा : कई जगह नोटिस समय पर नहीं पहुंचते हैं और जब मियाद निकल जाती हैं तो उनके पास नोटिस पहुंचते हैं।

श्री नारायण सिंह मसूदा : अगर इस तरह की बात है तो देखेंगे कि मियाद निकलने के बाद कैसे पहुंचे हैं।

श्री शिवचरण सिंह : हमारे यहां सेटलमेंट हुआ। उसमें कहीं पर भी सरपंच को साथ में नहीं लिया गया। किसानों को पता नहीं लगा। मियाद निकल गई। उसके बाद जब किसानों को मालूम हुआ तो प्रोटेस्ट हुई और केसेज फेल हो गये। माननीय सदस्य ने जैसा अभी बताया है कि टाइम लिमिट निकल जाती है उसके बाद में लोगों को पता लगता है। इसके लिये कोई रूल्स बने या कोई कमेटी हो जो वास्तव में किसानों के हितों पर ध्यान दे। हमारे इस इलाके में पशु पालन के सिवाय और कोई धन्धा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्या यह भाषण हो रहा है।

श्री शिवचरण सिंह : इसलिए मेरा यह निवेदन है कि कुछ न कुछ इसके लिये नियम होने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : अगर कोई माननीय सदस्य कुछ कहना चाहें तो सुझाव के रूप में कह सकते हैं। इस तरह से भाषण न दें।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने जो बातें रखी हैं वे मिसाल के रूप में रखी हैं। आप उस पर विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : वे अच्छी भाषा में कह सकते हैं। बहुत लम्बा भाषण देते हैं उसके बारे में मैंने कहा है।

श्री नारायण सिंह मसूदा : आपने जो बातें बताई हैं उसमें मैं अवगत हुआ हूं। मैंने कहा कि रीडिमार्केशन के लिए कमेटी बनाई गई और री सेटलमेंट के सरपंच को साथ में रखा जावे और यह आवश्यक है कि पंच को साथ रहना चाहिये और पटवारियों को साथ रहना चाहिये। यह कुछ जनता अशिक्षित होने के कारण वे साथ में नहीं हो पाते। वे अगर साथ रह सकें तो इस प्रकार की त्रुटियां नहीं रहतीं।

श्री शिवचरण सिंह : यह जो कमेटी है वह फोरेस्ट की जमीन को लैन्ड रेवेन्यू में कन्वर्ट करने के लिए है। मगर मैंने और दूसरे माननीय सदस्यों ने इस पर जो निवेदन किया है वह समस्या दूसरी है। फोरेस्ट सेटलमेंट के बारे में कोई रूल्स नहीं हैं।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : (मुख्यमंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, डिमार्केशन के बारे में एतराज उठाये जाते हैं, उसके लिए मैं समझता हूं कि आयन्दा वन मन्त्री ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसी क्षेत्र में जहां डिमार्केशन हो उस पंचायत समिति को अवगत करादें और उसके लिए टाइम लिमिट फिक्स कर दें जिससे जो भी ओब्जेक्शन्स आने हों वे आ जावें। और इससे एम.एल.ए. और प्रधान हैं और दूसरे लोगों को मालूम हो जाए और फिर भी ओब्जेक्शन नहीं आते हैं तो डिमार्केशन कर दिया जावे।

श्री रामकिशन : इसमें यह जो सुझाव दिया गया है वह उस पर हो सकता है जहां नये सेटलमेंट हों। उनमें संभवतः ऐसा किया जा सकता है। मगर मेरा यह निवेदन है कि जहां पर सेटलमेंट हो गये हैं और जिनके पास जमीन उनकी होने की नकलें हैं तो उनको इस प्रकार के सबूत दिखाने पर पुराने राइट रेस्टोर कर दिये जावें। उनके पास कागज हैं। और जहां पर पंच वगैरा नहीं हों वहां पटवारियों के द्वारा सूचना दी जावे। तो मैं समझता हूं कि इन दोनों चीजों का हल हो सकता है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसके अलावा माननीय सदस्य रामानन्द ने बताया कि जो लकड़ी काटकर जंगलों से आते हैं...

श्री रामानन्द : जो वेलिड हैं उनको तो राइट रेस्टोर कर दिया जावे।

श्री नारायणसिंह मसूदा : उनको तो कर दिया जावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पीछे वालों के भी हैं उनको भी आप री-ओपिन करने को तैयार है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : उसकी छान-बीन करनी पड़ेगी।

एक तो रामानन्दजी ने कहा कि जो लकड़ी काश्तकार लोग उठाते हैं उनको नाका चौकी पर काफी हैरान किया जाता है और उन्होंने एक इन्सटेन्स बताया रोड्स पर जाकर लोगों को पकड़ते हैं और उनसे परमिट आदि मांगते हैं जिससे काफी लोगों को हैरानी होती है। इसके लिए मैं उनको हल बता चुका हूं फोरेस्ट से कोई चीज लावे तो उसको केवल नाका चौकी पर ही रोका जाता है। अब रहा प्रश्न यह कि नाका चौकी कहां हो। कितनी नजदीक हो जिससे कि लोगों को हैरेसमेंट कम हो सकता है इस बात को देखना होगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कट मोशन्स दिये थे। मगर उनका जवाब मन्त्री महोदय ने कुछ नहीं दिया। मैंने जो कट मोशन्स रखे थे उनमें यह था कि जिस प्रकार फोरेस्ट रेन्ज और डिमार्केशन किया जाता है। वह रेवेन्यू से अलग है इससे लोगों को तकलीफ होती है। फोरेस्ट और रेवेन्यू की एक सीमाएं हों तो लोगों को इससे फायदा है।

एक माननीय सदस्य : फोरेस्ट और रेवेन्यू की अलग अलग है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : फोरेस्ट और रेवेन्यू की सीमाएं एक होनी चाहिए।

आसींद को भीम में रेवेन्यू से मिला दिया जबकि इई में फोरेस्ट को मिला दिया। इससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस पर विचार किया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं यह निवेदन करूंगा कि पिछली बार वन मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस पर कार्यवाही जल्दी से जल्दी की जावेगी मगर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह असुविधा जल्दी से जल्दी मिटानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय जब तक यह भाषण समाप्त न हो जाय, बढ़ाया जाता है।

**श्री नारायणसिंह मसूदा :** एक एक कटौती प्रस्ताव का जवाब देने····

**श्री उपाध्यक्ष :** आर्डर प्लीज अगर इस तरह से जवाब दिया जाएगा तो रात को 12 बजेंगे। एक कट मोशन पर बहस हो और उसका जवाब माननीय मंत्री दें तो रात के 12 बजेंगे।

ऐसा है कि माननीय सदस्य पहले सुनलें, उसके बाद में अगर किन्हीं माननीय सदस्य ने जो कटौती प्रस्ताव दिये थे उनके बारे में मन्त्री महोदय ने नहीं कहा है तो आप पूछ सकते हैं। वरना तो यह उचित होगा कि मंत्री महोदय सुबह आकर बैठ जायें और फिर एक एक कटौती प्रस्ताव रखने के बाद उसका जवाब हो जाय। अतः कृपा करके पहले मंत्री महोदय को सुन लीजिये, उसके बाद में कोई बात रह जाय तो पूछें।

**श्री गिरधारी लाल व्यास :** उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था वह बहुत महत्वपूर्ण है, उसका जवाब मिलना चाहिये।

**श्री नारायणसिंह मसूदा :** आपका प्रश्न यह है कि जो फोरेस्ट डिविजन हैं, उनमें तरमीम होनी चाहिये, अभी इस प्रकार की कई प्रोब्लेम्स हैं, कौनसे जिले का कौनसा हिस्सा किस जिले में जोड़ा जाय, कौनसी तहसील का कौनसा हिस्सा किस तहसील में जोड़ा जाय, आसींद किधर जाय, इत्यादि प्रश्न हैं, इनको तय करते समय इस पर भी ध्यान दिया जा सकता है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास:** आसींद तो नहीं रहेगा।

(शोरगुल)

**श्री उपाध्यक्ष :** मन्त्री महोदय को जवाब देने दें, उसके बाद कोई जरूरी मसले रह जायं तो आप पूछ सकते हैं।

**श्री गिरधारीलाल व्यास :** ठीक उत्तर नहीं देते हैं इसलिए बार-बार पूछते हैं।

**श्री नारायणसिंह :** ठीक ही उत्तर है। इससे अधिक ठीक उत्तर हो नहीं सकता।

**श्री गिरधारीलाल व्यास :** आप आश्वस्त तो कर दें।

**श्री नारायणसिंह मसूदा :** आश्वस्त मैं अकेला नहीं कर सकता, मन्त्री मंडल करेगा। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि खास तौर से हमारे यहां सोइल कन्जर्वेशन का काम किया जा रहा है। 40 लाख का काम पहले किया गया है और भी किया जा रहा है, यह सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम के अन्तर्गत किया गया है। राजस्थान केनाल ऐरिया में 46 एकड़ भूमि फोरेस्ट में ली गई है, इसके उत्तर में एफोरेस्टेशन करने की योजना है जिससे कि केनाल का इरोजन न हो। इसके अलावा फोडर बैंच में कदम उठाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 40 लाख एकड़ जमीन से घास इकट्ठा किया जायगा। पहले बागरें होती थीं उससे स्थानीय जनता का घास का मसला हल हो जाता था पर आज आपको मालूम है कि आबादी बढ़ने के कारण जिस तरह पहले जंगलों में एक एक झाड़ी में हिरण आदि मिलते थे उसी तरह एक एक झाड़ी में आदमी मिलते हैं, इसलिए फेमिली प्लानिंग पर जोर दिया जा रहा है। यदि पुनर्जन्म में विश्वास किया जाय तो क्या सब आदमी बन गये हैं।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो संतुष्ट हैं, मांग पारित करा ली जाय।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : कई बीड़ थे वे भी जमीन के अलॉटमेंट में आते हैं। पाश्चर डेवलोपमेंट का काम उठाया गया है जिससे कि इतना फोडर हमारे यहां हो सके कि प्रतिवर्ष गुजरात से और दूसरी जगहों से घास मंगाना पड़ता है और उसके बाद शिकायतें होती हैं कि सड़ा हुआ घास मिला है, उन शिकायतों से छुट्टी पाने के लिये अगर पाश्चर्स यहां डेवेलप कर लेते हैं तो डेजर्ट फोरेस्टेशन के अन्दर उनको स्थापित किया जा सकता है, उनसे डेजर्ट की भूमि ठीक हो सकती है। इन कार्यों के लिये पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। इसके लिये 400 लाख का प्रावधान किया गया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : माननीय मंत्रीजी कितने पाश्चर्स लगाने की योजना है ?

श्री विजयसिंह रावत : सदन का कोई भी माननीय सदस्य केवल आसन को एड्रेस कर सकता है। डाइरेक्ट पूछ सकता है क्या ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : 50 हजार एकड़।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: मंत्री महोदय, मंत्री महोदय

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप आसन को संबोधन करें।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : इसके अलावा पुराने जंगल हैं उनकी तरक्की के लिये एक्स्टेन्शन ऑफ फोरेस्ट के लिये बहुत बड़ी धनराशि का प्रावधान रखा गया है, नेटिव कन्जर्वेशन में 40 लाख का और 11 सौ माइल का एरिया रखा गया है ...

श्री मनोहरसिंह मेहता : ठीक है समझ में आ गया।

श्री उपाध्यक्ष : सुबह यह व्यवस्था दी गई थी कि जिन कट मोशन्स पर माननीय सदस्य बोल चुके हैं : उनके बारे में तो मंत्री महोदय, यहां जवाब दे दें पर जो मूव हो गये लेकिन जिन पर चर्चा सदन में नहीं हो सकी, उनके उत्तर लिखित में मंत्री महोदय, माननीय सदस्य को भेज दें। इसलिए जो चर्चा हुई, है उनके बारे में थोड़े में जवाब दे दें।

एक माननीय सदस्य : ठीक है साहब जवाब आ गया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमारे प्रश्नों का जवाब जरूर दिलाया जाय, चाहे लिखित में ही दिलाया जाय पर जवाब जरूर दिलाया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय बीमार भी है, उनको ज्यादा कष्ट नहीं दिया जाय।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : अन्त में मैं राजस्थान फोरेस्ट को-ओपरेटिव्स के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। 116 फारेस्ट को-ओपरेटिव सोसायटीज इस समय काम कर रही हैं और उनसे 11 परसेंट फोरेस्ट कवर होता है। इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना में 200 और फोरेस्ट को-ओपरेटिव सोसायटीज ओर्गेनाइज करने का लक्ष्य है, उनके लिये 55 लाख का प्रावधान किया गया है।

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

अब यह देखने की बात रहती है कि फोरेस्ट को-ओपरेटिव सोसायटीज ने किस प्रकार का काम किया है और आगे किस प्रकार बढ़ेगा। पहले ही मैं कह चुका हूं कि ठेकेदारी प्रथा के स्थान पर फोरेस्ट को-ओपरेटिव्स बनाई जाय या नहीं, यह सब बातें विचारणीय हैं। को-ओपरेटिव्स की बात बड़ी प्रगतिशील लगती है पर उनके बारे में भी कई प्रकार की शिकायतें आती हैं.......

श्री गिरधारीलाल व्यास : को-ओपरेटिव्स जनता की संस्था है, सीख रहे है। शिकायतें सरकारी अधिकारियों की आती हैं।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : सरकारी अधिकारियों की शिकायतें हैं, श्री गिरधारी लालजी को बहुत दिलचस्पी है।

आसींद क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था हो जानी चाहिये कि वहां की वन संपदा को वहां को-ओपरेटिव पूरी तरह से सम्हाले, अन्डर दी डायरेक्शन ऑफ दी फोरेस्ट डिपार्टमेंट। इतने जंगलों को लगा सके, इतने फोडर को बढ़ा सके, यह इस पर निर्भर करता है।

श्री हीरा भाई : बांसवाड़ा चिप बोर्ड फैक्टरी का उत्तर नहीं मिला।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यहां चिप बोर्ड फैक्टरी के बारे में कहा गया, यह मामला विचाराधीन है। माही प्रोजेक्ट के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट को सब्मिट किया गया है। जब तैयार हो जायगा, तो आगे कार्यवाही करेंगे।

यहां अभी एक बात आई कि जयसंमद लेक सैक्चुअरी के अन्दर ठेका दिया गया है। मेरी सूचना है कि कोई ठेका जयसंमद के अन्दर नहीं दिया गया है। नए वर्ष का कूप आक्शन किया गया था, वह फोरेस्ट विभाग के कन्ट्रोल में है। तो इस प्रकार जो खास खास मुद्दे है उन पर मैं प्रकाश डाल चुका हूं और मैं समझता हूं कि अब सदन.......

श्री विजयसिंह रावत : एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो कटौती प्रस्ताव मूव किए गये थे उनमें से कुछ का जवाब मंत्री महोदय द्वारा दिया गया है और जिनका नहीं दिया गया है, उनको लिखित में दें।

(शोरगुल)

आज अगर न दे सकें तो किसी दूसरे दिन ही दें........

श्री अध्यक्ष : अब मांगों पर मतदान होगा.........

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं इसको पूरा कर दूं। इस विषय में मैं निवेदन कर दूं कि अभी माननीय विजयसिहजी ने अजमेर के कुछ वनों के बारे जिक्र किया कि जो नए वन लगाए हैं, वे कोई खास वन नहीं लगे हैं और वहां कोई व्यवस्था नहीं है और पुराने वन भी उजड़ते जा रहे है। मुझे इस बारे में यही निवेदन करना है कि यह तो हमारी तैयारी पर है। हम सोच रहे हैं कि जहां नए वन लगाएं उनको हम पंचायत या पंचायत समिति को वन विभाग की डाइरेक्शन में सौंप दें तो भी काम कर सकेंगे मैं मानता हूं कि शायद अगर किसी पर जिम्मेवारी डाली जाय तो वे जिम्मेवारी से काम कर सकते हैं लेकिन इस बात को पूरी

( श्री नारायणसिंह मसूदा )

तरह से इग्जेमिन करने का है कि यह कहां तक प्रेक्टीकल होगा और किस प्रकार से फाईनेन्शल इम्पलीकेशन्स हो सकते हैं और कार्यान्वित किस प्रकार से हो जाय तो इन सब बातों को गहराई से देखना है। अब जो कटौती प्रस्ताव खास खास वनों के बारे में रह गये हैं, उन सब का जवाब लिखित रूप में मैं यहां पेश कर देता हूं और जो मांग यहां प्रस्तुत की गई है, उसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के संबंध में 31, मार्च 1968, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 2,97,61,000) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

मांग स्वीकार की गई।

श्री हीरा भाई : व्यवस्था का सवाल है। जो कट मोशन्स रखे थे उनको वापस लेने या न लेने के लिए कहा नहीं तो मांग कैसे मन्जूर हो गई ?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है कि मांग जब सदन के सामने स्वीकार हो जाय तो यह माना जाता है कि कट मोशन्स अस्वीकार हो गए।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 64 दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में 31, मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 9,68,00,000) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70- वन के सम्बन्ध में 31, मार्च 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 1,14,20,000) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः काल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 6:16 बजे दिनांक 7 जुलाई, 1967 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई )

परिशिष्ट सं० 1

( कृपया प्रश्न संख्या 294 का उत्तर देखें )

तारांकित प्रश्न संख्या 32/शि० मं०

30/4/67 बकाया बिलों की निरीक्षक कार्यालयों के अनुसार सूची :–

बिलों के प्रकार :–

1. भूत काल से पदोन्नत होने के कारण देय वेतन के दावे
2. वार्षिक वेतन वृद्धि
3. अवकाश काल का वेतन
4. प्रधानाध्यापक भत्ता
5. सफर खर्च आदि

| क्रम संख्या | निरीक्षक कार्यालय | बिलों की संख्या | 30/4/67 को बकाया राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | निरीक्षक शिक्षा, बीकानेर | 42 | 3422 |
| 2 | ,, चुरू | 51 | 6263 |
| 3 | ,, गंगानगर | 44 | 8422 |
| 4 | ,, सीकर | 10 | 1189 |
| 5 | ,, झुंझनु | 13 | 2375 |
| 6 | ,, जयपुर | 49 | 13264 |
| 7 | ,, अलवर | 76 | 9539 |
| 8 | ,, अजमेर | 58 | 9490 |
| 9 | ,, जोधपुर | 117 | 18790 |
| 10 | ,, नागौर | 33 | 4756 |
| 11 | ,, पाली | 83 | 14500 |
| 12 | ,, सिरोही | 44 | 8282 |
| 13 | ,, बाड़मेर | 16 | 2100 |
| 14 | ,, उदयपुर | 23 | 2751 |
| 15 | ,, चित्तौड़ | 110 | 18195 |
| 16 | ,, बांसवाडा | 20 | 3773 |
| 17 | ,, भीलवाडा | 2 | 755 |
| 18 | ,, कोटा | 5 | 649 |
| 19 | ,, झालावाड़ | 8 | 1679 |
| 20 | ,, करौली | 173 | 18118 |
| 21 | ,, भरतपुर | 65 | 26580 |
| 22 | शिक्षा, निरीक्षक कन्या, बीकानेर | 82 | 15822 |
| 23 | ,, कोटा | 9 | 570 |

परिशिष्ट 2

( कृपया प्रश्न संख्या 296 का उत्तर देखिये )

**तारांकित प्रश्न संख्या 58 प्रश्नकर्त्ता श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य**

1. राजस्थान में विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त निम्नलिखित स्थानों पर स्नातकोत्तर कक्षायें चल रही हैं और उनके विषय में चाही गई सूचना निम्न प्रकार हैं :—

| क्रम संख्या | कालेज का नाम | विषय | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| १. | राजकीय महाविद्यालय, अजमेर | अंग्रेजी<br>अर्थ शास्त्र<br>प्राणी-शास्त्र<br>बनस्पति-शास्त्र<br>इतिहास | 1946 |
| | | हिन्दी | 1953 |
| | | गणित | 1954 |
| | | भौतिक-शास्त्र<br>रसायन-शास्त्र | 1955 |
| | | वाणिज्य<br>संस्कृत | 1956 |
| | | राजनीति-शास्त्र | 1959 |
| २. | राजकीय महाविद्यालय, कोटा | हिन्दी<br>अर्थ शास्त्र<br>अंग्रेजी<br>राजनीति-शास्त्र<br>संस्कृत | 1947 |
| | | रसायन-शास्त्र | 1955 |
| ३. | राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर | अर्थ-शास्त्र<br>वाणिज्य<br>सोशोलोजी | 1956 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| ४. | डूंगर कालेज, बीकानेर | अंग्रेजी<br>संस्कृत<br>इतिहास<br>गणित<br>हिन्दी<br>अर्थ शास्त्र | 1947 |
| ५. | डी० ए० बी० कालेज, अजमेर | वाणिज्य<br>इतिहास<br>राजनीति-शास्त्र | 1958 |
| | | सोशेलोजी | 1959 |
| | | जोगराफी | 1962 |
| | | ड्राइंग | 1964 |
| ६. | पोद्दार कालेज, नवलगढ़ | वाणिज्य | 1947 |
| ७. | वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली | इतिहास<br>अर्थ शास्त्र<br>राजनीति-शास्त्र<br>संस्कृत | 1961 |
| | | अंग्रेजी<br>हिन्दी | 1963 |
| | | ड्राइंग व पेन्टिंग | 1964 |

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण नहीं पूछे गये तारांकित प्रश्नोत्तर

**जगर बांध से कम पानी की सप्लाई**

315. (481 उ० मं०) श्री श्रवणलाल: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि इस वर्ष जगर बांध में पानी की कमी होने के कारण किसानों को अपनी पिलाई के लिये पानी नहीं मिला था ?

(2) क्या यह भी सच है कि एक पानी से पैदावार नहीं हो सकती है ?

(3) क्या यह भी सच है कि दूसरा पानी व अन्य समय-समय पर पानी नहीं मिलने से किसानों की फसल नष्ट हुई है ?

(4) क्या यह सच है कि जिन किसानों को समय पर पानी नहीं मिला और बिना पानी से उनकी फसलें नष्ट हो गई, उनसे पिलाई वसूल की जा रही है ?

उत्तर

1. जी नहीं। बांध में उपलब्ध जल के एवं जल वितरण समिति के निर्णयानुसार पहिला पानी पूरे क्षेत्र में दे दिया गया तथा बचा हुआ पानी दूसरी पिलाई के कम क्षेत्र में दिया गया।

2. एक पानी से पैदावार कम होती है।

3. इसकी सूचना इस विभाग को किसी काश्तकार ने नहीं दी।

4. प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगित-प्रश्न

**पड़िहारा, तहसील रतनगढ़ में वाटर वर्क्स**

141. (31/स्वा० शा० मं०) श्री लाभचन्द वैद:—क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सच है कि रतनगढ़ तहसील के पड़िहारा में वाटर वर्क्स का कार्य अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो यह कब तक पूरा होगा ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

## शुद्धि-पत्र

( बुधवार, दिनांक ७ जून, १९६७ )

| स्तम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| ७ | ३ | रु० 35,000 रु० | 35,000 रु० |
| ८ | ११ | ऐसे दूसरों | ऐसे दूसरे |
| ६ | ७ | सांचोर पूरी तहसील | पूरी सांचोर तहसील |
| १२ | ४ | कुरने | करने |
| ,, | १६ | ड्रेनेज ने | ड्रेनेज के |
| १३ | १५ | रकूल से | स्कूल से |
| १५ | अंतिम से ६ व १० | हैं | है |
| १६ | १३ व १५ | हैं | है |
| १८ | ४ | मा ' त | मार्फत |
| २१ | १४ | श्री हरदेव जोशी | श्री हरिदेव जोशी |
| २३ | अंतिम से ८ | श्री श्रवणलाल | श्री श्रवणलाल |
| २४ | ,, से ७ | रहे | मिल रहे |
| २५ | ११ | फोडर | फीडर |
| २८ | अंतिम से १२ | निश्चय | निश्चित |
| २६ | १७ | क्लासेजे | क्लासेज |
| ३५ | ४ | भूंभुनूं वाला | झुंझुनूं वाला |
| ,, | ७ | उत्पादन | उत्पादन: |
| ३६ | ६ | तो तो क्या | तो क्या |
| ३७ | अंतिम से ८ | को गई | की गई |
| ३६ | २ | श्री धीरसिह | श्री धीरसिंह |
| ,, | १३ | श्री हरलालसिंह खरी | श्री हरलालसिंह खर्रा |
| ४० | १० | (राव श्री धारसिंह) | (राव श्री धीरसिंह) |
| ४१ | अंतिम से ७ | (कृपया आगे देखिये अनुपस्थित) | (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये) |
| ,, | अंतिम से ४ | श्री दिग्विजयसिंह | श्री दिग्विजयसिंह |
| ४३ | ५ | अधूरे पड़ | अधूरे पड़े |
| ,, | अंतिम से १० | भंभूनू | झुंझुनूं |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ४३ | अंतिम से ७ | वताई गई | बनाई गई |
| ४५ | १४ | वह उससे | व उससे |
| ४६ | ७ | में हो जाने की | में ले जाने की |
| ,, | १५ | ( श्री हरदेव जोशी ) | ( श्री हरिदेव जोशी ) |
| ४८ | १५ | विया गया | किया गया |
| ५२ | ६ | पमेन्ट | पेमेन्ट |
| ,, | १८ | 212. | 312. |
| ५३ | अंतिम से ९ | वाट र | वाटर |
| ५८ | अंतिम से १ | गुड | गुड़ |
| ,, | ६ | गांवां | गांव |
| ५९ | ६ | सरकारी की | सरकार की |
| ६१ | ८ | द्वारा | द्वारा |
| ६२ | ५ | मंडना | मंडाना |
| ,, | ७ | श्री बृजबलभ | श्री बृजवल्लभ |
| ,, | १७ | वा | का |
| ,, | २३ | बिजजी | बिजली |
| ६४ | ५ | (1209 म.प.) | 12.09 म.प.) |
| ,, | ११ | सल हकार | सलाहकार |
| ६६ | ५ | लेने को | लेने की |
| ६६ | अंतिम से १३ | सकेगी | सके |
| ७३ | १५ | रिजल्ट् अचीव होंगे उस | रिजल्ट्स अचीव होंगे उन |
| ७४ | १७ | ओर | और |
| ७५ | १८ | वे मैं | वे में |
| ७७ | शीर्षक | 7जून, 1697- | 7, जून, 1967- |
| ८१ | अंतिम से ५ | श्री देवीदत गाडेया | श्री देवीदत्त गाड़िया |
| ८२ | ,, | रहा हैं । उनके | रहा है उनके |
| ,, | [illegible] | स्टेट्स | स्टेटस |
| ८६ | १७ | बात का | बात को |
| ८८ | ३ | एटक | इन्टक |
| ८९ | ६ | सस्पेन्शने | सस्पेन्शन |
| ९० | १२ | भी छटनी | जो छटनी |
| ९२ | अंतिम से ७ | राज्ड | राइज्ड |
| ९३ | १५ | howcver | however |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ९४ | १३ | पदा | पैदा |
| ९५ | अन्तिम से ८ | मानीय | माननीय |
| ९६ | ,, ६ | कर सकेंगे | सकेंगे |
| ९७ | ,, ६ | मानीय | माननीय |
| ,, | ,, ५ | कि सदस्य | का सदस्य |
| ९८ | ६ | फिर फिर भी | फिर भी |
| ,, | २१ | 31 मार्च, 1938 | 31 मार्च, 1968 |
| १०१ | अंतिम से ११ | शीर्षक | मुख्य शीर्षक |
| १०२ | अंतिम से ५ | तहलील | तहसील |
| १०३ | २ | कमकम | कम |
| १०३ | अंतिम से २ | में से 100 | में से 100 रु० |
| १०४ | १० | I भ | I भू |
| १०७ | अंतिम से १२ | शीर्षक | मुख्य शीर्षक |
| १०६ | ७ | वे अनुसार | के अनुसार |
| १११ | ५ | शीर्षक | शीर्षक |
| ,, | ६ | कर दिया | कम कर दिया |
| ,, | ६ | मांग संख्या 21 | मांग संख्या 28 |
| ११२ | अन्तिम से २ | किश्तों | किश्तों की |
| ११४ | ११ | कृषकों की | कृषकों को |
| ,, | अन्तिम से ७ | दिया चाय | दिया जाय |
| ११८ | ,, ४ | श्रा दिग्विजयसिह | श्री दिग्विजयसिंह |
| १२० | १३ | सम्बन्ध | के सम्बन्ध |
| ,, | अन्तिम से ५ | दुरुपयोग | दुरुपयोग |
| १२१ | शीर्षक | वन क | वन के |
| ,, | १ | गेम सेन्युरीज | गेम सेन्क्चरीज |
| ,, | १७ | परिघर्तन | परिवर्तन |
| १२२ | अन्तिम से ५ | 130 | 128 |
| ,, | १० | 129 | 127 |
| ,, | ,, 16 | 826 | 126 |
| १२३ | ७ | जिया जाय | दिया जाय |
| १२४ | १४ | दिय जाय | दिया जाय |
| ,, | २० | कम दिया | कम कर दिया |
| १२५ | २ | के खराबी | की खराबी |

| २ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| १२५ | ९ | भू संरक्षण | भू-संरक्षण |
| १३१ | अंतिम से १३ | सहाकता | सहायता |
| ,, | ,, ४ | खेरवाड़ी | खेरवाड़ा |
| १३३ | ७ | (पोपलखूंट) | (पीपलखूंट) |
| ,, | अन्तिम से ३ | मुख्य शीर्षक 34 | मुख्य शीर्षक 64 |
| १३४ | ४ | 180 | 187 |
| १३८ | १५ | प्राप्त कर। | प्राप्त करें। |
| १४९ | १८ | सिद्धान्त : | सिद्धान्तत: |
| १५१ | ८ | समय मैं | समय में |
| १५२ | अंतिम से ११ | फीज | फौज |
| १६० | ,, १४ | स्टाम्प | स्टाम्प |
| १६२ | अंतिम | ट्रन्कों के | ट्रकों के |
| १६४ | २३ | बड़ नाटकीय | बड़े नाटकीय |
| १६५ | अंतिम से १२ | 5060 | 50–60 |
| १६७ | ,, १० | डिस्ट्रक्ट | डिस्ट्रिक्ट |
| १६९ | १८ | इलाके | इलाके के |
| १७० | १२ | कर्मचारियों की | कर्मचारियों को |
| १७५ | १३ | के हाथों | हाथों |
| १७९ | अन्तिम से ६ | 328 | 3,28, |
| १८० | १६ | काम भी | काम को भी |
| १८१ | २ | समस्यायें | समस्यायें |
| १८३ | १० | शिकायतें | शिकायतें |
| १८५ | अन्तिम से ६ | उसके | उनके |
| १८६ | १८ | चरोट | चरनोट |
| १८७ | ६ | उसके | उसको |
| १८८ | १३ | कायं | कार्य |
| १९१ | ८ | युर्भिक्ष | दुर्भिक्ष |
| १९१ | अंतिम से ११ | है वे उसका | है उसका |
| १९३ | ३ | विकास | विकास |
| १९४ | अंतिम से १३ | श्री पृथ्वीसिंह पाली: | श्री पृथ्वीसिंह (बाली): |
| १९५ | २ | कार्यवाहियों | कार्यवाहियां |
| ,, | ११ | एस०डी०एस० | एस०डी०एम० |
| १९६ | अंतिम से ९ | कितनी | जितनी |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| २०१ | ६ | सदन में का | में सदन का |
| ,, | २१ | रूलर | रूरल |
| २०२ | १४ | डिविडेन्ट | डिविडेन्ड |
| २०३ | ११ | वंजिन | बंजर |
| २०३ | अंतिम से १२ | मोर्गेज | मोर्टगेज |
| २०५ | ११ | चक | चेक |
| २०७ | अंतिम से ५ | सरकार की | सरकार को |
| २११ | १५ | श्री रामसिंह (जायज) | श्री रामसिंह (जायल) |
| ,, | अंतिम से ४ | मोहृदय | महोदय |
| २१५ | ८ | मि लें | मिसलें |
| ,, | २१ | सकता है | सकता है |
| २१६ | १३ | कमेटो | कमेटी |
| २१७ | अंतिम से १० | त्तीन | तीन |
| २२० | ३ | चे कोई | वे कोई |
| ,, | अंतिम से १६ | वहीं नहीं | वहां नहीं |
| २२२ | ४ | योजला | योजना |
| २२५ | ८ | टेकरी | टोकरी |
| ,, | १० | रुयया | रुपया |
| ,, | १६ | दूसरी | दूसरा |
| ,, | १७ | करनी | करना |
| २२६ | १५ | फरने | करने |
| ,, | १८ | उसका | उसको |
| २२७ | ६ | दिया जा | दिया जाय |
| २२८ | अंतिम से २ | में नया | मैं नया |
| २३१ | ४ | मिलें। | मिले। |
| २३५ | १४ | जमीन का | जमीन की |
| २३८ | अंतिम से ५ | वारिस | बारिश |
| २३६ | १२ | आप उनक | आप उनके |
| २४२ | अंतिम | दौराने | दोहराने |
| २४५ | शीर्ष | (श्री बृजसुन्दर) | (श्री बृजसुन्दर शर्मा) |
| ,, | अंतिम से ६ | काम को | के काम को |
| ,, | ,, ३ | श्री देवीदत्त गाड़िया: (शाहबाद) | श्री देवीदत्त गाड़िया: शाहबाद, |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| २४६ | अंतिम से ११ | बारे भी | बारे में भी |
| २५० | ३ | कुश्रों का | कुओं को |
| २६३ | अंतिम से १० | टिन्नेसी | टिनेग्सी |
| २९९ | १ | इर्जेमिन | एग्जेमिन |